राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] बारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का सत्रहवां दिवस [संख्या : 7

शुक्रवार

16 जुलाई, 2004

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

अरावली क्षेत्र में खनन एवं क्रेशर जोन

125. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला अलवर की अरावली पहाड़ियों में खनन कार्य बन्द किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा खनन कार्यों की स्वीकृति के लिए क्या-क्या कानून एवं मानदण्ड बनाये हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पत्थरों एवं रोड़ियों की पर्याप्त आपूर्ति हेतु हरियाणा राज्य की भांति जिला अलवर में भी एक खनन क्षेत्र एवं क्रैशर जोन स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां, और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार जिले में खनन कार्यों को स्वीकृति देने हेतु कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री लक्ष्मीनारायण दवे) : (1) जी हां। अलवर जिले की अरावली पहाड़ियों में सरकार द्वारा समय-समय पर न्यायालयों के निर्णय की पालना में खनन कार्य बन्द कराया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है :-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 509/91 तरूण भारत संघ बनाम भारत सरकार व अन्य में दिये गये निर्णय दिनांक 8.4.1993 की

(श्री लक्ष्मीनारायण दबे)

पालना में टाइगर रिजर्व क्षेत्र 866 वर्ग किलोमीटर में आने वाले वन क्षेत्र में 215 खनन पट्टों में सम्पूर्ण रूप से एवं 47 खनन पट्टों में आंशिक रूप से खनन कार्य बन्द करवाया गया है।

(2) निदेशक, बाघ परियोजना, सरिस्का से प्राप्त मानचित्र के अनुसार बाघ परियोजना का क्षेत्रफल 866 वर्ग किलोमीटर के स्थान पर 1145 वर्ग किलोमीटर मानने से 208 खनन पट्टों में खनन कार्य दिनांक 1.11.1993 से बन्द करवाया गया।

(3) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 202/95 में दिनांक 12.12.1996 को दिये गये आदेश की पालना में वन क्षेत्र में आने वाले 113 खनन पट्टों में खनन कार्य बन्द करवाया गया।

(4) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आई.ए. 828 याचिका संख्या 202/95 में दायर इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन नम्बर 828 आदेश दिनांक 30.10.2002 एवं 9.12.2002 के अन्तर्गत 290 और खनन पट्टों में खनन कार्य बन्द करवाया गया।

(5) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 7544/03 अश्विनी कुमार चौबीसा बनाम भारत सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.3.2004 की पालना में 115 खनन पट्टों में खनन कार्य बन्द करवाया गया।

(2) भारत सरकार द्वारा खनन कार्यों की स्वीकृति बाबत मुख्य रूप से निम्न अधिनियम एवं नियम बनाये हुए हैं:-

(1) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957

(2) खनिज रियायती नियमावली, 1960

(3) खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988

(4) ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियम, 1999

(5) मार्बल संरक्षण एवं विकास नियम, 2002

राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये नियम एवं नीतियां निम्न प्रकार हैं :-

(1) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली, 1986

(2) खनिज नीति, 1994

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

(3) मार्बल नीति, 2002

(4) ग्रेनाइट नीति, 2002

इसके अतिरिक्त खनन कार्यों की स्वीकृति के लिए निम्न अधिनियमों के प्रावधान भी लागू होते हैं :-

(1) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(3) वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981

(4) जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(3) जी नहीं। खनन क्षेत्र एवं क्रैशर जोन अलग से स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां खनिज उपलब्ध हो वहां कोई भी व्यक्ति खनन पट्टा लेकर लीज क्षेत्र में अथवा लीज क्षेत्र से बाहर क्रैशर की स्थापना कर सकते हैं।

(4) खनन पट्टा स्वीकृत करने पर वर्तमान में कोई रोक नहीं है, परन्तु स्वीकृति से पूर्व भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 7.5.1992 व 27.1.1994 व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वांछित पूर्वानुमति आवश्यक है।

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आये दिन खानें बन्द होती जा रही हैं। माननीय मंत्री महोदय, सरिस्का जो टाइगर सैंक्चुरी है, इसका आपने लिखा है कि इतना एरिया और बढ़ गया है जबकि इसमें 1975 में एस.सी., एस.टी. के लोगों को राज्य सरकार द्वारा जमीन अलॉट की गई, वहां खेती हो रही है। आज वहां कोई किसी तरह का फोरेस्ट नहीं है। क्या राज्य सरकार यह चाहती है कि इसका हल हो, इसका डिमार्केशन दुबारा से कराया जाए और जहां-जहां वन है इसका संरक्षण किया जाए? जहां पिछले 40 साल से या पिछले 30 साल से खेती लोग कर रहे हैं, मकान बना रखे हैं, कुएं लगवा रखे हैं, बिजली ले रखी है, पशु रखते हैं, क्या उनको डिमार्केशन कराकर बाहर करने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं?

दूसरा, मेरा निवेदन है, आपने कहा है कि जोन की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू होते है। हरियाणा ने केन्द्र सरकार से मिलकर. पर्यावरण विकास से मिलकर जगह-जगह क्रैशर जोन बना दिये हैं। क्रैशर जोन में यह नहीं कहते कि आप फोरेस्ट वाली जमीन में बनाइए. लेकिन जो पहाड़ियां

(श्री जुबेर खान)

सिवाय चक में हैं, गैर-मुमकिन पहाड़ हैं, वन क्षेत्र में नहीं हैं, वहां पर क्रैशर जोन बनाने में कोई आपत्ति क्यों हो सकती है? आज हरियाणा दिल्ली में सप्लाई करके खूब पैसे कमा रहा है और अलवर का यह खनन कार्य बन्द होने से बेरोजगारी बढ़ रही है, एक मेरा यह निवेदन था। तो आप गैर-मुमकिन के ऊपर यह लागू... (व्यवधान) आपने कहा कि आप पट्टा दे देते हैं, खनन का, पट्टा तो जब देंगे...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिए।

श्री जुबेर खान : पिछले पांच साल में शायद ही पर्यावरण विभाग, जयपुर से कोई स्वीकृति मिली हो। यह सदन की. सबकी चिन्ता है कि इसका कोई न कोई हल निकले कि हम सब लोग मिलकर क्या कर सकते हैं ताकि राजस्थान में खनन कार्य चलाया जा सके। इस तरह चलाया जा सके कि उससे फोरेस्ट का भी नुकसान न हो, इसके लिए सरकार क्या नीति रखती है ?

श्री लक्ष्मीनारायण दबे : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने डिमार्केशन के बारे में जो बात की है, मैंने कुछ समय पूर्व प्रधान कंजरवेटिव आफिसर को आदेश दे दिये हैं कि सिक्स मंथ के अन्दर इसका डिमार्केशन किया जाए ताकि यह पता पड़ सके कि जो फोरेस्ट एरिया 866 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, इस क्षेत्र के अन्दर यह खनन पट्टे का एरिया है या इसके बाहर है, ताकि इस प्रकार की व्यवस्था होकर...(व्यवधान) मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं, आपकी चिन्ता की भी कद्र करता हूं और मैंने आदेश दे दिये हैं, आदेश के बाद में, डिमार्केशन होने के बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्रैशर जोन के बारे में बात की, मैं माननीय सदस्य महोदय को जानकारी देना चाहूंगा कि जहां खनन पट्टा इश्यू किया जाता है उस क्षेत्र के अन्दर अगर क्रैशर लगाना चाहें तो इसके लिए किसी तरह की आपत्ति नहीं है। खनन पट्टा जिस क्षेत्र में है, उसके पास में अगर क्रैशर लगा दिया जाए तो इसमें सुविधा होगी।

जहां तक हरियाणा का प्रश्न है, वहां पर क्रैशर जोन में गट्टी वगैरह है, वहां की जो आमदनी और जो भाव हैं और राजस्थान के अन्दर जो पत्थर और गिट्टी के भाव हैं, उनमें काफी कुछ अन्तर है। इसलिए यह उचित रहेगा. जिस स्थान पर खनन पट्टा इश्यू किया जाता है वहीं पर आवेदनकर्ता क्रैशर जोन लगा सकते हैं।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक विशेष चिन्ता जाहिर की।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

पर्यावरण अधिनियम, 1986 के तहत एक अधिसूचना 7.5.1992 को जारी हुई थी जिसमें अलवर पहाड़ियों में खनन कार्य बन्द करवाया गया था। इसमें इफैक्ट हुआ अलवर क्षेत्र और इसके पास में आने वाला गुड़गांव। अलवर जिले में पूर्व अनुमति लेना नितान्त आवश्यक है। उक्त अधिसूचना के अनुसार अलवर जिले में निम्न क्षेत्रों में बिना अनुमति के खनन कार्य नहीं किया जा सकता जहां सभी प्रकार के वन क्षेत्र हैं, गैर-मुमकिन पहाड़, गैर-मुमकिन राड़ा, गैर-मुमकिन बीहड़. बंजड़ बीड और रूण्ड 17.5.1992 को पर्यावरण विभाग. भारत सरकार के द्वारा यह अधिसूचना जारी हुई थी। उसके पश्चात् 19.11.1999 को भारत सरकार ने राज्य सरकार को अधिकृत किया था और राज्य सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी का फार्मेशन किया। एक्सपर्ट कमेटी का 2001 में फार्मेशन हुआ जिसमें 10 मैम्बर होते हैं, फोरेस्ट विभाग के, माइनिंग विभाग के। अध्यक्ष महोदय. मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1999 के अन्दर जब भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को अधिकृत किया गया था उसके पश्चात् 2003 के अन्दर लखनऊ के अन्दर पी.सी.सी. चीफ मि. सोनी साहब ने एक आदेश जारी किया था उस आदेश के तहत गैर-मुमकिन पहाड़, गैर-मुमकिन राड़ा और गैर-मुमकिन बीहड़, बंजड़ बीड़ और रूण्ड, इस क्षेत्र को शामिल करने के कारण वहां पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा सका। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि 2002 में राजस्थान सरकार ने कपूर कमेटी का फार्मेशन किया था। कमेटी ने अपनी ओपिनियन दी है, जिसको अभी लागू नहीं किया गया है, जिसमें सघन क्षेत्र जो कम से कम 5 हैक्टेयर और जिसमें कम से कम दो सौ पेड़ प्रति हैक्टेयर हों, डीम्ड फोरेस्ट की श्रेणी में आता है। अगर यह कमेटी की रिपोर्ट जो विचाराधीन है, इसका निर्णय हो गया और इसको अगर राजस्थान सरकार की तरफ से जो विचाराधीन मामला है, विचार कर लिया गया तो अलवर का जो क्षेत्र है यह डीम्ड फोरेस्ट में नहीं आएगा. मैं यह आपको जानकारी देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह गुर्जर।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा, गैर मुमकिन पहाड़, बीहड़ इसके अलावा तो कोई खनन क्षेत्र है ही नहीं। आप सिर्फ परमिशन देते हैं खातेदारी में और खातेदारी के तो किसी के पास पहाड़ हैं नहीं। अगर किसी ने कोई पटवारी से नक्शा टेढ़ा-मेढ़ा करवा कर करा भी लिया तो क्रैशर तो लगा लेता है वहां. और अवैध खनन कराकर कराते हैं। जहां फोरेस्ट बिलकुल नहीं है, आपने जैसा कहा कपूर कमेटी का. इस कमेटी की रिकमंडेशन को अगर सरकार जल्दी से लागू कर दे तो यह समस्या का समाधान हो सकता है। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय. मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा वन मंत्री महोदय से।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : मुझे अलाउ कर दिया।

श्री खुशवीर सिंह : मुझे पहले परमिशन दी है, साहब। एक बार तो हमें भी बोलने दीजिए, सीनियर लीडर। (व्यवधान).

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकारा नाथूसिंह गुर्जर का, आप कैसे जानना चाहेंगे?

श्री सुभाष चन्द्र : एक प्रश्न है मेरा।

डा. एन.एस. गुर्जर : मेरा नाम पुकार लिया, इतना सिस्टम तो समझो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने यह सवाल पूछा है। अलवर क्षेत्र के अन्दर 1993 से लेकर 2002 तक 941 खानें तो परमानेंटली बन्द कर दी गयीं और 47 खानें आंशिक रूप से बन्द की गयीं, कुल मिलाकर 988 खानें, एक हजार के आसपास खानें बन्द हैं। इससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गये, बैंक्स का ऋण फंस गया और उद्योग जो गैंगसा लग रहे थे वे बन्द हो गये, केवल राजस्थान सरकार की एक कमजोरी के कारण। माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह छूट दे दी कि वह चाहे तो एन.ओ.सी. दे सकती है या उस जगह बदलवाकर दूसरी जगह फोरेस्ट डवलप करवाकर उसको बाहर निकाल सकती है। उसके लिए एक कमेटी जिसमें प्राइवेट मैम्बर्स को नियुक्त किया जाता है. वह और बनाई जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधा सीधा मंत्रीजी से जवाब जानना चाहता हूं कि पिछले पांच साल में चाहे खानों के रिन्युअल के लिए. जो पहले चल रही थीं और नई खानों के लिए एक भी एन.ओ.सी. पर्यावरण विभाग ने नहीं दी राजस्थान में, इसका क्या कारण था. नम्बर एक? नम्बर दो, जो प्राइवेट मैम्बर्स अपाइंट करके कमेटी बनाई जाती है एन.ओ.सी. देने के लिए, वह कमेटी क्यों नहीं बनाई गई? एक क्वेश्चन मेरा और है कि जो बाघ परियोजना है, सरिस्का बाघ परियोजना के डायरेक्टर ने 2001-02 में राज्य सरकार को यह लिखकर दे दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय. फोरेस्ट में और राजस्व विभाग में झगड़ा है, फोरेस्ट कहता है हमारी जमीनें इधर हैं नक्शे में. राजस्व विभाग कहता है नहीं, यह राजस्व विभाग में आती है, आपके में नहीं आती. दोनों का झगड़ा है। परियोजना के निदेशक से पूछा. उन्होंने साफ कह दिया कि यह एरिया परियोजना के क्षेत्र में नहीं आता। उसके बाद भी एन.ओ.सी. नहीं देने का, खानें चालू नहीं करवाने का

(डा. एन. एस. गुर्जर)

क्या कारण है, जिससे वहां के जो बेरोजगार लोग हैं उनको लाभ हो सके? बैंकों का फंसा हुआ पैसा है, उद्योगपति बर्बाद हो गये। कमजोर तबके के लोग जिन्होंने एक-एक, दो-दो खानें ले रखी थीं, वे बर्बाद हो गये। उनको बचाने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत गम्भीर है और खाली अलवर तक महदूद नहीं है। 988 खानों का जिक्र जो माननीय टोडारायसिंह से आने वाले विधायक ने किया, इसकी बजाय मैं यह कहना चाहता हूं सदन में आपके माध्यम से कि...

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए, कहना नहीं चाहते।

श्री विष्णु मोदी : I am coming pointedly. Pointedly. कि 15 से 20 हजार के बीच में आज राजस्थान में खाने बन्द हैं और एक मसला नहीं है। मसला है फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, मसला है अरावली एक्ट, मसला है एनवायर्नमेंट एक्ट, मसला है सुप्रीम कोर्ट, मसला है शिड्यूल्ड एरिया का, पटना हाई कोर्ट का आर्डर और मसला है एक राजस्थान हाई कोर्ट का। और यह इतना उलझा हुआ है। मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया है वह जवाब बिलकुल इनकम्पलीट है, इसका न सिर है, न पैर है। इन सब बातों के लिए जब तक एक कोई सेल नहीं बनेगा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शोर-शराबा नहीं।

श्री विष्णु मोदी : एनवायर्नमेंट, फोरेस्ट, माइनिंग तीनों के इंटरलिंक मसले हैं और साथ में सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट के मसले हैं, तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन सभी मामलों को लेकर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, मैं आपको समय दूंगी, लेकिन इन दोनों प्रश्नों का जवाब आ जाने दें, मैं दूंगी आपको अवसर। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि इन मसलों को मिलाकर, और राजस्थान की जो खानें बन्द हैं वे कितने दिन में चालू हो जाएंगी और क्या वह उसका हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं?

श्री लक्ष्मीनारायण दबे : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा, राजस्थान में 24218 खानें हैं. और 20758 खानें अश्विनी चौबीसा बनाम भारत सरकार व अन्य के आदेशों में बन्द कराई गई थीं। उनमें से पर्यावरण अनुमति जिन्होंने प्रस्तुत की, ऐसी 11561 खानें हमने वापस प्रारम्भ करवा दी हैं। अब मात्र 9197 खानें बन्द हैं। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : इसके अलावा आंधी में अलग बन्द हैं, उदयपुर में अलग बन्द हैं। और आप यह देख लें, यह एनवायर्नमेंट के कारण नहीं है। फोरेस्ट कंजर्वेशन, 1996 का जो फैसला आया...(व्यवधान) उसके अलावा अलग खानें हैं, आप खाली एनवायर्नमेंट क्लीवरेंस की बात मत करें।

श्री संयम लोढ़ा : अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : सरकार क्या प्रयास कर रही है, वह बताओ?

श्री विष्णु मोदी : आप 5 हैक्टेयर की परमिशन देते हैं, जिन लोगों ने एरिया सरेंडर कर दिया उनका अभी तक आपने कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले इनका जवाब तो आने दीजिए।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : आप नाम तो पुकारो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : सरकार खानों को चालू करवाने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

श्री विष्णु मोदी : 15 हजार से ऊपर बन्द हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दबे : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने चिन्ता प्रकट की है, कुछ मामले राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित हैं।

एक माननीय सदस्य : इनको नहीं है, खुद की खानों की चिन्ता है।

श्री लक्ष्मीनारायण दबे : उसके प्रति राजस्थान सरकार बहुत ही चिन्तित है और अपनी तरफ से पूर्ण प्रयासरत है कि उनका निस्तारण जल्दी से जल्दी किया जा सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामसिंहजी विश्नोई। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि कमेटी क्यों नहीं बनाई। (व्यवधान) एन.ओ.सी. क्यों नहीं दी गई, कमेटी क्यों नहीं बनाई? (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : हां, इनको बिठाइये, माननीय सदस्य को। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : जवाब तो आने दीजिये हमारा।

श्री रामसिंह विश्नोई : जवाब लेते रहना, बाद में लेना।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आने दे।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं।

डा. एन. एस. गुर्जर : जवाब देने दीजिए न।

श्री संयम लोढ़ा : कि वर्ष 2002 में कपूर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी...

डा. एन. एस. गुर्जर : उसका जवाब तो आने दीजिए, कमेटी क्यों नहीं बनाई किसी भी सरकार ने पांच साल तक? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका।

डा. एन. एस. गुर्जर : एन.ओ.सी. नहीं दी पांच साल में एक भी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जो परिपत्र भेजा था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनके पास इतनी जानकारी थी, दे दी आपको। रामसिंहजी विश्नोई पूछ रहे हैं कुछ।

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरा नाम पुकार दिया, मेरा नाम पुकार दिया, बिराजो आप।

श्री अध्यक्ष : संयम लोढ़ा, बिराजें कृपया। (व्यवधान) आपको मौका दूंगी इनके बाद में।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, देखो, भारत के अन्दर यह प्रचलित है कि सिर सांठे रूख रहे तो भी सस्तो जाण, अगर सिर देने के बाद भी रूख की रक्षा होती है तो वह श्रेष्ठ होती है।

श्री अध्यक्ष : वह भी सस्ता है।

श्री रामसिंह विश्नोई : मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, मैं उससे संतुष्ट हूं और भारत सरकार और राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं। जहां पर जापान सरकार ने भी, जर्मनी सरकार ने भी करोड़ों रुपये अरावली पहाड़ियों की रक्षा के लिए दिये हैं, वहां पर ये लोग खनन कार्य करना चाहते हैं, यह बहुत शर्म की बात है। ये लोग जो ठेकेदारों के खनन हैं...

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, we object to it.

श्री अध्यक्ष : ये लोग, ये लोग नहीं कहेंगे आप।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की इकोनोमी माइंस पर आधारित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं बोलेंगे।

डा. एन. एस. गुर्जर : इन्होंने पैसे ले लिये, पेड़ हैं नहीं। आपको जानकारी नहीं हो रही है क्योंकि वहां पेड़ हैं ही नहीं। (व्यवधान) वहां पेड़ नहीं हैं, पत्थर हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप राजस्थान की इकोनोमी को तहस-नहस करना चाहते हो? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप जापान गवर्नमेंट की बात कर रहे हो...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : आप इटली के मार्बल के लिए...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री खुशवीर सिंहजी। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : आप इटली के मार्बल के लिए...(व्यवधान) इटली के मार्बल...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, इतने उत्तेजित नहीं हों, स्थान ग्रहण करें। माननीय लूनी से आने वाले सदस्य, आप... (व्यवधान) मैं कुछ बोल रही हूं। आसन पांवों पर। मैं कुछ बोल रही हूं। लूनी से आने वाले माननीय सदस्य, आपको प्रश्न पूछने के लिए कहा था, मंत्री के उत्तर को सप्लीमेंट कर ने के लिए नहीं कहा था। आप तो उनके उत्तर को सप्लीमेंट कर रहे हो। यह बहुत चिंता का विषय था और इस विषय में जो कुछ मंत्रीजी कह रहे थे, माननीय सदस्यों का उत्तेजित होना स्वाभाविक था। करोड़ों रुपये की रायल्टी जा रही है,लोग

(श्री अध्यक्ष)

बेरोजगार हो गये हैं। (व्यवधान) आपने पूछा, उस दृष्टिकोण से पूछा, ये लोग-ये लोग, क्या सारे ही कोई खान मालिक थे पूछने वाले? (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने मेरी पूरी बात सुनी ही तो नहीं। पूरी सुने बिना कैसे होगा? (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : +++

श्री अध्यक्ष : आप बीच में ही बोलने लग गये। (व्यवधान) अब आप...

डा. एन. एस. गुर्जर : आप इटली के मार्बल को हिन्दुस्तान के मार्केट में लाने के लिए उनकी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान) आप स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : इसको कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आरोप लगाएं, नोटिस देकर के...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसे तो फिर हम भी आरोप लगाएंगे। हमारे पास कम आरोप नहीं हैं आपके खिलाफ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप आसन को ही नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : रामसिंहजी, आप बैठिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : +++ (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय. पाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, यह +++ कहना, क्या तरीका है? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह पवित्र सदन का अपमान है।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह आरोप लगाने की परम्परा गलत है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : +++ कह दिया। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : असंसदीय भाषा का उपयोग...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : लूनी से आने वाले माननीय सदस्य पर आरोप लगा दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : ये लोग क्या बोल रहे हैं? हमारे पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन आवर इस तरह से नहीं चलेगा। एक माननीय सदस्य दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहले आपने लगाया। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : पहले तो माननीय सदस्य ने आरोप लगाया।अध्यक्ष महोदय, आपने अलाउ कैसे किया (व्यवधान) जिस माननीय सदस्य की माइंस हैं वो प्रश्न नहीं पूछ सकता, यह कहां नियमों में लिखा है? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपको प्रश्न अलाउ ही नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों के माइंस हैं वो प्रश्न नहीं पूछ सकते, आपने कैसे अलाउ किया? (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : किस किस के पास माइंस हैं, मेरे पास लिस्ट है पूरी। पूरी लिस्ट है कि किस किस के पास माइंस हैं। पूरी लिस्ट प्रस्तुत कर दूं कि किस किस के पास माइंस हैं? हमको डरा रहे हो? (व्यवधान) कांग्रेस के कितने लोगों के पास माइंस हैं, मेरे पास लिस्ट है। (व्यवधान) क्या बात कर रहे हो, डरा रहे हो आसन को? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : मैं पहले कह रही हूं। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, दोनों कई बार इस तरह का व्यवहार करने लग जाते हैं कि आसन विवश हो जाता है। आसन को विवश न किया करें आप। मैं चाहूंगी कि प्रश्नकाल के अन्दर प्रश्नों का जवाब मंत्रीजी दें, लेकिन बीच में ही खड़े होकर एक साथ आप इतने लोग उत्तेजित होकर बोलने लग जाते हैं कि न तो कुछ सुनाई देता है और व्यवस्था भी बिगड़ती है। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि आपके मंत्री सारे जवाब देने में सक्षम हैं, आप खामख्वाह में एक साथ इतने क्यों खड़े होते हैं। यदि प्रतिपक्ष के लूनी से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ कहा था तो मैं कह चुकी थी, आसन उस बारे में अपना निर्णय दे चुका था, फिर आपको उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार से हल्ला करने की आवश्यकता भी नहीं थी जिस तरीके से एक साथ खड़े होकर आप लोग बोल रहे हैं। आपके मंत्री सक्षम हैं, जवाब देंगे, लेकिन आप बीच में खामख्वाह में खड़े हो जाते हैं। ध्यान रखिये आइंदा इस बात का।

श्री सांवर लाल : +++ शब्द कहा है उसको एक्सपंज करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय उद्योग मंत्रीजी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे आदेश दिया कि मैं कोई विषय से हटकर बोल रहा होऊं। मैंने तो शुरू ही किया था तब यह माननीय सदस्य बोल गये। मेरा प्रश्न पूछना तो शेष रह गया। मैं तो यह पूछ रहा था-क्या यह सही है कि जर्मनी और जापान सरकार ने करोड़ों रुपये अरावली पहाड़ियों को विकसित करने के लिए दिये हैं? अगर हां, तो उसकी क्या स्थिति है? मैं प्रश्न यह पूछ रहा था, क्या यह सही है...(व्यवधान) आप बिराजें, एक मिनट राजवी साहब, आप बिराजो।

श्री अध्यक्ष : सुनें।

श्री रामसिंह विश्नोई : दूसरा मेरा यह था, क्या यह सही है कि अरावली और अलवर की पहाड़ियों के अन्दर कुछ ठेकेदार माइंस खोद रहे हैं, निकाल रहे हैं। उनको रोकने के लिए आपने क्या प्रयास किये हैं? ये दो मेरे प्रश्न थे, उसके पहले ही सुना नहीं। मैं कोई भाषण थोड़े ही दे रहा था, मैंने तो शुरू ही किया था। इसी के साथ जैसे भारत सरकार...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सबको बन्द करवा दें? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय जलदाय मंत्रीजी, आप बिराजें।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने आरोप लगाया। (व्यवधान) मैंने कभी खड़े होकर टोका? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये खान मालिक हैं, ये+++ है, यह कहा था। कैसी बात करते हो, आप सीनियर मैम्बर हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें। (व्यवधान) अब आप दोनों क्यों खड़े हो गये, आपके मंत्री खड़े हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, लूनी से आने वाले माननीय सदस्य का...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मात्र हमारा इतना ही कहना था कि अच्छा विषय है, इस पर पूरी बहस होनी चाहिए, किसी को शंका नहीं...(व्यवधान) सरकार ने कोई कौनसा काम किया, उसमें भी शंका नहीं। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों का उत्तेजित होना स्वाभाविक है अगर +++ सबको कहेंगे, इंगित करके कहेंगे। यह क्या संसदीय भाषा है? क्या परम्परा रही है? और अगर यह नहीं है तो सत्ता पक्ष इसका विरोध करता है। आपको हम निवेदन करना चाहते हैं कि...(व्यवधान) अगर ये शब्द इसके अन्दर हैं तो उसको एक्सपंज करने की आप व्यवस्था कराइये।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह कोई मैंने +++ नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कहा है, प्रोसीडिंग निकाल लें। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : प्रोसीडिंग देख लीजिये, इसमें किसी को एतराज नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के माननीय नेता खड़े हैं, माननीय सदस्यों को शांत रहना चाहिए। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने बिना किसी वजह से लूनी से आने वाले माननीय सदस्य को इंगित करते हुए जो बातें कहीं उसके परिणामस्वरूप उन्होंने माइंस से सम्बन्धित लोगों के बारे में जो टिप्पणी की. मैं समझता हूं कि आप इस कार्यवाही को देखकर व्यक्तिगत टिप्पणियां की गयीं हैं, दोनों की तरफ से उसको निकाल दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं कार्यवाही देखूंगी और कार्यवाही को पढ़ने के बाद में मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि अनुचित कहा गया है तो निश्चित तौर पर एक्सपंज करूंगी।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि...

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एक समय में एक माननीय सदस्य बोलें तो।

श्री संयम लोढ़ा : आपने व्यवस्था दी थी कि रामसिंहजी के बाद आप मुझे मौका देंगे। आपने व्यवस्था दी थी।

श्री अध्यक्ष : तो दे दूंगी न मौका। इनके बाद आप बोल दीजिये। अभी खुशवीर सिंहजी का नाम पुकार लिया है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में वन मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि हम वन भूमि के लिए डिमार्केशन कर रहे हैं और जगह जगह पिलर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसी संदर्भ में वन मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर 264 रेंज हैं और आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व आपको एक पी.सी.सी.एफ. की अलग से पोस्ट कर रखी है वन बन्दोबस्त के लिए और उनका सालाना खर्चा 75 लाख रुपये आ रहा है, लगभग 9 करोड़ रुपये उनके कार्यालय पर खर्च हो चुके हैं, 264 रेंजों में से एक भी रेंज का अगर पूर्णतया डिमार्केशन करके उसका नक्शा बना दिया हो तो आप उसका जवाब दें। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि राजस्थान के अन्दर जहां लीज है, वहां पर क्रेशर नहीं लगेंगे, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहूंगा...(व्यवधान) उसी स्थान पर जहां पर बस्ती है और जहां पर घर बसे हुए हैं, गांव बसे हुए हैं, गांव के बीच के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक क्रेशर चल रहा है। आये दिन ब्लास्टिंग होती है और घरों के ऊपर और घरों के बीच में पत्थर आये दिन गिरते रहते हैं, मैं पर्यावरण मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उसको बन्द करने के लिए आप कुछ कार्यवाही कर रहे हैं? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वर्ष 2002 में राजस्थान ने जिस कपूर कमेटी का गठन किया था और जिसकी रिपोर्ट पर फैसला लिया जाता उसके पूर्व ही क्या यह सही है कि

(श्री संयम लोढ़ा)

लखनऊ स्थित फोरेस्ट के चीफ कंजर्वेटर ने राजस्थान सरकार को इस सम्बन्ध में एक नया परिपत्र भेजा? उस परिपत्र के पूरी तरह स्पष्ट नहीं होने की वजह से राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने भारत सरकार को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा था? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पिछले आठ महीनों में राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार को क्या कोई पत्र लिखा है? और लिखा है तो क्या लिखा है?

श्री अध्यक्ष : जवाब दें मंत्री महोदय। नहीं, देखिये, एक प्रश्न के ऊपर आधा घंटा से अधिक समय बीत चुका है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा-सा प्रश्न है। इसी से जुड़ा एक छोटा-सा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : इससे जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मुझे भी मौका दो।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दीजिये। आप नहीं चाहते कि उनका जवाब आ जाए? जवाब आने दीजिये आप। मंत्रीजी, जवाब दीजिये। आप स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्रीजी।

श्री लक्ष्मीनारायण दबे : अध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं इन्हें जानकारी उपलब्ध कराना चाहूंगा कि एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन दिनांक 7.8.2001 को किया गया था और उसके अध्यक्ष हैं, पर्यावरण सचिव। इसके तहत नौ मेम्बर और होते हैं जो फोरेस्ट के होते हैं और अन्य विभागों के एक्सपर्ट लोग होते हैं।

लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, जापान के द्वारा 442 करोड़ की अरावली क्षेत्र के अन्दर राशि प्राप्त हुई, स्वीकृत हुई थी, उसमें से 90 करोड़ रुपये 2004-2005 में अरावली बैल्ट के अन्दर डवलपमेंट के सम्बन्ध में, प्लांटेशन के सम्बन्ध में खर्च किये जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान में जहां कहीं वन क्षेत्र हैं उन वन क्षेत्रों के अन्दर जहां कहीं भी अनअथोराइजेशन की भी सूचना मुझे प्राप्त होगी, उसका कठोरता से एक्शन लिया जाएगा। इस प्रकार की अगर सूचना माननीय सदस्यों को हो तो मुझे व्यक्तिश: आप इसकी जानकारी दे सकते हैं।

(श्री लक्ष्मीनारायण दबे)

मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य को मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि इन्होंने जो प्रश्न किया. अध्यक्ष महोदय. यह प्रश्न अलवर क्षेत्र का था और अलवर क्षेत्र में टाइगर प्रोजेक्ट का 886 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में खनन पट्टाधारियों का यह कहना है कि यह टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र के बाहर की लैण्ड है। तो उसके लिए मैंने डिमार्केशन के लिए आदेश दे दिये हैं और छह महीने के अन्दर अन्दर इसके डिमार्केशन की व्यवस्था कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न।

श्री लक्ष्मीनारायण दबे : अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया. 1999 के अन्दर भारत सरकार ने राज्य सरकार को, पर्यावरण विभाग को यह अधिकृत किया था, उसके तहत दिनांक 7.8.2001 को कमेटी का फोर्मेशन हुआ था। इस कमेटी ने वास्तव में वर्ष 2001 से 2003 तक कोई कार्य नहीं किया। इसके लिए माननीय सदस्य और आपकी तत्कालीन सरकार और अधिकारी जिम्मेदार हैं। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल ही अपने विभाग के. फोरेस्ट विभाग. माइनिंग विभाग और पर्यावरण विभाग के तमाम अधिकारियों के बीच में इस प्रकार की बैठक रखी है। रीजनल आफिस लखनऊ मे है, लखनऊ के रीजनल अधिकारी जो सोनीजी हैं, ने जो पत्र प्रेषित किया है कि प्रदेश की इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर किन-किन क्षेत्रों में क्या-क्या रोड, पहाड़, गैर-मुमकिन पहाड़ वगैरह पर यह भी एप्लीकेबल होता है, तो बहुत निश्चित रूप से थोड़े दिन बाद में कमेटी का गठन करके, इसके ऊपर विचार-विमर्श करके अपने विचार और हमारी कमेटी के जो विचार होंगे, भारत सरकार के पास स्वयं जाकर, मेरे अधिकारी जाकर इस प्रकार की चर्चा करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न, श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : प्रश्न संख्या 126.

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : आबादी के क्षेत्र में जो पट्टे जारी कर दिये. आबादी के क्षेत्र में जो 50 साल से बसी हुई है...

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : जहां आबादी बसी हुई थी. वहां पट्टे जारी कर दिये, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं? मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

कि, जहां 50 साल से आबादी बसी हुई है, उसके बीच में इन्होंने खनन पट्टे जारी कर दिये, वहां पर क्रैशर लगाया जा रहा है, उस क्रैशर को हटाने के लिए, आबादी में खान या लीज है, उनको हटाने की क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसकी अलग जानकारी ले लीजिए। यह अलग से प्रश्न है।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सब इस मामले में बहुत चिंतित हैं तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मंत्री महोदय छह महीने में यह निर्णय क्यों करना चाहते हैं? आप तो 100 दिन में बैठकर निर्णय करते हैं तो इस कार्यवाही पर 100 दिन में निर्णय करके लाखों बेरोजगारों को खनन में रोजगार देने का प्रयास करें। आप 100 दिन में करो ना।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच में क्यों खड़े हो गये? कैसे खड़े हो गये? मैंने मंत्री महोदय का नाम पुकार लिया। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

परिवहन निगम के घाटे में संचालित आगार

126. श्री अमराराम (धोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कितने आगार हैं? गत पांच वर्षों में कितने आगार घाटे में रहे तथा कितने लाभ कमा रहे हैं? इस समय कुल घाटा कितना है?

(2) राज्य में कितनी डीलक्स बसें कौन-कौनसे मार्गों पर चल रही हैं? लाभ व हानि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) साधारण व एक्सप्रेस बसों के बस अड्डों पर यात्रियों के लिए शौचालयों की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

यातायात मंत्री (श्री युनूस खां) : (1) राजस्थान राज्य में निगम के 48 आगार हैं। गत पांच वर्षों में निगम के लाभ व हानि में रहे आगारों का विवरण वर्षवार निम्न प्रकार है :-

(श्री युनूस खान)

क्र.सं.	वर्ष	हानि में रहे आगारों की संख्या	लाभ में रहे आगारों की संख्या
1.	1999-2000	45	2
2.	2000-2001	47	1
3.	2001-2002	43	5
4.	2002-2003	42	6
5.	2003-2004	38	10

इस समय वर्ष 2004-2005 (माह मई, 2004 तक) निगम की संकलित हानि 336.37 करोड़ रुपये है।

(2) राज्य/अन्तरराज्यीय मार्गों पर निगम द्वारा संचालित डीलक्स/सेमी डीलक्स बसों का मार्गवार विवरण परिशिष्ट-1पर संलग्न है।

निगम में बसवार लाभ-हानि का आंकलन नहीं किया जाता है बल्कि आगारवार लाभ-हानि का लेखा-जोखा संधारित किया जाता है।

(3) निगम के कुल बस स्टैण्ड 74 हैं, इनमें से 47 बस स्टैण्डों पर शौचालयों की व्यवस्था है। इनमें से 20 बस स्टैण्डों पर सुलभ इंटरनेशनल द्वारा निर्मित एवं संचालित शौचालय हैं। शेष 27 बस स्टैण्डों पर साधारण व निगम द्वारा संधारित शौचालय जिन बस स्टैण्डों पर शौचालयों की सुविधा है, उनकी सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण व सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय. मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि घाटे के क्या कारण हैं प्रमुख रूप से और उन कारणों के निवारण हेतु निगम में क्या उपाय किये जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है कि डिपो को लाभ और हानि की इकाई माना गया है तो इन डिपो को संचालित करने के लिए चीफ मैनेजरों को घाटे के लिए जिम्मेदार बनाया गया है या नहीं बनाया गया है? अगर बनाया गया है तो आज तक गत पांच सालों में कितने चीफ मैनेजरों को इस घाटे के लिए जिम्मेदार माना है और उनके लिए क्या कार्यवाही की गई है?

तीसरा. मई, 2004 तक निगम कर्मचारियों का ओवरटाइम और दूसरी देनदारियों का कितना निगम पर अभी बकाया है?

श्री युनूस खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हानि के कारणों को पूछा है। निगम में हो रही हानि के कारणों में सबसे बड़ा कारण डीजल की कीमतों में वृद्वि का है। जो डीजल की अलग-अलग समय में दरें बढ़ी हैं, उसका आधार वर्ष 1997-98 मानते हुए, 1997-98 में जहां निगम को 16.46 करोड़ रुपये की हानि डीजल की दर बढ़ने से हुई, वह बढ़कर वर्ष 2003-2004 में 117.41 करोड़ तक पहुंच गई। तो महत्पपूर्ण कारण तो डीजल के कीमतों की वृद्वि है।

दूसरा कारण संस्थापन लागत में वृद्वि है, संस्थागत लागत में वृद्वि के कारण कर्मचारियों को 9-18-27 का वेतन देना था, उससे हमारी रोडवेज पर जो वेतन वृद्वि हुई, 1996-97 को अगर आधार वर्ष हम मानें तो उस समय 147.59 करोड़ की हानि इससे हुई थी, जो 2002-03 में बढ़ कर 271.93 करोड़ रुपये हो गई।

इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण कारण हानि के लिए यह है कि अनुबंधित बसों की दरों में वृद्वि हो गई। अनुबंधित बसों की दरों में वृद्वि होने के कारण विभाग को जो घाटा हुआ उसमें अगर 1997-98 को आधार वर्ष हम मानते हैं तो उस समय जहां प्रति किलोमीटर औसत भुगतान लागत 4 रुपये 65 पैसे आती थी, वह आज वर्ष 2003-04 में बढ़कर 7 रुपये 80 पैसे हो गई है।

इसके अलावा महत्वपूर्ण और कारण हैं, जो मैं बताना चाहूंगा, कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैध वाहनों का अधिक संचालन होता है और गत वर्षों में राज्य में बड़ी रेल लाइनों के विस्तार से यात्री भार में कमी आई है। पिछले पांच साल में राज्य के अन्दर बड़ी रेल लाइनें बिछने से यात्री भार रेलवे की ओर ट्रांसफर हो गया। उससे हमारा जो अधिभार है वह थोड़ा और कम हो गया, वह भी एक घाटे का महत्वपूर्ण कारण है।

हमारे धोद से आने वाले माननीय सदस्यजी ने यह कहा है कि लाभ में लाने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं। निगम को लाभ में लाने के लिए हम अवैध बसों पर रोकथाम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी संचालन व्यवस्था है, माननीय सदस्य ने कहा भी है कि डिपो मैनेजर्स पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, पहले हमारी लाभ और हानि डिपो के आधार पर होती थी, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अब हमने जो नई प्रक्रिया शुरू की है, जिसे कल से ही हम लागू कर रहे हैं, उसके अन्दर हम प्रति रोडवेज के हिसाब से घाटा तय करेंगे। जो इससे पहले माननीय सदस्य ने सूचना चाही कि कितने रोडवेज डिपो मैनेजर्स के खिलाफ कार्यवाही की है, मैं अलग से बता दूंगा संख्या, लेकिन अब हम जो सारा भार है, जिम्मेदारी है घाटे में लाने की, वह वहां के चीफ मैनेजर और डिपो मैनेजर पर ला रहे हैं। आपने अगला कर्मचारियों के बारे में पूछा है, वह संख्या भी मैं अलग से आपको बता दूंगा।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, अलग से की जरूरत नहीं है। यह जो घाटा आपने बताया है 336 करोड़ रुपया, अगर कर्मचारियों की देनदारियां इसमें और जोड़ देंगे तो यह घाटा बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। यह अलग से सवाल नहीं है, सवाल इसी में है। मैंने पूछा है घाटा कितना है, आप घाटे को कम दिखाने के लिए कर्मचारियों की जो देनदारियों हैं उनको इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। देनदारियां हैं वह आज घाटे में शामिल होंगी। अगर आप देनदारियां चुका देते हैं तो निश्चित रूप से घाटे में होंगे।

दूसरा मेरा आपसे निवेदन है, डीजल, पांचवां वेतन आयोग, यह सब होने के बाद लगातार किराये में वृद्धि हुई है, इसके अलावा सबसे बड़ा कारण रोडवेज के साथ जो अवैध वाहन हैं, वह सरकार की मिलीभगत से अवैध वाहन जो...

श्री अध्यक्ष : खुद तो कह रहे हैं वह।

श्री अमराराम (धोद) : अकेली राजधानी से हजारों की संख्या में पहले रात को चलते थे, आज धड़ल्ले से दिन में चलते हैं और वे सरकार की मिलीभगत से चलते हैं। तो क्या उनको आप रोकने का काम करेंगे? जब डिपो ही इकाई है, डिपो का चीफ मैनेजर है उस पर आज तक कितनी कार्यवाही आपने की है जो लगातार पांच साल से घाटे में चला रहे हैं, उन्होंने कोई सुधार नहीं किया है? जिन्होंने बढ़िया काम किया है, दस डिपो फायदे में आये है आपके 2003-04 में, मतलब जो धारा किया, चून लगाया है उसको भी ठीक है, बढ़िया काम करे वह भी, सब को एक भाव बेच रहे हैं। जो लगातार घाटे में चला रहे हैं उन चीफ मैनेजर्स पर आपने क्या कार्यवाही की है, यह बताने का कष्ट करें?

श्री युनूस खां : माननीय अध्यक्षजी, जो दस डिपो हमारे लाभ में चल रहे हैं और 48 डिपो में से बाकी जो 38 डिपो हानि में चल रहे हैं, हमने अभी निर्देश दे दिये हैं, सभी हमारे डिपो मैनेजर्स हैं उनके पिछले पांच साल के जो टारगेट्स थे, किन-किन डिपो मैनेजर्स की वजह से घाटा हुआ उनकी सूची हमने विभाग से मंगवाई है। सूची आने के बाद हम नई नीति के तहत उनकी पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, यह सारा तय करेंगे। इसलिए मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्य की जो चिंता है, वह हमारे विभाग की पहले से ही चिंता है और इसमें निश्चित रूप से सुधार कराएंगे। मेरे को कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार आने के बाद, जो रोडवेज का घाटा था वर्ष 2004-05 में और अभी तक तीन माह निकले हैं उसमें हम चार करोड़ रुपये से प्लस में हैं। पिछले छह साल से लगातार रोडवेज घाटे में चल रही है, पहली बार प्लस में रहकर आये हैं।

श्री अमराराम (धोद) : कर्मचारियों का बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों का बकाया तो बता दें। कर्मचारियों का निगम पर कितना बकाया है जून तक? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से सिर्फ एक छोटी-सी जानकारी चाहता हूं कि पिछले दस साल से निगम घाटे में चल रहा है, इस निगम में जनता का मनोनीत प्रतिनिधि...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा।

श्री अध्यक्ष : मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया न।

श्री संयम लोढ़ा : एक छोटी-सी जानकारी है।

श्री अध्यक्ष : चार करोड़ का मुनाफा दे दिया न उन्होंने।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, मुनाफा तो दे दिया लेकिन प्रश्न तो पूछें। मुनाफा दे दिया उसके लिए तो धन्यवाद दे देंगे, जो मुनाफा दे रहे हैं...

श्री अमराराम (धोद) : चार करोड़ तो कर्मचारियों का बकाया है, अध्यक्ष महोदय, चार करोड़ रुपये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : धन्यवाद दे देंगे न मुनाफे का, उसमें क्या बात है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ओवरटाइम का है, सरकार पर, निगम पर आज भी हजारों कर्मचारियों का बकाया है जो सरकार नहीं चुका कर उसको फायदे में दिखाने की बात कर रही है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कर्मचारियों वाली बात तो आपके प्रश्न में आई नहीं है। नैक्स्ट क्वेश्चन। कन्हैया लालजी मीणा।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि पिछले दस साल में लगातार यह निगम घाटे में रहा है...

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : घाटा आपने कर दिया और हिसाब इनसे मांग रहे हो।

श्री संयम लोढ़ा : हिसाब नहीं मांग रहे, मैं तो क्वेश्चन दे रहा हूं। पिछले दस साल से यह निगम घाटे में रहा है और इस निगम में...

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

बस्सी में कराये गये विकास कार्य

127. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के गांवों में गत पांच वर्षों में क्या-क्या कार्य किस-किस योजना के तहत कराये गये? योजना व व्यय राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी कार्य पूर्ण हो गये? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर) : (1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के गांवों में गत पांच वर्षों में कुल 776 कार्य कराये गये। योजनावार कराये गये कार्यों का विवरण व व्यय राशि परिशिष्ट "क" पर अवलोकनीय है।

(2) कुल 776 कार्यों में से 754 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 21 कार्य अपूर्ण हैं तथा एक कार्य निरस्त किया जा चुका है। अपूर्ण कार्यों के अपूर्ण रहने का कारण सम्बन्धित कार्य के सम्मुख परिशिष्ट "ख" पर अवलोकनीय है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री कन्हैया लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो 21 कार्य अपूर्ण रहे हैं, तीन साल से अपूर्ण हैं, उसके क्या कारण हैं, तथा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये कार्य कब तक पूरे कर दिये जाएंगे?

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो 21 कार्य अपूर्ण हैं उनके कारण हमने परिशिष्ट में लिखे हैं और उनको जल्दी से जल्दी पूरा कराने के लिए भी लिखा है। जैसे इसमें चारदीवारी निर्माण का कार्य अखेपुरा का है, वह एक माह में पूरा हो जाएगा। इसी तरह से ग्रेवल सड़क रामपुरा, यह भी एक माह में पूरा हो जाएगा। ग्रेवल सड़क रामसिंह रोड, यह भी एक माह में पूरा हो जाएगा। सीसी रोड पंचायत भवन से धोबी मोहल्ला, एक माह में पूरा। सब इसमें दे रखा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री कन्हैया लाल मीणा : मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि ये अपूर्ण क्यों रहे कार्य, पूरे क्यों नहीं हुए, अपूर्ण रहने का क्या कारण है? दूसरा. अपूर्ण जो कार्य रहे हैं उनको क्या पूरा करने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्री अध्यक्ष : वह कह दिया न।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब हो रहा है। जो एक माह में कार्य पूरे होने थे, वे मैंने बता दिये...

श्री अध्यक्ष : वह तो शुरू में कह दिया न।

श्री कालूलाल गुर्जर : जहां तक अधूरे रहे कार्य हैं उसके कारण क्या हैं, मैंने लिखा है कि कहीं पर पंचायतों के द्वारा सरपंचों ने कई मामलों में पैसे उठा लिये और वे सरपंच नहीं रहे, गबन कर गये। उनसे वसूलियां हो रही हैं, कार्यवाही हो रही है। कुछ मामले जिनमें पंचायतों में काम कराने में देरी हुई है, उनको भी हमने सब को नोटिस दिये हैं और उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। एक महीने के अन्दर-अन्दर जितने अपूर्ण कार्य हैं, उनको पूरा करा दिया जाएगा।

श्री कन्हैया लाल मीणा : माननीय मंत्री महोदय, वे कितने सरपंच हैं जिन्होंने गबन-घोटाले किये? आप उनकी सूची बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : यह तो अलग से प्रश्न, अलग से प्रश्न है।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, ऐसा तो इन्होंने पूछा नहीं। मैंने प्रत्येक कार्य में लिखा हुआ है, जिन-जिन सरपंचों का है, इनकी सूची दी उसमें बताया है।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने अनियमितता की है...

श्री कन्हैया लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : श्री तगाराम।

श्री कन्हैया लाल मीणा : पूर्ण कार्यों में 75 नम्बर पर जो कार्य है, वह आपने पूर्ण बताया है, क्या मौके पर काम है या नहीं है, आप यह बताएं?

श्री अध्यक्ष : पूछिये, पूछिये।

श्री कालूलाल गुर्जर : 75 नम्बर पर कार्य पूर्ण बताया है वो पूरा है, अगर आप यह कहते हैं कि वहां कार्य नहीं है तो मैं उसकी जांच करवाऊंगा। मुझे जो सूचना मिली है वह पूरे कार्य की मिली है।

श्री कन्हैया लाल मीणा : अगर पूरा नहीं है तो. मंत्री महोदय, क्या पूरा करवाएंगे आप उस कार्य को?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न पूछा गया तो आप जवाब क्यों दे रहे हैं? श्री तगाराम।

बाड़मेर में पुलिस थानों का सृजन

128. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पुलिस थानों की संख्या बहुत कम है? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के ग्राम बाटाडू व बिसाला में नये पुलिस थाने स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां. तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के कई पुलिस थानों में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार बाड़मेर जिले के पुलिस थानों व चौकियों में टेलीफोन व्यवस्था करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री गुलाब चन्द कटारिया) : (1) यह सही नहीं है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में थानों की संख्या बहुत कम है। बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बाटाडू एवं बिसाला में नये पुलिस थाने स्थापित करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) हां, यह सही है कि जिला बाड़मेर में पुलिस थाना गिड़ा, सेड़वा एवं बिजराड़ में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है। टेलीफोन एक्सचेंज दूर होने एवं सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उक्त थानों व चौकियों पर टेलीफोन लगाया जाना विचाराधीन है।

श्री तगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया कि बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में पुलिस थानों की संख्या कम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : टेलीफोन नहीं हैं। टेलीफोन नहीं हैं।

श्री तगाराम चौधरी : इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि पुलिस थानों की संख्या तीन है, उनमें से केवल बाड़मेर नगर में दो थानें हैं। ग्रामीण क्षेत्र लम्बा-चौड़ा है और तीन लाख के लगभग जनसंख्या वाला विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर ढाणियों में बसता है, गांवों में भी बहुत कम बसता है, उसके लिए एक केवल बायतू थाना, वो भी एक तरफ पड़ता है। मैंने जैसा निवेदन किया, बिसाला और बटाडू। ये भी दूरदराज की पुलिस चौकियां हैं, वहां थाना होना नितान्त आवश्यक है जनता की सुविधा के लिए। दूसरा,

(श्री तगाराम चौधरी)

यदि सरकार का उन स्थानों पर थाने स्वीकृत करने का विचार इस वक्त नहीं है तो मेरा निवेदन यह है कि उन पुलिस चौकियों को जो बिसाला और बटाडू हैं, अनुसंधान चौकी मान कर वहां पर कम से कम सहायक उपनिरीक्षक का पद तो सृजित करें आप, जिससे भी जनता को कुछ राहत मिलेगी।

दूसरा मेरा प्रश्न है, टेलीफोनों की व्यवस्था साधनों के अभाव में नहीं है। सरकार यदि पुलिस सेवा का आधुनीकरण करने का विचार रखती है तो पुलिस थानों में टेलीफोन होना नितान्त आवश्यक है। दूरदराज में कहीं भी कोई घटना घटती है तो वहां पहुंचने में बड़ा समय लगता है और टेलीफोन पर आवश्यक सूचना पहुंचायी जा सकती है। इस वक्त मैं गीड़ा के सम्बन्ध में निवेदन करूं कि गीड़ा स्वयं के पास ढाणी में तो टेलीफोन है लेकिन पुलिस थाने में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप मोबाइल दे सकते हैं। अब तो मोबाइल है वो दे सकते हैं।

श्री तगाराम चौधरी : दूसरा मेरा प्रश्न है सीमावर्ती क्षेत्र चौहटन के...

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें, भाषण नहीं दें। माननीय सदस्य, सिर्फ पूछने के लिए अपनी बात कहें।

श्री तगाराम चौधरी :..सेड़वा और बीजराड इन थानों में भी टेलीफोन नहीं है, ये सीमावर्ती क्षेत्र हैं। जहां तक संसाधनों का सवाल है सीमा क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत भी यह क्षेत्र आता है...

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये, माननीय सदस्य, भाषण देने का आपको इस समय अवसर नहीं मिलेगा।

श्री तगाराम चौधरी : हां तो इन थानों में टेलीफोन कब तक लगा दिये जाएंगे?

श्री अध्यक्ष : हां, यह पूछें। आप तो बस यह पूछें।

श्री तगाराम चौधरी : दो पुलिस चौकियों को अपग्रेड करके कम से कम उप निरीक्षक या सहायक उप निरीक्षक का पद सृजित करने का कब तक विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : हां, माननीय मंत्री जवाब दें। माननीय मंत्री।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी से जुड़ता हुआ सवाल है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय. ग्राम बटाडू-थानों को जब खोलते हैं तो उसमें दर्ज होने वाले मुकदमों का आधार ध्यान में रखते हैं, क्षेत्र इस में वर्ष 2001

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

में 47 मुकदमे रजिस्टर हुए थे. वर्ष 2002 में 38 और वर्ष 2003 में 27 इसलिए जो एक मिनिमम नार्म है उससे भी काफी कम अपराध यहां हैं। सामान्यत: इस बात की कोशिश करते हैं, कि अपराध के आधार पर थाने की बायेबिलिटी बनती है कि नहीं... (व्यवधान) मैंने पूरा नहीं कहा, मैंने कहा कि सामान्यत: इस बात को भी ध्यान में रखते हैं और क्षेत्र के फैलाव को भी ध्यान रख कर आधार बनता है। इसी तरह से बिसाला में भी जो अपराधों की संख्या हमारे रिकार्ड पर है, वो हमारे जो नार्म्स बने हुए हैं उससे कम है। लेकिन यहां दोनों स्थानों पर चौकियां हैं। जैसा आपने भी कहा, इस सारे क्षेत्र में, पूरे के पूरे बाड़मेर में 24 चौकियां इस समय कार्यरत हैं। 19 स्वीकृत चौकियां हैं, 5 अस्वीकृत हैं, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से कायम कर रखी है। जितनी चौकियां हमारे पास हैं उनमें से केवल चार पर अभी टेलीफोन उपलब्ध हैं बाकी सभी चौकियों पर नहीं है। कस्बा बाड़मेर में है, हर सानी में है, पदपदरा में है और पादरू में, ये चौकियां हैं जिनमें टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है, बाकी पर टेलीफोन सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं हैं। थानों की दृष्टि से पूरे बाड़मेर में तीन थाने ऐसे हैं जहां टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उन तीन थानों में गिडा है 13 किलोमीटर दूर, सेवड़ा 20 किलोमीटर दूर है टेलीफोन से और बिजराड 24 किलोमीटर। जैसे ही हमको कुछ साधन उपलब्ध होंगे, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि केवल इनके ही नहीं राजस्थान में लगभग 35 थाने ऐसे हैं जिनमें टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है, इस वर्ष की प्राथमिकता में 35 में से 35 थानों को यह टेलीफोन सुविधा उपलब्ध हो, इसका प्रयास करेंगे। फिर जैसा आपने कहा कि चौकियों को कुछ अपग्रेड करने से भी अगर समस्या का समाधान हो सकता है तो मैं निश्चित रूप से अपने बजटीय संसाधनों को देखते हुए इस बात को प्राथमिकता से ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा।

श्री टीकम चन्द कान्त : एक मेरा और प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अब आपकी बात तो पूरी हो गयी।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

कवि माघ बाल मन्दिर, भीनमाल के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

129. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) व **श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले के भीनमाल कस्बे में कवि माघ बाल मन्दिर नाम से कोई विद्यालय चलाया जा रहा है? यदि हां, तो इस विद्यालय को संचालित करने वाली समिति का पंजीकरण कब एवं किन नियमों/उपनियमों के अधीन हुआ था?

(2) क्या उक्त समिति अपने संविधान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन कर रही हैं? क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत जिला कलक्टर जालौर अथवा सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां जालौर को प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) उक्त शिकायतों की जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई तथा जांच के दौरान क्या-क्या अनियमितताएं सामने आई?

(4) क्या सरकार उक्त समिति के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

सहकारिता मंत्री (श्री मदन दिलावर) : (1) जी हां। इस विद्यालय को संचालित करने वाली समिति का पंजीकरण दिनांक 4.1.1984 को पंजीयन क्रमांक 399/83-84 पर राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार संस्थाएं द्वारा पंजीकृत संस्था के संघ विधान पत्र एवं नियमावली के अधीन हुआ था।

(2) जी नहीं। कवि माघ बाल मन्दिर के अभिभावकगण से प्राप्त शिकायत जिसकी जांच सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जालौर ने की है, जिला कलक्टर, जालौर के कार्यालय से उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल को प्रेषित शिकायत की जांच अभी लम्बित है।

(3) सहायक पंजीयक को प्राप्त शिकायत की जांच सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जालौर द्वारा की गई है। इसकी जांच उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल द्वारा भी की जा रही है, जो अभी तक लम्बित है। सहायक पंजीयक द्वारा की गई जांच में नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर प्रधानाध्यापक का समय पर चयन न करना, समय पर प्रबन्धकारिणी का चुनाव नहीं कराना तथा स्कूली छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करने आदि अनियमितताएं जांच में पायी गई हैं।

(4) राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, संस्थाएं को किसी शिकायत की जांच के आधार पर कार्यवाही करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारी को जांच के आदेश दिये तो ये आदेश कब दिये और अभी तक लम्बित क्यों हैं? यह

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

बताएं? पंजीयन का अधिकार इनको है स्कूलों का, तो उस पर कार्यवाही करने का अधिकार क्यों नहीं है? एक छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार किया है. नियमों में गलती है. प्रधानाचार्य की नियुक्ति में गलती है नियमों में. तो उस पर कार्यवाही करने का अधिकार इनको क्यों नहीं है? अगर अधिकार इनको नहीं है तो मैं सदन से गुजारिश करता हूं कि इस प्रकार नियम बनाया जाए। अगर हम रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार रखते हैं तो उन पर कार्यवाही करने का भी हमें अधिकार होना चाहिए। यह जानकारी दें।

(12.00 बजे)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैंने निवेदन किया है...

श्री अध्यक्ष : यह भी स्पष्ट कर दें कि कार्यवाही कौन करेगा?

श्री मदन दिलावर : कार्यवाही करने का अधिकार हमको नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सहकारी समिति को तो नहीं है फिर कौन करेगा, यह तो बता दें आप?

श्री मदन दिलावर : बता रहा हूं, क्योंकि यह विद्यालय है और विद्यालय होने के कारण इसमें जांच करना, इनके खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार शिक्षा विभाग को है। चूंकि आरोप गम्भीर है, जांच में तथ्य भी सामने आये हैं कि अनियमितताएं हुई हैं, इसलिए मैं इस सारे प्रकरण को माननीय शिक्षा मंत्रीजी को भिजवा दूंगा और जांच के निष्कर्ष के आधार पर इस पर कार्यवाही करने का उनसे निवेदन रहेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने कहा है कि नियमों में प्रावधान क्यों नहीं है, उसका क्या करेंगे, मैं समझता हूं अभी तक नियमों में प्रावधान नहीं है, आगे जैसा भी होगा इस पर विचार करेंगे। सम्भव होगा तो कोशिश करेंगे कि कमेटी बनाकर विचार करेंगे कि इस पर क्या किया जा सकता है।

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, क्यों नहीं उसको पुलिस को भेजा जाए? उसके खिलाफ पुलिस के द्वारा कार्यवाही करायी जानी चाहिये। बहुत गम्भीर मामला है। ऐसे व्यक्ति को जो छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करता है, उसके साथ गलत हरकत करता है, उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, पुलिस में केस दर्ज हुआ है, चालान पेश हुआ है और न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री हंगामीलाल मेवाड़ा एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से आसीन्द एवं रायपुर तहसील में वर्तमान में चल रहे अकाल राहत कार्यों में भेदभाव बरते जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण मीणा एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से जिला बूंदी की जखाना से रायथल सड़क की भूमि का मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव इतनी गम्भीर प्रकृति के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अस्वीकार किये जाते हैं।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

माननीय सदस्यगणों को यह भी सूचित किया जाता है कि आज नियम 295 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं विशेष उल्लेख की उनको पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री मांगीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित गम्भीर मामला है और मामला इस तरह का है...(व्यवधान) छीपालमोडी का एक गम्भीर मामला है और इस मामले में मेरा निवेदन है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक साथ इतने माननीय सदस्य खड़े होंगे तो आसन कुछ नहीं सुन पाएगा। इसलिए एक माननीय सदस्य खड़े हों, अपनी बात कहें ताकि मैं सुन सकूं, क्या कह रहे हैं आप।

श्री मांगीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक गम्भीर मामला है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गम्भीर मामला, गम्भीर मामला, क्या गम्भीर मामला है? (व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय. मामला यह है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में छीपालामोड़ी जो गांव है...

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : Madam, I am on a point of order under Rule 294.

डा. एन. एस. गुर्जर : पाइंट ऑफ आर्डर 294...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन में जब कोई कार्यवाही ही नहीं है इस समय...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : इसी पर है, इसी पर। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : (व्यवधान) आपको सुना देते हैं, फिर आपकी व्यवस्था दे दीजिए। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : एक मिनट बिराजिए (व्यवधान) व्यवस्था पढ़ दीजिए।

श्री विष्णु मोदी : The point of order when raised has the offect of suspending the proceedings before the House. It can be raised only in relation to the business before the House. And before the House the business is that Mr. P.W.D. Minister is going to down the papers and on that issue. I am on a point of order.

श्री अध्यक्ष : आप दोनों एक समय पर ही बोलेंगे। (व्यवधान) आसन कुछ नहीं कर पाएगा।

श्री विष्णु मोदी : मैडम, आपने पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर को पेपर ले डाउन करने के लिये कहा है और उस बिजनस के ऊपर मैं पाइंट आफ आर्डर 294 में खड़ा हूं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, रूल 294 में जो पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर के पेपर ले-डाउन हुए हैं, उसके ऊपर मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र : (व्यवधान) उसको जयपुर और चौमूं के बीच घुमाया जाए और किसी महिला के शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जाए, जयपुर में एस.एम.एस. में भी उसको परमिशन नहीं मिले और चौमूं के डाक्टर जयपुर में आकर पोस्टमार्टम कर दें...(व्यवधान) माननीय, मुझे इसे पढ़ने का मौका दिया जाए। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि इसमें तीन महिलाओं की मृत्यु होने की जानकारी मुझे मिली है। (व्यवधान) तीन महिलाओं की मृत्यु 12.7.2004 को...

श्री सुभाष चन्द्र : महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैंने एक मामला चौमूं का उठाया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एक साथ इतने खड़े हो जाते हैं कि आसन को कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। दो तो सत्ता पक्ष के खड़े हैं, तीन आप प्रतिपक्ष के खड़े हैं। क्या पाइंट आफ आर्डर है।

श्री विष्णु मोदी : मैडम. मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, बड़ा संवेदनशील मामला है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : I am standing on a point of order under Rule 294.

डा. एन. एस. गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर सुन लीजिए दो मिनट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनूंगी जब, जब कोई एक माननीय सदस्य बोले। इतने सारे खड़े हैं, सुनाई तो दे नहीं रहा है। कोई एक बोले जब सुनूं ना।

डा. एन. एस. गुर्जर : आप एक का नाम ले लीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप दोनों में कौन पाइंट आफ आर्डर कर रहा है?

डा. एन. एस. गुर्जर : किसी का भी कर दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : दोनों में जो विद्वान हैं उनको तो आप अलाउ कर दें और दूसरे को बैठा दें।

डा. एन. एस. गुर्जर : आप अलाउ कर दें किसी को भी।

श्री अध्यक्ष : मेरी नजर में आप सब विद्वान हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, इन दोनों से पहले आप मेरे को सुनें। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : हमको किसी को भी अलाउ कर दीजिए आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैडम, पहले विष्णुजी उठे हैं उनको अलाउ कर दें। (व्यवधान) यह सभापति पैनल में हैं, इनको बैठा दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन दो विद्वानों में से किसी एक विद्वान को बोल लेने दीजिए। क्या पाइंट आफ आर्डर है? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपसे मिलकर गये हैं अमरारामजी। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : पाइंट आफ आर्डर है, हमको प्रायोरिटी मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : वह क्या कहना चाह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : अध्यक्ष महोदय, आदिवासी इलाके में भयंकर महामारी फैलती जा रही है, आप पाइंट आफ आर्डर को बाद में सुनें। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : एक मिनट सुनिए, उसके बाद व्यवस्था दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सुनूंगी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) मैं अवसर दूंगी आपको, आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : Without anything we are just raising a point of order.

श्री अध्यक्ष : इतने लोग खड़े रहेंगे...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आपने पी. डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब को पेपर ले-डाउन करने के लिये पुकारा, जिसके लिये हम पाइंट आफ आर्डर पर हैं, आप सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा :...(व्यवधान) बीमारी फैल गई है, 12 तारीख से लगातार लोग मर रहे हैं। अभी तक सरकार सोई हुई है, हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप दोनों विद्वान सदस्य पार्लियामेंट में रहकर आये हैं, वह क्या कहना चाहते हैं सुन लीजिए, फिर आपका पाइंट आफ आर्डर भी कर लेना, क्या बात है। वह क्या कहना चाह रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे नाम लेने के लिये मजबूर न करें। आप बिराजिए।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

गोगुन्दा के गांव छीपाला में बीमारी से हो रहीं लगातार मृत्यु

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पंचायत मोड़ी के गांव छीपाला में दिनांक 12.7.2004 को, कल हमें यह सूचना मिली कि 112 लोग बीमारी से जूझ रहे हैं और बीमारी इस तरह की भयंकर फैली है जिसमें 3 महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है। दिनांक 12.7.2004, 13.7.2004 और 14.7.2004 को लगातार मृत्यु महिला की हुई है। इसमें मेरा निवेदन है कि इस तरह लगातार मृत्यु होने के अलावा 112 लोग वहां तकलीफ पा रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि सरकार के माध्यम से हमें जानकारी मिले कि वहां किस तरह से यह बीमारी फैली है और बीमारी फैलने का क्या कारण रहा है और जिन 3 लोगों की मृत्यु हुई है उनमें सरकार किस तरह से राहत देने का काम करेगी। यह मुझे आपके माध्यम से निवेदन करना है। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : कालाडेरा, चौमूं में महिला की मृत्यु हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलेंगे आप। (व्यवधान) बीच में नहीं, नो। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

डा. एन. एस. गुर्जर : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर, अण्डर रूल 294...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उन्हें बात कहने दें अपनी। (व्यवधान) नहीं, नहीं, उसके बाद और नहीं। (व्यवधान)

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, जिन मौतों के बारे में यहां पर चर्चा की है, जो बीमारी उल्टी-दस्त की फैली हुई है, उसके बारे में, मैं चाहूंगी कि आप आज नहीं तो कल इस बारे में, कल नहीं, फिर तो सोमवार को इस बारे में...

डा. सी. पी. जोशी : आज ही, आज ही।

श्री अध्यक्ष : आज ही, क्या आज दे सकेंगे आप?

डा. दिगम्बर सिंह (स्वास्थ्य मंत्री) : आज ही आप समय तय कर दें, शाम को। आज ही समय तय कर दें शाम को।

श्री अध्यक्ष : तो शाम को 5 बजे?

डा. दिगम्बर सिंह : 5 बजे।

श्री अध्यक्ष : आप वक्तव्य दे देंगे?

डा. एन. एस. गुर्जर : 294, अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कालाडेरा, चौमूं में एक महिला की मृत्यु हुई और उसके पीहर वालों की रिपोर्ट पर पोस्ट मार्टम...

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान सरकार के द्वारा सस्पैंड किये गये लोग आज... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर, स्थगन ग्रहण करें। हर बात पर आपके लिये बोलना आवश्यक नहीं है। अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री अध्यक्ष : जब अंकित नहीं हो रहा है तो क्या परेशानी है आपको?

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री हरिमोहन शर्मा : XXX

श्री सी. डी. देवल : XXX

श्री ओम बिरला : XXX

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : XXX

श्री अशोक खण्डार : XXX

डा. एन. एस. गुर्जर : XXX

श्री विष्णु मोदी : XXX

श्री अध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें। आसन पांवों पर, आसन पांवों पर। पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी, आसन पांवों पर है। मैं समझती हूं सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही अब अपने फेंफड़ों की ताकत और गले की ताकत दोनों दिखा चुके हैं, अब हमें आगे की कार्यवाही प्रारम्भ कर देनी चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री विष्णु मोदी : XXX

डा. एन. एस. गुर्जर : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

श्री अध्यक्ष : आप खड़े क्यों हैं?

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : इस सदन की कुछ परम्पराएं हैं, गरिमा है, आप उसका क्षरण करने जा रहे हैं, मुझे नाम लेकर पुकारना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री गोविन्द राम चौहान : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री सी. डी. देवल : XXX

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : XXX

डा. भंवर लाल राजपुरोहित : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : XXX

डा. एन. एस. गुर्जर : एक मिनट सुनिये, जिसका उल्लेख कार्य सूची में है...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री संयम लोढ़ा : XXX

डा. एन. एस. गुर्जर : आप बिराजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर रखे जाने वाले प्रतिवेदन में जो...(व्यवधान) सदन की मेज पर रखेंगे, इसी पर पाइंट आफ आर्डर है। माननीय अध्यक्ष, प्लीज अलाउ मी...(व्यवधान) Please allow me to raise a point of order. Please allow us to raise point of order.

श्री विष्णु मोदी : I am on a point of order.

डा. एन. एस. गुर्जर : जो ये प्रतिवेदन रखे हैं, माननीय मंत्री महोदय ने सदन की मेज पर यह...(व्यवधान) बताया गया कि सदन की मेज पर यह पेपर इतनी देरी से क्यों रख रहे हैं, जबकि हर साल (व्यवधान) 1956 के तहत आडिट होता है और यह वर्ष 2000-2001, 2001-2002 के प्रतिवेदन आप सदन की मेज पर रख रहे हैं. इसका कारण बताओ, मंत्री महोदय कि ये इतनी देरी से क्यों रख जा रहे हैं. यह हमारा पाइंट आफ आर्डर है। यह बताइये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह इनका फैसला कर दो। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : मैडम, इसके बारे में लोक सभा का जो विवरण है वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : विष्णु मोदी।

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री सी. डी. देवल : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री विष्णु मोदी : आज के बिजनस में सार्वजनिक निर्माण मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2000-2001 तथा द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2001-2002 सदन की मेज पर रखेंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री विष्णु मोदी : पाइंट आफ आर्डर यह है कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिना नोटिस के आरोप सदन की परम्पराओं के विपरीत है। मंत्री महोदय कुछ कहेंगे ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर, आप स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पर आरोप लगाये गये हैं। मुझे अवसर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप एक साथ ही क्यों खड़े हो जाते हैं? मैं क्या करूं आपका?

श्री मदन दिलावर : मुझे अवसर प्रदान कीजिए।

श्री अध्यक्ष : सवाल यह है कि वह किसी तरीके से उस चीज को उठाएंगे तब कोई मंत्री जवाब देगा न। मैं पहले ही सबसे कह चुकी हूं। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप दुबारा जीत कर आ गये इसका मतलब यह नहीं है कि सदन का सारा समय आप ही ले लें। यह मतलब नहीं है इसका

(श्री अध्यक्ष)

कि आप सारा समय लें। हर बात पर बोलते हैं। आपने कोई नोटिस दिया नहीं. यूं ही खड़े हो जाते हैं। लहराने लग जाते हैं कागज। हाथों की ताकत दिखाने लग जाते हैं। यह कोई तरीका नहीं है। देखिये, विधान सभा के अन्दर बोलने की, अपनी बात को प्रकट करने की भी एक जिसे कहना चाहिए मर्यादा है और आप उस मर्यादा में रहिये। हाथ हिलाना, कागज लहराना, यह मर्यादा में नहीं आता है, सदन की गरिमा में नहीं आता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे आइन्दा इस बात का। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम चौहान : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक्सपंज करवाओ।

श्री ओम बिरला : XXX

श्री अध्यक्ष : जब अंकित ही नहीं हुआ है।

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हुआ। मैंने अंकित नहीं करने के लिए कह दिया था। जब अंकित नहीं हुआ तो जवाब किस बात का देंगे? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप मुझे मजबूर नहीं करें। माननीय सदस्य, आसन को मजबूर नहीं करें। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : मैडम, 294 में है। I am on a point of order.

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री विष्णु मोदी : पाइंट आफ आर्डर, मैं आपको, माननीय अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री सी. डी. देवल : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री विष्णु मोदी : The point of order, when raised, has the effect of suspending the proceedings before the House. It can be raised only in relation to the business before the House at the moment...

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर जब खतम हो गया था तब मैंने सदन के पटल पर पत्र रखने के लिए नाम पुकार लिया था सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का खतम हो गया था वह।

श्री विष्णु मोदी : उसी पर मैं पाइंट आफ आर्डर पर हूं।

श्री अध्यक्ष : आप फिर खड़े हो गये। खड़े हुए हैं। समय समाप्त हो गया था जीरो आवर का। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री अध्यक्ष : आसन की व्यवस्था है यह। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री विष्णु मोदी : It is the procedure of the House when point of order is there the whole business is suspended. When you have called the Minister to lay down the papers...before the Minister was laying the papers I have raised a point of order under 294. Then you hear me and then you decide. I am quoting you that the point of order when raised has the effect of suspending the proceedings before the House. It can be raised only in relation to the business before the House at the moment. The term 'business before the House means business included in the list of Business for the day.'.I am on this point of order.

श्री सी. डी. देवल : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक मैम्बर हैं जो बोले जा रहे हैं। एक घंटा हो गया।

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री गोविन्द राम चौहान : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री विष्णु मोदी : Here me first. (व्यवधान) सदन की यह परम्परा रही है (व्यवधान) I am on a point of order Madam.

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही को आगे चलने देना चाहते हैं या नहीं. पहले

(श्री अध्यक्ष)

यह तय कर लीजिए? यह तय करिये आप कि आप सदन की कार्यवाही को चलने देना चाहते हैं या नहीं? मैं आपको समय दूंगी। आसन ने कितनी बार आपको कहा कि आप एक-एक करके बोलें तो सबकी बात सही ढंग से सुनी जा सके। एक साथ सत्ता पक्ष भी और प्रतिपक्ष भी दोनों खड़े हो जाते हैं, एक साथ बोलने लगते हैं, न किसी की बात सुनाई देती है और न किसी की बात अंकित होती है। फिर भी बोले जा रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री सी. डी. देवल : XXX

श्री अध्यक्ष : मैं नाम पुकारूं उससे पहले तो आप दस-दस खड़े हो जाते हैं। आप कहां मानते हो? (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : I am on a point of order, Madam.

श्री अध्यक्ष : उनसे अधिक विद्वान प्रतिपक्ष के नेता हैं, पहले वह बोल दें उसके बाद इन विद्वानों को मौका दूंगी।

श्री विष्णु मोदी : Madam, I am on a point of order under the Rule 294.

श्री अध्यक्ष : मैं आपको समय दूंगी, पहले प्रतिपक्ष के नेता को सुन लीजिए, वे क्या कहना चाहते हैं। फिर आपको मौका दूंगी।

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री सी. डी. देवल : XXX

श्री सी. डी. देवल : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की यह परम्परा रही है कि कई बार जीरो आवर में बिना नोटिस दिये हुए भी कुछ प्रश्न उठ जाते हैं। ऐसे गम्भीर प्रश्न, जिसमें ए.सी.डी. के आरोप लगे, जिनका तीन-तीन दिन में दो-दो, तीन-तीन बार ट्रांसफर हो जाए तो इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं, सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए सरकार को स्टेटमेंट देना चाहिए। सब जगह यह आम चर्चा है कि इस तरीके से जो भाजपा के लोग हैं वे...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किस विषय पर बोल रहे हैं? यह प्रतिपक्ष के नेता...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किस चीज की डिबेट हो रही है? किस चीज की डिबेट हो रही है? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह प्रतिपक्ष के नेता का दायित्व है क्या कि बिना प्रक्रिया, बिना नियम के कोई विषय चालू कर दें? यह कौनसा विषय है? आप नोटिस दीजिए। आपको जो पूछना है, सरकार उत्तर देगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रतिपक्ष को आरोप लगाना है तो नोटिस देकर आरोप लगाये, हिम्मत हो तो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रतिपक्ष के नेता खड़े होकर कह रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसके ऊपर एक स्टेटमेंट देना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हद हो गयी। इससे ज्यादा तो क्या हो सकता है? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मुझे बड़ा अफसोस है कि सरकारी मुख्य सचेतक बिना समझे...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिना समझे नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार को अधिकार है ट्रांसफर का। सब जानते हैं यह तो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : (व्यवधान) और बात को बीच में टोकते हैं तो यह उचित नहीं है। आप स्टेटमेंट...(व्यवधान) एक मिनट, मैं कम्प्लीट कर लूं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कोई अनियमितता हुई है तो नोटिस के द्वारा आओ न। आप नोटिस के द्वारा आओ। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आएंगे।

श्री संयम लोढ़ा : विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। बैठिये, मंत्रीजी, बैठिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तथ्य देकर आओ, हम उसका जवाब देंगे। बिना बात की हवा में बात फेंकने से नहीं चलेगा। नोटिस देकर आइये। और सवाल का जवाब आपको सुनना पडेगा कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : बिलकुल-बिलकुल। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह क्या बात हो गयी, मर्जी चाहे जो बोल देते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप बिराजो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिना नोटिस के...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप प्रतिपक्ष के नेता हो, कम से कम आपको तो ध्यान रखना चाहिये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अब देखिए, यह सीधी बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, सीधी बात कर रहे हैं। जब सीधी बात करोगे तो करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई भी खड़ा होकर यह आरोप लगा दे। कोई नोटिस नहीं, कोई प्रक्रिया में नहीं। (व्यवधान) और किसी प्रकार बिना नोटिस के बोलना शुरू कर दे, प्रतिपक्ष के नेता बोलना शुरू कर दें। (भारी व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : प्रतिपक्ष का नेता अगर इस प्रकार से जवाब करें... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपकी भाषा शोभनीय नहीं है, हम इसकी निन्दा करते हैं। चीफ व्हिप की भाषा...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा कोई मैम्बर करे तो समझ में आ सकता है। प्रतिपक्ष को नेता अगर इस प्रकार की बात को इस हल्के ढंग से उठाता है, नोटिस देकर उठाइये। हम आपको एक एक चीज का जवाब देंगे, क्या गलती की, क्या नहीं की है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और अगर आपके पास प्रमाण हो तो प्रस्तुत... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : जीरो आवर में कई बार प्रश्न उठते हैं, अध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा। उसका स्टेटमेंट देना चाहें, नहीं देना चाहें तो हम नियमों से ले आएंगे। लेकिन आपको भी इतना हल्कापन नहीं लेना चाहिये। यहां भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के दो-दो, तीन-तीन दिन में मन चाहे स्थानों पर लगाने पर इस सदन में इसकी निन्दा होगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पूरे देश में भ्रष्टाचार करने वाले लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं। +++ शांत रहें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++ जो आकण्ठ ही डूबे हुए हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हुए +++ नहीं आती। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : देखिए, क्या बोल रहे हैं यह। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां. आइये नोटिस के द्वारा। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : जो जिस प्रोफेशन से सम्बन्धित लोग हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जुबेर खानजी, क्या कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आरोप लगा रहे हो तो नोटिस से आओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने कह दिया न। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आरोप लगा रहे हो न. आप प्रतिपक्ष के नेता हो न. नोटिस देकर आइये। इस हाउस में जरूर आओ, हम उस सवाल का जवाब देंगे आपको। क्या बात समझते हो? मन में चाहे जो हवा में बात फेंक दें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : गृह मंत्रीजी, यहां तैश में आने की जरूरत नहीं, विवेक से काम लेने की जरूरत है। यह सदन विवेक वाला है, तैश में आने का नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विवेक की बात ही सुझाई है उन्होंने। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह प्रतिपक्ष के नेता के कहने की...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : यहां तैश में आने की जरूरत नहीं है। अभी तक इनको ऐसा लगता है जैसे हम विपक्ष में हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : विवेक हमें नहीं चाहिये. प्रतिपक्ष के नेता में चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपके नेता बोल रहे हैं, आप बीच में क्यों खड़े हैं? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सदस्य. क्या विषय है. तरीके से आओ। विधान सभा की कार्यवाही चलाने के लिये प्रक्रिया के कोई नियम तय हैं, उन नियमों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के तहत नोटिस देकर आप आइये। जरूर आइये। अगर आपके पास आरोप साबित करने का आधार है तो निश्चित रूप से आरोप लगाइये। इसमें रोक कौन रहा है आपको? अगर आप आरोप लगाना चाहते हो तो नोटिस देकर आओ, ताकि हम आपको जवाब दे सकें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके नेता खड़े हैं और खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसे खड़े होकर चाहे जिस प्रकार का आरोप लगा दें, नहीं, नोटिस देकर आइये। जरूर आप इस विषय को लेकर हाउस में आइये। सारे राजस्थान की जनता जानना चाहेगी कि आखिर क्या गलत है और क्या गलत नहीं है। (व्यवधान) क्या मतलब है, ऐसे ही खड़े होकर कह रहे हैं? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं फिर यह कहना चाहूंगा कि गृह मंत्रीजी तैश में आकर बात नहीं करें। इसमें तथ्यों के आधार पर सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य... (व्यवधान) एक मिनट, मुझे कह लेने दीजिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कौनसा प्रस्ताव है? तथ्य कहां हैं? कौनसा प्रस्ताव है, तथ्य कहां हैं, बताइये? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई चर्चा उठाई है तो उसके बारे में आप स्टेटमेंट देना चाहे दें, न दें, यह आपकी मर्जी है, लेकिन...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : काहे का स्टेटमेंट, किसका स्टेटमेंट? कोई आसन का आदेश? किसका स्टेटमेंट चाहते हैं?

श्री एन. एस. गुर्जर : आप प्रस्ताव लाइये, जवाब मिलेगा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई प्रक्रिया है या नहीं? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : इस तरीके से आवाज दबाने की कोशिश करेंगे तो आवाज दबेगी नहीं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : दबाने की कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप तैश में आकर किसी की आवाज को दबाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप अपने चेहरे को देखो और फिर आरोप लगाओ। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : आप प्रस्ताव लाइये न। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : उन्होंने कुछ बात की उसके बारे में आप सदन में देना चाहे दें। नहीं दें तो नियमों के अन्तर्गत ले लेंगे, कोई बात नहीं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आइये न नियमों में, किसने मना किया है? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो लोग जिस प्रोफेशन से सम्बन्धित हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उनको उस प्रोफेशन के बारे में बोलने का कतई अधिकार नहीं है। उन नियमों का पालन तो करो। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : किस रूल में बोल रहे हैं लीडर आफ अपोजिशन?

डा. बुलाकीदास कल्ला : जो जिस प्रोफेशन से सम्बन्धित हैं उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में भी स्पष्ट प्रावधान है। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : Madam Speaker, under what Rule he is speaking.

श्री अध्यक्ष : आप नियमों में लाओ। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप नोटिस देकर आओ। (व्यवधान) हम तो तैयार बैठे हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : (व्यवधान) वह उसके बारे में नहीं बोलें। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह किस रूल में बोल रहे हैं? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इन्हें बिठाइये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बिना ही नोटिस के आप खड़े हो जाते हैं, कम से कम आपको ये शोभा नहीं देता। और कोई मैम्बर खड़ा हो जाए तो अफसोस नहीं है, आप प्रतिपक्ष के नेता हो और बिना नोटिस के अनर्गल बात करते हो। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, किस नियम के तहत बोल रहे हैं? कोई नोटिस नहीं है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैंने मेरे सदस्य की बात को प्रोटेक्ट किया है और आप यों ही तैश में आ रहे हैं। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्पराएं हैं, नियम हैं। सदन नियमों से चलता है, नियम के तहत नोटिस दें।

श्री अध्यक्ष : सदन की परम्परा यह भी है कि आप भी खड़े नहीं हों। यह भी परम्परा है। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : हां, तो नियमों के तहत नोटिस दें और नियम के तहत बोलें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्यों खड़े हो जब उद्योग मंत्री खड़े हैं? आप दो और खड़े हो जाते हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। यह कौन खड़े हैं यहां? यह कौन खड़े हुए हैं? (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने अभी चिन्ता जताई, सिरोही से आने वाले सदस्य के विषय को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। इन सब विषय पर अल्टरनेटिव रेमेडीज हैं। आप नोटिस दें, इस पर पूरे हाउस के अन्दर बहस होनी चाहिये. हम जवाब देंगे, यह आपको निवेदन कर रहा हूं। आपसे इतना करबद्ध निवेदन था कि पाइंट आफ आर्डर जब एक़ बार हुआ है, आप भी सत्ता पक्ष में रहे हैं, पूर्व मुख्य मंत्रीजी बिराजमान हैं, पाइंट आफ आर्डर के टाइम में जो विद्वान उठाता है उसके बाद हाउस की सारी प्रोसिडिंग्स सस्पैण्ड होती है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : इजाजत तो ली मैंने। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : आपने इजाजत तो ली है लेकिन अधिकार हनन किसका हुआ है? जिसने पाइंट आफ आर्डर उठाया है। माननीय सदस्य, इतना-सा आप कर लें। आप जो बहस करना चाहें, कर लेंगे, लेकिन तैश में आने की आवश्यकता नहीं है। वी आर क्लियर। हाउस के अन्दर आ जाएंगे, कोई बात नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके पाइंट आफ आर्डर का स्पीकर ने नोटिस नहीं लिया। (व्यवधान) स्पीकर साहब का आदेश होता है तो सब बैठ जाते। कोई इस लायक ही नहीं समझा कि वह पाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आप स्पीकर का आदेश मान ही कब रहे हो? (व्यवधान) सब तो उल्लंघन कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : जवाब दिलाया जाए, यह तो स्पीकर का काम है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप भाषण दिला रहे हो अभी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब बोलिये। (व्यवधान) अब सुनिये आप।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रतिवेदन एवं लेखे सदन पटल पर रखे जाने में विलम्ब

श्री विष्णु मोदी : पाइंट आफ आर्डर जब आपने सार्वजनिक निर्माण मंत्री को पेपर ले-डाउन करने के लिये पुकारा तो उस वक्त रूल 294 में पाइंट आफ आर्डर मैंने रेज किया। और पाइंट आफ आर्डर...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : एक ही है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : The point of order when raised has the effect...

श्री अमराराम (धोद) : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई पाइंट आफ आर्डर उठाया था उसका निस्तारण होगा, उसके बाद हो ही नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : The point of order, when raised has the effect of suspending the proceedings before the House. It can be raised only in relation to the business before the House at the moment. The term business before the House means business included in the list of business.

So. Madam, today in the list of business.

श्री राजेन्द्र राठौड़, सार्व. निर्माण मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619ए (3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि. का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2000-01 तथा द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2001-02 सदन की मेज पर रखेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय. यह कम्पनी नियम के तहत तो कार्पोरेशन बना है, हर साल आडिट होती है और इस विधान सभा को इतने लाइट रूप में लेते हैं सारे कार्पोरेशन के अधिकारी और उसके साथ-साथ मंत्री लोग भी. कि आज ये 2000-01 का

(श्री विष्णु मोदी)

प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखने के लिये लेकर आये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, "This issue was discussed during the session, a large member of papers are laid every day on the Table of The House..."

I am quoting from Kaul & Shakdhar.

...In view of the volume and the variety of these papers, the House by itself is not in a position to give a closer scrutiny to all these papers and to become aware of their importance and significance. As there is no prior circulation of these papers, the members also are not in a position to raise objections, if any, as and when these are laid. Only in cases of inordinate delay in laying the papers some objections were raised now and then on the floor of the House and the Minister concerned asked to explain the delay.

294 में मैं इसलिए पाइंट आफ आर्डर पर खड़ा हुआ हूं कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री ये पेपर ले-डाउन करने के पहले यह बताने की कृपा करें कि इसमें क्या सरकमस्टांसेज थे जो यह इतने दिनों बाद ले-डाउन हो रहा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सदन के दो विद्वानों ने बड़ी जद्दोजहद के बाद सम्मिलित रूप से पाइंट आफ आर्डर उठाया है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जो सदन में आज मेरे द्वारा पत्रादि...

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी नहीं और आप बोल कर जवाब देने लग गये। क्या अध्यक्ष महोदय ने इनके पाइंट आफ आर्डर को एक्सेप्ट करके बोलने के लिए आपको कहा है? आप खुद ही? अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि मिलीभगत से पाइंट आफ आर्डर उठा है। मंत्रीजी, यह गलत तरीका है और गलत परम्परा डाल रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : यह आरोप गलत है। मैडम ने...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : यह आरोप गलत है। यह रूल्स का मामला है, कोई मिलीभगत नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह अपना पक्ष रख रहे हैं।

श्री जुबेर खान : घनश्यामजी ने एम.एल.एज. के प्रबोधन में कहा था कि कोई भी माननीय सदस्य अगर किसी इंटेंशन से कोई सवाल विधान सभा में उठाता है, वह प्रिविलेज में आएगा। इन दोनों माननीय सदस्यों ने...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय. यह रूल्स का मामला है, यह कोई इस तरह का नहीं है कि जो मिलीभगत से उठाया जाए। यह रूल्स का मामला है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय खड़े होकर जवाब देने लग गये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनके क्या इंट्रेस्ट हैं, जरा बताओ?

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह रूल्स का मामला है।

डा. सी. पी. जोशी : 294 में क्या है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : औचित्य का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी : औचित्य का सवाल तो यह ले करना थोड़े ही औचित्य का सवाल है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, तो लेट ही तो हो गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने डिले का जवाब पूछा है कि देरी क्यों हुई। देरी क्यों हुई, इसका जवाब आसन नहीं देगा, मंत्री ही देंगे, इसलिए मंत्री बता रहे हैं देरी क्यों हुई।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इंटरवीन नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय, आपने आज की कार्य सूची में कोई चीजें लिस्ट कर दीं, यह आपका डिसीजन हो गया। हम सब को सर्कुलेट हो गया, हम को इन्फार्म हो गया। यह आपका निर्णय हो गया। आपके निर्णय के आधार पर हमें आज सूचना मिली कि ये चीजें हम सदन में रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक बार आपका निर्णय हो गया, हाउस के पास सब को सूचना मिल गयी उसके बाद, अध्यक्ष महोदय. आप जो परम्परा कर रहे हैं यह परम्परा कानून के विपरीत है। (व्यवधान) आप सुनिये, आप अपनी बात सुनिए। बैठो न आप, क्या तकलीफ है आपको? आप अपनी बात करें, क्या तकलीफ है? मैं अध्यक्ष महोदय को बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष का जो निर्णय है जिसको आपके सैक्रेटरी ने हम को सूचित किया है, इसमें लिखा हुआ है कि हम लेकर रहे हैं। यह आप उस निर्णय को बदल रहे हैं तो यह एक गलत परम्परा हो जाएगी। सारी कार्य सूची है...(व्यवधान) आपको बोलने देंगे. क्या तकलीफ है? Why are you speaking? अध्यक्ष महोदय से बोल रहा हूं, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं।

(डा. सी. पी. जोशी)

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जब अध्यक्ष किसी कार्य सूची को अपने दस्तखत से सैक्रेटरी द्वारा सर्कुलेट करवा देता है, उस कार्य सूची को इस तरह से बदलने का काम करेंगे तो यह संसदीय परम्पराओं के लिए गलत हो जाएगा। आप दोबारा विचार कर लें। आपका निर्णय सर्वोपरि है कि आपने मंत्री को अलाउ किया। हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर आपको मालूम हो जाना चाहिए कि आपके सैक्रेटेरिएट में लाए यह रिपोर्ट, तब मंत्री की ड्यूटी थी, इस कानून के अन्तर्गत जो रिपोर्ट हर साल ले करनी है, आपने बिना कंडोन किये हुए कारण सैक्रेटरी असेम्बली को क्यों लिख कर दिये कि इस रिपोर्ट को ले किया जाए? यह विभाग की गलती है। विभाग के मंत्री की ड्यूटी थी कि यदि कंडोन करना था टाइम तो स्पीकर से परमिशन लेते कि हम रिपोर्ट समय पर सब्मिट कर सके इसलिए कंडोन करने के बाद सिब्मट करें। उस स्टेज पर इसका एग्जामिनेशन होना चाहिए था। अब यह स्टेज नहीं है, अध्यक्ष महोदय, जहां आप मंत्री को परमिट कर रहे हैं कि कंडोनेशन के लिए मंत्री जवाब देगा। यह संसदीय परम्पराओं के बिलकुल विपरीत हो जाएगा। आप पहले मंत्री को कहिए कि गलत परम्परा डलवा कर बिना कंडोन किए सैक्रेटेरिएट को जो सूचना दी है इसके लिए विभाग जिम्मेदार है। इसके लिए उनको आपको प्रताड़ना देनी चाहिए, वनिस्पत इसके कि उनको एनकरेज करने के लिए आप उनको कहें कि मैं कंडोन की अपील करूंगा। यह परम्परा ठीक नहीं रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, आपका जो भी निर्णय है वह हम मानेंगे, पर मैं समझता हूं कि मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं। अध्यक्ष महोदय, कार्य सूची में कोई पास करने के बाद इस तरह का निर्णय करें, यह ठीक नहीं है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : इस सम्बन्ध में पूर्व में भी अध्यक्ष के निर्णय हैं। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी, इस सदन में माननीय शिवचरणजी माथुर बैठे हुए हैं, बहुत सारे सीनियर लीडर हैं, श्री रामनारायणजी चौधरी बैठे हुए हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप भी तो सीनियर हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं भी 1980 से इस सदन का सदस्य हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो एनलिस्ट होती है लिस्ट, इसमें कई बार देरी से रिपोर्ट आती है तो कई बार इस सदन में पाइंट आफ आर्डर उठाये गये हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि वापस मंत्रीजी ने उसके कारण भी बताये हैं। और यदि कारण सफीशिएंट नहीं हैं, यदि गड़बड़ पायी गयी तो मंत्रीजी ने इसको वापस लेकर बाद में दूसरे दिन रखने के लिए भी परमिशन ली है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय ने जो आपत्ति उठायी है वह निराधार है।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

कई बार अध्यक्ष महोदय के जो निर्णय हैं उन निर्णयों में इस तरह की व्यवस्थाएं दी गयी हैं। हमने भी कई बार इधर से उठाया है, आपने भी उठाया है। इसलिए यह बात निराधार है। मेज पर देरी से आने का कारण सदन को पूछने का अधिकार है कि देरी से क्यों रखे जा रहे हैं मेज के ऊपर। सदन में एनलिस्ट होने का मतलब डिसीजन नहीं है। एक कार्य सूची है हमारे पास और कार्य सूची का मतलब हाउस का निर्णय या आपका निर्णय फाइनल है, यह नहीं है। कार्य सूची इसलिए दी जाती है कि इस-इस हिसाब से हाउस आर्डर में चलेगा। यदि इसमें कोई रूल्स के अनुसार आपत्तिजनक चीज है या कोई गलती हुई है या कोई अमेंडमेंट करना है तो उस पर हाउस स्वतंत्र है। आप भी अपना निर्णय उस पर देने में स्वतंत्र हैं। इसलिए नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठायी है, वह ठीक नहीं है।

श्री समनारायण चौधरी (मण्डावा) : पाइंट आफ उठा कर जो कार्य सूची आपने प्रसारित की है, सरकार के बिजनस उसके अन्दर इनक्लूडेड हैं, उसको पेश नहीं करने देना चाहते हैं। यह तो आपको निर्णय करना है...(व्यवधान) आपने जो फैसला कर दिया उसके बाद सरकारी पक्ष पाइंट आफ आर्डर उठा कर...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : यह कार्य सूची है, फैसला नहीं है। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, दो विद्वान इधर और दो-तीन विद्वान इधर हैं, उनमें उलझा हुआ मामला है थोड़ा सा, आप निकालें, मंत्रीजी अकेले हैं।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि इसके ऊपर आपकी आज्ञा हो गयी और यह कार्य सूची है इसलिए अब आप कोई निर्णय देंगी तो गलत होगा। मैं काल एण्ड शकधर से निवेदन करना चाहता हूं, पाइंट आफ आर्डर में बहुत साफ-साफ लिखा हुआ है-"The point of order when raised has the effect of suspending the proceedings before the House. It can be raised only in relation to the business before the House at moment. The term business before the House means business included in the list of House for the day."

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज जो किताब लेकर आये हैं, सारा पढ़ कर रहेंगे।

श्री विष्णु मोदी : तो आज जो बिजनस लिस्ट हुई है, उसके ऊपर आपने पुकारा तब मैंने पाइंट आफ आर्डर रेज किया है और पाइंट आफ आर्डर में डिले के लिए भी पार्लियामेंट में डिस्कस हो कर जो निर्णय हुआ है उसको मैंने आपकी ओर इंगित किया है। इसके अन्दर यह कहना कि यह लिस्ट आफ बिजनस आपकी स्वीकृति के लिए है, अब इसको दोबारा नहीं कहा जा सकता, यह बिलकुल निराधार है। यह इनाआर्डिनरी डिले हुई है, इसके ऊपर मंत्री महोदय या तो अभी जवाब दें, नहीं यह पेपर वापस लें और फिर दोबारा जवाब देकर रखें।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय. मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि कन्टेंट जो ले किये हैं, उसके कन्टेंट पर पाइंट आफ आर्डर उठा सकते हैं। ये जो कन्टेंट दिख रहे हैं उसके ऊपर आप पाइंट आफ आर्डर उठाएं भले ही...(व्यवधान) यह प्रश्न उठा रहे हैं, आपका जो असेम्बली का सैक्रेटेरिएट है, जिस सैक्रेटेरिएट में विभाग को रिपोर्ट भेजनी है, उसके नियम बने हुए हैं कि रिपोर्ट कब भेजनी है और क्या भेजनी है। यह विभाग के मंत्री का उत्तरदायित्व था कि यदि रिपोर्ट टाइम पर नहीं बनी, टाइम पर कन्डोन करना था तो विभाग सैक्रेटेरिएट को लिख कर भेजता कि यह रिपोर्ट समय पर नहीं भेजी है हमने, कन्डोन कर रहे हैं। उस समय आप उसको उस स्टेज पर रिजेल्ट कर देते, एक्सैप्ट कर लेते। यह आपका जूरिस्डिक्शन था और आप मंत्री को, विभाग को लिख कर भेज सकते थे। आपके सैक्रेटेरिएट ने आपके बिज्डम को यूज किया, यूज करने के बाद.आपको मालूम था कि लेट है, फिर आपने उसको कंसीडर करने का काम कर लिया और आपने उसको हाउस के बिजनस में ले लिया। अब सदस्य के पास एक ही आप्शन है कि यह जो ले-डाउन किया है उस ले-डाउनलोड के कन्टेंट में कोई गलती हो...

श्री विष्णु मोदी : ले डाउन तो हुआ ही नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : आप मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : ले डाउनलोड तो हुआ ही नहीं है। I have raised a point of order before he was laying the paper and I have quoted from Kaul and Shakdhar that the list of Business can be...(interruption)

Gentleman, let me complete. I am not arguing with you.

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय. मेरा निवेदन यह है जो प्रश्न उठा रहे हैं, पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं उस पाइंट आफ आर्डर से असैम्बली की, सैक्रेटेरिएट की विज्डम, उनके निर्णय पर प्रश्न उठा रहे हैं, जबकि पाइंट आफ आर्डर...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : यह उठाया ही नहीं...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप अपनी बात कहिये न। आप बाद में नहीं बोल सकते हैं क्या?

यह जो पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं, यह जो निर्णय आपने लिया. सैक्रेटेरिएट ने लिया, उसकी विज्डम पर उठा रहे हैं। जबकि पाइंट आफ आर्डर का मतलब यह है कि जो हाउस में ले कर रहे हैं उसके कंटेंट में कोई गलती हो, उसमें कोई तकलीफ हो तो पाइंट आफ आर्डर वैलिड है, अन्यथा यह स्टेज निकल चुकी है जिस स्टेज पर पाइंट आफ आर्डर को आप एंटरटेन करें और यह कहें, कि कंडोनेशन के लिए मंत्री को यहां पर

(डा. सी. पी. जोशी)

अलाउ कर रहे हैं। यह परम्परा मैं समझता हूं कि हमारी जो विधान सभा की फंक्शनिंग है, उस पर क्वेश्चन उठ जाएगा। इसलिए आप जो भी निर्णय करें उस निर्णय करने के बाद इस परम्परा को आप आगे नहीं बढ़ाएं। जिस परम्परा से विधान सभा का सैक्रेटेरिएट अपनी विज्डम से किन्हीं चीजों को-कानून और नियम में जो चीजें हैं, उनको असैस करने के बाद यदि उसको एजेंडा बना देता है और उसके बाद यदि हम इस तरह की प्रेक्टिस को अलाउ करेंगे तो फिर जितने भी नियम और कानून के अन्तर्गत आपके पाइंट हैं, वे सारे सैक्रेटेरिएट के निर्णय के ऊपर भी पाइंट आफ़ आर्डर पर आप अलाउ करने का एक पैंडोरा-बाक्स खोलेंगे।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस स्टेज पर यदि आपको करना है तो एक ही आप्शन है, या तो आप मंत्री से विथड्रा कराइये और कहिये कि दोबारा कंडोन करके फिर परमिशन लेकर सैक्रेटेरिएट में आएं। वह तो समझ में आता है, लेकिन हाउस में यदि आप मंत्री को अलाउ कर रहे हैं तो यह पैंडोरा बाक्स खोलना है आपके निर्णय का। इसिलए मेरा निवेदन है कि आप या तो यह निर्णय दें कि यह मंत्री दोबारा इसको लेकर आएं, कंडोनेशन की आपकी परिमशन लेवें और फिर ले करें, तब तो समझ में आता है। जो माननीय सदस्य ने पाइंट आफ आर्डर उठाया है, इसके ऊपर यदि पाइंट आफ आर्डर अलाउ करेंगे तो इसका मतलब आपके जितने भी निर्णय हैं, उसमें कोई भी पाइंट आफ आर्डर उठा कर आपकी कार्य सूची को हरदम पाइंट आफ आर्डर में लाएगा और आपकी सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। इस सम्बन्ध में भी सोचा जाना चाहिए।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने और मसूदा से आने वाले सदस्य ने पाइंट आफ आर्डर उठाया है, उसमें आपकी विज्डम पर कोई प्रश्न नहीं है। मैंने और माननीय सदस्य ने पाइंट आफ आर्डर यह उठाया है कि वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के ये जो (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, सुनिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले यह तय हो जाए कि उठाया किसने है पाइंट आफ आर्डर। एक विषय पर दो विद्वान माननीय सदस्य एक साथ पाइंट आफ आर्डर नहीं उठा सकते।

डा. एन. एस. गुर्जर : पांच-पांच उठाते हैं, पांच-पांच बोलते हैं (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर पर पांच-पांच, दस-दस लोग बोलते हैं, अपनी राय प्रकट करते हैं (व्यवधान) इसलिए हमने उठाया है दोनों ने। आपकी विज्डम पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है।

हमारा सवाल यह है कि माननीय मंत्री महोदय बताएं कि ये इतने लेट ले-डाउन क्यों हो रहे हैं हाउस में? यह प्रश्न हमने खड़ा किया है पाइंट आफ आर्डर के माध्यम से। आपकी विज्डम पर हमने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप रूल नम्बर 22 देख लें, Arrangement of Government business. (व्यवधान) आप ठीक बोल रहे हैं। I am raising a point of order. आप 22 को पढ़िए, 22 में लिखा हुआ है-Arrangement of Government business.

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी अध्यक्ष पद से दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय का पेज 279, एक बार श्री मदन सिंह दाता, सदस्य, विधान सभा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाकर इसी प्रकार का अधिसूचना के बारे में आब्जेक्शन किया था। श्री मदन सिंह दाता, सदस्य, विधान सभा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखी गयी हैं वे समय पर नहीं रखी गयी हैं, श्री परसराम मदेरणा ने कहा कि प्रिंसिपल अधिनियम में इस बात का उल्लेख है कि सदन के सत्र के अन्दर पहले दिन ही ये सदन की मेज पर रखी जाएंगी, ताकि इस सदन के माननीय सदस्यों को अधिकार हो कि उन रूल्स के सम्बन्ध में कोई संशोधन पेश करना चाहें तो 14 दिन के अन्दर पेश कर सकते हैं। जब कभी पूर्व में किसी विभाग के अधिकारी सरकार के नोटिस में नहीं लाये और वह अधिसूचना कानून के अन्तर्गत इस सदन में रखी जानी चाहिए थी, वह नहीं रखी गयी है, इतनी डिले क्यों हुई और सरकार ध्यान रखेगी कि कोई सूचना पुरानी न रहे इस सम्बन्ध में रिग्रैट जाहिर किया जाएगा। इस पर माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि कोई भी माननीय मंत्री महोदय अधिसूचनाएं प्रस्तुत करते हैं तो सदन को यह अधिकार है पूछने का कि इसमें पहले क्यों नहीं प्रस्तुत की गयीं। मेरा निवेदन है कि कोई भी अधिसूचना प्रस्तुत करने के पहले माननीय मंत्रीजी अपने विभाग से संतुष्ट हो जाएं और मालूम कर लें कि ये अधिसूचनाएं क्यों नहीं समय पर प्रस्तुत की गयीं हैं, उसके बाद ही सदन में रखें। यह सदन की मांग है तो माननीय मंत्री महोदय को सामान्यतया उसकी देरी के कारण बताने चाहिए। लैप्सेज कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सदन इसके कारण जानना चाहता है तो माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देना चाहिए। इसमें कोई स्पेसिफिक रीजन्स हैं तो सदन को बताने चाहिए। पहले इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। तो बता देंगे मंत्रीजी, इसमें कहीं कोई उल्लंघन नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल-2. पर आकर्षित करना चाहता हूं "Arrangement of Government business.-On days allotted for the transaction of Government business..."

श्री अध्यक्ष : आसन की व्यवस्था सुनने के बाद भी? आसन तो व्यवस्था दे चुका है इस बारे में, उसके बाद भी आप क्या कहना चाह रहे हैं?

डा. सी. पी. जोशी : मैं नहीं कह रहा. मैं आपका ध्यान चीफ व्हिप ने जो पाइंट उठाया, मैं आपको खाली रूल 22 कोट कर रहा हूं।

डा. एन. एस. गुर्जर : एक ही चीज पर कितनी बार बोलोगे? आप अभी हमको कह रहे थे।

डा. सी. पी. जोशी : आप तो बोल रहे थे ना? जजमेंट भी आपके पक्ष में, काहे के वकील हैं? तर्क तो करें, जज को फैसला करने दें। फैसला भी कर देंगे आप?

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, इससे पहले भी इस प्रकार का प्रश्न उठ चुका है और डिले के बारे में इसकी व्यवस्था दी जा चुकी है। आपको तो सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतकजी ने पढ़कर सुनाया। आप चाहें तो मैं दुबारा सुना दूं।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परमिशन से, रूल 22 को एक बार पढ़ लें। (व्यवधान) आपको क्या तकलीफ है? रूल 22 यह कहता है-"Arrangement of Government Business.-On day allotted for the transaction of Government business, such business shall have precedence and the Secretary shall arrange that business in such order as may be determined by the House on the recommendation of the Business Advisory Committee." आपका यह सारा बिजनस इयूली एक प्रोसेस से निकलकर आया है कि बिजनस कौनसा अलाटमेंट होगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का फैसला क्या है। निर्णय करने के बाद कौनसे ले करेंगे, यह सारी विज्डम सैक्रेटेरिएट ने यूज करके उसके बाद यह वर्डस यूज किया है। इसमें वर्ड लिखा हुआ है शैल, The word is 'shall', यह मेन्डेटरी है हमारे पास में कि जो बिजनस लिखा हुआ है उस बिजनस को उसी तरह ट्रांजेक्शन किया जाए। आपको यदि कंडोन करना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को विथड्रा करने की परमिशन दें, कंडोन करके यहां पर परमिशन लेकर आवें, तब तो यह वैलिड पाइंट है। पर यहां हाउस के अन्दर यदि आप अलाउ करेंगे तो यह आपकी सारी कार्य सूची के ऊपर निर्णय करने की है, उसमें दूसरे माननीय सदस्य प्रश्न उठाएंगे और हमारा सारा पैंडोरा बाक्स खुल जाएगा, व्यवस्थाएं हमारी गड़बड़ा जाएंगी। यह निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए 22 को भी देख लें आप।

डा. एन. एस. गुर्जर : इन्होंने लिखा है "...by the House on the recommendation of the Business Advisory Committed." यह जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है यहां, बिजनस एडवाइजरी कमेटी की रिकमंडेशन पर रिपोर्ट यहां पर नहीं रखी गयी है। यह आपने तय किया है और मंत्रीजी ने दिया है यहां, इसलिए यह केवल बिजनस एडवाइजरी कमेटी जो एक साथ चार तारीख तक का बिजनस सैट किया है, यह उस पर लागू होता है। (व्यवधान) आगे यह कौनसी प्रायोरिटी रहेगी उसके हिसाब से लेंगे।

डा. एन. एस. गुर्जर : हां तो यह प्रायोरिटी उसके हिसाब से है (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप पढ़िए-Business Rules shall have priority. हम दोनों को आधा-आधा इंटरप्रेट कर रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : यह बिजनस एडवाइजरी कमेटी...(व्यवधान) यह बिजनस एड़वाइजरी कमेटी कौनसे दिन कौनसा काम तय किया है, वह एनलिस्ट करने का काम है इसमें।

डा. सी. पी. जोशी : बिजनस एडवाइजरी कमेटी यह कह रही है, उसका ऊपर का पूरा पार्ट पढ़ें, वकील साहब।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं पूरा पढ़कर बता रहा हूं। यह उसमें है कि डेज निश्चित करते हैं उनको आप एनलिस्ट करते हैं कि इस दिन यह काम होगा, इस दिन यह काम होगा। ये पेपर्स वगैरह जो ले-डाउन होते हैं, हाउस में यह रूटीन वर्क है। रूटीन वर्क में विभाग अपने-अपने पेपर्स भेजते हैं। कई बार सदन में डिले हुई है, पूछा गया है।

श्री अध्यक्ष : आप तो बिराजो। अब मुझे कहने दीजिए।

डा. सी. पी. जोशी : यह गवर्नमेंट बिजनस है (interruption...)

श्री सी. डी. देवल : हमारी भी सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : अब आप क्या कहेंगे?

श्री सी. डी. देवल : बात तो सुन लीजिए। कुछ भी कहें, नहीं कहें, लेकिन आप बोलने ही नहीं देते हो। दो घंटे हो गये हैं, एक घंटा हो गया है इनके पाइंट आफ आर्डर के। आपने हमारा 295 और पर्ची सिस्टम समाप्त कर दिया और अब 294 को एक घंटा हो गया है।

श्री अध्यक्ष : पर्ची के प्रश्न पर दो घंटे। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह गवर्नमेंट बिजनस है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी एकेडेमिक एक्सीलेंस भी होनी चाहिए। उस दौरान कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया, उचित है। सवाल यह है कि इसमें जिस तरीके से उठाया गया और आपकी बिना इजाजत के माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर बोले, इससे लगता है कि इनमें एक तो मिलीभगत है। यह नहीं होनी चाहिए।

डा. एन. एस. गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना गलत है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय प्रतिपक्ष के नेता को पता नहीं क्या बीमारी हो गयी है। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : यह रूल्स का मामला है, मिलीभगत क्या होगी? (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : हम यह चाहते हैं कि इस विधान सभा के अन्दर अधिकारीगण और मंत्रीगण को यह जानकारी होनी चाहिए। यह डिले नहीं करके लेकर आएं। हमने तो यह विधान सभा की सैंक्टिटी के लिए उठाया है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : बिराज जाएंगे, आपके कहने से उठे हैं क्या, जो आप कहेंगे हम करेंगे? आप इस तरह के आरोप लगाते हैं...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : What do you talk about this? How you can say like this?

श्री विष्णु मोदी : हमने तो यह इश्यू इसलिए रेज किया है कि यह विधान सभा की सैंक्टिटी बने और इन लोगों को यह पता लगे कि विधान सभा का कितना अधिकार है। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : यह लीडर आफ अपोजिशन को...(व्यवधान) यह हाउस की सैंक्टिटी को कम कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा ठीक नहीं है। यह इस तरीके से बोलेंगे तो फिर हम भी नहीं बोलेंगे (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी कोई मानता नहीं है, कल्लाजी।

श्री रामनारायण चौधरी : नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख रहे हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : बात तो सुन लो आप। कह दो, हमारी मिलीभगत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लीडर आफ अपोजिशन तो पीछे बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यहां दो बिन्दु उठे और यहां पर सरकारी मुख्य सचेतक ने अध्यक्षों के निर्णय को पढ़कर सुनाया। खास तौर से जो आप सरकारी कार्य निर्धारित करते हैं उनमें ये अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। मैं तो यह मानता हूं कि उन अधिसूचनाओं के देरी से रखने वाले कारणों के ऊपर प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन उसको विथड्रा कर दिया।

श्री अध्यक्ष : विथड्रा करने का किसने कहा?

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट मेरी बात सुन लें, विथड्रा करने का सवाल नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया।

श्री अध्यक्ष : वह अलग बात है। वह अपनी राय दे सकते हैं उठाने की जब... (व्यवधान) स्वीकार किसने किया?

डा. बुलाकीदास कल्ला : विथड्रा नहीं कर सकते।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सदन में आ जाने के बाद वह प्रोपर्टी सदन की होती है और उस प्रोपर्टी की आप सदारत करते हैं। उनको प्रस्ताव करना पड़ेगा कि मैं विथड्रा करता हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं वही कह रहा हूं।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन की प्रोपर्टी नहीं हुई है। सदन की प्रोपर्टी तो जब माननीय मंत्री महोदय उसको टेबल कर देंगे, तब होगी। मेरा मंतव्य सिर्फ इस बात से था कि जो ये प्रतिवेदन आते हैं, जो भी कम्पनीज एक्ट के हैं, हर साल आडिट होते हैं, आडिट होने के बाद तुरन्त विधान सभा में आए और विधान सभा की सैंक्टिटी बने।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सारी पक्ष और विपक्ष की बात आ गयी है मेरे ख्याल से। अधिसूचना के बारे में डिले हुई है इसके कोई कारणों पर बताना चाहें तो संक्षेप में माननीय मंत्रीजी बता दें। पहले भी ऐसा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर इसको विथड्रा करने का यदि उनका कोई प्रस्ताव है तो आपसे बिना परिमशन नहीं हो सकता।

(13.00 बजे)

डा. सी. पी. जोशी : 28 भी पढ़ लो लिस्ट आफ बिजनस-"A list of business for the day shall be prepared by the Secretary, and a copy thereof shall be made available for the use of every member."

28 में आपने हमको कापी दे दी है। आपने कापी देकर हमें कहा, बिजनस यही होगा। लिस्ट ड्यूली साइड है। कंडोनेशन का सब स्टैप आपके सैक्रेटेरिएट और विभाग के बीच में यह लिस्ट के पहले हो जाना चाहिये था. तब तो इसकी सैंक्टिटी है। आपने विभाग में कंडोन कर लिया, उस कंडोनेशन का असैम्बली सैक्रेटेरिएट ने पता ही नहीं लगाया और लिस्ट कर दिया। अब इस स्टेज पर हम यह कहें कि लिस्ट किया गया. मैं समझता हूं कि विभाग की कार्य प्रणाली पर इनको आप प्रताड़ना दीजिये कि बिना

(डा. सी. पी. जोशी)

इसके आपने सैक्रेटेरिएट को वहां सब्मिट कर दिया। यह तो आपको अधिकार है। लेकिन एक बार आपने लिस्ट बिजनस का कर दिया तो इस विषय को यूं इनको छोड़ नहीं सकते। अब आपको इनको कहना चाहिये कि यह इनके विभाग की ड्यूटी थी कि असैम्बली सैक्रेटेरिएट को भेजने से पहले कंडोनेशन के कारण असैम्बली सैक्रेटरी को लिखकर भेजते। यदि उन्होंने यह कार्य नहीं किया, आपने लिस्ट कर दिया तो भी ओनली आप्शन कि भविष्य के लिये इनको आप कहें। भविष्य में ऐसा नहीं करें, यह इनको आप कहें। यही हमारे पास आप्शन अवेलेबल है।

डा. एन. एस. गुर्जर : यह 29 तो क्वेश्चन से सम्बन्धित है, आप कहां बोल रहे हैं?

डा. सी. पी. जोशी : 28 में बोल रहा हूं...(व्यवधान) 28 कोट किया था मैंने। 29 में कहां जा रहे हैं? I quoted 28.

व्यवस्था

प्रतिवेदन एवं लेखे सदन पटल पर रखे जाने में विलम्ब के कारण बताये जाने चाहिए

श्री अध्यक्ष : अब आसन को सुनेंगे? अब आप व्यवस्था सुनिये। ऐसा है कि मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया, उसे मैं स्वीकार करती हूं और इस बिनाह पर स्वीकार करती हूं कि पूर्व में आसन से व्यवस्था दी जा चुकी है। 1979 में एक बार इसी तरीके से जब डिले हुआ था अधिसूचना रखने में. उस समय यह प्रश्न उठाया था मदन सिंह दांता ने और मदन सिंह दांता के प्रश्न उठाने के बाद में उपाध्यक्ष द्वारा जो व्यवस्था दी गयी थी. वह यह थी "कोई भी माननीय मंत्री महोदय अधिसूचनाएं प्रस्तुत करते हैं तो सदन को यह अधिकार है पूछने का कि वे इससे पहले क्यों प्रस्तुत नहीं की गयीं। मेरा निवेदन है कि कोई भी अधिसूचना प्रस्तुत करने से पहले माननीय मंत्रीजी अपने विभाग से संतुष्ट हो जाएं और मालूम कर लें कि ये अधिसूचनाएं क्यों नहीं समय पर प्रस्तुत की गयीं, तो उसके बाद ही सदन में रखें।"

और यह सदन की मांग है, जैसा कि मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने मांग रखी है, तो माननीय मंत्री महोदय को सामान्यतया: उसकी देरी के कारण बताने चाहिये। लैप्सेज कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सदन इनके कारण जानना चाहता है तो माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देना चाहिये। इसके कोई स्पेसिफिक रीजंस हैं तो वे सदन को बताये जाने चाहिये। यह व्यवस्था दी जा चुकी है, और इसलिये इसी

(श्री अध्यक्ष)

व्यवस्था के आधार पर उनके औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करते हुए मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगी कि वह डिले का कारण बता दें।

लेकिन सामान्यतया: इस प्रकार से सत्ता पक्ष यह उठाता नहीं है, औचित्य का प्रश्न प्रतिपक्ष उठा सकता है। लेकिन सत्ता पक्ष को अपने मंत्रियों को इस प्रकार से घेरे में डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : यही तो कहा था कि यह अजीब बात हो रही है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, वह ठीक है...(व्यवधान) ठीक है...

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो कारण बताने चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह बता देंगे मंत्रीजी, क्या दिक्कत है? (व्यवधान) अब आपको क्या तकलीफ हो रही है, जब व्यवस्था दी जा चुकी है? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : इनका नम्बर...(व्यवधान) उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं...

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने तो यही कहा था कि हम व्यवस्था जानना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सारी बात कही जा चुकी है तो क्या तकलीफ है? मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य, आपको क्या तकलीफ है, अब क्या बोलना चाहते हैं आप? बात हो गयी, व्यवस्था हो गयी, वह कारण बताने जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज तीन विद्वान माननीय सदस्यों के कारण पाइंट आफ आर्डर की जगह हाउस में जो डिसआर्डर हुआ उसके लिये तो मैं क्षमा चाहूंगा। निश्चित तौर पर जो परम्परा रही है उसके अनुसार जो भी वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे हैं, वे निश्चित समय में आने चाहिये। ये लेखे निश्चित तौर पर पुराने हैं, वर्ष 2000-2001, 2001-2002 से सम्बिन्धत हैं। मैं पूरे मामले की जांच भी करवाऊंगा और मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि ये विलम्ब से हाउस के बीच में विचारार्थ लाए हैं। आइंदा के लिये इस चीज का ध्यान भी रखा जाएगा और मैं उन कारणों के लिये निश्चित रूप से पूरा मालूम करके जांच करवा कर, अध्यक्ष महोदय, आपको अवगत करा दूंगा जिसके कारण विलम्ब हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको या सदन को? आपको अवगत करा देंगे या सदन को?

श्री अध्यक्ष : तो अब आप सदन के पटल पर रखो।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि. के प्रथम व द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन व लेखे

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए)(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2000-2001 तथा द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2001 -2002 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति 2004-05 (क्र.सं. 1 से 75)

श्री अध्यक्ष : डा. बुलाकीदास कल्ला, जनलेखा समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (सभापति जनलेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जनलेखा समिति, 2004-05 के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

1. जनलेखा समिति, 1990-91 के 27वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का प्रथम प्रतिवेदन।
2. जनलेखा समिति. 1994-95 के 8वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का द्वितीय प्रतिवेदन।
3. जनलेखा समिति. 1995-96 के 72वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का तृतीय प्रतिवेदन।
4. जनलेखा समिति. 1995-96 के 73वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

5. जनलेखा समिति, 1996-97 के 79, 80, 82, 84 एवं 85वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 5वां प्रतिवेदन।

6. जनलेखा समिति, 1996-97 के 81वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का छठा प्रतिवेदन।

7. जनलेखा समिति, 1996-97 के 83वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 7वां प्रतिवेदन।

8. जनलेखा समिति, 1997-98 के 90वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 8वां प्रतिवेदन।

9. जनलेखा समिति, 1997-98 के 91वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का नवां प्रतिवेदन।

10. जनलेखा समिति, 1997-98 के 92वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 10वां प्रतिवेदन।

11. जनलेखा समिति, 1997-98 के 93वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 11वां प्रतिवेदन।

12. जनलेखा समिति, 1997-98 के 94वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 12वां प्रतिवेदन।

13. जनलेखा समिति, 1997-98 के 95वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 13वां प्रतिवेदन।

14. जनलेखा समिति, 1997-98 के 96वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 14वां प्रतिवेदन।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

15. जनलेखा समिति. 1997-98 के 98वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 15वां प्रतिवेदन।

16. जनलेखा समिति, 1997-98 के 89वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 16वां प्रतिवेदन।

17. जनलेखा समिति, 1997-98 के 99वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 17वां प्रतिवेदन।

18. जनलेखा समिति, 1997-98 के 100वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 18वां प्रतिवेदन।

19. जनलेखा समिति, 1997-98 के 105वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 19वां प्रतिवेदन।

20. जनलेखा समिति, 1997-98 के 106वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 20वां प्रतिवेदन।

21. जनलेखा समिति, 1997-98 के 107वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 21वां प्रतिवेदन।

22. जनलेखा समिति, 1997-98 के 109वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 22वां प्रतिवेदन।

23. जनलेखा समिति, 1997-98 के 116वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 23वां प्रतिवेदन।

24. जनलेखा समिति, 1997-98 के 115वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 24वां प्रतिवेदन।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

25. जनलेखा समिति, 1997-98 के 114वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 25वां प्रतिवेदन।

26. जनलेखा समिति, 1999-2000 के दूसरें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 26वां प्रतिवेदन।

27. जनलेखा समिति, 1999-2000 के 15वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 27वां प्रतिवेदन।

28. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1999-2000 पैरा संख्या 4.24 वर्ष 2000-2001, पैरा संख्या 4.16, 4.20 सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा गृह विभाग से सम्बन्धित वर्ष 2000-2001 के पैरा संख्या-5.1 व सहायता विभाग से सम्बन्धित वर्ष 1999-2000 के पैरा संख्या 3.8 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 28वां प्रतिवेदन।

29. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1999-2000 पैरा संख्या 4.9 सिंचाई विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 29वां प्रतिवेदन।

30. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1999-2000 पैरा संख्या 4.6 व वर्ष 2000-2001 के पैरा संख्या 4.4 व 4.5 वन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 30वां प्रतिवेदन।

31. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1999-2000 पैरा संख्या 6.2 सहकारिता विभाग एवं वर्ष 2000-2001 पैरा संख्या 3.5 मत्स्य विभाग व पैरा संख्या 7.1 गृह, वन, राजकीय उपक्रम व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 31वां प्रतिवेदन।

32. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1997-98 के पैरा संख्या 3.4 में समाविष्ट नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 32वां प्रतिवेदन।

33. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2000-2001 पैरा संख्या 6.6, 6.8, 6.9, 6.10 व 6.11 ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 33वां प्रतिवेदन।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

34. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2000-2001 पैरा संख्या 3.8 में समाविष्ट मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 34वां प्रतिवेदन।

35. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1999-2000 अनुच्छेद संख्या 6.9 ग्रामीण विकास विभाग, वर्ष 2000-2001 अनुच्छेद संख्या 6.5, 6.7 व 6.12 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 35वां प्रतिवेदन।

36. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1999–2000 के अनुच्छेद संख्या 2.4, 3.6 अल्प बचत (वित्त) 3.8 वित्त विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 36वां प्रतिवेदन।

37. जनलेखा समिति, 1997-98 के 88वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 37वां प्रतिवेदन।

38. जनलेखा समिति, 1999-2000 के प्रथम प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 38वां प्रतिवेदन।

39. जनलेखा समिति, 1999-2000 के 12वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 39वां प्रतिवेदन।

40. जनलेखा समिति. 1999-2000 के 16वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 40वां प्रतिवेदन।

41. जनलेखा समिति, 1999-2000 के प्रतिवेदन संख्या 22, 2000-2001 के प्रतिवेदन संख्या 69, 2001-2002 के प्रतिवेदन संख्या 113 एवं 123, 2002-2003 के प्रतिवेदन संख्या 150, 164, 165 एवं 166वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 41वां प्रतिवेदन।

42. जनलेखा समिति. 2000-2001 के 54वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 42वां प्रतिवेदन।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

43. जनलेखा समिति, 1997-98 के 110वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 43वां प्रतिवेदन।

44. जनलेखा समिति, 1997-98 के 101वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 44वां प्रतिवेदन।

45. जनलेखा समिति, 2000-2001 के 68वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 45वां प्रतिवेदन।

46. जनलेखा समिति, 2000-2001 के 48वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 46वां प्रतिवेदन।

47. जनलेखा समिति, 2000-2001 के 82वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 47वां प्रतिवेदन।

48. जनलेखा समिति, 2000-2001 के 29वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 48वां प्रतिवेदन।

49. जनलेखा समिति. 1999-2000 के 27वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 49वां प्रतिवेदन।

50. जनलेखा समिति, 1995-96 के 70वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 50वां प्रतिवेदन।

51. जनलेखा समिति, 1999-2000 के 30वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 51वां प्रतिवेदन।

52. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट भू-

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

जल विभाग से सम्बन्धित वर्ष 2000-2001 का अनुच्छेद संख्या 3.6, वित्त विभाग से सम्बन्धित वर्ष 2000-2001 का अनुच्छेद संख्या 3.11 तथा सिंचाई विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेद संख्या 4.8, 4.10 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 52वां प्रतिवेदन।

53. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 का अनुच्छेद संख्या 3.3 एवं उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 का पैरा संख्या 6.3 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 53वां प्रतिवेदन।

54. जनलेखा समिति, 1997-98 के 108वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 54वां प्रतिवेदन।

55. जनलेखा समिति, 1999-2000 के 18वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 55वां प्रतिवेदन।

56. जनलेखा समिति, 1984-85 के 22वें प्रतिवेदन (सातवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 56वां प्रतिवेदन।

57. जनलेखा समिति, 2000-2001 के 64वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 57वां प्रतिवेदन।

58. जनलेखा समिति, 2000-2001 के 65वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 58वां प्रतिवेदन।

59. जनलेखा समिति. 2000-2001 के 53वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 59वां प्रतिवेदन।

60. जनलेखा समिति, 2001-2002 के 122वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 60वां प्रतिवेदन।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

61. जनलेखा समिति, 2001-2002 के 83वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 61वां प्रतिवेदन।

62. जनलेखा समिति, 2001-2002 के 84वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 62वां प्रतिवेदन।

63. जनलेखा समिति, 1997-98 के 120वें प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 63वां प्रतिवेदन।

64. जनलेखा समिति, 2002-2003 के 162वें प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 64वां प्रतिवेदन।

65. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 65वां प्रतिवेदन।

66. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1999-2000 के अनुच्छेद संख्या 3.1 (पर्यावरण विभाग) से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 66वां प्रतिवेदन।

67. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2000-2001 के अनुच्छेद संख्या 3.1 (पर्यावरण विभाग) से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 67वां प्रतिवेदन।

68. जनलेखा समिति, 2001-2002 के 85वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 68वां प्रतिवेदन।

69. जनलेखा समिति, 2001-2002 के 91वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 69वां प्रतिवेदन।

70. जनलेखा समिति, 2001-2002 के 103वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 70वां प्रतिवेदन।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

71. जनलेखा समिति, 2000-2001 के 58वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 71वां प्रतिवेदन।

72. जनलेखा समिति, 2000-2001 के 59वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 72वां प्रतिवेदन।

73. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2001-2002 में समाविष्ट खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से सम्बन्धित पैरा संख्या 3.3 एवं समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित पैरा संख्या 3.8 तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से सम्बन्धित पैरा संख्या 3.9 व सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित पैरा संख्या 5.1. स्थानीय निकाय एवं समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित पैरा सख्या 6.4, गृह, वन. राजकीय उपक्रम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व राजकीय मुद्रणालय विभाग से सम्बन्धित पैरा संख्या 7.1 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 73वां प्रतिवेदन।

74. जनलेखा समिति. 2002-2003 के 174 तथा 177वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 74वां प्रतिवेदन।

75. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2000-2001 में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 75वां प्रतिवेदन।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर, प्रभारी मंत्री, राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये।

श्री मदन दिलावर (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय. मैं राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक. 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री मदन दिलावर (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 2004 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

सूचना

किराया नियन्त्रण कानून से पूरे राजस्थान के किरायेदार दुकानदारों में असंतोष

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफोर्मेशन, आपकी इजाजत हो तो मैं दे दूं।

राजस्थान में लाखों दुकानदार किरायेदार हैं, राजस्थान में किराया नियंत्रण अधिनियम कानून बनाकर लागू किया गया. इससे व्यापार चलाने वाले जो लाखों किरायेदार हैं उन पर बहुत बड़ा संकट है। 75 परसेंट छोटे दुकानदार जितना कमाते नहीं हैं, उससे ज्यादा किराया नियंत्रण कानून से उनका किराया बन गया। इसके विरोध में पूरे राजस्थान में जगह-जगह जिला हैडक्वार्टर बंद हुए हैं। उसको नोटिस में लेकर सरकार ने मंत्रिमण्डल के सदस्यों की एक कमेटी भी बनायी है कि किस तरह से इसको डिजोल्व किया जा सके। बहुत लम्बे समय के बाद आज भी वह नहीं हुआ है। उसको लेकर पूरे राजस्थान में हजारों व्यापारी किराया नियंत्रण से दु:खी होकर कोर्ट में चले गये। हजारों के नोटिस मिल गये। हजारों व्यापारी आज विधान सभा के सामने इस बात को लेकर आये हैं। मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि सरकार एक तरफ तो जो कमेटी बनायी है उसका तुरन्त निर्णय करे, जिससे कोर्ट में जो वाहियात केस जा रहे हैं, छोटे दुकानदारों को रियायत मिल सके। किराया नियंत्रण कानून जब से किरायेदार हुआ है, 7 परसेंट का है। साइकिल का छोटा-सा दुकानदार, दो सौ रुपये किराया, ढाई सौ रुपये किराया हो गया है, जबकि पूरे महीने में भी शायद उसके ढाई सौ रुपये नहीं बचते हैं। किराया नियंत्रण कानून से पूरे राजस्थान के किरायेदार दुकानदारों में असंतोष है। सरकार उसका निर्णय करे और उनके प्रतिनिधिमण्डल से बात करके संतुष्ट करे जिससे वे व्यवस्थित हो सकें।

श्री अध्यक्ष : आप कब से इनकी पैरवी करने लग गये? (व्यवधान) अब सामान्य वाद-विवाद पर आज बहुत बोलने वाले हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे भी। आन ए पाइंट आफ इंफोर्मेशन आपने मौका दिया है इनको, मैं इतनी देर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था।

आज निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को चाहे वे नगरपालिकाओं के अध्यक्ष हों, चाहे पंचायत समितियों के प्रधान हों, उनको अकारण केवल राजनीतिक द्वेष के लिये बर्खास्त किया जा रहा है। लोकतन्त्र का गला घोटा जा रहा है। मांगरोल की नगरपालिका को बर्खास्त किया गया, झालरापाटन के चेयरमैन को बर्खास्त किया गया...

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह वेग बात है। यह वेग है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कोई भी माननीय सदस्य वेग कोई भी बात खड़ा होकर उठाता है तो उसको हतोत्साहित किया जाना चाहिये। नहीं तो यह खड़े होकर कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। यह क्या पाइट आफ इंफ़ोर्मेशन है?

मोहम्मद माहिर आजाद : मेड़ता के चेयरमैन को बर्खास्त किया...(व्यवधान) उसको बर्खास्त कर दिया। क्या यह पाकिस्तानी...(व्यवधान) इन्होंने बी.जे.पी....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, कोई मर्डर हो गया, ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन हो गयी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप नियमों के मुताबिक मूव कीजिये। (व्यवधान) नियमों के मुताबिक मूव करिये। आप यूं ही खड़े होकर बोलने लग जाते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को आप बर्खास्त करें, यह अलोकतंत्र है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो भ्रष्टाचार करेगा वह सस्पैंड होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : इससे ज्यादा क्या हो सकता है, बी.जे.पी. की सदस्यता ज्वाइन कर ले और वह हो जाए...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बी.जे.पी. क्या होती हैं? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, एक महीने के अन्दर इन्होंने 30-40 नगर पालिका के चेयरमैनों को, और तो और प्रधानों को बर्खास्त करने का काम किया है...(व्यवधान) सिर्फ इसलिए किया है कि वे कांग्रेस के प्रधान थे, कांग्रेस के चेयरमैन थे। (व्यवधान)

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री अध्यक्ष : नगर से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कांग्रेसी हैं, भ्रष्टाचार करके सस्पैंड नहीं होंगे, कोई गारन्टी ले रखी है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बाकायदा नियमों में नोटिस दीजिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बी.जे.पी. में शामिल हो जाए उसको दूसरे दिन बहाल कर दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री हीरालाल (निवाई) : xxx

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री अध्यक्ष : बजट के सामान्य वाद-विवाद पर चर्चा शुरू की जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, बोलने कितने हैं, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : आज बोलने वाले 35 हैं, 35 लोग बोलने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए तो 6-6. 7-7 मिनट का समय दिया जा सकता है।

श्री राजेन्द्र राठोड़ : अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूं कि आसन से पहले एक व्यवस्था हुई थी और बिजनस एडवाइजरी कमेटी में भी तय हुआ था कि चार बजे मुख्य मंत्री का जवाब हो जाएगा। इसको घंटे-दो घंटे बढ़ाएं तो ठीक है, इतना लम्बा नहीं हो। जवाब भी होना है, जवाब प्रेस में जाएगा, सब जगह जाएगा. इसलिए कोई निश्चित समय फर्मा दें कि कितने बजे तक आप वाद-विवाद में लोगों को हिस्सा लेने के लिए मौका देना चाहते हैं ताकि उस हिसाब से हो।

श्री अध्यक्ष : देखें, ऐसा है, कांग्रेस को जो समय अलाट किया गया था वह कांग्रेस ने अपना पूरा कर लिया है, तो कांग्रेस का अब कोई समय बचा नहीं, कांग्रेस के व्यक्तियों का।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कांग्रेस का समय खतम हो गया।

श्री अध्यक्ष : खतम, और अब बाकी समय जो बचा है वह भारतीय जनता पार्टी का 4 घंटे 19 मिनट का बचा है और इंडियन नेशनल लोक दल का 7 मिनट का बचा है, लोक जन शक्ति पार्टी का 5 मिनट का, राजस्थान सामाजिक न्याय मंच का 5 मिनट का और निर्दलीयों का 21 मिनट का समय बाकी है। कल्ला साहब अभी तक बोले नहीं हैं. आधा घंटे का समय कल्ला साहब को दे दें। आप कहें तो ज्यादा दे दें क्योंकि वह समय आपका है। मैं इसलिए पूछ रही हूं कि वह समय आपका है, कितना समय आपको दें...(व्यवधान) सारा दे दिया तो यह दो घंटे बोलेंगे। आप बता दें कि कितना समय दें क्योंकि समय आपका है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा बोलें जो हम सब तालियां बजाते रहें।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या कुछ नहीं है सम्भव।

श्री अध्यक्ष : यह तो आप बाध्य नहीं कर सकते। अपने शब्द उनके मुंह में भी नहीं डाल सकते और बाध्य भी नहीं कर सकते। वह तो बोलेंगे जैसे ही बोलेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह नीरस बोलेंगे तो फिर इनका...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह देखें आप...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता का समय इसमें इनक्लूड कभी नहीं हुआ है और वाद-विवाद का मजा भी तब आएगा। जब इधर से और उधर से दोनों बोलेंगे, नहीं तो सदन में कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बजट की डिबेट का आज तक का आप रेकार्ड उठा लें, बी.जे.पी. के 37 सदस्य पिछली बार सदन में थे

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

लेकिन हमेशा इन्होंने ज्यादा से ज्यादा समय सदन का लिया। हमारे पास बोलने के अलावा है क्या? इनके पास सत्ता है, हमारे पास बोलना है इसलिए आप समय के लिए कोई कंजूसी नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : बराबर की बात है। पहले आपके पास सत्ता थी उनके पास बोलना था। अब उनके पास सत्ता है आपके पास बोलना, बात तो बराबर है। यह तो लोकतंत्र है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले तीन दिन के अन्दर कांग्रेस के 12 माननीय सदस्य बोले हैं और इनके 36 बोले हैं। इधर से चार लोग बोलते हैं तब एक कांग्रेस का नम्बर आता है। और हमको ज्यादा बोलने नहीं दिया। इन्होंने एक-एक घंटे के भाषण ठोके है और यहां कहा जा रहा है कि इनके चार घंटे का समय बाकी है। इनके तो हमारे एक की तुलना में तीन पहले ही बोल चुके हैं और रेशो यह रहा है कि एक हमारा, तीन इनके। समय ज्यादा लिया, फिर इनका समय कैसे बच गया चार घंटे, इनके 36 लोग बोल चुके हैं और हमारे 12 बोले?

श्री अध्यक्ष : आपके वक्ताओं ने समय लिया है एक-एक घंटा। इनके पांच-पांच, छह-छह मिनट में बोले हैं। आपके वक्ताओं ने एक-एक घंटे का समय लिया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पांच-छह लोग और बोलना चाहें तो कांग्रेस के बुलवाए, इनके बिना बोले मजा नहीं आएगा। (व्यवधान) इनके बिना मजा नहीं आएगा।

श्री जुबेर खान : हद कर दी। 36 लोग बोल गये और इनका 4 घंटे का बचा हुआ है और हमारे 12 वक्ताओं में सारा समय लग गया? अध्यक्ष महोदय, इसको चैक करवाएं...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हो गया ना। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : इनके 36 माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : आप शुरू करेंगे? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं उनसे पहले बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप गलत तथ्य देंगे, आसन को तो आपने बताया नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप लास्ट में बोलेंगे?

श्री जुबेर खान : आप रेकार्ड दिखवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ऐतिहासिक बजट भाषण पर बहस में हिस्सा लेने का आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। केवल 2 घंटे 18 मिनट बोलीं या पानी नहीं पिया या लगातार बोलीं...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आसन की व्यवस्था है, इसमें हमारा क्या है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। माननीय कांग्रेस के मुख्य सचेतक, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : सरासर गलत तथ्य दे रहे हैं। यह कल की सूचना है सैक्रेटिरिएट की, बी.जे.पी. के 4 घंटे 19 मिनट बचे थे और आज भी 4 घंटे 19 मिनट बचें हैं। इसका मतलब कल का टाइम आपको ग्रांट ही नहीं हुआ? यह गलत तथ्य है।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक, आप बीच में नहीं बोलेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सही बात है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : यह गलत तथ्य है, 4 घंटे 19 मिनट। आज भी 4 घंटे 19 मिनट और कल आपके 12 लोग बोले, वह टाइम किसका था? अध्यक्ष महोदय, आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? क्या यह सही नहीं है कि कल हमको सूचना दी थी, 4 घंटे 19 मिनट बी.जे.पी. के बचे थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह किस पर बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : कांग्रेस के बचे थे एक घंटा, आपके तो 4 घंटे वहीं के वहीं रखे हैं, मतलब आपके टाइम मे तो घड़ी रूक जाए और हमारे टाइम में चले। ऐसा अन्याय मत कीजिये। (व्यवधान) इस सचिवालय को गलत तथ्यों में मत फंसायें कि इन्हें भी गलत तथ्य आप देते हैं। सारा सदन जानता है, सब लोग जानते हैं। कल आपके 12 लोग बोले।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह विधान सभा के कार्यों पर टिप्पणी है...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आपका टाइम खतम ही नहीं हो रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह व्यवस्था है।

श्री जुबेर खान : यह गलत बात है, गलत परम्पराएं हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय. यह व्यवस्था है कि आसन के बारे में और विधान सभा सैक्रेटेरिएट के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती है। इनको एतराज है तो माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में मिल सकते हैं। आज यह इस प्रकार से चर्चा करें. मैं समझता हूं कि मुख्य सचेतक के लिए ठीक नहीं है। यह व्यवस्था हमारी नहीं है, आसन की व्यवस्था है। हमारा इसमें कोई दखल नहीं है, यह सीधी विधान सभा सैक्रेटेरिएट की बात है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : मुख्य सचेतक महोदय...(व्यवधान) कल भी 4 घंटे 19 मिनट और आज भी यही बोल रहे हो. आसन से गलत बात क्यों कहलाते हो? (व्यवधान) कल भी 4 घंटे 19 मिनट और आज भी 4 घंटे, हद कर दी आपने। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या आसन हमारे कहने से कोई बात करता है?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आसन की आज्ञा का पालन करते हैं पर आसन से प्रोटेक्शन भी चाहते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आसन हमारे मार्गदर्शन और दिशा निर्देश से चलता है या हम आसन से गलत बात के लिए निर्णय करवा सकते हैं? यह इनको गलतफहमी हो तो बताएं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : जो समय की सूचना दी है वह असत्य निकलेगी।

एक माननीय सदस्य : आप सचिवालय को ही पार्टी बनाना चाहते हैं, विधान सभा सचिवालय को तो सर्वोपरि रहने दो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम बना रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के माननीय सचेतक महोदय, यहां पर बाकायदा जो सदस्य बोलता है, प्रारम्भ करता है उससे पहले समय लिखा जाता है, जब वह समाप्त करता है, दूसरे के बोलने से पहले, उसका भी समय लिखा जाता है। इसलिए यह आप जो चार्ज लगा रहे हैं, वह निराधार है। आपको गलतफहमी है। फिर भी सत्ता पक्ष ने कह दिया कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता जितनी देर बोलना चाहेंगे, उतनी देर वह बोलेंगे। तो इसे तो उनकी उदारता किहए कि वह कह रहे हैं कि अपना समय आपको देंगे। आपको समय दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : औरों के लिए भी कहा है हमने तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको समय दे रहे हैं. इसके अलावा भी एक-दो व्यक्ति को और पांच-पांच, दस-दस मिनट दे देंगे।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय शिरोधार्य है लेकिन ऐसा तो अन्याय न हो। कल भी तथ्य यहीं से आया था, हमने नहीं बनाया है। कल कहा कि 4 घंटे 19 मिनट और आज भी आपसे 4 घंटे और 19 मिनट कहलवाया है, फिर भी हम नहीं बोले। फिर भी आपका हुकूम हमारे सिर माथे है। हमारा आपसे सब्मिशन है कि आइन्दा से इस बात को ध्यान में रखा जाए।

श्री अध्यक्ष : मैं तो टाइम यहां पर नोट करती हूं, बाकी पीछे वालों का मुझे मालूम नहीं। ये सभापति क्या करते हैं, मुझे तो पता नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : कल भी इतना ही टाइम बताया था, चीफ व्हिप का यह कहना है।

श्री अध्यक्ष : टाइम तो सही है। (व्यवधान) हां. चलिए. आप शुरू करो। जोगेश्वर गर्ग, प्रारम्भ करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ऐतिहासिक बजट भाषण पर सदन में वाद-विवाद जारी है। जब मैं इस बजट भाषण को ऐतिहासिक बोलता हूं तो मेरा मतलब सिर्फ इतनी-सी बात से नहीं है कि 2 घंटे 18 मिनट का समय लगा। मेरा मतलब सिर्फ इतनी बात से भी नहीं है कि मुख्य मंत्रीजी पढ़ते समय बिलकुल रूकीं नहीं। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि उन्होंने बीच में पानी ही नहीं पिया। मैं कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, सदन के सामने रखना चाहता हूं जिनसे प्रमाणित हो कि यह बजट भाषण वास्तव में अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट भाषण है।

(13.23 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

एक वाक्य में यदि इस बजट भाषण का विश्लेषण करना हो तो मैं कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसा बजट भाषण है जिसमें राजस्थान के सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वांगीण विकास का सपना बुना गया है, और न केवल सपना बुना गया, है बल्कि उस सपने को पूरा करने की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है। जब मैं इस बजट भाषण को सर्वव्यापी. सर्वस्पर्शी और सर्वांगीण विकास के सपने वाला कहता हूं तो इससे मेरा

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

मतलब है, सर्वव्यापी का मतलब है, पूरे राजस्थान का कोई क्षेत्र, कोई जिला, कोई तहसील, कोई गांव, कोई ढाणी ऐसी नहीं छोड़ी जिसके बारे में इस बजट भाषण में इन बजट प्रावधानों में चिन्ता नहीं की गई हो। यह अपने आप में एक उल्लेखनीय बात है। ठेठ किशनगंज-शाहबाद के सहरिया आदिवासी से लेकर ठेठ जैसलमेर के गांव के पशुपालक, सबकी चिंता की गई है इसमें। मेवाड़ के सुदूर, बांसवाड़ा. डूंगरपुर के आदिबासी से लेकर गंगानगर के सिंचित क्षेत्र तक, सब की चिंता इसमें की गई है। हर दृष्टि से हर एंगल से, हर क्षेत्र को कुछ न कुछ मिले, इसकी चिंता इसमें की गई है।

ठीक इसी प्रकार से इसको सर्वस्पर्शी भी मैंने कहा है और सर्वांगीण विकास का कहा है, पर इन बिन्दुओं पर आने से पहले, सभापति महोदय, मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह बजट किन परिस्थितियों में पेश किया गया। साढ़े पांच साल पहले भारी बहुमत से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी थी राजस्थान में और उस समय राजस्थान की जनता ने इनसे बहुत बड़ी आशाएं संजोई थीं। सभापति महोदय, एक शेर याद आ रहा है-

"हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब,

आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया।"

सभापति महोदय, ये वे लोग हैं जिन्होंने जनता की आकांक्षाओं के साथ धोखा किया।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता पर आपको शराब से क्या वास्ता?

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय सभापति महोदय, ये वे लोग हैं जिन्होंने जनता की आशाओं पर कुठाराघात किया। ये वे लोग हैं जिन्होंने युवाओं के विश्वास के साथ धोखा किया। इन्होंने एस सी और एसटी के लोगों का दिल तोड़ा। हर वर्ग के साथ, हर क्षेत्र के साथ, हर समाज के साथ, हर प्रकार से इन्होंने सबके साथ धोखा किया। किसी की भी उम्मीद को पूरा नहीं किया, हर क्षेत्र पर, हर बिन्दु पर. किसी भी मापदण्ड से आप देख लें। भले ही इन्होंने अखबारों में मैनेज करके अपने आपको नम्बर वन मुख्य मंत्री लिखवा लिया होगा, पर धरातल पर नम्बर वन तो छोड़ो नम्बर दल के आसपास भी नहीं होंगे। हर क्षेत्र में पिछड़े, हर एंगल में पिछड़े मैं तुलना करना चाहूं तो इन्होंने...

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : देश तोड़ने वाले तो आप ही हो।

श्री जोगेश्वर गर्ग : यादव साहब, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। देश को तोड़ने की घटनाएं जो पंजाब में हो रही हैं वहां आपकी सरकार है, वहां आपके दल की सरकार है पंजाब में।

श्री महीपाल सिंह यादव : सारा देश जानता है. गुजरात में क्या हुआ। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : सभापति महोदय, मेरे सामने तीन वर्षों का कम्पेरेटिव स्टेटमेंट है। जनता को छूने वाले पांच मुख्य बिन्दु होते हैं, पांच मुख्य क्षेत्र होते हैं- शिक्षा, चिकित्सा, पानी. बिजली और खेती। चूंकि राजस्थान एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि के क्षेत्र में देखिए, वर्ष 2002-2003 का कुल बजट रिवाइज आउट-ले 6842 करोड़। वर्ष 2003-2004, इनके आखिरी बजट में जिसमें से चार महीने हमने पूरे किये, कुल रिवाइज आउट-ले 617062 करोड़। दोनों मिलाकर 13800 या 13900 करोड़ के लगभग हुए। इस वर्ष 2004-2005 में हमने जो कल्पना की है कृषि और एलाइड के लिए. 14222 करोड़, दुगुने से ज्यादा है। दो वर्षों में ये नहीं कर पाये, वह हम एक ही वर्ष में करने की कल्पना कर रहे हैं।

ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्षेत्र लें। बिजली में 2002-2003 में इनका है 1304 करोड़, 2003-2004 में 1667 करोड़ और इस बार 2004-2005 में प्रावधान है 2169 करोड़, 30 प्रतिशत अधिक, एक तिहाई अधिक।

ठीक इसी प्रकार से शिक्षा का क्षेत्र देखिए। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने भट्टा बैठा दिया। कोई स्कूल में अध्यापक नहीं. स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं। मै याद करना चाहूंगा और सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि पांच वर्ष पहले जब आदरणीय गुलाबचन्द जी कटारिया साहब शिक्षा मंत्री थे. तब चाहे राजस्थान बोर्ड की मैरिट हो चाहे सेंट्रल बोर्ड की मैरिट हो, राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के बच्चे भरे पड़े होते थे, उनमें 20 में से 15-15 नाम होते थे राजकीय विद्यालयों के बच्चों के इन पिछले पांच वर्षों में आप रिकार्ड उठाकर देखें. मैरिट लिस्ट में गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे गायब, मुश्किल से एक-दो। यह शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि विद्यालयों में अध्यापक नहीं थे। इस उपेक्षित क्षेत्र के लिए हमने क्या किया? यह देखिए आप. 2002-2003 में इन्होंने दिया था 125 करोड़ 55 लाख रुपए, 2003-2004 में 228 करोड़ रुपए और उसकी तुलना में 2004-2005 में 476.55 करोड़ रुपए. 108 गुना, इतना प्रावधान हमने किया है इस बार।

मेडिकल और हैल्थ लें. चिकित्सा के क्षेत्र में भी 45 प्रतिशत अधिक पिछले दो सालों की तुलना में खर्चा करने जा रहे हैं। इस प्रकार हर क्षेत्र में हमने. जो-जो जनता को छूने वाले क्षेत्र हैं. उन सबमें इनके कार्यकाल की तुलना में अच्छा कुछ करने की कोशिश की है. कल्पना की है और कल्पना को पूरा करने का प्रावधान किया है और उस प्रावधान को पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

माननीय सभापति महोदय, योजना के आकार के बारे में चर्चा करें। वर्ष 2002-2003 में योजना का कुल आकार था, इनके समय में, 5160 करोड़ रुपए। पूरी मेहनत करने के बाद नम्बर वन मुख्य मंत्री खर्चा कितना कर पाये? 4431 करोड़। पीछे गये। उसकी तुलना में 2003-2004 में इनका कुल बजट था, 4258 करोड़ की कल्पना की थी, आठ महीने, नवम्बर तक इनको काम करने का मौका मिला, केवल 2266 करोड़ खर्च कर पाये। आधा भी नहीं कर पाये। उसके बाद के चार महीने हमको मिले, केवल चार महीने, और उन चार महीनों में हमने 4258 करोड़ के बजट को रिवाइज किया, बढ़ाकर 5504 करोड़, सवाया कर दिया और उस सवाया से ज्यादा बढ़ोतरी को भी हमने पूरा किया। इनकी जो कमी थी उसको भी पूरा किया और उस बढ़े हुए, रिवाइज एस्टीमेट को भी हमने लांघकर 6044 करोड़ का कुल खर्चा किया।

तुलना सामने है। इन्होंने कल्पना की, कल्पना से पीछे रहे। हमने कल्पना की, कल्पना से आगे बढ़े। और इस बार हम कल्पना कर रहे हैं कि हम इतने सारे क्षेत्रों में इतना सारा खर्च करेंगे, बिना कोई टैक्स लगाये, उलटे पुराने टैक्स घटाकर इतनी सारी, 7 हजार करोड़ से अधिक की हमने कल्पना की है। निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण की शुरूआत में, पहले-दूसरे पैरे में इन्होंने कहा, हमने जो कहा वो किया। हमने जब कहा कि रेकार्ड गांव सड़कों से जुड़ जाएंगे तो वास्तव में 986 गांवों को 100 दिन के सीमित समय में सड़कों से जोड़ा। हमने कहा कि गांवों में प्रति दिन 14 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जाएगी तो वास्तव में 14 से 16 घंटे तक आपूर्ति की। हमारी पार्टी की परम्परा है, माननीय सभापति महोदय, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और जो कर सकते हैं वही कहते हैं। इसलिए जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि हम यह सब करेंगे. वो भी उस परिस्थिति में जिस हालत में इन्होंने हमको राज सौंपा, इतनी खराब आर्थिक स्थिति प्रदेश की, 55 हजार करोड़ का कर्जा उस कर्जे को झेलना और विकास का बीड़ा उठाना आसान बात नहीं थी। यह सब इसलिए सम्भव हो पा रहा है, बजट भाषण प्रस्तुत करते समय माननीय मुख्य मंत्रीजी के चेहरे पर जो आत्मविश्वास की झलक थी. हौसला था. जो इरादों की बुलन्दी प्रकट हो रही थी वो सब इसलिए था कि पांच-साढ़े पांच करोड़ जनता हमारे पीछे खड़ी है। जिस समय माननीय वसुन्धरा राजे ने पार्टी की बागडोर सम्भाली थी. प्रतिपक्ष के लोग उस वक्त सत्ता पक्ष में थे, इन्होंने मजाक किया था कि महलों में रहने वाली. झोंपड़ी का दर्द क्या समझेगी. क्या भला कर पाएगी राजस्थान की जनता का. राजस्थान की जनता इनको कैसे स्वीकार कर पाएगी। लेकिन महलों में पली-बढ़ी और महलों में रहने वाली रानी इस राजस्थान की धरती पर गांव-गांव. ढाणी-ढाणी तक घूमने के लिए परिवर्तन यात्रा के बहाने से हो या और किसी बहाने से हो. गांव-गांव जब घूमने

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

निकली और जनता से रूबरू हुई, जनता ने उनकी आत्मीयता, उनकी सहजता, उनकी सरलता को देखा, जनता जुड़ गई। इतनी जबर्दस्त जुड़ी कि 156 वालों को 56 पर लाकर छोड़ दिया और हम 33 वालों को 120 पर लाकर बिठा दिया। उस परिवर्तन यात्रा के दौरान और उसके बाद इन 5-6 महीनों में जितना मुख्य मंत्रीजी घूमी हैं राजस्थान भर में, जनता से सीधा डायलाग, सीधा संवाद, सीधा मिलना, सीधा उनसे फीड बैक लेना, उस सब बातों को मैंने देखा है। माननीय सभापति महोदय, एक-एक बात को नोट करना, अपने हाथ से लिखना, तुरन्त बाद उसको कंप्यूटर में डलवाना और उस कम्प्यूटर में एकत्रित की गई सूचना को समय आने पर काम में लेना, वह सब इस बजट में परिलक्षित हो रहा है। इस बजट भाषण में जो इतनी सारी बातें नयी, इनोवेटिव, नयी सोच की सामने आई हैं, वो ऐसे ही नहीं आ गई, वो सब जनता से प्राप्त फीड बैक के आधार पर आई हैं और उन्हीं के कारण आज हम एक ऐतिहासिक बजट देख पा रहे हैं जो निश्चित रूप से इस राजस्थान को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगा।

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था, जब मैंने इसको सर्वस्पर्शी कहा तो समाज के हर वर्ग को इसमें टच किया गया है। गरीब से गरीब व्यक्ति को टच किया गया है तो अमीर से अमीर व्यक्ति को भी कुछ न कुछ दिया गया है। हरेक की चिन्ता की गई है, हरेक की सुख-सुविधा, हरेक के दुख-दर्द को ध्यान में रखकर इसमें प्रावधान किया गया है। जब गरीब के लिए राशन टिकट की योजना की है तो उसी समय अभावग्रस्त बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी चिन्ता की गई है।

अशक्तजन के बारे में, माननीय सभापति महोदय, कहना चाहूंगा कि सरकार की सोच, माननीय मुख्य मंत्री महोदय की सोच क्या है? अब तक हम अशक्त के लिए शब्द प्रयोग कर रहे थे। फिजिकली हैंडीकैप्ड, पहली बार एक नया शब्द आया है फिजिकली चैलेंज्ड। फिजिकली हैंडीकेप्ड में हीनता का बोध होता है, कमजोरी का बोध होता है, निराशा का भाव होता है। फिजिकली चैलेंज्, प्रकृति ने चैलेंज किया है उनको, किसी बीमारी ने उनको चैलेंज किया है, उस चुनौती को स्वीकार करके उनके हौसले को, उनके आत्मविश्वास को बुलन्द करके जीवन की चुनौतियों के सामने सर उठाकर खड़ा रखने लायक उनको करना, यह एक विजन, एक नजरिया जो माननीय मुख्य मंत्रीजी का इसमें सामने आया है, उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा।

जब मैं सर्वस्पर्शी कहता हूं तो हम पर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है। अभी-अभी बोल रहे थे-देश को तोड़ने वाले, धर्मनिरपेक्षता को तोड़ने वाले, यह हम पर आरोप लगता है। लेकिन इस बजट भाषण को मेरे इन साथियों ने ध्यान से देखा होता तो शायद यह आरोप नहीं लगाते।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

मदरसों के लिए पहली बार जितनी व्यावहारिक चीज सामने आई है राजस्थान की धरती पर, आज तक नहीं आई-मदरसों को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के रूप में खड़ा करना। मदरसा केवल धार्मिक शिक्षा का माध्यम नहीं है, मदरसा केवल सामाजिक शिक्षा का माध्यम नहीं है, मदरसा उनके लिए वैकल्पिक शिक्षा का केन्द्र बनकर खड़ा हो, उस दृष्टि से उन्हें सम्पन्न करना, साधन-सम्पन्न करना, अधिकार-सम्पन्न करना, उनको नवीनतम पाठयक्रम सुविधाएं देना, यह सारा सोच सामने आया है।

बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए तो चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं, इतनी सारी बातें इसमें हैं कि चर्चा करने जाओ तो दो घंटे भी कम पड़े। लेकिन जो "आपकी बेटी" साधनहीन बालिकाओं के लिए योजना है...

श्री सभापति : अब कनक्लूड करें, माननीय सदस्य। आपका समय 10-12 मिनट था, 15 मिनट हो गये हैं। आप जल्दी करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सबसे बड़ी बात विद्यार्थी जो पढ़ने आता है, गांव से निकलकर शहर में पढ़ने आता है, उसको राशन-पानी की जो तकलीफ होती है, उसके लिए राशन कार्ड की एक अभिनव बात माननीय मुख्य मंत्रीजी के दिमाग में आई और उसको उन्होंने लागू किया। अनुसूचित जाति के लिए स्वालम्बन योजना, उसमें 5 हजार परिवारों को लाभान्वित करना। बुनकरों के लिए बहुत बातें पहले से बजट भाषणों में हुई होगी, पहले की योजनाओं में हुई होंगी, पर पहली बार एक नयी सोच सामने आयी-त्रिपक्षीय अनुबन्ध। बुनकर संघ, बुनकर सहकारी समिति और आर.एफ.सी तीनों का टाई-अप हो, तीनों मिलकर योजना बनाएं, तीनों मिलकर वित्तीय साधन उपलब्ध कराएं और तीनों मिलकर उनकी मार्केटिंग की भी चिन्ता करें और उस प्रोडक्ट को बाजार तक पहुंचाने की चिन्ता करें, इस प्रकार से यह अभिनव सोच इसमें आई है। जब मैं निवेदन करता हूं सर्वांगीण विकास, तो हर विभाग, राजस्थान सरकार के जितने विभाग हैं उसका इसमें कुछ न कुछ दिया है और बड़ी आधुनिक सोच के साथ दिया है, नवीन सोच के साथ दिया है।

खेलों के बारे में मैं कहना चाहूंगा, मेरा प्रिय विषय है खेलकूद। गत वर्ष इन लोगों ने 1.62 करोड़ खर्च किया था, इस बार 7.69 करोड़ है। सात गुना बढ़ा दिया, इतनी चिन्ता की गई है खेलों की, खेलों के आधुनीकरण की जो विश्व स्तर के खेल हैं उन सब खेलों की नवीनतम, आधुनिक सुविधाओं जैसे "एस्ट्रो टर्फ" तक हम जाने की बात कर रहे हैं, तो साथ ही साथ परम्परागत खेलों को भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम आधुनिक भी होना चाहते हैं, लेकिन हमारी परम्परा से भी जुड़े रहना चाहते हैं।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

आयुर्वेद के बारे में इसमें बहुत चिन्ता की गई है। इसमें नयी बात सामने आई-आयुर्वेद फार्मेसी पर डिप्लोमा, हर्बल फार्मिंग पर डिप्लोमा और पंचकर्म पर डिप्लोमा। इस विभाग का मैं मंत्री रहा हूं और इसीलिए मैं जानता हूं कि इन तीनों चीजों की बड़ी सख्त जरूरत थी राजस्थान में और ये तीनों चीजें हुई हैं, लागू करने जा रहे हैं। इसके साथ-साथ हर्बल गार्डनिंग, हर्बल पैदा करने का रास्ता खोला है। हम किसानों को प्रेरित करें। फिर एक नयी बात जो उस समय मैंने सोची थी लेकिन अब तक लागू नहीं हो पाई थी कि चारों पद्धतियां-एलोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी और आयुर्वेद के डाक्टर एक छत के नीचे, एक हास्पिटल में एक साथ अलग-अलग कमरों में बैठें। गुजरात में यह व्यवस्था लागू है और बहुत सफलतापूर्वक लागू है, राजस्थान में लागू होनी चाहिए। बहुत समय से चर्चा थी, लेकिन यहां नहीं हो पा रही थी। इसमें एक कमी की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरे समय में एक व्यवस्था लागू हुई थी कि आयुर्वेद के जितने हास्पिटल खोले जाएंगे उनमें से 25 प्रतिशत चिकित्सालय होम्पोपैथी के खोले जाएंगे, यह तय किया था। इस बार मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने यूनानी का तो हास्पिटल खोलने का प्रावधान किया। 10 चिकित्सालय एक साथ कभी नहीं खुले। यूनानी का हास्पिटल या तो लास्ट खुला था 1978 में या फिर 1990-91 में मेरे हाथ में, बीच में नहीं खुले थे। इन दो सालों में खुलने लगे। इस बार 10 हास्पिटल दिये, बहुत अच्छी बात है, लेकिन होम्योपैथी को बिलकुल इस बार वंचित कर दिया है। इन 75 में से 25 प्रतिशत हास्पिटल होम्योपैथी के भी खुलने चाहिए, यह मैं ध्यान में लाना चाहता हूं सरकार के। कृषि के क्षेत्र में जो बातें की हैं...

श्री सभापति : माननीय हरीशजी कुमावत। अब आप कनक्लूड करें. प्लीज।

श्री जोगेश्वर गर्ग : एक मिनट। निर्यातोन्मुखी फसलों को जो प्रमोट करने की बात की है उसमें धनिया, जीरा, ग्वारगम को तो ले लिया, लेकिन ईसबगोल भी बहुत निर्यात होती है, पश्चिमी राजस्थान में बहुत पैदा होती है। टमाटर बहुत पैदा होता है हमारे जालौर जिले में, सिरोही जिले में। वे निर्यात हो रहे हैं, उनको सरकारी संरक्षण की आवश्यकता है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए था। फसल बीमा जब किया है, बहुत सारी देशी फसलों पर लागू किया वह भी आधा-अधूरा। आखिर में जाकर चुनाव सर पर आने के बाद इस बार 14 फसलों की चिन्ता की गई है, लेकिन इसमें दो फसलें नहीं ली हैं-जीरा और ईसबगोल। माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं, आप मारवाड़ क्षेत्र से आते हैं, एक मारवाड़ी लोक गीत है-ओ जीरो जीव रो बैरी. मत बावे म्हारा परण्या जीरो। क्यों कहा यह? क्योंकि जीरे की फसल उगाना अपने आप में सबसे अधिक जोखिम भरा काम है। जीरा किसी भी वक्त खराब हो सकता है-उगते समय

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

खराब हो सकता है, पनपते समय खराब हो सकता है, कटते समय खराब हो सकता है और कटने के बाद खलिहान में आने के बाद भी खराब हो सकता है। उस जीरे को फसल बीमा की बहुत आवश्यकता है। ईसबगोल भी इतना ही नाजुक है। इन दोनों को फसल बीमा की योजना में इनक्लूड करना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : ठीक है। हरीशजी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अन्तिम निवेदन यह करना चाहता हूं कि जालौर जिला... (व्यवधान) अन्तिम निवेदन।

सभापति महोदय, ग्रेनाइट की दृष्टि से बहुत समृद्ध है जालौर जिला। ग्रेनाइट की खानें बहुत हैं वहां पर, ग्रेनाइट की फैक्ट्रियां बहुत हैं वहां पर। बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है वहां से। 25-30 करोड़ का एक्सपोर्ट आज की तारीख में हो रहा है। यदि उसको ठीक तरीके से हम योजनापूर्वक संबल प्रदान करें तो ढाई करोड़ तक का एक्सपोर्ट हो सकता है, ढाई सौ करोड़ की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा राजस्थान में आ सकती है। इसके लिए मैं विशेष तौर पर निवेदन करूंगा आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय से जो हमारे वित्त मंत्री भी हैं, कि वह ग्रेनाइट का एक ऐसा प्रोजेक्ट वहां पर लाएं. जिससे जैसे किशनगढ़ में आज मार्बल की मण्डी खड़ी हुई है ठीक वैसे ही ग्रेनाइट की मण्डी जालौर में विकसित हो सके। उस दृष्टि से मैं मांग करते हुए एक बार फिर इस अदभुत ऐतिहासिक बजट का समर्थन करता हूं और साधुवाद देता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी को इतना अच्छा बजट पेश करने के लिए धन्यवाद। आपने समय दिया उसके लिए मेहरबानी।

श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां) : माननीय सभापति महोदय. राजस्थान सरकार का परिवर्तित बजट वर्ष 2004-05 राजस्थान की मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजेजी ने रखा। 12 जुलाई को जब बजट सदन में रखा जा रहा था. सभी मेजें थपथपाई जा रही थीं तथा प्रतिपक्ष भी इस बजट को सुनकर आश्चर्यचकित था। उनके सामने आलोचना करने का कोई सवाल पैदा नहीं था, मुद्दा नहीं था जिसका विरोध किया जा सकता था। मीडिया, समाचार पत्रों ने और सब लोगों ने इसकी सराहना की थी। अखबारों में इस प्रकार की बातें आईं जिसके कारण से पूरे राजस्थान ने उनको धन्यवाद दिया था, राजस्थान ने इस बजट को सराहा था। इस प्रकार का बजट पहली बार महिला मुख्य मंत्री ने रखा, जिसकी सब लोगों ने सराहना की. मैं स्वयं उसका समर्थन करता हूं। यह समझता हूं कि भाजपा ने चुनाव के समय में जो घोषणा पत्र जारी किया था. उस घोषणा पत्र में जो-जो बातें कही थीं और उनकी पूर्ति के लिए जिस प्रकार का उन्होंने संकल्प लिया था। उसके अनुरूप ही यह बजट रखा है और उसको पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ाये जा रहे हैं।

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का अभिवादन करता हूं तथा प्रशंसा भी करता हूं कि इस प्रकार का उन्होंने बजट रखा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने छह बातों को चुना-दरिद्रता, कुपोषण तथा भूख से मुक्ति, अशक्त और महिलाओं को संबल, मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि, रोजगार सृजन तथा प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पदा का संरक्षण, अच्छा शासन एवं अच्छा सुधार और आर्थिक आधारभूत सुविधाओं का विकास, इन पर आधारभूत बजट जो निश्चित किया गया है इससे राजस्थान की निश्चित प्रगति होगी। कांग्रेस के शासन में भी बजट रखे जाते थे, कई बातें कही जाती थीं, लेकिन कांग्रेस का शासन जिस प्रकार से पक्षपात करता था, जिस प्रकार छोटी-छोटी बातों पर उनका ओछा मन था, उसके कारण से कई काम इस प्रकार के किये गये जिनसे उनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। जो माननीय सदस्य पिछली बार सदन के सदस्य रहे हैं उनको मालूम है कि गौशाला के लिए मारोठ में भूमि के आबंटन का मामला था, वह तुरन्त आबंटित की जा सकती थी, गायों का मामला था, परन्तु उन्होंने उस भूमि का आबंटन नहीं किया। मुझे भी उपवास करना पड़ा, सारा सदन उद्वेलित था, तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी आश्वासन दिया था कि भूमि का आबंटन किया जाएगा, लेकिन राजस्व मंत्रीजी ने उस समय इतना ओछापन किया कि वह गौशाला के लिए भूमि का आबंटन नहीं किया। परिणामस्वरूप उन गायों की दुर्शीष लगी, आज वह सदन में नहीं आ सकीं। इस प्रकार के काम कांग्रेस करती थी। आज मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कोई काम नहीं करने जा रही है जिससे कोई व्यक्तिः दुःखी हो। आज सब लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार सब लोगों के साथ इस प्रकार की रचना की कि सब लोग इसमें सुखी हैं और वे चाहते हैं कि हम सब मिलकर यहां का विकास करें। यहां पानी की बात आई तो सब लोगों ने उसके लिए यहां पर प्रस्ताव पास किया और उस पानी के मुद्दे पर सारा प्रदेश, सारे लोग एक हैं। इस प्रकार के जो कारण हैं, इस प्रकार करके सब को साथ लेकर चलें तो इसके कारण से राजस्थान का विकास होगा।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में कई जिलों को शामिल किया गया है लेकिन राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इसमें नागौर की तरफ गौर नहीं किया गया है। नागौर जिला भी काफी बड़ा जिला है लेकिन बड़ा जिला होने के बावजूद इसमें सुविधाओं की कमी है। आज नागौर जिले में कृषि का क्षेत्र बना हुआ है, खनिज सम्पदा है, कितनी सारी रायल्टी नागौर जिला पे करता है, उसके बावजूद भी वहां पर पानी की कमी है। उसकी ओर कोई गौर नहीं किया। इन्दिरा गांधी नहर का पानी राजस्थान में आया, नागौर राजस्थान में है, नागौर जिले में भी आए और उस पानी से उन लोगों को भी लाभ हो, उसके लिए सोच नहीं किया गया। यदि सोच किया

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

जाता तो बहुत उत्तम होता। आज बीसलपुर का पानी जयपुर के लिए लाने का सोचा जा रहा है, परन्तु हमारा क्षेत्र नावां है वहां पर नमक की झील है, नमक का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, वहां पर जो पानी की कमी है उस पानी की कमी पूर्ति के लिए बीसलपुर का पानी सैकण्ड फेज में लाने के लिए प्रस्तावित था, 89 गांवों को पानी देने की योजना थी उसको नजरअन्दाज किया गया है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बीसलपुर का पानी जब दूदू तक जा रहा है तो वहां पर पाइप लाइन इस प्रकार की डाली जाए कि उससे आगे सांभर होकर वह पानी नावां क्षेत्र में भी पहुंचे। उसके लिए इसमें कोई प्रावधान या जिक्र नहीं किया गया। यदि वह जिक्र किया जाता तो उस जनता को भी इसका लाभ मिलता। क्योंकि वहां जमीन में खारा पानी है और खारा पानी पीने योग्य है नहीं। जमीन में जब पानी है नहीं, तो बाहर से पानी आएगा तभी वहां पर काम चल सकता है। इसलिए न इन्दिरा गांधी नहर के पानी का सोच किया गया है, न बीसलपुर के पानी का सोच किया गया, इसलिए इस ओर ध्यान मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और सरकार का दिलाना चाहता हूं कि वह सोच भी उसमें लाए ताकि वहां पर पानी का इंतजाम हो।

इसके साथ, हमारे नावां में मुख्यालय है एस.डी.एम. का, वह नमक उद्योग का बड़ा केन्द्र है, लाखों मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर 115 वर्ष से जो अस्पताल है वह केवल एक डिस्पेंसरी के रूप में है। उस अस्पताल की हालत इस प्रकार की है कि वहां पर पूरे डाक्टर नहीं है। तो वह भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत हो। इस ओर भी मैंने बार-बार निवेदन किया है कि जब कि छोटी छोटी जगह पर, हर विधान सभा क्षेत्र में 2-2, 3-3 सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र हैं, लेकिन नावां विधान सभा क्षेत्र में केवल मात्र कुचामन में है। वहां पर भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, इस प्रकार का प्रावधान इस बजट में किया जाना चाहिए, वहां पर खोलना चाहिए। मैंने जब निवेदन किया था तब मुझे यह आश्वासन भी दिया गया था कि वहां पर निश्चित रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाएगा, इस प्रकार का मेरे पास पत्र भी आया लेकिन बजट को देखकर मुझे ऐसा लगा कि इसमें यह सम्मिलित नहीं किया गया है इसलिए उसको सम्मिलित किया जाए।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर जिला बड़ा जिला है और बड़ा जिला होने के कारण वहां पर शिक्षा की व्यवस्था के लिए 12 जोन बनाये गये हैं। 12 जोन की व्यवस्था के लिए दो शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हैं एक प्रथम और दूसरा द्वितीय। ये दोनों ही नागौर में हैं जबकि वहां 6 जोन नावां, कुचामन, परबतसर, मकराना, डीडवाना, लाडनूं के हैं जिनका क्षेत्र इस तरफ है, हमको अनावश्यक रूप से

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)
वहां नागौर जाना पड़ता है, टी.ए., डी.ए. का खर्च व्यर्थ होता है। वहां पर किराये की बिल्डिंग लेनी पड़ती है, कार्यालय वहां स्थापित है, जबकि कुचामन में डाइट बनी हुई है, वहां पर दो-दो हास्टल हैं, वहां पर किराया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और कार्य क्षेत्र भी इस तरफ है। वहां के लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं हो तो वह कार्यालय भी कुचामन में स्थानान्तरित होना चाहिए। इसके लिए भी हमने बार-बार निवेदन किया लेकिन इस तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया।

इसी तरह से सब डिपो की बात चलती है, सब डिपो कुचामन में चलने का प्रस्ताव हुआ। वहां पर जमीन देने के लिए दानदाता तैयार हैं, दानदाता 25 लाख रुपये तक की राशि खर्च करने को तैयार हैं। वहां पर सब डिपो का प्रस्ताव प्रारम्भ हो गया, इस प्रकार की व्यवस्था होने लगी, पर उसी के बाद, माननीय मंत्री महोदय यहां उपस्थित नहीं हैं, उनका कार्यक्षेत्र वैसे तो पूरा राजस्थान है, राजस्थान के मंत्री हैं, परन्तु डीडवाना से वो विधायक चुने गये हैं इसलिए उनका मोह डीडवाना में फंस गया तो वे चाहते हैं कि डीडवाना में वह सब डिपो खुले। मैं सदन के अन्दर सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि सब डिपो वास्तव में कुचामन में खुलना चाहिए। वहां पर जब दानदाता उपलब्ध है, वहां पर भूमि उपलब्ध है तो फिर डीडवाना में खोलने का कोई औचित्य नहीं रहता है। वहां पर आवागमन के साधन भी अधिक हैं इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए।

इसी प्रकार से पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों का जो शहरी हिस्सा है, जो आबादी का हिस्सा है वहां पर इतनी टूट-फूट है, वहां पर इतने खड्डे हैं और बारिश के दिनों में इतना पानी भर जाता है कि आने जाने का कोई रास्ता उधर से नहीं रहता। ग्राम चितावा, कूकनवाली, पांचवा और कुचामन ऐसे हैं जहां पर हमने बार-बार निवेदन किया कि उन रास्तों को सुधारा जाए। डामर की सड़क पानी के कारण ठहरती नहीं है, और अपने घोषणा पत्र में प्रावधान भी किया हुआ है कि ऐसे जो पोर्शन हैं शहरी क्षेत्र के, वहां पर सीमेंट की सड़क बनाई जाएगी। अभी तक सीमेंट की सड़क बनाने का काम चालू नहीं हुआ, इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो मैं इसके जरिये यह भी आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां पर भी इस प्रकार का काम किया जाए, सीमेंट की सड़कें बनें ताकि वहां का विकास हो और आवागमन में दुविधा नहीं हो।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री हरीश चन्द्र कुमावत : मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने सबको छुआ है, लेकिन साथ-साथ महापुरूषों को भी भुलाया नहीं है। महापुरूषों के नाम से, महापुरूषों के योगदान से इस प्रकार के सेवाभावी काम प्रारम्भ करने का भी

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

लिखा गया है, मैं इसके लिए प्रशंसा करता हूं। गुरू गोलबलकर के नाम से जन भागीदारी विकास योजना प्रारम्भ की गयी है, यदि वह योजना संचालित रही तो उसका लाभ पूरे क्षेत्र में मिलेगा। गुरू गोलबलकर ने जिस प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण किया है, जिस प्रकार के सेवाभावी लोगों का निर्माण किया है उस टीम के साथ से यह योजना सफल होगी। इसी के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने सब लोगों को जोड़कर राजस्थान का सर्वांगीण विकास करने के लिए जिस प्रकार का बजट रखा है और उस बजट में जो-जो काम करने जा रहे हैं उसके साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र नागौर जिला क्षेत्र में जो बातें मैंने उल्लेखित की हैं उनका भी ध्यान रखें और उनको भी सिम्मलित किया जाए। इसी के साथ धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री रणवीर सिंह गुढ़ा।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, बजट के ऊपर 3-4 दिन से सभी सम्माननीय सदस्यों का वाद-विवाद सुनकर और सबको देखकर मैं अब यही कहना चाहूंगा कि यह सदन राजस्थान को क्या मैसेज देना चाहता है। यहां पर चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, इन सदस्यों का आचरण अगर कोई यहां देखकर जाए. ये जो मुंह से शब्द बोलते हैं उन शब्दों के ऊपर ये एक प्रतिशत भी अमल नहीं करते. तो ये हमारे राजस्थान की जनता को क्या मैसेज देंगे?

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहूंगा कि शायद मुख्य मंत्री महोदया से या तो कोई चूक हो गई है कि इन्होंने चुनावी एजेंडे में राजस्थान की जनता से राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात कही तो थी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से, सदन की तरफ से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र को क्यों नहीं भेजा।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब तक आप लोग भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश नहीं लगाओगे, इस सारे के सारे बजट को तो 2-4 भ्रष्टाचारी लोग ही खाकर खतम कर देंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों के ऊपर, चाहे वो प्रशासन के हों, चाहे वो राजनीतिक के अन्दर हों, भ्रष्टाचार का मामला चल रहा हो तो वो सीट के ऊपर क्यों बैठे हैं? उनको सस्पैण्ड करना तो दूर की बात है, उनका ट्रांसफर भी क्यों नहीं किया गया, चाहे वह कर विभाग के अन्दर है, चाहे वो पुलिस विभाग के अन्दर है? इसलिए मैं आपके माध्यम से इस ओर निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री रणवीर सिंह गुढ़ा)

सभापति महोदय, मुझे अफसोस हो रहा है कि भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के खिलाफ बात करने वाले थानों के अन्दर कम्प्यूटर की बात करने वाले हैं, कि कम्प्यूटर के माध्यम से एफ.आई.आर. लाज करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के सामने मुख्य मंत्री को वह भी बात याद दिलाना चाहता हूं कि ये सारी बातें बजट से जुड़ी हुई हैं, अपराधीकरण को रोकने से जुड़ी हुई है। उन्होंने राजपूत समाज को आरक्षण देने की बात की थी और उस वक्त दिल्ली में भी बी.जे.पी. का राज था, हमने यहां पर मांग की थी कि राजपूतों को आरक्षण दो, आप समाज के सामने जबान देकर आये हो। लेकिन वह राज अब नहीं रहा, मुख्य मंत्री के वश की बात नहीं रही, समाज में उसको जवाब देना है, समाज देखेगा। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि 1980 में दिलीप सिंह हत्याकांड हुआ था, उस युवा दिलीप सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई थी। माननीय सभापति महोदय, +++ पत्नी वसुंधरा राजे सिंधिया के मंत्रिमण्डल में मंत्री और राज्य मंत्री बनकर बैठी हो, राजस्थान का राजपूत समाज इस बात को किसी भी कीमत के ऊपर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए...

एक माननीय सदस्य : सीधा-सीधा आरोप है।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : ...मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से यह कहना चाहता हूं, गृह मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो हिन्दुस्तान के अन्दर दागी मंत्रियों के खिलाफ आपके लोग पार्लियामेंट से वाक-आउट करते हैं, दूसरी तरफ +++ बीबी को मंत्रीमण्डल में स्थान देकर राजस्थान...

एक माननीय सदस्य : आपके पास कोई तथ्य हैं क्या? (व्यवधान) आपके पास कोई तथ्य है क्या? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : सभापति महोदय, यह सदन की मर्यादा को गिरा रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन्होंने किस नियम के अन्तर्गत यह बात उठाई है? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा : यह अच्छी परम्परा नहीं है, इसको एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान) इसको एक्सपंज किया जाए, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : राजस्थान की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : सभापति महोदय, इसको निकाला जाना चाहिए। इसको एक्सपंज कर दीजिये। (व्यवधान) आरोप को कार्यवाही से निकाल दीजिए।

श्री सभापति : +++ को निकाल दें। एक्सपंज कर दिया बस। (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, यह कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए।

श्री सभापति : गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य, अब बजट पर चर्चा में भाग लें। बिना माननीय सदस्य को कोई नोटिस दिये इस प्रकार की बात नहीं कह सकते सदन में।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : इस प्रकार की बात, माननीय सभापति महोदय. जो घटना हुई थी, जो निर्मम घटना हुई थी और किसी भी अपराधी का कोई समाज नहीं होता है, हम किसी समाज की बात...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, इस तरह के अनर्गल आरोप, बिना तथ्य के आरोप यदि सदन में लगाये जाते हैं तो यह ठीक नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : माननीय सभापति महोदय. उस समय लाखों राजपूत सड़क पर आ गये थे और राजपूतों ने यहां पर आंदोलन किया था। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

(14.00 बजे)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : माननीय भैरोंसिंहजी के आश्वासन के बाद. माननीय भैरोंसिंहजी के यह विश्वास दिलाने के बाद कि उस हत्यारे को किसी भी कीमत पर बक्शा नहीं जाएगा, तब जाकर राजस्थान का राजपूत समाज शांत हुआ था। वे घाव अभी तक ठंडे भी नहीं हुए थे, लेकिन माननीय वसुन्धरा राजेजी सिंधिया ने इस प्रकार के +++ पत्नी को इस सदन में मंत्रिमण्डल में स्थान देकर मंत्री बनाया है...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय सभापति महोदय. बार-बार इस बात को उठा रहे हैं. यह बार-बार एक बात को कहना ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दबे : माननीय सदस्य को सदन की गरिमा को गिराने का कोई अधिकार नहीं है, इनके खिलाफ कार्यवाही कीजिये। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को रोकिये। यह बार-बार गलत बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा :...चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपको सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है। माननीय सदस्यगण, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा : उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। (व्यवधान) माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, वह गलत है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य के द्वारा जो शब्द बोले गये हैं, उनको एक्सपंज करता हूं मैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा : न्यायालय द्वारा कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। (व्यवधान) न्यायालय द्वारा कोई आरोप साबित नहीं हुआ है और ये अनर्गल आरोप लगाये जा रहे हैं, ये आरोप निराधार हैं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : इस आरोप को सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण. आसन पैरों पर है, आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : इसके बावजूद इन्होंने बोला कि नियमों में रहें। आपने मुझे इजाजत दी. तब मैं बोल रहा हूं, तो बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : गुढ़ा से आंने वाले माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि आप बजट की चर्चा में भाग लें।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : मैं बजट पर ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति : आप बजट पर बोलिये, बजट पर।

श्री लक्ष्मीनारायण दबे : राजस्थान की इस सर्वोच्च पंचायत में अगर आप गलत बात और गलत फैक्ट्स रखेंगे तो उसको रोकने का अधिकार माननीय सभापतिजी को होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिना नोटिस दिये किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाएं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप कृपया बजट पर बोलें और इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करें जिससे हाउस का ऐसा वातावरण बने। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : अब मैं बजट पर बात बोल रहा हूं। (व्यवधान) अपराधीकरण को रोकने का दायित्व सरकार का है।

श्री बंशीलाल खटीक : सभापति महोदय, अन्याय सहकर चुप रहना भी दुष्कर्म है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये, बैठिये। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, आप कृपया बिराजिये।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : +++ आनी चाहिए, सभापति महोदय, +++ (व्यवधान) हम बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस प्रकार के +++। (व्यवधान) +++ तो इस बात की क्या गारन्टी है? इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान बजट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, अनावश्यक बातें कहना, किसी के खिलाफ कोई इस प्रकार की बात कहना, यह सदन की परम्पराओं के विरूद्ध है और संसदीय आचरण के विरूद्ध है। आसन इसकी व्यवस्था करे। (व्यवधान) नहीं, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री सभापति : वह मैंने एक्सपंज करवा दिये हैं।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : मैं जब बोल रहा हूं तो आप बीच में बोल रहे हैं, तो बीच में बोलना भी नियमों के विरूद्ध है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न. औचित्य का प्रश्न बता रहा हूं।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : आपको भी नियमों में ही रहना पड़ेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइंट आफ आर्डर. पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति : आप बिराजिये. बिराजिये एक मिनट। माननीय सदस्य, पाइंट आफ आर्डर है।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : मैं बजट पर ही आ रहा हूं। मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। जब मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बात पूरी करने दें मुझे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये, बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, ये प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम हैं, उनके 11वें संस्करण में...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : आपने आज तक जिस किसी को अवसर दिया है, वह अपनी बात को पूरा बोले हैं। जब मैं आपको कह रहा हूं तो मुझे पूरी बात तो बोलने दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...नियमों से ऐसी व्यवस्था है...

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मैं सदन की ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदस्यों द्वारा पालनीय नियम। सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि किसी सदस्य को भाषण करते समय उसमें अव्यवस्थित बात, शोर या किसी अन्य अव्यवस्थित तरीके से बाधा नहीं डालेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह सदन में बोले, किसी प्रकार का चीत्कार नहीं करेगा, बाधा नहीं डालेगा, सदन में कोई इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करेगा और वह अपनी...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, सभापति महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आपको व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : मैं मेरी बात को पूरी कर रहा हूं दो मिनट के अन्दर, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : ये सारे काम आप करते हैं। ये जितने काम हुए हैं, सभापति महोदय, वे सब आपके द्वारा किये हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, आसन पैरों पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी आपने जो विचार प्रकट किया है, वाद-विवाद में वह कोई राजद्रोहात्मक, अभिद्रोहात्मक एवं मानहानिकारक शब्द नहीं कहेगा, अपने भविष्य के अधिकार का उपयोग सदन के कार्य में बाधा डालने के प्रयोग के लिए नहीं करेगा...

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : आपने समय दिया है, सभापति महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अपना भाषण मूल प्रस्ताव के माध्यम से छोड़कर आक्षेप नहीं करेगा। यह मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट पर वाद-विवाद है। कोई भी भ्रष्ट आचरण है, कोई गलत बात हो तो मुख्य मंत्रीजी को क्या अधिकार नहीं है, क्या नहीं है, कोई भ्रष्टाचार के आरोप हों, किसी के ऊपर लगाएं तो इस पर कोई मना नहीं करना चाहिए सदस्य के अधिकार को रोकना भी नहीं चाहिए।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : माननीय सभापति महोदय, आपकी बात पूरी हो गई हो तो आप बैठ जाओ। जब मैं बोल रहा हूं तो आप क्यों बीच में बोल रहे हैं?

श्री सभापति : मुख्य सचेतक महोदयजी, मैंने यह व्यवस्था पहले से ही दे दी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन वे लगातार बोले जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैंने एक्सपंज करवा दिये हैं।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा :...उसके बारे में बोल रहा हूं। आप बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको तो बहुत अधिकार हैं, सभापति महोदय। यह एक्सपंज ही नहीं हो बल्कि ये सदन का वातावरण बिगाड़ते हैं इस तरह और जो मर्जी आए आप बोल जाओ, यह ठीक नहीं है।

श्री सभापति : मर्जी आए जैसे बोलने के लिए सदन नहीं है। सदन नियमों से, प्रक्रिया से, परम्पराओं से चलता है इसलिए आप, माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : दो मिनट में मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। आपने सबको मौका दिया तो मुझे बोलने दो। आपने सबको समय दिया है तो मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो?

श्री सभापति : मैं आपको समझा रहा हूं कि आप शालीनता से बोलें। आप बजट भाषण पर बोलें। किसी के खिलाफ गलत टिप्पणी करने के लिए यह सदन नहीं है। आपको गलत टिप्पणी करनी है तो आप नोटिस दीजिये पहले।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : माननीय सभापति महोदय, यहां पर +++ बोल रहे हैं, इधर-उधर से +++ बोल रहे हैं, आपको गलत टिप्पणी नहीं है और जब रणवीर सिंह गुढ़ा बोलता है तो वह गलत टिप्पणी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने कहा है कि +++ है, यह गलत है। कोई +++ बोलता है तो आप भी बोलेंगे?

श्री सभापति : माननीय सदस्य. आप स्वयं भाषण में कह रहे हैं, बजट भाषण पर वाद-विवाद चल रहा है तो आप खुद शालीनता से बोलें। आप बजट भाषण पर बोलें। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा : माननीय सभापति महोदय. मैं दो मिनट मांग रहा हूं, दो मिनट में आराम से खतम कर रहा हूं।

दूसरी बात जो भ्रष्टाचार की बात है। यह पशु हटंवाड़ा है. 10 रुपये का एक टिकट. 10,000 पशु आते हैं एक हटवाड़े में, 250 रुपये एक पशु के लिए लिये जा रहे हैं। यानी 20-30 लाख रुपये एक हटवाड़े से अवैध रूप से इकट्ठे किये जा रहे हैं, तो क्या कोई विजिलेंस की व्यवस्था की गई? सारे के सारे, ऊपर से नीचे के लेवल पर, छोटे मोटे अधिकारियों की मिलीभगत से इस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? भिवाड़ी पर ये लोग पांच साल से डटे हुए बैठे हैं। एस.सी.टी.ओ. और सी.टी.ओ. हैं, उनके ऊपर ए.सी.डी. में मामला चल रहा है, उनके ऊपर सी.बी.आई का छापा पड़ गया, उसके बावजूद वे लोग यहां पर रुके हुए हैं। बर्खास्तगी तो दूर की बात है. उनको किसी को भी वहां से स्थानान्तरित नहीं किया गया। गुढा क्षेत्र में एस.एच.ओ. अनुसूचित जनजाति की दो महिलाओं ने बैंक से ने पैसा उठाया था, मैनेजर ने घोटाला कर लिया और उसके बाद में रिपोर्ट हुई तो मैनेजर ने मिलीभगत करके दोनों महिलाओं को डांटा-धमकाया और उसके बावजूद उसके ऊपर कई विभागीय जांच चल रही है, थाने के अन्दर आराम से बैठकर भ्रष्टाचार कर रहा है।

बी.डी.ओ. उदयपुरवाटी के अन्दर. बी.डी.ओ. जिसने आठ लाख रुपये का भ्रष्टाचार किया था, उस समय गहलोतजी मुख्य मंत्री थे, मैंने एजिटेशन किया था. गरीब अनुसूचित जनजाति के लिपिक को बर्खास्त करके उसको जेल में डाल दिया गया। उसी केस में वह कुर्सी पर बैठा हुआ था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को. कि सत्ता में आने के बाद उस बी.डी.ओ. को बर्खास्त कर दिया। लेकिन अनुसूचित जाति के 150 युवा ग्रेजुएट हैं, इन्टरव्यू देने जाते हैं तो उस बी.डी.ओ. ने झूठा मुकदमा लगाया था. उन 150 लोगों की जिन्दगी बर्बाद कर दी। उनकी गलती यह थी कि उन्होंने सच्चाई को सरकार के सामने. प्रशासन के सामने रखने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय. बेरोजगारी भत्ते की बात. चुनावी एजेंडे के अन्दर बात की थी. अखबारों में लिखा है लेकिन बेरोजगारी भत्ते पर बजट में एक नया पैसे का भी प्रावधान क्यों नहीं रखा गया? क्या मुख्य मंत्रीजी इस प्रकार से कोई +++ बोलने

(श्री रणवीर सिंह गुढा)

वाली यूनिवर्सिटी में पढ़कर आई हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकार के भेदभावपूर्ण एजेंडे में कुछ बोलें और कुछ करें...

श्री सभापति : यह +++ शब्द एक्सपंज कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा : एजेंडे में कुछ करो, इन बेरोजगारों के लिए कोई भत्ता देने का प्रावधान इस सरकार के द्वारा क्यों नहीं रखा गया?

इसलिए, सभापति महोदय, मै आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया तो आपके बजट से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए अन्त में इतना ही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए।

श्री सभापति : श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : सभापति महोदय, पिछले तीन दिनों से माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण पर विचार-विमर्श हो रहा है, सदन में चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, यह सही है, अखबारों में लिखा है, बजट अच्छा है। लेकिन सहरिया क्षेत्र से आने वाले भाई हेमराजजी, मुझे उम्मीद है, आप पार्टी में शामिल हुए हो, पर निश्चित रूप से सहरियाओं के साथ अन्याय हुआ है। पिछले 20 सालों से सहरियाओं पर पैसा खर्च होता है, उसको कौन खा गया? किसने गबन कर लिया? जो डीजल पम्प सैट सहरिया की दुकानों से उठा ले जाना बताया गया, वह डीजल पम्प दुकान पर है, सहरिया के घर पर नहीं है। जिस जगह ड्राई जोन घोषित है, शराब की बिक्री नहीं हो सकती, क्या बारां जिले की शराब वहां जाती है या नहीं जाती है? आपने तो विधान सभा में प्रश्न उठाया था, मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरी बात को सुनेंगे और उसके बाद सदन की नेता को बताएंगे। सहरियाओं पर करोड़ों रुपये, अरबों रुपये हमने खर्च किये हैं भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, माननीय सभापति महोदय, अरबों रुपये खर्च होने के बाद सहरिया आज भी मोहताज है। हमने घोषणा की है, इसमें कोई दो-राय नहीं है, राजस्थान की जनता का पैसा गरीबों के पक्ष में लगना चाहिए, सहरियाओं के पक्ष में लगना चाहिए, लेकिन सहरिया तो मुट्ठी भर भी नहीं हैं, न हजारों की संख्या में है। दूसरे आदिवासी भी हैं, हमारे भील भाई भी हैं, आदिवासी समाज के दूसरे लोग भी हैं, फिर भी हम खुश हैं कि दो रुपये किलो का उसको अनाज दिया जाएगा। लेकिन मैं आज दावे से कहना चाहूंगा, सत्ता पक्ष के जो भी यहां सीनियर मैम्बर्स बैठे हैं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी या दूसरे माननीय मंत्रीगण, दो रुपये किलो का अनाज बाजार में बिकेगा और सदन में चर्चा भी नहीं होगी, यह मैं आपसे पहले से

(श्री रामनारायण मीणा)

कहना चाहता हूं। सहरियाओं का विकास हो. लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, डीजल पम्प बेच दिये गये। एक सहरिया के पास डीजल पम्प नहीं है, हजारों की संख्या में डीजल पम्प गये हैं। एक सहरिया के पास जमीन नहीं है जिसमें खेती कर सके वह, पता नहीं कहां चली गई? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय विधायक महोदय...(व्यवधान) आप बाद में बोलना, मैंने आपकी बात सुन ली, आप बोले है। आप दो मिनट बैठिये। मैं सहरियाओं के पक्ष में ही बोल रहा हूं, आप एतराज मत उठाइयेगा। मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन चूंकि आप बोले, ड्राई एरिया होते हुए भी, जांच करा लें. आज की तारीख में. अब किसके मिलने वाले हैं, मैं नहीं कहना चाहता। मैं सदन में इस बात की चर्चा करना नहीं चाहता।

श्री सभापति : बोलने का पांच-पांच मिनट समय दिया गया है, अब आपका भाषण कनक्लूड करें।

श्री रामनारायण मीणा : मैं आगे आपसे बात करना चाहता हूं, सभापति महोदय, औद्योगिक वातावरण जब तक ठीक नहीं होगा राजस्थान का, इसके लिए हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। आज हमारे पास जमीन है लेकिन वह उपलब्ध करा नहीं रहे हैं। उद्योगपतियों को कहते हैं उद्योग लगाइये. वे उद्योग लगाने आते हैं, उनकी फाइल क्लीयर नहीं होती। मैं नहीं कहता कि शासकीय, प्रशासनिक मशीनरी कुछ गड़बड़ करती है, हमारे दफ्तरों में कुछ होता है। हमने एकल विन्डो चालू की, दो विन्डो चालू की, लेकिन जो उद्योगपति विदेश से आता है. दूसरे प्रांत से, जो राजस्थान का गया हुआ है, हमारे एन.आर.आई. आते हैं, वापस चले जाते हैं। एक बात और इस बजट में है. बहुत खुशी की बात है। मैं तो अखबार पढ़ रहा था, आज के अखबार तक में, चार दिन हो गये बजट भाषण को, बहुत कुछ प्रशंसाएं आ रही हैं, हमारे आदमियों ने भी प्रशंसा की है। हमारे साथियों ने भी, आपने भी प्रशंसा की है, लेकिन उद्योग लगेगा कैसे? आपके पास प्रावर है क्या? यह तो सौभाग्य है पिछली सरकार का, कांग्रेस सरकार का, जिसने पावर जनरेशन पर पूरा ध्यान दिया। माननीय सभापति महोदय. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, अभी दो दिन पहले हमारे यहां बिजली संकट हो गया था, बिजली की मांग 820 लाख यूनिट प्रति दिन है, हम बिजली केवल 700 लाख यूनिट दे सकते हैं। कुछ यूनिट्स रखरखाव के कारण बन्द कर देनी पड़ीं हमें बाहर से बोरो करना पड़ा, ज्यादा पैसा देना पड़ा. यानि. आखिर जब हमारे पास पावर नहीं है तो पावर जनरेट कैसे होगा? प्राइवेट सैक्टर पावर जनरेट कर रहा है। कोई भी बड़ा उद्योग अपने पावर के आधार पर आएगा. आपके आधार पर नहीं आएगा।

(श्री रामनारायण मीणा)

निगम के अधिकारियों की आदत आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपके भाई हैं या हमारे भाई हैं, नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन जो पावर जनरेट करते हैं उनके ऊपर पच्चीस पैसा प्रति यूनिट लगा दिया। ठीक है, आपने एक तरफ वह लगा दिया, लेकिन आपने दूसरी तरफ क्या किया है? पच्चीस पैसे यूनिट का सरचार्ज लगा दो, टैक्स लगा दो और उसके बाद डबल मार भी कर दो। इण्डस्ट्रियल फ्यूल पर आपने तीन प्रतिशतं सरचार्ज, किसी भी सरकार ने, वह आपकी रही हो, हमारी रही हो, तीन प्रतिशत सरचार्ज, जो बिलकुल निल था, आपने तीन प्रतिशत सरचार्ज लगा दिया। जो एक्जिस्टिंग यूनिट हैं कैप्टिव पावर की, क्या वे चल पाएंगी? इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, कि इण्डस्ट्रियल आबोहबा जब तक नहीं बनाई जाएगी, इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जाएगा, तब तक कोई उद्योग लगेगा नहीं। उद्योग लगेगा, सबसे पहले उसको जमीन चाहिए, दफ्तरी अफसरशाही से उसको निजात चाहिए और उसको पावर चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बात यही नहीं है, इसके आगे भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। अभी एक चर्चा हो रही थी, को-आपरेटिव के अधिकारियों को लगा दिया, हटा दिया, तीसरे दिन लगा दिया। कोई बात नहीं, आपका अधिकार है। लेकिन आप यह कहो कि हमने यह कर दिया इसलिए शासन में आये हैं, इस गलतफहमी में हम भी थे। जिनके नाम पर आपको वोट मिले हैं, दिल्ली से जो नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं सुन रहा हूं। एक ही एक व्यक्ति का नाम सुन रहा हूं, मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूं। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि इसका हिसाब तो जनता पांच साल बाद करेगी जब चुनाव होंगे, इसलिए आप खुश मत होइये। मैं अखबार में पढ़ रहा था आज के दिन, हसनावर में एक जाति विशेष के लोगों ने शिड्यूल कास्ट के, मेघवाल के लड़के को मार दिया। इसलिए मार दिया कि जाति विशेष के लोग उसके घर जाकर उसकी बहन के खिलाफ अश्लील हरकतें करते थे, मोटर साइकिल का हार्न बजाया करते थे। खैर, जो भी स्थिति है। माननीय सभापति महोदय, दलित समाज के बारे में, सहरियाओं के बारे में और इसके बारे में, गुजरात का मामला आपके पास है। राज्य का विकास हो, खुशहाली आए, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन उसमें भागीदारी सबकी हो। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप ट्रांसपोर्ट विभाग में चले जाइये, यह जाटवाद की बात नहीं करता, लेकिन ईमानदारी से आपको सोचना पड़ेगा कि राज्य में आप शासन कर रहे हैं। उस राज्य में शासन कर रहे हैं। जिसमें हरिजन से लगाकर बड़े-बड़े लोग भी हैं, अरबपति भी हैं। आपके ट्रांसपोर्ट विभाग में आर.टी. ओज

(श्री रामनारायण मीणा)

थे, क्या आदिवासी, हरिजन की बात छोड़िये. दलित वर्ग का एक भी आदमी आज की तारीख में आर.टी.ओ. है? और किसने हटाये? निश्चित रूप से आपको इतना समय नहीं मिलता होगा। हमें भी आपने मुनीम दे रखे हैं, क्लर्क दे रखे हैं, सारे आर.टी.ओ. हटा दिये आपने दलित वर्ग के। आज दलित वर्ग का एक भी आर.टी.ओ., रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर नहीं है, यह हालत उसमें हुई थी। माननीय मंत्रीजी नहीं हैं, अधिकारियों को हटाया जा रहा है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप तो अधिकारियों के पक्ष की बात करते हैं, काम करने वालों की, आप बोल देना, मेरा टाइम...(व्यवधान) आप चुप रहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : रामनारायणजी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा विभाग तो आप लोगों का है। मेरे डाइरेक्टर, मेरे सचिव, मेरे चार डिप्टी सैक्रेटरी सारे रिजर्व के हैं, तो मैं तो उनमें, रिजर्व में ही शामिल हो गया हूं।

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं। सीकर वालों ने आपको नकार दिया, हमने दिल में स्थान दिया है, आप इसका ध्यान रखियेगा। हमने आपको दिल में स्थान दिया है, आप भी हमारे को दीजियेगा। मैं तो आपसे कह रहा था, बजट आपने दिया, चम्बल कमांड की बात करूं, माननीय सभापति महोदय, हम रावी-ब्यास के जल के लिए लड़ते हैं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अच्छा, मेरे और कोई आना भी नहीं चाहता आपके अलावा, यह भी समस्या है।

श्री रामनारायण मीणा : खैर। मैं चम्बल कमाण्ड की बात ही नहीं कर रहा, रावी-ब्यास के बारे में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, पिछली सरकार में भी कहा जाता था और उसके पहले भी कहा जाता था कि हम लड़ाई लड़ेंगे। पानी वहां से बन्द होगा या नहीं होगा, यह तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा लेकिन राजस्थान का अकेली चम्बल का 6 एम.ए.एफ. से ज्यादा पानी व्यर्थ बहकर जा रहा है। मध्य प्रदेश लिफ्ट योजनाएं बना रहा है, उत्तर प्रदेश उसका उपयोग कर रहा है। और यही नहीं है, आज जिस बनास के पानी को जयपुर लाने की बात कर रहे हैं, जयपुर के माननीय विधायक यहां बैठे हुए हैं, बनास में पानी है कहां? बनास दो-माही नदी है और दो-माही नदी में बरसात नहीं होगी तो जयपुर का कैसे होगा? रामगढ़ बांध में दो दिन का पानी है, ईसरदा बांध की आपने बात नहीं की। और ईसरदा बांध के अलावा, आप किसानों की बहबूदी की बात करते हैं. बनास का पानी किसान को मिलना चाहिए। वह भले ही नैनवां क्षेत्र हो मेरा, बूंदी जिला हो, टोंक का बाकी का हिस्सा हो, सवाईमाधोपुर

(श्री रामनारायण मीणा)

हो, हमें किसानों को पानी देना पड़ेगा क्योंकि पानी है नहीं। आपने पेयजल के लिए शहरों में पैसा रखा, कोई दो राय नहीं है, लेकिन, सभापति महोदय, साढ़े तीन सौ फीट पर हैण्ड पम्प काम नहीं कर रहे। ट्यूबवैल के बिना पानी निकल नहीं रहा, ट्यूबवैल हमारे सूखे हो रहे हैं, आपको आपात योजना बनानी पड़ेगी और आपात योजना का इसमें कहीं वर्णन नहीं है। इस तरह की आपात योजना की अकाल के टाइम पर, और सम्भव है अकाल भी आप की ही देन हो। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता है, माननीय सभापति महोदय, सरकारी खर्चे पर देवी-देवताओं को मनाया, शायद ईश्वर ने यह सोच लिया कि हमसे बड़े हो गये, वाहवाही लूटना चाहते हैं, कृपा करके घोषणा कर दो कि हमने गलती की, माफी मांग लो भगवान से। बरसात कल हो जाएगी, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं, पण्डित नहीं हूं लेकिन वास्तविकता मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं।

श्रीमती सूर्याकान्ता व्यास : सभापति महोदय, बरसात तो ऐसे ही खूब होगी, इनको कहो निश्चित रहें आप। आप चिंता ही मत करो। कांग्रेस और काल के तो राशि मिल रही थी, भारतीय जनता पार्टी की राशि बरसात से मिलती है।

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपका भाई हूं, हम दोनों कांग्रेस में हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा था...

श्री सभापति : माननीय मीणाजी, आपका समय समाप्त हो गया है। माननीय डा. जालिम सिंह। आप कनक्लूड करें।

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपसे अर्ज कर रहा था, आर.ए.एस. अधिकारी हैं, आर.ए.एस. अधिकारियों को आई.ए.एस. में प्रमोट करने की बात है, काम वह करते हैं...

श्री सभापति : आप कनक्लूड करें।

श्री रामनारायण मीणा : मैं बिलकुल कनक्लूड कर रहा हूं। आर.ए.एस. के अधिकारी आई.ए.एस. में प्रमोट पिछले पांच-सात साल से नहीं हो रहे हैं। अध्यापकों के लिए कहते-कहते आपने कह दिया कि हम सैंतीस हजार को ही करेंगे, तीस हजार को चयनित करेंगे, हाई कोर्ट का कोई है। हम कानून बनाएंगे, कानून बना नहीं है। आपका किसान क्रेडिट कार्ड है, गांवों में किसान जाता है, बैंक के अधिकारी नहीं आते, हमारे अधिकारी नहीं आते। किसान क्रेडिट कार्ड में बेइमानी हो रही है, किसान आपसे शिकायत करने की स्थिति में नहीं है। अधिकारियों से शिकायत करते हैं, किसानों का क्रेडिट कार्ड नहीं बन रहा है।

(श्री रामनारायण मीणा)

इसी के साथ आपने सौ दिवसीय कार्य योजना बनायी. 986 गांवों को सौ दिन में सड़क से जोड़न का था। सड़क पहले से बन रही थी कि नहीं बन रही थी. कृपया कार्य योजना म नहीं उलझें। राजस्थान का विकास हो। राजस्थान का विकास तब होगा जब आप इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करेंगे. और इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के लिए किसी भी उद्योगपति को आप ईमानदारी से राजस्थान आने के लिए आमन्त्रित करेंगे। वह परेशान होकर नहीं जाए। बिजली के ऊपर जिस तरह से टैक्स लगाय, उसके ईंधन पर आपने लगाया. किसान के हित की बात आप करेंगे? मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, और सदन भी मेरी बात से सहमत होगा, कि कांग्रेस के शासन में एक आदेश निकाला था कि सूखे कुए पर बिजली का कनेक्शन कट सकेगा। आपने उसको विथड्रा कर लिया। हमारे कुए सूखे हैं, किसान चाहता है 6 महीने बाद बरसात होगी, कुए में पानी आएगा और मैं खेती में पानी लूंगा. लेकिन दुर्भाग्य है कि वो आदेश आपने विथड्रा कर लिया। उस आदेश को दीजियेगा, साल भर बाद भी किसान यदि रीओपन करना चाहता है अपना केस. क्योंकि साढ़े तीन हजार 10 हार्स पावर से कम में आपने आदेश निकाल दिया...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

35 हजार से कम खर्चा आप लोगे नहीं। किसान जिसके पास चार बीघा जमीन है, माननीय सभापति महोदय. आप बात को जानते हैं और मेरी बात से सहमत हैं आप भी, जिसके पास चार बीघा जमीन है, 20 हजार रुपये बीघा उस जमीन की कीमत नहीं है, वह किसान चार बीघा में किस तरह से खेती करेगा? कुआ खोदेगा? जमीन बेच देगा तो कुआ नहीं खोद पाएगा और फिर बिजली का कनेक्शन कैसे लेगा? इन सारी बातों पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर हम सब मिल करके राजस्थान के विकास की गति आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन हम जो कुछ कहते हैं, अभी रणवीर सिंह गुढा ने कहा, ये बातें सदन में करने की होती हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा : मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के विकास की गति में आप एक तरफ नहीं चलेंगे, हमको भी शामिल करेंगे। हम आपस कम नहीं हैं। भाखड़ा-नांगल आपके और हमारे नेता ने बनाया था, राजस्थान कैनाल हो. गंग कैनाल हो. चम्बल की स्टेजेज हों. सबकी सब आपने और हमने मिल करके बनायी थीं।

श्री सभापति : आप कनक्लूड करें अब।

श्री रामनारायण मीणा : आप अपने आपको अलग महसूस नहीं करेंगे. राजस्थान के विकास में गति बढ़ाने के लिए हमें भी शामिल करें। हम निश्चित तौर पर राजस्थान का हित चाहते हैं, आपका हित चाहते हैं, प्रदेश की जनता का हित चाहते हैं। गांव का विकास चाहते हैं, शहर का विकास चाहते हैं। गरीब आगे बढ़े, यह चाहते हैं। आदिवासी-हरिजन की इज्जत चाहते हैं। इसके साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, धन्यवाद।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सदन की नेता और यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजेजी को इस बात के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना शानदार बजट इस सदन में प्रस्तुत किया। आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी भी मुख्य मंत्री या माननीय वित्त मंत्री ने इस तरह का बजट प्रस्तुत नहीं किया। इस बजट में समाज और प्रदेश के सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का पूरा ध्यान रखा गया है। आज सर्वत्र इस बजट की मुक्तकंठ से प्रशंसा हो रही है। सभापति महोदय, साढ़े पांच साल पहले कांग्रेस के लोग भारी भरकम बहुमत के साथ सत्ता में आये थे, सत्ता के नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने न शिक्षा का ध्यान रखा, न चिकित्सा का ध्यान रखा, न पेयजल का ध्यान रखा, न सड़क का ध्यान रखा। उसी का परिणाम है कि इनकी जो संख्या 153 थी, वो घटकर 53 हो गयी है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत बजट में शिक्षा पर विशेष ध्यान रखा गया है। बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक को माध्यमिक में और माध्यमिक को सीनियर माध्यमिक में क्रमोन्नत करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। प्राथमिक शिक्षा का व्यय दुगना किया गया और माध्यमिक शिक्षा का व्यय चार गुना किया गया। मेडिकल यूनिवर्सिटी की पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए मेडिकल विश्वविद्यालय की घोषणा की गयी। बालिकाओं को नि:शुल्क पुस्तकों की व्यवस्था इस बजट के माध्यम से की गयी है। बालक और बालिकाओं दोनों की, सभी वर्गों की, उसमें सवर्ण वर्ग के भी शामिल हैं सबको नि:शुल्क पुस्तकें देने का सराहनीय प्रयास माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी ने किया। सबसे बड़ी बात जो शिक्षा क्षेत्र में की गयी है वो यह है कि पहली कक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को लागू किया गया। मैं गांव से आया हूं और मैं समझता हूं कि गांव के विद्यार्थी इसलिए पिछड़ जाते थे कि उनको कक्षा 6 से अंग्रेजी पढ़नी पड़ती थी। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आज गांव के लोग प्रसन्न हैं क्योंकि उनके बच्चे पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ेंगे और शहर के बच्चों की बराबरी में अपना स्थान कायम करेंगे और

(डा. जालम सिंह रावलोत)

शहर में जो अंग्रेजी स्कूल खुल रहे हैं उन पर भी अंकुश लगेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और चिकित्सा मंत्रीजी ने मरू क्षेत्रों में घोषणा की 462 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की उसी क्रम में राजस्थान के मरुस्थल, सीमावर्ती क्षेत्र के राष्ट्रभक्त लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं वहां राष्ट्रभक्तिः का भाव जाग्रत करने के लिए, राष्ट्रभक्तों की फौज तैयार करने के लिए वहां की विशेष भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हर पंचायत केन्द्र में सैकण्डरी विद्यालय और हर राजस्व ग्राम में उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, तभी उस क्षेत्र में हम निश्चित रूप से राष्ट्रभक्तों की फौज तैयार कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह मरू क्षेत्र में चिकित्सा पर इस सरकार ने ध्यान दिया है, उसी तरह, शिक्षा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी जितनी जल्दी हो सके, शिक्षा क्षेत्र में मरू क्षेत्र में एक विशेष पैकेज की घोषणा करेंगे। आगे आने वाली पीढ़ियां मुख्य मंत्रीजी की देवी के रूप में पूजा करेंगी कि ऐसी भी एक यशस्वी मुख्य मंत्रीजी थी जिन्होंने मरू क्षेत्र को शिक्षित किया।

चिकित्सा के क्षेत्र में मैं बात कर रहा था, मेरा विधान सभा क्षेत्र शिव दो जिलों से मिल कर बना है-लम्बाई तीन सौ किलोमीटर, चौड़ाई तीन सौ किलोमीटर मात्र एक सी.एच.सी. हैडक्वार्टर पर है जिसमें नाममात्र के तीन डाक्टर हैं। उसकी एम्बुलेंस कहीं बाड़मेर थी, उसकी ईसी.जी. की मशीन पचपदरा में थी, उसके और उपकरण कहीं और थे। ऐसा कांग्रेस के राज में हुआ। मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक उपखण्ड है फतेहगढ़ उपखण्ड, जैसलमेर जिले का, वहां आर.ए.एस. अधिकारी बैठता है, लेकिन पूरे उपखण्ड में एक पी.एच.सी. और एक डाक्टर, यानी उपखण्ड में सी.एच.सी. तक नहीं है। मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में जिस तरह से स्वास्थ्य उप केन्द्रों की मरू क्षेत्र के लिए घोषणा की है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इसी तरह सी.एच.सी. जो चल रही हैं मरू क्षेत्र में, उनमें विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवाओं की भी मैं सराहना करता हूं। जैसलमेर और बाड़मेर के जिला केन्द्रों के हास्पिटलों की दशा को सुधारने का मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

पेयजल के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि उनकी सरकार इस समस्या के निदान के लिए कृतसंकल्प है। मेरा बाड़मेर जिला, भूगर्भ जलविहीन है, हमारे नेताओं ने इन्दिरा गांधी नहर को बाड़मेर के आधे क्षेत्र में और नर्मदा परियोजना को बाड़मेर के शेष आधे क्षेत्र में पहुंचाने के लिए योजना बनायी थी। मैं दुःख के साथ कहता हूं कि राज दिल्ली में और जयपुर में अधिकांश समय कांग्रेस का रहा लेकिन कांग्रेस ने इन

(डा. जालम सिंह रावलोत)

दोनों परियोजनाओं को बाड़मेर जिले में पहुंचाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जब अपना कार्यभार सम्भाला तो सबसे पहले नर्मदा का जो तीन सौ करोड़ बकाया था, वो चुकता किया और नर्मदा का काम चालू हुआ। इन्दिरा गांधी नहर को संकल्प किया गडरावद एक पहुंचाने का। इसी बीच में जो दिल्ली में अंतरिम बजट भाजपा के माननीय वित्त मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया था उसमें यह प्रावधान था कि केन्द्र और राज्य सरकार मिल कर इन्दिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर को जल्दी पूरा करेंगे, लेकिन दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि फिर इस कांग्रेस का राज दिल्ली में आ गया और अभी जो बजट आया 2004-05 का केन्द्र का, उसमें इन दोनों परियोजनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसके बावजूद भी मैं मुख्य मंत्री के साहस की, मुख्य मंत्रीजी की हिम्मत की प्रशंसा करना चाहूंगा, उन्होंने इस सदन में कहा है कि इन चार सालों में नर्मदा नहर और इन्दिरा गांधी नहर को बाड़मेर जिले में पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरा 13 जुलाई को एक प्रश्न इस सदन में लगा था, उसमें मैंने पूछा था, क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के चार सौ गांवों और बाड़मेर शहर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु बाड़मेर की वाटर सप्लाई परियोजना की वित्तीय स्वीकृति 2002 में 425 करोड़ रुपये जारी हुई थी? उसका जवाब मुझे मिला, हां, यह बात सही है कि यह परियोजना लागू हुई थी, लेकिन इस परियोजना के अन्तर्गत बाड़मेर शहर और मोहनगढ़ में प्रस्तावित हैडवर्क्स के आबंटन में और पाइप लाइन में अब तक दो करोड़ 91 लाख रुपये खर्च हुए। यानी ढाई साल पहले जो सवा चार सौ करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई थी कांग्रेस के राज में, मैं मानता हूं कि कुछ भी नहीं हुआ। यह जो दो करोड़ का खर्चा हुआ यह भी हमारे राज में हुआ। इसी तरह की योजनाएं इनके द्वारा बनायी जाती हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता विराजमान हैं, ढाई साल पहले जो सवा चार सौ करोड़ खर्च होना था उसमें एक पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया। मरू क्षेत्र इनको बिलकुल नहीं बख्शेगा। अभी तीन लाख वोटों से इनको हराया है हमने। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर में जो सफाई कभी हुई नहीं है उस सफाई को पूरा किया जाए ताकि इसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके।

कृषि क्षेत्र के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने बहुत सारे प्रशंसनीय कदमों का उल्लेख किया है। फसल बीमा योजना जो पहले कांग्रेस के जमाने में केवल 6 फसलों पर लागू थी, वो अब 14 फसलों पर कर दी गयी है और उसमें 50% क्षतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जानी है। मैं इसका स्वागत करता हूं। कृषि को निर्यातोन्मुखी बनाने के लिए ग्वार, धनिया और जीरा के निर्यात क्षेत्र हैं उनको विकसित करने का प्रयास करने का

(डा. जालम सिंह रावलोत)

संकल्प लिया गया। कृषक साथी योजना के अन्तर्गत खेती या विपणन कार्य करते समय अगर कृषक की मृत्यु हो जाती है तो पहले प्रावधान 30 हजार का था उसको 50 हजार किया गया है। दो अंगों की क्षति होने पर जो प्रावधान 15 हजार का था उसे 25 हजार किया गया है। यह एक सराहनीय काम है। पशुओं के लिये चारे की समुचित व्यवस्था तथा उनके स्वास्थ्य के बारे में इस बजट में पूरी पूरी व्यवस्था की गई है।

अनुसूचित जाति, जनजाति जिनके नाम से इन्होंने 50 साल राज किया, उनके लिये कुछ भी नहीं किया। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बजट में 100 एस.टी., एस.सी. के छात्रावासों की जो घोषणा की है, जिसमें 2000 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन होगा, उसकी मैं सराहना करता हूं। स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा 5वीं पास एस.सी., एस.टी. के युवाओं को उनका धंधा चालू करने के लिये 5 परसेंट ब्याज अनुदान पर जो लोन दिया जाएगा, उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूं। उसमें 5000 लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। गुरू गोलवलकर जन-भागीदारी विकास योजना-परम पूजनीय गुरू गोलवलकर जो इस देश में एक मात्र महापुरूष हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में 1940 से 1973 तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संचालक के नाते दो बार सड़क और रेल मार्ग के माध्यम से भ्रमण किया है, उनके नाम से योजना शुरू की है, मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। ग्रामीण उत्थान के लिये, ग्रामीण विकास के लिये, रोजगार के लिये, सामाजिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिये जन सहयोग से सामान्य वर्ग के लिये 30 परसेंट और एस.एसी., एस.टी. के लिये 20 परसेंट जन सहयोग प्राप्त किया जाएगा, शेष की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये रामदेवरा, पुष्कर सहित छह केन्द्रों के पुनरूत्थान का जो निर्णय लिया गया है, वह एक सराहनीय कदम है।

भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन रहा है। भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियन्त्रण के लिये हमारी सरकार ने शुरू से मंशा जताई है। हमारे एम.एल.एज. का जो प्रशिक्षण शिविर हुआ था उस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और गृह मंत्रीजी ने हमको संकल्प दिलाया था कि हम 120 और आज 130 हो गये, हम मिलकर इस राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त करायेंगे। इसमें मुख्य सचेतकजी भूमिका को जोरदार बनाने की वकालत की गई, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार का चन्दनमलजी का जो प्रथम बजट था उसमें भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये एक भी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। बड़े शर्म की बात है कि इन्होंने शुरू से ही

(डा. जालम सिंह रावलोत)

भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित किया जिससे इनके तीन-तीन माननीय मंत्रियों को देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने रिश्वत लेते अपनी आंखों से देखा। आपके दो-दो प्रधान मंत्री भ्रष्टाचार के नाम से जाने जाते हैं। बोफोर्स इनकी देन है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहिए, आप चुप रहिए।

श्री रामनारायण मीणा : सभापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। जिस तरह की भाषा यह बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन है, इस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं।

डा. जालम सिंह रावलोत :...बोफोर्स के कारण -आपकी यह स्थिति हुई कि आपको 411 सीट 1984 में मिली थीं, उसके बाद के 6 लोक सभा चुनावों में आपको बहुमत नहीं मिला और इस बार आधे बहुमत से आप राज कर रहे हो-भ्रष्टाचार के नये आयाम करने के लिये। भ्रष्टाचार और कांग्रेस पर्याय हैं। पर्याय हैं और हम इसको मिटाकर रहेंगे, यह हमारी सरकार का संकल्प है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, आज आप जिस ढंग से अलाउ कर रहे हो कल क्या हो गया था आपको? (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत : अथमेला गौशाला के विकास के लिये और उसकी उन्नति के लिये हमारे बजट में प्रावधान किया गया है।

श्री संयम लोढ़ा : यह बजट पर भाषण हो रहा है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप दे रहे थे उससे तो अच्छा दे रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : मैं बोल रहा था, मैं तो राजस्थान सरकार के पैसे पर बोल रहा था, तब क्या व्यवस्था दी थी आपने? (व्यवधान)

श्री सभापति : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको कह रहा हूं, बिराजिए आप।

श्री संयम लोढ़ा : नहीं बैठता। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं बैठते हैं? आसन को चैलेंज कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : सभापति महोदय, आपके हर आदेश की पालना करेंगे लेकिन ऐसे शब्द इस सदन की कार्यवाही से निकाले जाएं।

डा. जालम सिंह रावलोत : कांग्रेस ने पंचायती राज के नाम पर 16 विषयों से जुड़ी हुई गतिविधियों को हस्तान्तरित किया, जिसके कारण ये संस्थाएं पंगु बनकर रह गईं। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह संकल्प भी लिया है कि उनके फंड को इस तरह से हस्तान्तरित किया जाएगा कि ये पंचायती राज संस्थाएं स्वयंसेवी, स्वावलम्बी संस्था के रूप में ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर सकें।

श्री सभापति : आप कनक्लूड करें, आपका समय समाप्त हो गया है। माननीय श्री नन्दलाल बंशीवाल।

डा. जालम सिंह रावलोत : शहीदों के लिये इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। कारगिल की तरह पूर्व के शहीदों के लिये जो नौकरी की व्यवस्था की गई, मैं उसकी सराहना करता हूं। कोई नया कर नहीं लगाया गया है। कांग्रेस के प्रवेश कर और व्यवसाय कर को समाप्त करने का फैसला सराहनीय रहा। हमारी सरकार की नीति यह रही है कि करों का अधिकतम सरलीकरण, न्यूनतम कर ताकि कर चोरी को रोका जा सके और कर राजस्व के माध्यम से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके। प्रवेश कर को समाप्त करने से कृषकों और उद्यमियों को बहुत फायदा होने वाला है। स्टाम्प ड्यूटी कम की गई है और कर की दर को कम करके 5 प्रतिशत किया गया है। पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना इतनी अच्छी है कि इस योजना के माध्यम से धारा 5 की परिभाषा को संशोधित इस रूप में किया गया है कि जो इकाई 10 लाख रुपये की वित्तीय उधार प्राप्त करती है या 10 लाख की भूमि और भवन की व्यवस्था करती है, उसको इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। कांग्रेस के जमाने में केवल बड़े उद्योगों को फायदा दिया जाता था। 50 लाख का प्रावधान था और 25 लाख का प्रावधान था भूमि-भवन के लिये। वह हमारी सरकार के कम करने से उद्योग क्षेत्र में जो सुस्ती का माहौल था, उसको हमने चुस्त किया है। आज नई और लघु औद्योगिक इकाइयां हमारे क्षेत्र में चालू होने वाली हैं और इसके माध्यम से निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र को बढ़ावा मिलने वाला है।

श्री सभापति : धन्यवाद।

डा. जालम सिंह रावलोत : एक मिनट, सभापति महोदय। रूग्ण इकाइयों को जो चालू करने का प्रयास किया गया है, वह सराहनीय कदम है। फसलों के मण्डी शुल्क एवं दलाली की दरों को बेहद कम करके गुजरात के बराबर करने का जो ऐतिहासिक फैसला किया गया है, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। उसका सबसे ज्यादा फायदा मेरे बाड़मेर जिले को हुआ है, आपके पड़ोसी जिले जालौर को हुआ है। पहले ये दरें ज्यादा होने के कारण हमारी फसलें गुजरात की मण्डियों में जाती थीं। दरें कम होने से ये फसलें हमारी मण्डियों में आएंगी। इससे रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। इससे बड़ी बात यह है, हमारे बाड़मेर के किसानों को इस बात के लिये हार्दिक बधाई देना चाहता हूं

(डा. जालम सिंह रावलोत)

कि केवल नलकूप और बरसात पर निर्भर रहकर भी जीरा उत्पादन में आज प्रथम स्थान पर है। आज 11 लाख क्विंटल जीरा होता है उसमें 4 लाख अकेला बाड़मेर जिला पैदा करता है, मैं उनको बधाई देता हूं। और ईसबगोल में भी हमारा जिला प्रथम स्थान पर है। इन सबके कारण व्यापार बढ़ेगा। जालौर के साथ बाड़मेर फर्स्ट है।

अन्त में मेरा निवेदन है कि हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक और शानदार जो काम किया है वह यह है कि अकाल कृषि आधारित उद्योगों के लिये काल न बन जाए, उसके लिये प्रवेश कर को खतम करके जीवन बीमा जैसी एक शानदार औषधि दी है हमारे उद्यमियों को, जिससे निश्चित रूप से अकाल की स्थिति में हमारे उद्यमी अपने व्यापार की बिना किसी आर्थिक क्षति के अन्य राज्यों से कच्चा माल प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह बजट इतना सराहनीय है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस सराहनीय बजट के लिये, इस शानदार बजट के लिये, इस ऐतिहासिक बजट के लिये बधाई देना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह लम्बे समय तक, वर्षों-वर्षों तक इस सदन में इसी रूप में इतना बढ़िया बजट प्रस्तुत करती रहें ताकि हमारा राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वह विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाए-पंजाब की तरह, महाराष्ट्र की तरह, आन्ध्र की तरह। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मरूक्षेत्र का इस बजट में ध्यान रखा गया है, उसी तरह मरूक्षेत्र के उत्थान और विकास के लिये शिक्षा, चिकित्सा और पानी के क्षेत्र में विशेष ध्यान रखा जाए...

श्री सभापति : माननीय बंशीवालजी।

डा. जालम सिंह रावलोत : ताकि हम राष्ट्रभक्त लोगों की फौज बाडर पर तैयार कर सकें। 1965 और 71 के युद्ध में हमारे राजस्थान की सीमा के लोगों ने हमारी सेना का मार्गदर्शन किया था। भीष्म पितामह के शब्दों में हमारे देश की सीमाएं माता के वस्त्र के समान होती हैं, उसका निश्चित रूप से वहां के सीमा क्षेत्र के लोगों ने ध्यान रखा और संकल्प लिया। इसी तरह का ध्यान उस क्षेत्र की सीमावर्ती जनता आपके माध्यम से रखेगी। आपने समय दिया उसके लिये बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने सन् 2004-05 का जो बजट पेश किया है उसकी यह सदन ही नहीं, पूरा प्रदेश भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहा है। मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे दल की नेता और मुख्य मंत्रीजी "क" नम्बर की सीट पर बैठती हैं और प्रतिपक्ष के नेता महोदय "झ" नम्बर की सीट पर बैठते हैं। यानि "क" नम्बर तो काम

(श्री नंदलाल बंशीवाल)

करने वाले और "झ" पर बैठने वाले झगड़ने वाले। यह हमेशा ही झगड़ा करते रहते हैं। मैं पिछले तीन दिन से...(व्यवधान) यह मुझे तय करना है।

श्री सभापति : शांत रहें। आप बोलिए, आपका समय जा रहा है।

श्री नंदलाल बंशीवाल : मैं तीन दिन से यहां सदन में बैठा हुआ माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा हूं, जो प्रतिपक्ष में बैठे हैं इनको आज एस.सी., एस.टी. के प्रति गम्भीर चिंतन हो रहा है और एस.टी., एस.सी. के चिंतन के लिये ये सरकार को घेरने की योजना बना रहे हैं। इस सदन में जब मैं पहले था मैंने एस.सी., एस.टी. के हितों की बात इनके सामने रखी। यह सर्वव्यापी सत्य है कि कांग्रेस के लोग एस.टी., एस.सी. के वोटों से जीतकर आते हैं। (व्यवधान) मैं बजट पर ही बोल रहा हूं, मैं आपकी बात बता रहा हूं, आप कृपा करके मुझे टोकें नहीं। आप बोल रहे थे मैंने आपको नहीं टोका। रामनारायणजी, बहुत अच्छा बोले थे आप, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे से सहयोग करें। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आ गये, माहिरजी भाग गये थे, आ गये मेरी आवाज सुनकर। माहिरजी, आपसे भी कुछ सुनना चाहता हूं।

बड़ी-बड़ी एस.सी., एस.टी. की बातें कर रहे हैं। मै यहां पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने छठा बजट देखा है, मैं दूसरी दफा आया हूं, पिछले 5 बजट भी मैंने देखे हैं बहुत अच्छी तरह से, इनके शासन में एस.सी./एस.टी. के लोगों के लिये किसी भी तरह के कोई प्रावधान और योजनाएं नहीं रखी गयीं। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने 50 सम्बल गांवों में 50 सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 80 लाख रुपये दिये, समाज कल्याण विभाग के लिये 64.89 करोड़ रुपये दिये...(व्यवधान) मैं सबको देख रहा हूं, फिर देखूंगा मैं आपको। (व्यवधान)

श्री सभापति : बार बार, माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान) प्लीज, प्लीज, समय की सीमा है। अभी 4 बजे मुख्य मंत्रीजी को रिप्लाई देना है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : 35 लाख रुपये दिये स्वालम्बन योजना में अनुसूचित जातियों के 95,245 विद्यार्थियों के लिये दिये। सभापति महोदय, ये बड़ी-बड़ी भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, हमारे पिछले माननीय सदस्य बोल रहे थे तब इन्होंने भ्रष्टाचार पर कोई विचार रखे तो इनको +++। अब मैं इनको बताता हूं कि मैंने पिछले सदन में... (व्यवधान) +++ (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, यह बताएं कि +++ हरी थी या लाल? (व्यवधान) यह बताएं कि +++ हरी थी या लाल? (व्यवधान)

श्री सभापति : जैसी आप लाये थे वैसी थी। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : +++ वह समझ लो, चाहे हरी +++ है तो हरी +++ समझ लें, लाल +++ है तो लाल समझ लें। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराज जाएं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : न +++ हरी है, न लाल है, काली है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माहिर साहब को तो साढ़े-पांच किलो सरसों का तेल चाहिए। (व्यवधान) अब सरसों का तेल किसलिये चाहिए, आप जानते हो।

श्री संयम लोढ़ा : वसुन्धराजी के राज में वह काली +++ हो गयी है तो वह भी बताएं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आप बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय. इनके राज के अन्दर, यहां पर एक एडिशनल एस.पी. लग रहा था, उसने मेरे दौसा के अन्दर थानेदार से रिश्वत में मींगणी मांगी। मींगणी, बकरी की मींगणी। मैंने यह बात सदन के अन्दर रखी और मैंने उसके खिलाफ कार्यवाही चाही। उस एडिशनल एस.पी. को मींगणी खाने की रिश्वत के एवज में क्या मिला? दौसा से हटाकर उसको जयपुर शहर में लगा दिया। इन्होंने भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ावा दिया? उसको पारितोषिक तो मिला है, जयपुर उसको लगाने के बाद...(व्यवधान) विधान सभा सचिवालय से मैंने...

श्री सभापति : माननीय सदस्य. आप आसंन से बात करें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय. इन्होंने यह नहीं बताया कि वह मींगणी किसकी थी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : +++

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं, भेड़ की थी, बकरी की थी. किसकी थी?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : +++ उसकी एक जांच विधान सभा सचिवालय से गयी। इनके राज के अन्दर वह मैंने दो साल पहले बात रखी थी, 2 साल तक इनके राज में उस जांच को दबाकर रखा गया। विधान सभा सचिवालय ने पूछा था पुलिस से. आप

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

यह बताइये जांच करके, एम.एल.ए. से, कि वह मींगणी खाने वाला अधिकारी कौन था। सभापति महोदय, मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 साल तक इन्होंने जांच दबा कर रखी और पुलिस वहां पर यह लिखती रही कि एम.एल.ए. मिला नहीं, एम.एल.ए. मिला नहीं। एम.एल.ए. क्या मिलने वाली चीज नहीं है क्या? एम.एल. को कहीं भी कोई भी मिल सकता है। एम.एल.ए. कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको कोई पहचानता नहीं हो। हमारे रोज 20 काम पड़ते हैं, 50 काम पड़ते हैं, पुलिस से काम पड़ते हैं, प्रशासन से काम पड़ते हैं, मगर इन लोगों ने उसको दबा कर रखा और इन्होंने पारितोषिक के रूप में उस एडिशनल एस.पी. को जयपुर के अन्दर लगाया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तुरन्त वहां से हटाया जाए, उसका नाम है रविकान्त मित्तल।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब कहां है?

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण. बैठे-बैठे क्यों बोल रहे हैं बीच में? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माहिर साहब कल बोल रहे थे, हमने आपका चुनाव घोषणा पत्र पढ़ा। आपका चुनाव घोषणा पत्र पढ़ा है उसके अन्दर फोटो लगी थी। फोटो लगी वसुन्धराजी की, अटलजी की और चतुर्वेदीजी की, इनको बहुत बुरा लगा। जब इनका चुनावी घोषणा पत्र आया था तब इन्होंने क्या सोनियाजी की फोटो नहीं लगायी थी उसके अन्दर? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देवी स्वरूप हमारी वसुन्धराजी का लगता है या सोनियाजी का लगता है। ये खुद कहते हैं कि हमारी वसुन्धराजी देवी-स्वरूप लगती हैं उस फोटो के अन्दर। माहिर साहब, आप कल बोल रहे थे, बड़े चिन्तित हो रहे थे, अल्पसंख्यकों के लिये बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। अल्पसंख्यकों ने 18 बच्चे पैदा कर लिये, किसी हमारे माननीय सदस्य ने कह दिया, आपको बड़ी चिढ़ लगी इस बात की कि 18 बच्चे कैसे पैदा कर लिये। मैं इस सदन के माध्यम से यह कार्यवाही चाहता हूं, हम लोगों के जैसे नसबन्दी करायी जाए। इनके नसबन्दी होती नहीं है, 12-12, 18-18 बच्चे ये पैदा कर लें और हमारे 2 या 3 बच्चे हो जाएं उसके बाद हमारे लिये नसबन्दी अनिवार्य हो जाती है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सोहनलालजी बंशीवाल के कितने बच्चे हैं? (व्यवधान) सोहनलालजी बंशीवाल के कितने बच्चे हैं, बताओ आप?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : वह तो सन् 47 की बात है। (व्यवधान) लालू यादव के कितने बच्चे हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : आप बताइये यहां।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : लालू यादव के कितने बच्चे हैं. यह बताइये मेरे को?

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले आप तो अपनी बताइये। खुद के बताओ। (व्यवधान) आप कितने बहन-भाई हो? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : वह तो 47 के पहले की बातें हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब 47 के पहले की बात है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अपने समाज के लोगों के लिये बहुत चिन्तित रहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2003-04 के बजट के अन्दर वक्फ बोर्ड के लिये 50 लाख रुपये आपने स्वीकृत किये थे. वह पैसा कहां गया? आपने दिया क्यों नहीं? आपकी सरकार ने गुमराह किया। आपकी सरकार ने गुमराह किया इसलिये आप 153 की संख्या से 56 पर आकर बैठे हो। मैं उधर निर्दलीय था तब मैं कहता था, अब भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो आपका वह हाल होने वाला है। और अब वह आपका हाल हो गया है। इन्होंने मदरसा बोर्ड भंग कर दिया, इनके कार्यकाल में बड़ी-बड़ी बातें हुई, इन्होंने मदरसा बोर्ड भंग कर दिया और कल माहिर साहब कह रहे थे कि मदरसों के लिये आपकी सरकार ने सिर्फ 2 हजार रुपये दिये हैं। हमने 2 हजार रुपये तो दिये हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय. ये बजट पर बोल रहे हैं कि मेरे पर बोल रहे हैं? आप आसन पर बैठे हैं, आप कुछ तो निर्देश दो इनको।

श्री सभापति : ऐसा है, न तो आपका नाम लिया इन्होंने। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : 4 बार नाम लिया है, रेकार्ड देख लीजिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : हमने 2 हजार रुपये तो दिये मगर आप तो सरकार में थे, भंग करके बैठे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, कल आसन से यह व्यवस्था दी गयी थी कि अगर कोई सदस्य बोल रहे हैं तो उसकी बात को नोट कीजिए, जब आपकी बारी आए तो आप उसकी बात का जवाब दीजिए।

श्री कालूलाल गुर्जर : मदरसों पर बोलना, माहिर साहब पर बोलना कैसे हो गया, मेरी समझ में नहीं आया।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सभापति महोदय. इन्होंने अल्पसंख्यक वित्त आयोग बनाया था. माहिर साहब, आप बहुत चिन्तित रहते हो अल्पसंख्यकों के लिये. मैं आपको यह बता रहा हूं, आपको जानकारी दे रहा हूं कि आपके राज में क्या-क्या हुआ।

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

आप अच्छे थे जब बहुजन समाज पार्टी के अन्दर थे। आपको बहुजन समाज के लोगों ने जिता कर भेजा था। आपने उनके हितों के ऊपर कुठाराघात किया. आपने उनके साथ धोखा किया और इस कांग्रेस के छलावे में आकर आप कांग्रेस में चले गये। आप बड़े चिन्तित होते हो...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं जीतकर आया हूं, जमानत जब्त करवाकर आपकी पार्टी की और सबकी। और पिछली बार भी सबकी जमानता जब्त करवाकर जीता था। फिर भेज दिया जनता ने।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अब के आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब के आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय माहिर आजाद साहब. आप वरिष्ठ सदस्य हैं, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोलने दें. मौलिक विचार हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मींगणियों की बात सुनने आये हैं क्या हम? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने एस.सी., एस.टी. के लिये विशेष तौर पर बहुत ज्यादा ध्यान रखा और हमारे को बड़े लाभ दिये हैं. देने वाली हैं। उन्होंने हमारे दौसा जिले को...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय. एक मिनट. पिछली सरकार में अनुसूचित जाति के कितने मंत्री थे? आपके एक मदन दिलावरजी से काम बना रखा है, कैबिनेट मिनिस्टर। हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, हमारे बाकोलियाजी मंत्री थे. 3-3. 4-4 मंत्री थे. क्या दिया अनुसूचित जाति. जनजाति को? आप गुणगान कर रहे हो फालतू में यहां?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सभापति महोदय. मैं जवाब दे रहा हूं इनका।

श्री सभापति : माननीय सदस्य. बिराजिये।

श्री सांवरलाल : डिप्टी चीफ मिनिस्टर की क्या गत हुई चुनावों में? (व्यवधान) चुनाव में क्या हुआ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बनाये तो थे। आप में आदमी हैं, उनको बना दो।

श्री सांवर लाल : उनके लिये कोई काम नहीं किया। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : सभापति महोदय, केवल मंत्री बनाये हैं आपने, वास्तव में एस.सी., एस.टी. का कोई फायदा नहीं किया और उनके साथ अन्याय किया इसलिये आपको आपकी शक्ल दिखा दी। (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्रीजी, प्लीज।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सभापति महोदय, मेरा टाइम खराब हो रहा है।

श्री गोविन्दराम चौहान : एस.सी., एस.टी. को वहीं का वहीं रखा, 156 से कहां आ गये? (व्यवधान)

श्री सभापति : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को बारम्बार धन्यवाद देता हूं कि हमारे दौसा के अन्दर महुवा में उन्होंने ट्रोमा हास्पिटल का प्रस्ताव रखा है। मैं यह सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ट्रोमा हास्पिटल को मेहन्दीपुर बालाजी के अन्दर बनाया जाए क्योंकि मेहन्दीपुर बालाजी बीच में, सेण्टर-प्लेस में पड़ता है और मेहन्दीपुर बालाजी हमारे हिन्दुस्तान का बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है। यदि यह ट्रोमा हास्पिटल वहां बना दिया जाता है तो जो दानदाता हैं, वह वहां पर ट्रोमा हास्पिटल के अन्दर दान करेंगे और उससे हास्पिटल की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल सकती है।

श्री सभापति : श्री हेमराज मीणा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : सभी सदस्यों का टाइम बराबर है, आपको भी 10 मिनट का समय दिया और 12 मिनट हो गये हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मेरे बीच में व्यवधान कर करके टाइम तो खराब कर दिया।

श्री सभापति : एक मिनट में आप कनक्लूड करें, जल्दी बोलें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : 2 मिनट, साहब। थानागाजी के अन्दर जो महाविद्यालय खोला गया है, मैं उसके लिये भी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एक बहुत ही अहम बात निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा दौसा जिला नेशनल हाइ-वे का है और नेशनल हाइ-वे का होने के कारण वहां पर एक्सीडेण्ट बहुत होते हैं। इस तरह के

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

एक्सीडेण्ट होते हैं कि डाक्टर जयपुर के लिये उनको रैफर करते हैं। जिसका एक्सीडेण्ट होता है उसको पता होता है कि क्या हुआ, लेकिन उसके साथ सम्भालने वाला कोई होता नहीं है। हमारे वहां पर एम्बुलेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो एक अगर एम्बुलेंस नेशनल हाई-वे के ऊपर हमारी सरकार उपलब्ध करा दे तो वह जो कोई एक्सीडेंट में घायल हुआ है, पीड़ित है, उसको टाइम से अगर जयपुर पहुंचा दिया जाए तो उसका जीवन बच सकता है। यह एक बहुत ही हमारी दौसा की बड़ी समस्या है। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जब शपथ ली तब एम.एल.एज. को बुलाया और उनको बुलाकर यह पूछा कि आप अपनी-अपनी क्षेत्र की प्राथमिकताएं बताइये, वन, टू, थ्री बताइये कि आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, उनके समाधान के लिए क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले, माननीय सभापति महोदय, दो दिन के अन्दर...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने तो प्राथमिकता में राजस्थान मंत्रीमण्डल में जगह बतायी थी क्या?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मेरे दो मिनट हैं, माफ करिये। (व्यवधान)

जो हमारा जिला मुख्यालय है, सभापति महोदय, वहां पर क्या है कि बड़ी लाइन चालू हो गयी और आगरा वाली लाइन भी चालू हो गयी, रेल की और वहां पर शहर के बीचोबीच से रेलवे का फाटक है। उसके लिए मैंने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया था कि उसके ऊपर पुल बनना नितान्त आवश्यक है। दौसा की जनता भी इस बात को बहुत चाहती है। मेरे जो साथी सदस्य हैं, वे भी सब चाहते हैं कि इसके ऊपर पुल का निर्माण होना चाहिए। मैंने वित्त मंत्रीजी से भी निवेदन किया था, मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन किया था. शायद उनके दिमाग से निकल गया कि इसको बजट में रखना चाहिए था। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस पर अगर पुल का निर्माण हो जाए। वहां पर आये दिन फाटक बंद होता है, कई मौते वहां पर हो गयीं। उस फाटक के ऊपर, क्योंकि ट्रैफिक उलझ जाता है. हाई-अटैक का कोई पेशेंट है, जो रैफर किया वह मर गया। कई प्रसव वहां पर फाटक के ऊपर ही हो गये। महिलाओं की भी वहां पर बहुत बेकद्री होती है। मरीजों की भी बेकद्री होती है। वहां पर कई मौतें हो गयीं. इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं क्योंकि आज अभी मैं बाहर खड़ा हुआ था...

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : निवेदन तो सुन लीजिए। मैं बाहर खड़ा हुआ था, मेरी बहुत अहम बात है, माननीय सभापति महोदय, मैंने जगन्नाथजी पहाड़िया को उतरते हुए देखा, वह मैटाडोर से उतरे। मैटाडोर गाड़ी जो विधान सभा के सदस्यों को लाने और छोड़ने जाती है, इतनी पुरानी गाड़ी है, इतनी पुरानी गाड़ी है, जैसे पुराने पहाड़ियाजी हैं, वैसे ही यह पुरानी गाड़ी है। वह ड्राइवर मेरे से बोला कि देखो, यह क्या हो रहा है। हाथ जोड़े। तो मैंने उससे कहा कि मैं बात करूंगा। मैं सदन के अन्दर यह बात रखूंगा। हमारी इतनी विशाल विधान सभा बनी है, हिन्दुस्तान के अन्दर इस विधान सभा की सराहना की जाती है, इसका उदाहरण दिया जाता है और जब गाड़ी देखने को मिलती है तो मैटाडोर टूटी हुई है। अभी उसको धक्का लगाकर वह ड्राइवर स्टार्ट कर रहा था और अभी पहाड़ियाजी उतर कर आये उसके अन्दर से।

श्री सभापति : श्री हेमराज मीणा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

श्री सभापति : नहीं, कनक्लूड हो गया। आप बैठिये प्लीज। प्लीज, आप बिराजिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने एक बहुत ही गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है, इस प्रदेश के अन्दर अब कांग्रेस के लोग यह कहते हैं कि आपने करों के अन्दर कटौती कर दी, आय कहां से आएगी। आय कहां से आएगी, यह हमारी मुख्य मंत्रीजी को देखना है। इनसे ज्यादा लर्नेड मुख्य मंत्री न पहले बनी हैं और न भविष्य में कोई बनने वाला है। अगर आपको ही यह पता होता कि आय अर्जित कहां से होगी तो आप सत्ता से बाहर नहीं होते। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपनी बहुत चिंता व्यक्त की है। चिन्ता व्यक्त की है कि हम रोजगार को बढ़ावा देंगे और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में खनिज सम्पदा बहुत ही रिच है। पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर यदि कहीं सबसे ज्यादा खनिज सम्पदा है तो वह राजस्थान के अन्दर है और राजस्थान के अन्दर भी मार्बल अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले मार्बल आम आदमी की पहुंच से बाहर हुआ करता था। यह मार्बल लगा करता था मन्दिरों के अन्दर, गुरूद्वारों के अन्दर, बड़े-बड़े बंगलों के अन्दर और महलों के अन्दर। किन्तु आज राजस्थान के अन्दर इतना मार्बल मिला तो मार्बल आम आदमी की पहुंच में हो गया। आप आज आठ रुपये, दस रुपये फुट का मार्बल कहीं से भी खरीद सकते हैं। पहले यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई छोटा आदमी भी, कोई मध्यम वर्ग का आदमी भी मार्बल लगा सके। माननीय

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

सभापति महोदय. मैं इसी विषय के अन्दर यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा वन विभाग जो राजस्थान में चल रहा है, यह अपने आप में पता नहीं किस तरह का विभाग है। हमारे मंत्रीजी बने, मैंने उनसे कहा कि. मंत्रीजी. आपका वन विभाग है. इसमें सुधार करें। आपके वन विभाग के अधिकारी बड़े विचित्र ढंग के हैं और भ्रष्ट हैं। वह बोले. चार दिन हुए थे तब मंत्री बने हुए, चार दिन के अन्दर ही कहने लगे कि नहीं नहीं, मेरे विभाग के सारे अधिकारी सही हैं। मैंने कहा कि, मंत्रीजी, चार दिन आपको बने हुए हैं और आपको चार दिन में ज्ञान हो गया क्या कि आपके विभाग के कर्मचारी और अधिकारी बिलकुल सही है?

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : भगराजजी चौधरी जो आज इस सदन के सदस्य नहीं हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस सदन में उन्होंने खड़े होकर कहा था कि मेरा पूरा विभाग भ्रष्ट है और चोर है। मैं उनकी सराहना करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जमवारामगढ़ सैंक्चुरी के बारे में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह जमवारामगढ़ सैंक्चुरी प्रस्तावित इन्होंने की लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1991 के सैक्शन 1925, इसके अन्दर कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई है। जमवारामगढ़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1991 के सैक्शन 26(ए) में इसका फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जमवारामगढ़ सैंक्चुरी सम्पूर्ण अवाप्त नहीं हुई है। मैं इसके अन्दर निवेदन करना चाहूंगा कि जब इस तरह की यह अवाप्त हुई नहीं है, इसके अन्दर आप इसको कैसे सैंक्चुरी बनाएंगे?

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री हेमराज मीणा।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने रोजगार की बात कही, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राज्य मंत्री के रूप में आपको रोजगार देने का प्रस्ताव किया था, आपने मना क्यों कर दिया?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री संयम लोढ़ा : मना क्यों कर दिया?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय. मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अन्दर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 से 11 जोड़ने वाले बाई-पास हैं। खातेदारी भूमि इसके अन्दर 15 हजार हैक्टेयर है। धार्मिक स्थल इसके अन्दर 300 हैं।

बांध व तालाब 90 हैं। पंचायतों एवं पंचायत समितियों की संख्या-20 ग्राम पंचायतें इसके अन्दर हैं। खातेदारी भूमि के बेचान के इसके अन्दर 4178 मामले हो चुके हैं। शिक्षण संस्थाएं इसके अन्दर 140 हैं। राजकीय कार्यालय इसके अन्दर 31 हैं। उद्योग इसके अन्दर गलीचा, नगीना, कली-भट्टा व मार्बल पाउडर उद्योग हैं। माननीय सभापति महोदय, इसके अन्दर एक निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान वन्य अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत उसे 1961 में आरक्षित वन घोषित किया गया जबकि वन्य जीव अधिनियम, 1972 के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र नेशनल फोरेस्ट अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत उदघोषित करना आवश्यक था। माननीय सभापति महोदय, प्रश्नगत क्षेत्र जो है इण्डियन फोरेस्ट अधिनियम, 1927 के तहत घोषित होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर ने कोई आपत्ति नहीं सुनी। उनको यह निर्देशित किया गया था कि आपत्तियों को सुनकर आप इसका निर्धारण करेंगे, तय करेंगे कि यह वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र है कि नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करिये। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय संभापत्ति महोदय, मैं, अन्त में दो मिनट में अपनी बात खतम कर रहा हूं।

श्री सभापति : अब दो मिनट नहीं, आप बैठिये प्लीज। पूरा हो गया आपका। आप चालू करिये, हेमराजजी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह पूरे जमवारामगढ़ क्षेत्र की और वहां की जनता की बात का सवाल है, मजदूरों का सवाल है हमारे स्टेट की रेवेन्यू जनरेट करने का सवाल है। माननीय सभापति महोदय, आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा, मैं आपसे टाइम चाहता हूं। मैं मजदूरों के लिए टाइम मांग रहा हूं। सभापति महोदय, अगर आप नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, सदन के अन्दर ही हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो...(व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, नहीं. माननीय सदस्य, आपको पूरा टाइम दिया है। ऐसा है, दूसरे माननीय सदस्यों से पांच मिनट ज्यादा समय हो गया है आपको।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। उदघोषित वन्य क्षेत्र में 74 राजस्व गांव हैं, 152 ढाणियां हैं जिनमें 1991 की जनसंख्या के अनुसार 65 हजार की संख्या है तथा 10169 बी.पी.एल. सर्वेधारी परिवार रहते हैं। इसके अतिरिक्त 80 हजार पशुओं की संख्या है। अभयारण्य क्षेत्र में 49 हजार बीघा

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

निजी स्वामित्व की जमीन है जिसमें 16713 बीघा सिवाय चक तथा 9723 बीघा चरागाह भूमि है। काफी संख्या में खनन क्षेत्र भी हो चुका है। 25-25 हजार लोगों के उसके अन्दर प्रत्यक्ष एवं अपरोक्ष रूप से रोजगार का मामला है। माननीय सभापति महोदय, मेरा इस सदन के अन्दर निवेदन है कि इसके ऊपर गम्भीरता से विचार किया जाए। रोजगार सृजित करने के लिए हमारी सरकार को बड़ी गम्भीरता से इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। इन वन विभाग के अधिकारियों के चक्कर में हम अगर आएंगे तो जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है सरकार की, जो अब तक हम खो चुके हैं, आठ-आठ, दस-दस साल हो गये बन्द हुए, उसके अन्दर हम बहुत भारी नुकसान उठा चुके हैं। हमारी सरकार से मेरा निवेदन है कि अब इसका नुकसान आगे बर्दाश्त हम नहीं कर पाएंगे। मेरा निवेदन है इस सदन के माध्यम से, कि इसके ऊपर सरकार बड़ी गम्भीरता से विचार करे। मैं सराहना करता हूं हमारी मुख्य मंत्री महोदयाजी का, कि जिन्होंने बहुत ही कल्याणकारी और गरीबों के हितों का बजट पेश किया। यह तो ऐसे ही कहते रहेंगे कि अमीरों का बजट है, अमीरों का बजट है। आपको बजट की भाषा समझ में नहीं आएगी कि बजट क्या होता है। इस कांग्रेस के लोगों के दिमाग का दिवालिया निकल चुका है। आपने मुझे टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन दुबारा करना चाहता हूं कि जिस अधिकारी एडिशनल एस.पी. रविकान्त मित्तल ने मींगणी की रिश्वत मांगी थी, उसको जयपुर लगाया कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने, उसको तुरन्त निलम्बित करके उसके खिलाफ जांच कर कार्यवाही की जाए और उसको लाइन हाजिर किया जाए। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : बोलिये आप।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मैं निर्दलीय जीतकर आया हूं और भाजपा का समर्थन कर रहा हूं, बहुत मुश्किल के बाद मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला है इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा और अध्यक्ष महोदय ने मेरा नाम रखा, उनको भी धन्यवाद दूंगा।

श्री सभापति : कल मैंने आपका नाम पुकारा था, आप सीट पर नहीं थे।

श्री हेमराज मीणा : माननीय सभापति महोदय, यह जो वर्ष 2004-05 का बजट आया है, यह ऐतिहासिक बजट है। यूं कहना चाहिए कि जानदार और शानदार है। बजट के बारे में आज आम आदमी, व्यापारी वर्ग चाय की दुकान और पान की दुकान पर यह चर्चा करता हुआ मिलेगा कि बजट बहुत अच्छा है, लेकिन कांग्रेस के माननीय सदस्य

(श्री हेमराम मीणा)

बजट की दबे मन से आलोचना कर रहे हैं। कई कांग्रेसी सदस्यों से भी मेरी बात हुई, वह कहते हैं आलोचना करना तो हमारी मजबूरी है, लेकिन बजट बहुत अच्छा है। यह बजट...(व्यवधान)

(15.00 बजे)

श्री दुर्गा प्रसाद (गंगापुर) : किससे हुई है? नहीं, किससे हुई है?

श्री हेमराज मीणा : मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं यहां पर किसी माननीय सदस्य को एक्सपोज नहीं करना चाहता।

डा. किरोड़ी लाल : दुर्गा प्रसादजी से हुई, गंगापुर वालों से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, मेरे सामने हुई। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, मेरे दल का फैसला है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। हमारे दल का फैसला है यह।

एक माननीय सदस्य : कौनसा दल है?

श्री हेमराज मीणा : बहुत अच्छा बजट आया। इस बजट का मैं स्वागत करता हूं क्योंकि राजस्थान...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : आपको पता ही नहीं है? 13-13 आदमी बैठे हैं और कौनसा दल है, अभी तक इतना ही पता नहीं? (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : राजस्थान में पहली बार विकासोन्मुखी, गांव और गरीब का उत्थान करने वाला बजट आया है। बजट के अन्दर सभी वर्गों को सम्मिलित किया हुआ है, यह सर्वस्पर्शी है, सब वर्गों का हितकारी है। इस तरह का बजट राजस्थान में पहली बार आया है। सभापति महोदय, ऐसा अच्छा बजट क्यों आया? मुख्य मंत्री महोदय जब प्रदेशाध्यक्ष बनीं तो उन्होंने सारे राजस्थान का दौरा किया, परिवर्तन यात्रा के रूप में गांव, मजरे, ढाणी वह गयीं। उन्होंने वहां की समस्याओं को देखा, पढ़ा और एक-एक समस्या को लिखा, उसके कारण से उनके ध्यान में सारे राजस्थान का नक्शा आया और उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए इस बजट को बनाया। सभापति महोदय, दसवीं पंचवर्षीय योजना जैसाकि इस बजट की किताब में है, 31.805 लाख रुपये की थी। लगातार पंचवर्षीय योजनाएं तो बन गयीं, लेकिन हर पांच साल में, लगातार बजट का प्राइज़ घटता चला गया। मैं यह भी बताऊंगा कि 2002-03 में योजना का आकार 5.160 करोड़ रुपये था परन्तु देखने से यह पता

(श्री हेमराज मीणा)

लगता है कि वास्तविक व्यय 4,431 करोड़ सात लाख रुपये ही हुआ। इसका मतलब पूरे बजट का उपयोग ये नहीं कर पाये। पिछले सालों में केन्द्र में लगातार हमारी सरकार थी, माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे। यही विचार करते रहे, यही उलाहना देते रहे कि केन्द्र सरकार हमको धनराशि नहीं दे रही है, हमको बजट नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं कांग्रेस के सदस्यों से कहना चाहूंगा, बजट की इस किताब को देखते हैं तो इस किताब में तो बजट की कोई कमी नहीं है। इन्होंने इस बजट को खर्च नहीं किया, इस बजट को देखने से यही दिखाई देता है।

सभापति महोदय, पिछली बार राजस्थान में अकाल था। अकाल ही नहीं भयंकर अकाल था। मेरे क्षेत्र में भी बहुत जबरदस्त अकाल था। मेरे क्षेत्र में अकाल से बीस मौतें हुई, ऐसी स्थिति बनी। इलाके में ऐसी स्थिति हुई कि बीस मौतें हुई। वहां के आदिवासी सहरिया को पुआडिया और सावा खाने के लिये मजबूर होनी पड़ा, ऐसी स्थिति उस इलाके की हुई। यदि पूरे बारां जिले के बारे में मैं आपको बताऊं, अटरू में हुई और 35 लोग भूख से मारे गये। विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य यहां बिराजे हुए हैं, उस समय मुख्य मंत्री सम्माननीय अशोकजी गहलोत थे. कोई भी सरकार का मंत्री या सदस्य वहां पर मौत की खबर लेने नहीं गया। प्रदेश कार्य समिति की बैठक जोधपुर में थी, जोधपुर इण्डियन एक्सप्रेस में यह बात छपी तब ही प्रदेशाध्यक्ष को यह जानकारी हुई और वह तुरन्त उन स्थानों पर गयीं। जाकर उन्होंने दिल्ली की सरकार से आग्रह किया। वहां से गेहूं का आबंटन बढ़ा और मजदूरी शुरू हुई। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा, आखिर कांग्रेस का राज था, कांग्रेस के लोगों ने उन गरीब सहरियों की खोज-खबर क्यों नहीं ली? मैं यह पूछना चाहूंगा और आपको भी यह जानकारी देना चाहूंगा कि 20 सहरिया लोग जो मेरे इलाके में भूख से मरे हैं, आज दिन तक एक रुपये का भी मुआवजा अनुदान नहीं मिला है। लेकिन इधर माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा, घोषणा भी की, एक वह घटना हुई थी कोटड़ा में, कोटड़ा में 10 हजार रुपये दिये। मैं कांग्रेस के लोगों को या कांग्रेस के नेताओं से पूछूंगा कि इन सहरियों की हमने मांग की थी. उस समय आन्दोलन किया। महाराष्ट्र के हमारे उप मुख्य मंत्री गोपीनाथ मुंडे साहब उस समय पधारे। केन्द्रीय मंत्री जसकौरजी वहां हुई थीं। हमने मांग की कि उनको एक-एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिये। लेकिन मुआवजे का नाम नहीं, आज दिन तक भी नहीं। क्योंकि यह माना जाता है कि वह कांग्रेस का इलाका है, थोड़े दिन बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय, दीवाली का समय था. दीवाली मनाने के लिये शाहबाद पहुंचे। मुख्य मंत्री महोदय शाहबाद में दीवाली मना रहे हैं लेकिन जिन के घरों में मौत हुई है उनके घर में बैठने तक भी वह नहीं गये, यह मैं बताना चाहता हूं आपको। शाहबाद में सहरियों के बीच दीवाली मनाने

(श्री हेमराज मीणा)

का बहाना किया, जबकि भूख से 20 मौतें हुईं, लोग सावा खाकर मरे। अनाज नहीं मिलने से सावा खाकर मरे। मुख्य मंत्रीजी के लिये भी खाने की व्यवस्था हुई, कहने लगे, सावा बहुत अच्छी बीज है और मुख्य मंत्रीजी के लिये सावा की खीर बनाई गई। सभापति महोदय, कांग्रेस ने केवल ढोंग किया है, नाटक किया है, इन्होंने कभी भी गरीब की सहायता नहीं की। मैं 1991-92 में विधायक था, उस समय भी मैंने यह मांग की थी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर उप-योजना क्षेत्र कहलाता है, उस क्षेत्र में विशेष सुविधाएं आदिवासियों को दी जाती हैं और मेरा किशनगंज-शाहबाद जो इलाका है वह भी ट्राइबल का इलाका है, सहरियों का इलाका है, उसका अलग से एक सहरियों का ब्लॉक बना रखा है, पहले से ही विशेष सुविधाएं वहां मिलती थीं, मैं 15 साल से मांग कर रहा था कि मेरे इलाके को भी विशेष सुविधाएं दी जाएं लेकिन किसी ने यह बात नहीं सुनी। माननीय हीरालालजी सहरिया पिछली बार कांग्रेस के एम.एल.ए. थे, 20 सहरिया मरे, उसके बाद भी सरकार का कोई योगदान उस इलाके को नहीं हुआ।

सभापति महोदय, ये गांव और गरीब का उत्थान करने की बात तो करते हैं लेकिन वास्तव में इनकी मदद नहीं करना चाहते। इतना ही नहीं, इस समय दिल्ली में सरकार कांग्रेस की है, ज्यों ही कांग्रेस की सरकार बनी, सबसे बढ़िया तोहफा आया ट्राइबल क्षेत्र के लिये। ट्राइबल की सहायता के लिये दिल्ली से कुछ पैसा आता है। संविधान की धारा 275 एक के अन्तर्गत केन्द्र उप योजना क्षेत्र के लिये और सहरिया क्षेत्र के लिये विशेष बजट का आबंटन होता है। इसको व्यय करने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र होती है। लेकिन सभापति महोदय, इस बार सरकार ने उस पर पाबन्दी लगा दी। केन्द्र सरकार ने उस पर पाबन्दी लगा दी कि यह पैसा राज्य सरकार खर्च नहीं करेगी, केन्द्र सरकार तय करेगी। केवल मात्र व्यक्तिगत रूप से क्या लाभ दिया जा सकता है, उसमें यह पैसा खर्च होगा। सभापति महोदय, केन्द्र से यह पैसा आता है तो इस पैसे से एनीकट बनते थे, सिंचाई के साधन उत्पन्न होते थे, गांवों में बिजली लगती थी, गांवों में सड़क बनती थी, लेकिन अब उस पैसे का उपयोग नहीं हो पाएगा, वह पैसा केवल व्यक्तिगत उपयोग में जाएगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वास्तव में देखा जाए तो पैसे का उपयोग किया जाना चाहिये। इस सदन में कांग्रेस के लोग भी हैं, सरकार में बैठे हुए लोग भी हैं, हम सब शामिल हैं, मैं चाहूंगा कि सदन में प्रस्ताव पास हो कि धारा 275(एक) के अन्तर्गत जो धनराशि आबंटित होती हैं, उस धनराशि को राज्य सरकार की योजना के अनुसार खर्च करने का प्रावधान किया जाना चाहिये।

(श्री हेमराज मीणा)

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया, मैं उनको बधाई दूंगा। इस बार सहिरया क्षेत्र के लिये खास तौर पर जो किया, 1947 के बाद, आजादी के बाद जो भी बजट आया किसी ने भी इतना धन नहीं दिया। सहरिया क्षेत्र के लिये जो किया, यह किसलिये किया? क्योंकि उन्होंने स्वयं 20 मौतें होती देखीं, तड़पते लोग देखे। उस बात को उन्होंने ध्यान में रखा और जब उनको मौका मिला, सहरिया क्षेत्र के लिए विशेष योजना चलायी, विशेष पैकेज जारी किया। इसके लिए तो मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा मैं उनका बहुत-बहुत आभार पकट करता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज बना कर दिया। सभापति महोदय, हर सहरिया परिवार को प्रति माह 35 किलो गेहूं दो रुपये किलो के हिसाब से दिया जाएगा। इसमें 2 करोड़ 90 लाख रुपया व्यय होगा। इस बात की मैं हर समय मांग करता रहा हूं। और 10 किलो गेहूं "फूड स्टेंप" के रूप में। यदि किसी के पास कुछ खाने को नहीं है तो ग्राम पंचायत में फूड स्टेंप के नाम से रखे जाएंगे और जो भी भूखा है वह भूखा नहीं सोय, उसके लिए उपलब्ध कराये जाएंगे।

सभापति महोदय, 1500 लोगों को लाभान्वित करने के लिए एक करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। व्यक्तिगत रूप से बेनिफिट किया जाएगा उनको। सभापति महोदय, क्योंकि पिछली सरकार के पास साधन नहीं थे, साधन के अभाव में अकाल मौतें हुई थीं, तो रोजगार के साधन तैयार हों, उसके लिए 100 दिन हर सहरिया परिवार को मजदूरी दी जाएगी। इसके लिए सरकार 20 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मैं बधाई देता हूं कि पहली बार इस बजट की किताब में मैंने सहरिया का नाम पढ़ा। मैं बजट की किताब पढ़कर धन्य हो गया कि "सहरिया परियोजना" का नाम इस बजट की किताब में सिम्मलित किया गया है। सहरिया परिवार को 100 दिन का रोजगार देने के लिए 20 करोड़ रुपयें खर्च किये जाएंगे। सभापति महोदय, रोजगार तो दिया ही जाएगा. रोजगार के साथ-साथ उनको 1200 आवास...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : बजट में पहली बार इतिहास में नाम लिखा है, यह बोलो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कनक्लूड करें। श्री सुरेश मीणा।

श्री हेमराज मीणा : सहरिया परिवारों की आवास की समस्या का समाधान करने के लिए इस हमारी सरकार में. 1200 सहरिया परिवारों को डी.पी.आई.पी. द्वारा आवास का निर्माण करके, इनको दिया जायेगे। रोजगार का इंतजाम. आवास का इंतजाम, सस्ता गेहूं देने का इंतजाम, यह सारा इंतजाम मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में किया है। मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस इलाके का विशेष ध्यान रखा है।

(श्री हेमराज मीणा)

सभापित महोदय. मैं एक और बात कहना चाहूंगा। कई सारी बातें हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे समय दें।

श्री सभापति : अब आप एक मिनट में कनक्लूड करें।

श्री हेमराज मीणा : आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। जिसमें एस.टी. के 250 बच्चे रेजीडेंशल होस्टल में पढ़ेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे। कितना बड़ा लाभ होगा। इन सब बातों को इस बजट में सम्मिलित किया गया है।

सभापति महोदय, आदिवासी क्षेत्रों में भौगोलिक स्थिति और स्वास्थ्य की विशेष आवश्यकता को देखते हुए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर एवं सिरोही में 1,119 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं की नियुक्ति की गयी है। मैं चाहूंगा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के साथ-साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ता किशनगंज और शाहबाद क्षेत्रों में भी नियुक्त हों ताकि वहां भी स्वास्थ्य सेवा मिल सके।

श्री सभापति : माननीय श्री सुरेश मीणा।

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय, अभी मेरी बहुत सारी बात बाकी बची हुई है।

श्री सभापति : आप अब बिराजिये। बहुत सारी बातें बाद में करना। एप्रोप्रिएशन बिल है...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय, सारे राजस्थान में एस.सी. एस.टी. के बैकलाग के पद खाली हैं, कांग्रेस तो उनको भर नहीं सकी, लेकिन मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हैं, सब विभागों के ये मिलाकर 80 हजार पद हैं, इस बैकलाग को भी पूरा किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, अभी मेरी काफी बात बची हुई है। यह किसानों के हित का बजट है, किसानों की बात रह गयी।

श्री सभापति : अब आप बिराजिये।

श्री हेमराज मीणा : किसान, गांव और गरीब का उत्थान करने वाला बजट है। किसानों के हित के लिए इन्होंने फसल बीमा योजना लागू की। पिछले समय अकाल था, अगर अकाल के पहले फसल बीमा योजना लागू हो जाती तो शायद अकाल को सहन करने की क्षमता राजस्थान में आदिवासी परिवार में पैदा हो जाती। लेकिन उन्होंने नहीं किया। सरकार के जाते-जाते 5-6 फसलों की बीमा योजना लागू कर गये।

(श्री हेमराज मीणा)

हमारी सरकार ने 14 फसलों की फसल बीमा योजना लागू की। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने काश्तकार के हित के लिए काश्तकार के बारे में विचार किया।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन और करूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य. अब बिराजिये आप।

श्री हेमराज मीणा : सारे राजस्थान में सरसों. गेहूं और चने की रिकार्ड तोड़ फसल होती है, मैं आपके माध्यम से कहूंगा, सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी, इन तीन फसलों को और इस बीमा योजना में शामिल करें ताकि सारे राजस्थान के किसान का कल्याण हो सके।

सभापति महोदय. किसान की दुर्घटना हो जाती है उसके लिए गये राज में देते थे 30 हजार रुपये किसान की दुर्घटना के लिए और दो अंग-भंग हों तो उसके लिए 15 हजार रुपये उसको बढ़ा कर मुख्य मंत्रीजी ने 50 हजार और 25 हजार रुपये किया है।

श्री सभापति : धन्यवाद, अब आप बिराजिये प्लीज। श्री सुरेशजी मीणा।

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय. किसान कल्याण कोष की स्थापना, इतना ही नहीं डी.पी.आई.पी. से 200 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी इस क्षेत्र को। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा...

श्री सभापति : माननीय मीणा साहब, अब आप बिराज जाएं प्लीज।

श्री हेमराज मीणा : डी.पी.आई.पी. की योजना में भ्रष्टाचार पिछली सरकारों में रहा है। ग्राम पंचायतों में भी चरम सीमा पर भ्रष्टाचार रहा है। कोई ऐसी योजना बने कि इनका मूल्यांकन हो. इनकी इतनी निगरानी हो ताकि सरकार का जो पैसा आ रहा है, उसका सही उपयोग हो सके।

श्री सभापति : माननीय मीणा साहब, प्लीज आप बिराज जाएं।

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा।

श्री सभापति : मीणा साहब. प्लीज. आप से.रिक्वैस्ट है कि बिराजिये।

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय. 20 करोड़ रुपये सरकार ने उस क्षेत्र को दिये हैं. उस क्षेत्र की योजना बना कर त्रैमासिक इन योजनाओं का मूल्यांकन हो ताकि यह जो पैसा गरीब आदमी को मिलता है, यह वास्तविक सहरिया के पेट में जा सके।

श्री सभापति : धन्यवाद। अब आप बिराजिये. बहुत हो गया।

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय, एक निवेदन करना और है। मेरे क्षेत्र में कुछ सिंचाई की परियोजनाएं बाकी हैं, जिसमें एम.डी. सिंचाई परियोजना भी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता माननीय सोहनलालजी थे, इस सहरिया परियोजना के लिए, इस एम.डी. सिंचाई परियोजना के लिए संघर्ष करते-करते उनकी हत्या हो गयी। इस परियोजना का संकल्प उन्होंने लिया था, मैं मुख्य मंत्रीजी से चाहूंगा कि इस परियोजना को स्वीकृत किया जाए। दो-तीन परियोजनाएं और हैं, हथियाद परियोजना है, नारायण खेड़ा परियोजना है, इन परियोजनाओं को भी स्वीकृत करने के लिए मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा।

सभापति महोदय, यह बजट जो लाया गया है इसमें गांव और गरीब के उत्थान की बात कही गयी है, मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत मुश्किल से दिया, बार बार घंटी बजा रहे हैं, नम्बर भी बड़ी मुश्किल से आया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री सुरेश मीणा।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 200 सदस्यों के हाउस में, आप उधर से आठ-आठ बुलवाते हैं और इधर एक ही नम्बर आए, कम से कम ऐसा तो करिये कि तीन उधर के बाद में इधर का नम्बर आ जाए।

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतकजी, आप गलतबयानी कर रहे हैं। (व्यवधान) दो माननीय सदस्य इधर से, एक माननीय सदस्य बहुजन समाज पार्टी का, एक माननीय सदस्य निर्दलीय और एक इधर से।

श्री जुबेर खान : तो पांचवां आया न। पांचवां कैसे आएगा? सभापति महोदय, जब 200 में से 50 से ज्यादा हमारे मैम्बर हैं तो चौथा टर्न हमारा आना चाहिए। यह गलत बात है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, दो दिन में कोई निर्दलीय बोला ही नहीं, मुख बंद रखा है दो दिन तक।

श्री जुबेर खान : आप दोगुना टाइम देते हैं, तीन गुना, चार गुना उनको बुलवाते हैं, +++ मैं क्षमा चाहते हुए आपसे यह कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : आसन के प्रति कभी सम्मान कम नहीं हो सकता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि आप बहुत विरष्ठ सदस्य हैं और आपका आसन के प्रति इस प्रकार से कहना, आप देख लीजिये जो समय अध्यक्ष महोदय ने बताया था, अब किसी के माननीय सदस्यों का समय अगर ज्यादा हो, विपक्ष के ज्यादा लोग बोलें, आपत्ति नहीं है, लेकिन आसन के प्रति इस प्रकार कहना +++ उचित नहीं है। एक तो उन शब्दों को एक्सपंज किया जाना चाहिए और दूसरा आप ध्यान करें। आप लोग बोलें, लेकिन आसन के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? अच्छा नहीं है।

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय, हमें रास्ता बता दीजिए कि हम को न्याय कैसे मिल सकता है। आप तो अनुभवी आदमी हैं, आप ही बता दीजिए।

श्री सभापति : यह आसन, माननीय सदस्य, पूरा न्याय करेगा, सब माननीय सदस्यों के साथ न्याय करेगा।

श्री सांवर लाल : आपके साथ न्याय किया जा रहा है। जो समय आपका निर्धारित है...

श्री जुबेर खान : एक मिनट। आपके सामने कल भी वो ही कहा जाता है कि कितने घंटे हैं, आप तो स्वयं देख रहे हैं कि उधर 6-6 आदमी बोलें और हमारा एक...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, रिकार्ड है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग करके देख लें, कितना समय किसने लिया है।

श्री जुबेर खान : कोई सुनने को तैयार नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री सांवर लाल : आसन के द्वारा आपको जो आबंटित समय है, समय पूरा मिल रहा है आपको। आपका समय और किसी को नहीं दिया जा रहा है।

श्री जुबेर खान : जल्दी-जल्दी बुलवाइये ताकि ज्यादांतर लोग बोल सकें।

श्री सांवर लाल : 155 थे जब आप ही बोलते थे, आपका ही समय ज्यादा हुआ करता था। आप भूल रहे हो इस चीज को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको बोलने के लिए किसी को आपत्ति नहीं है, आप बोलिये आराम से। ज्यादा समय के लिए भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आसन की बात को मानते हुए लीजिए, इतना ही कहना है मेरा।

श्री जुबेर खान : आप, घनश्यामजी, खूब बोल रहे हैं, आपके दो घंटे का समय हो गया, हमारा एक आदमी बोला और आपके आठ आठ, नौ-नौ आदमी बोल रहे हैं, तो आप ही हमको रास्ता बता दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम दे देंगे टाइम आपको।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं बराबर सदन में बैठा यह देख रहा हूं कि दो आदमी बी.जे.पी. से, एक इंडिपेन्डेंट। फिर इधर बुलाना चाहिए, फिर दो को बुलाकर आप बहुजन समाजवादी पार्टी को बुला देते।

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मेरा निवेदन है कि...(व्यवधान) बहुजन समाज पार्टी के दो माननीय सदस्य हैं, उनमें से एक को बुलाया जिनका समय...

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक बार इंडिपेन्डेंट को बुला दो, एक बार बहुजन समाजवादी पार्टी को बुला दो। (व्यवधान)

श्री सभापति : लोक जन शक्ति पार्टी...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : चार आदमियों के बाद में इधर से...(व्यवधान) सभापति महोदय, डिबेट का मजा नहीं आएगा फिर।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि दो दिन तक...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : डिबेट के हिसाब से कराइए आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, बिराजें।

श्री अमराराम (धोद) : दो दिन तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के...(व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर, माननीय सदस्य, बिराजिए आप। मेरा निवेदन है कि सभी पार्टियों के समय निर्धारित किये हुए हैं, उनमें लोक जन शक्ति पार्टी का भी पांच मिनट है और बहुजन समाज पार्टी के दस मिनट हैं। निर्दलीयों का भी समय निश्चित है। मेरा निवेदन है कि बहुजन समाज पार्टी के दो सदस्य हैं उनमें से एक को बुलाया है, निर्दलीयों का समय है उनमें से एक को बुलाया है। अब आपका नम्बर आएगा, आपके भी दो सदस्यों को बुलाएंगे। अब चूंकि चार बजे मुख्य मंत्रीजी को जवाब देना है इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से कि समय की सीमा है।

एक माननीय सदस्य : चार बजे का आगे बढ़ाओ।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के लोगों से निवेदन करिए, यह नहीं बोलें। खूब बोल लिये।

श्री सभापति : कर रहे हैं व्यवस्था।

श्री जुबेर खान : मेरे ख्याल में तीन दिन में 39 बोल लिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : ऐसा है, आप लोगों को बोलते-बोलते 55 साल हो गए हैं, अब हमें तो बोलने दो थोड़ा।

माननीय सभापति महोदय, हम पहली बार इस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधान सभा में चुनकर आये हैं। जिस प्रकार पहली कक्षा में हमारा बच्चा दाखिला लेता है, उस प्रकार हम इस विधान सभा में आये हैं। यहां के नियमों के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है, कुछ गलती हो तो उसको आप क्षमा करना।

सभापति महोदय, हमको तीन दिन हो गये, इस बजट के बारे में पक्ष वाले कहते हैं कि बहुत अच्छा है और विपक्ष वाले कहते हैं अच्छा नहीं है। इस तरह की बात चल रही है, लेकिन वास्तवकिता में कोई भी सदस्य यह नहीं कहता है कि यह सही है और यह गलत है। मैं इस सदन में यह बताना चाहता हूं कि 56-57 साल से जो भी सरकार आती है, हर सरकार बजट पेश करती है और बजट में सबसे ज्यादा कागजों में जो गिनती होती है वह एस.टी. और एस.सी. की होती है। कागजों में लिखा जाता है कि इतने अरब रुपये एस.टी. के ऊपर खर्च होंगे और इतने अरब रुपये एस.सी. के ऊपर खर्च होंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यदि यह पैसा 57 साल से इन दोनों एस.सी. और एस.टी. को मिल जाता तो मेरी समझ में आज एस.सी. और एस.टी. बहुत आगे होती। लेकिन जो पैसा सरकार हमको देती है, हमारे लोगों के पास वह पैसा पहुंचता ही नहीं है। एक बार राजीवजी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मैं सेन्टर से एक रुपया भेजता हूं लेकिन जनजाति के लोगों तक दस पैसा पहुंचता है। अब ये जो 90 पैसे हैं इसको या तो हमारे नेता खाते हैं या हमारे अधिकारी खाते हैं। जो भी है, लेकिन वास्तव में इस सदन में जो 200 विधायक चुनकर आये हैं, उन 200 में से शायद ही कोई 10-20 विधायक ऐसे होंगे जिन विधायकों को 25 या 30 हजार से कम वोट एस.सी., एस.टी. के मिलते हों। एस.सी., एस.टी. 25-30 हजार वोट हर विधायक को देती है, हर विधान सभा क्षेत्र में देती है, लेकिन उनके साथ कभी न्याय नहीं हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ है। आज इस देश को आजाद हुए 57 साल हो गये, सभापतिजी, गांवों में मेरे साथ कोई सदस्य चलना चाहे तो मैं उसको साथ ले जाकर बताना चाहता हूं कि एस.सी., एस.टी. के लोग आज भी उच्च जाति के लोगों के सामने जूती पहनकर नहीं जा सकते। यह हमारा 57 साल का इतिहास है।

श्री अमराराम चौधरी : अभी तो नहीं है।

श्री सुरेश मीणा : यही है, मैं बता दूंगा आपको। मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इस सदन में बैठे हुए बड़े बड़े राजनेता हैं जिन लोगों ने जनजाति की जमीन पर कब्जा कर रखा है। उनका भी मैं विधान सभा में इसी सदन में खुलासा करूंगा कुछ दिन बाद, जनजाति के लोगों की जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है।

एक माननीय सदस्य : नाम बताओ?

श्री सुरेश मीणा : नाम बता देंगे टाइम पर। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठे बैठे नहीं बोलें।

श्री सुरेश मीणा : मैं कहना चाहता हूं कि संख्या के आधार पर हमको भी लाभ मिलना चाहिए। जितनी संख्या जिस समाज की है उसको उतना लाभ मिलना चाहिए। लेकिन 57 साल में हमको यह लाभ नहीं मिल पाया। हम बड़ी सोच में रहते हैं। चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे सरकार बी.जे.पी. की हो, लेकिन जो एस.सी., एस.टी. के विधायक जीतकर आते हैं उनको इस सदन में क्या मिलता है उसको हम जानते हैं, हमारा समाज जानता है, एस.सी., एस.टी. का समाज जानता है। साढ़े बारह परसेंट एस.टी., सोलह परसेंट एस.सी., कितना बड़ा वोट बनता है, लेकिन जब मंत्रालय दिए जाते हैं हमारे लोगों को, तो चून मांगने वाले मंत्रालय हमको दिये जाते हैं। जैसे सुबह सुबह चून मांगने जाते हैं कि जब महादेव की...(व्यवधान) सुनो मेरी बात, मैं सदन में यह बात बता रहा हूं। जबकि हमारी जनसंख्या के अनुसार हमको मिलना चाहिए, क्या हम लोग गृह मंत्री नहीं हो सकते? हम लोग मुख्य मंत्री नहीं हो सकते? हम कम से कम शिक्षा मंत्री नहीं हो सकते क्या? (व्यवधान) मैं जनसंख्या के आधार पर आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : कैलाश मेघवाल होम मिनिस्टर भी थे और सम्पतरामजी भी थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऐसा करता हूं कि मैं मेरा ओरिजिनल चून मांगने वाला ले लेता हूं और शिक्षा इनको दे देता हूं।

श्री सुरेश मीणा : माननीय सभापतिजी, हम देखते हैं कि बजट बहुत अच्छा है लेकिन एस.सी. और एस.टी. का सत्तर हजार जो बैकलाग है, उसको हम हमारा बजट मानते हैं। उस बजट को दे दीजिए हमको, हम तो संतुष्ट है। सत्तर हजार का बैकलाग

(श्री सुरेश मीणा)

हमारा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी पार्टी उसको पूरा नहीं कर रही। अबकी बार हम सोच रहे थे कि माननीय वसुन्धराजी कुछ करेंगी, बजट में करेंगी, लेकिन उसमें भी हमारे लिये कुछ नहीं किया। पांच साल कांग्रेस का राज चला गया, कुछ नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं एक बात कि आप 120 आये हैं, आने वाले समय में यदि हमारे इस बजट को पूरा नहीं किया तो हम सिर्फ 25 पर रख देंगे आपको। आप भी ऐसी चीज मत करना...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : सहरिया कास्ट तो एस.टी. में आती है न?...(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री सुरेश मीणा : मुझे बोलने दो। आप बहुत बोल लिये, बैठ जाओ।

हमारी तो मुख्य मंत्रीजी से मेन मांग है कि एस.टी., एस.सी. के बैकलाग को पूरा कर दें। मैं देखता हूं कि ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें हमारे अधिकारी, कर्मचारी को ढंग की जगह पर लगा रखा हो...

श्री सभापति : दो मिनट में कनक्लूड करें।

श्री सुरेश मीणा : मैं अभी कर रहा हूं। दो-दो घंटे बोले हैं लोग तो।

श्री सभापति : बिलकुल दस मिनट हो गये आपको।

श्री सुरेश मीणा : बड़ी मुश्किल से हमारा समय आया है, आज बोलने दो।

अब मैं आपके सामने मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं रखना चाहता हूं। कम से कम 25-30 साल से मैं सुनता चला आ रहा हूं कि चम्बल नदी से लिफ्ट द्वारा करौली और सवाई माधोपुर को पानी लाया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान आज तक नहीं आया। हमने अभी एक क्वेश्चन लगाया था कि पांचना बांध जो करौली में बंधा है, उससे सारा पानी ऊपर रुक गया। वह नदी नीचे जाती थी, वह बन्द हुई तो नीचे जितना भी एरिया है, सारा पानी बहुत नीचे चला गया। सारे कुए सूख चुके हैं। मेरे क्वेश्चन का उत्तर आया कि यहां कोई पानी नीचे नहीं गया है और एनीकट का कोई प्रावधान नहीं है बनने का, जबकि पूरा एरिया प्यासा है। पूरा माड एरिया प्यासा है हमारा। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से, हमारे गृह मंत्रीजी, शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं इनसे निवेदन करता हूं कि उस एरिये को पानी पिला दें, वह बहुत प्यासा है। आपने पश्चिमी राजस्थान में तो बहुत काम करवाये हैं, अब की बार इधर ही ध्यान दे दें।

(श्री सुरेश मीणा)

हमें तो बड़ी खुशी हुई थी अब की बार, अब तक मुख्य मंत्री पश्चिमी राजस्थान से बनते चले आ रहे हैं, लेकिन अब की बार माननीय वसुन्धराजी हमारी साइड से मुख्य मंत्री बनी हैं, हमारे लिये कुछ करेंगी। यह आशा थी– हमें, लेकिन बजट में देखते हैं तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है।

श्री सभापति : ठीक है, धन्यवाद। माननीय रघुवीर सिंहजी।

श्री सुरेश मीणा : मैं सदन में यह कहना चाहता हूं कि करौली जिला बना है लेकिन करौली जिले में कोई भी व्यवस्था नहीं है। न तो वहां अधिकारियों के रहने के लिये सिविल लाइन है, न कोई और साधन हैं। हास्पिटल में डाक्टर्स की कमी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री राकेश मेघवाल : भैरोंसिंहजी ने करौली को जिला बनाया...

श्री सुरेश मीणा : माननीय भैरोंसिंहजी ने डांग विकास बोर्ड का गठन किया था उससे हमारे डांग में बहुत कुछ काम भी हुआ। मैंने एक क्वेश्चन लगाया और मांग की कि डांग विकास बोर्ड जो माननीय भैरोंसिंहजी ने गठित किया था, उस डांग विकास बोर्ड को दुबारा गठित किया जाए जिससे हमारे डांग एरिये का विकास हो सके।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, प्रोपर मेरा क्षेत्र करौली है, पूरा खनन एरिया है वहां हालत यह है कि ठेकेदार के पास एक किलोमीटर का टुकड़ा है और वह दस-दस किलोमीटर पर अपना काम चला रहा है। वहां आज तक वन विभाग ने चिन्हित नहीं किया कि वन विभाग कहां होकर है। ठेकेदार करोड़ों कमाते हैं और मजदूर को कुछ नहीं मिलता है। मेरा निवेदन है, सदन में हमारे मंत्रीजी बैठे हुए हैं, कि जिस जगह दस किलोमीटर में वह ठेकेदार ठेकेदारी चला रहा है उस जगह को उन मजदूरों को दिया जाए जो उस खान में काम करते हैं। "जिसका हथौड़ा जिसकी खान, मांग रहा मजदूर किसान" जय भीम, जय भारत।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय रघुवीर सिंहजी मीणा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : माननीय सभापति महोदय, 12 तारीख को राजस्थान की आदरणीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने जो बजट प्रस्तुत किया उस पर हो रहे वाद-विवाद में मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, कुछ महीनों पहले आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने परिवर्तन यात्रा शुरू की थी मेवाड़ से। मेवाड़ से शुरू की और उनको सफलता हासिल हुई। राज में आयीं, मुख्य मंत्री बनीं, वित्त मंत्री बनीं और बजट प्रस्तुत किया अपना। इसमें मुझे यह कहना है कि जिस मेवाड़ से शुरूआत की उन्होंने, उस मेवाड़ के बारे में विशेष कुछ उल्लेख

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

नहीं किया इस बजट में। और तो और, हमारे युग पुरूष शिरोमणि प्रात: स्मरणीय महाराणा प्रताप जो आजादी की लड़ाई के आदर्श रहे हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये जिन्होंने बहुत यातनाएं सहीं. उनको भी वह भूल गयीं और इस बजट में उनका नाम तक नहीं लिया। मेवाड़ काम्पलेक्स के थ्रू कुछ काम कराएंगी, ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं किया। यह बात इसलिये कह रहा हूं कि आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने अपनी परिवर्तन यात्रा के दौरान कुछ लोगों को चेतावनी दी थी कि खबरदार. मैं क्षत्राणी हूं. ठीक नहीं रहेगा। क्षत्राणी से यह तो उम्मीद की जा सकती थी कि महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरूष को वह भूले नहीं। उनकी जहां कर्म भूमि थी. राज तिलक था. उसके बारे में कोई न कोई बजट में प्रावधान रखना चाहिये था।

चूंकि समय का अभाव है, मैं लम्बी-चौड़ी बात कहूंगा तो आप घंटी बजाएंगे। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र के बारे में विशेष कुछ इसलिये नहीं कहा गया कि सदन में काफी सदस्य हैं और सबको बोलने का अवसर मिला नहीं है। हमारे क्षेत्र के तीस विधान सभा क्षेत्रों से अठारह क्षेत्र में जनजाति के विधायक चुनकर आते हैं, बहुत लम्बा -चौड़ा क्षेत्र है। ट्राइबल सब प्लान इलाका है जो दो. तीन, चार, पांच जिलों को कवर करता है। उसके बारे में बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं उन पर आऊं उसके पहले इस बजट में बहुत तारीफ भी की और यह कहा गया कि टैक्स कम कर दिया. या शुल्क कम कर दिये। एग्जाम्पल के तौर पर पंजीयन शुल्क की बात करूं मैं, 11 से 8 प्रतिशत किया आपने। 8 प्रतिशत का मतलब 9 प्रतिशत हुआ। रजिस्ट्रेशन शुल्क एक प्रतिशत अलग से लगता है। आपने 8 प्रतिशत किया है, रजिस्ट्री कराने जाओगे तो 9 प्रतिशत जोड़ेगा। 8 प्रतिशत में...(व्यवधान) सुनिये मेरी बात। मेरी बात सुन लीजिये। मैं अभी बताता हूं। अभी बता रहा हूं। (व्यवधान) आपने 11 से 8 किया है कि 12 किया है, अभी बताता हूं। 11 से 8 किया, वह लगेगा 9 प्रतिशत. कोई बात नहीं है। आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने कम किया। धन्यवाद देते हुए कोई दो राय नहीं है। आपने पावर आफ अटार्नी में 2 प्रतिशत किया. मतलब 3 प्रतिशत लगाया है। उसका क्या होगा? कोई दूसरे स्टेट में मैं राजस्थान का व्यक्ति रहता है. कोई रहता है, उसकी सम्पत्ति जयपुर में है, वह वहां से पावर आफ अटार्नी देगा. यहां रजिस्टर कराएगा तो 9 प्रतिशत तो वह और 3 प्रतिशत रजिस्टर कराने के 12 प्रतिशत उसके लगेंगे. यह मेरे कहने का मतलब है। वसुन्धराजी ने ही किया है। महिलाओं के लिये 11 प्रतिशत में से साढ़े पांच प्रतिशत शुल्क माफ किया था. साढ़े पांच प्रतिशत था। मैं यह जानना चाहता हूं कि 8 प्रितशत जो किया है उसमें महिलाओं के लिये क्या आपने चार प्रतिशत किया है? ब्लड रिलेशन में जो पहले 30 रुपया लगता था. उसको आपने दो हजार किया है। तीस रुपये प्लस दो सौ रुपये लगता था अब आपने दो हजार फिक्स

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

कर दिया तो दो हजार प्लस दो सौ मिलाकर दो हजार दो सौ रुपया लगा। आपने भार बढ़ाया है, कम नहीं किया है। शुल्क आपका बढ़ा है।

सभापति महोदय, इस तरह से कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें दिखने वाला नहीं है, आपने यह जो मारा है। वह जो बजट पेश किया है, हमारे उधर कहावत है कि एक सेठजी दुकान में से किसी को धक्का देकर बाहर निकालते हैं, पीटते हैं अन्दर बन्द करके, तो फिर पूछा जाता है कि क्या हुआ? कुछ नहीं. मैं तो बोरी से इसको झाड़कर बाहर कर रहा था, जबकि बोरी के अन्दर लोहे का बाट भरा हुआ है और वह लोहे का बाट घुमा-घुमाकर बोरी से मारता है और उस दुकान से बाहर करता है। ऐसा बजट है आपका। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात।

श्री शांतिलाल चपलोत : आप बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन जमी नहीं यह बात।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : जमेगी, जमेनी, लेकिन समय कम है इसलिए मैं भी विचार कर रहा हूं कि कहीं घंटी नहीं बजा दें। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : महाजनों के खिलाफ हैं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : नहीं, महाजनों के खिलाफ नहीं बोलता हूं।

श्री सभापति : बोलो, बोलो आप।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : सभापति महोदय, मैं उदयपुर संभाग से आता हूं इसलिए वहां तक सीमित हो जाऊंगा तो ज्यादा बैटर रहेगा। राजस्थान में घूमता जाऊंगा तो आप घंटी बजा देंगे।

सब प्लान एरिये में 45 लाख और समर्थिंग पापुलेशन है, उसमें से 30 लाख 92-93 हजार एस.टी. हैं। उसके लिये एक पैटर्न बनाया, पिछली सरकार ने, महाराष्ट्र पैटर्न आदरणीय शेखावत साहब के समय से ही इसमें प्रयास था पर वह कर नहीं पाये थे। सभापति महोदय, महाराष्ट्र पैटर्न यह है कि वहां की जितनी पापुलेशन है उस प्रतिशत के हिसाब से उसको पैसा दे दिया जाए। इतना बजट है उसमें से जो भी फण्ड है वह दे दिया जाए। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। मैं पिछली सरकार के लिए भी यह कहूंगा कि उन्होंने प्रयास निश्चित रूप से किये थे, महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने का प्रयास भी किया था परन्तु लगातार चार साल तक अकाल की वजह से मुख्य मंत्रीजी कर नहीं पाये थे। मूल जो महाराष्ट्र पैटर्न है उसके हिसाब से बजट अलाट नहीं कर पाये थे। अब मैं कहना चाहता हूं इस सरकार को कि अकाल नहीं मिला. सेन्टर से जो ब्याज कम

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

हुआ उसका पैसा भी बचा. और तरीके से भी पैसे बचे हुए मिले, उसके बावजूद भी 30 करोड़ रुपया देकर क्या नाम देना चाहते हैं? महाराष्ट्र पैटर्न को अगर मानते हैं तो उसकी जो मूल भावना है उसके अनुरूप आपको बजट देना चाहिए था। 30 करोड़ रुपया देकर आप वाहवाही लेना चाहते हो, मेरे ख्याल से यह न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है।

श्री रघुवीर सिंह भीण्डर : आपकी सरकार के टाइम पर 5 करोड़ ही था।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : मैं कह रहा हूं ना। इस बात को मान रहे हैं ना। मैंने यह पहले बात कही कि लगातार चार साल अकाल पड़ने की वजह से सरकार ने यह माना था कि अकाल की वजह से हमें जितना पैसा देना चाहिए उतना नहीं दे पाये। परन्तु आपसे करबद्ध निवेदन है कि पिछली सरकार के जो काम थे उनका अनुसरण नहीं करके आप तो कुछ अच्छा करने की कोशिश करें ताकि उस क्षेत्र के लोग जिन्होंने आपको बहुमत दिया है, आपको पुन: बहुमत दे सकें। वर्ना आपको पुरानी स्थिति में वापस ले आएंगे, यह मेरा कहना है।

सभापति महोदय, कुछ बातें तो बजट से हटकर इसलिए भी होंगी, क्योंकि न तो जनजाति की डिमाण्ड पर बहस होनी है, न समाज कल्याण की डिमाण्ड पर बहस होनी है। बिजनिस में वह हैं नहीं, इसलिए बजट के साथ-साथ दो-चार बातें दूसरी भी होंगी।

सभापति महोदय, महाराष्ट्र पैटर्न के अलावा ट्राइबल सब प्लान के इलाके में कई सारे ऐसे काम हैं जो लागू होने चाहिए। माइनिंग के क्षेत्र में फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, समता बनाम आंध्रा एण्ड अदर स्टेट, उस भावना को मूल रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। आदिवासियों को माइंस मालिक के बजाय माइंस मजदूर बनाया गया है। इस भावना पर थोड़ा सरकार विचार करे। आप अगर हित चाहते हैं तो उनको माइंस मालिक बनाने का प्रयास करें ताकि वहां के लोग आगे बढ़ सकें।

दूसरा, ट्राइबल सब प्लान इलाके में पिछले कई सालों में हम कह भी रहे हैं, सन् 1991 से लेकर 2000 तक स्पेशल बैच चलता था उदयपुर में पशुधन सहायकों का, 40-40 बच्चे हर साल ट्रेनिंग करते थे। आप जानते हैं कि एक आदिवासी परिवार से एक बच्चे को ट्रेनिंग पूरी कराने में कितना रुपया खर्च होता होगा। वह मां-बाप कहां से लाते होंगे। ट्रेनिंग करके 300-350 से भी ज्यादा बच्चे घर पर बैठे हुए हैं. सरकार इसके बारे में भी कोई विचार नहीं कर रही है। जो भी बेरोजगार ट्रेनिंग लिये हुए हैं. उनको लगाने का आपको प्रस्ताव रखना चाहिए था। नहीं तो मैं अभी भी कह रहा हूं. और पुरजोर शब्दों मे कह रहा हूं कि सौभाग्य से कहें या किसी भी तरह से कहें. हमारे सम्भाग के

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

एक प्रभावशाली मंत्री इस शासन में हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उस पूरे क्षेत्र पर आपकी निगरानी रहेगी। जो-जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए, यह मेरा निवेदन करना है।

सभापति महोदय, पहले हर साल प्रतिभावान छात्रों के लिए परीक्षाएं हुआ करती थीं। पूरे ट्राइबल सब प्लान इलाके में, उदयपुर सम्भाग में करीब 400 के आसपास बच्चे सलैक्ट होकर उच्च विद्यालयों में जाते थे। वे परीक्षाएं इस सरकार ने बन्द कर दीं। उसकी वजह से जो आदिवासी, एस.सी., एस.टी. समाज के बच्चे निखरकर आगे आते थे, प्रतिभाएं आगे आती थीं, अच्छे स्कूलों में उनको प्रवेश मिलता था, वह सब बन्द हो गया है। उसको पुन: लागू करें, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट में आप कनक्लूड करें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : सभापति महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि हम 18 एम.एल.ए. हैं, 18 में से जनता दल के सिर्फ यह बोले थे, उन्होंने भी सरकार की तारीफ पर ध्यान दिया। अब कांग्रेस की तरफ से मैं अकेला बोल रहा हूं, इसलिए मेहरबानी करके दस मिनट में मत निपटाएं। 10-12 मिनट तो बोलने दें।

श्री सभापति : टाइम तो हो गया आपका।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : पिछले साल में वहां के बच्चों के लिए, पी.एम.टी., पी.ई.टी. के लिए 45 प्रतिशत का रिजर्वेशन किया था, उसी वजह से पी.एम.टी. में कई बच्चों का सलेक्शन हुआ है। इस योजना को आप कंटीन्यू रखें।

सभापति महोदय, दूसरा, आबकारी में सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। ट्राइबल सब प्लान इलाका पूर्ण निषेध क्षेत्र माना जाता है, परन्तु आज जिस तरह से चाय की थड़ियों की तरह दारू की दुकानें खुलने लगी हैं उससे वहां का आदिवासी बर्बाद हो रहा है। इस बर्बादी को रोकने के लिए सरकार कदम उठाऐ और लीड ले, यही हमारा निवेदन करना है।

सभापति महोदय, न्याय व्यवस्था-पूरे इलाके में सबसे ज्यादा ट्राइबल्स में झगड़े होते हैं, मुकदमेबाजी होती है और लम्बे समय से मुकदमे पेंडिंग रहते हैं। मुंसिफ कोर्ट जो भी हैं वहां न्यायाधीश नहीं होने की वजह से फैसले लिम्बत रहते हैं। मेरे खुद के क्षेत्र में मुंसिफ कोर्ट है और वहां कैम्प कोर्ट लगती है, लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं होने के कारण पोस्ट खाली होने के कारण क्षेत्र में समस्याएं रहती हैं। इसलिए नियुक्ति होनी चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : एक अन्तिम बात यह कह रहा हूं कि पिछली सरकार में मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने एक योजना चलाई थी, राजस्थान के 23 लाख परिवारों के लिए मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के नाम से वह योजना जानी जाती थी। 23 लाख परिवारों को उससे मदद मिलती थी। कोई भी खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए एक रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक की मदद सरकार की तरफ से मिलती थी। वह योजना बन्द कर दी है। मेहरबानी करके कल्याणकारी कहलाने वाली सरकार है, पूर्व कल्याणकारी कदम जो बन्द कर दिया है उसको पुनः चालू करें, यह मेरा निवेदन है आपके माध्यम से।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री मदन राठौड़।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : सभापति महोदय, अब आपने ब्रेक लगा ही दिये हैं तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जय हिन्द।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : माननीय सभापति महोदय, आदरणीय वसुन्धराजी सिंधिया ने मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री के नाते जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समाज के सभी वर्गों ने उत्साह से समर्थन किया है। हमारे विपक्षी बन्धुओं के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वे केवल गालियां निकाल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि कुछ न कुछ कहना है। कल एक माननीय सदस्या ने तो सदन में यह भी कहा था कि नदी का एक किनारा अगर पक्ष है तो दूसरा किनारा विपक्ष है, और विपक्षी होने के नाते हमें कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ेगा इसलिए हम विरोध करेंगे। एक बन्धु तो यहां तक कहने लगे कि मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने इतना अच्छा बजट क्यों प्रस्तुत किया, क्या कोई चुनाव होने वाले हैं?

मैंने उनको कहा कि निकट भविष्य में कोई चुनाव होने वाले नहीं हैं, तो उसी बन्धु ने फिर कहा, ऐसा लगता है कि केन्द्र में जो कांग्रेस की सरकार है, वह एक साल के अन्दर-अन्दर शायद भंग हो जाएगी और यही सोचकर उन्होंने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है जिसमें समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर सभी को खुश करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो केन्द्र की सरकार में सम्मिलित हैं, उनके क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं। जब उनके क्षेत्र में चुनाव होंगे तो वहां पर कांग्रेस से उनका मुकाबला होगा और कांग्रेस से जब उनका मुकाबला होगा तो निश्चित रूप से केन्द्र की सरकार अपदस्थ होने वाली है, इस प्रकार का संदेह उन्होंने व्यक्त किया।

मान्यवर, बजट में जल संसाधनों के ऊपर बड़ी चिन्ता व्यक्त की गई है। बजट में

(श्री मदन राठौड़)

बताया गया है कि उपलब्ध सतही जल देश के कुल जल संसाधनों का 1.16 प्रतिशत है और भू-जल 1.72 प्रतिशत ही है। इस बारे में पूर्व की कांग्रेस सरकार ने कतई चिन्ता नहीं की। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारी सरकार ने हालांकि 675 करोड़ 54 लाख रुपए सिंचाई परियोजनाओं में व्यय करने का निर्णय किया है। हमारे क्षेत्र में जवाई बांध है, उसका एक सहायक बांध है सेही, उस सेही बांध की भराव क्षमता, प्रति वर्ष औसत 2800 एम.सी. एफ.टी. पानी आता है लेकिन उसकी कैपेसिटी केवल 1500 एम.सी. एफ.टी. पानी लेने की है। उस पर योजना बनाई थी पूर्व की कांग्रेस सरकार ने-2 करोड़ 40 लाख रुपए लगाकर सीलिंग प्लान और पी.एच.ई.डी. के माध्यम से बांध की भराव क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया था, क्योंकि 1100 एम.सी. एफ.टी. पानी जो बहकर गुजरात में चला जाता है, उस पानी का उपयोग पी.एच.ई.डी. करेगा और उस पर होने वाला पूरा खर्च पी.एच.ई.डी. वहन करने वाला था। मैं यह कहना चाहूंगा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने वहां पर टेण्डर कर दिये, स्वीकृति जारी कर दी लेकिन काम एक धेले का भी नहीं किया। कुछ भी काम नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस सरकार की भर्त्सना करना चाहूंगा कि उन्होंने इस विषय में कुछ भी काम नहीं किया।

(15.51 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, कृषि बीमा योजना के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी के पास हम लोग गये थे, एक प्रतिनिधि मण्डल को लेकर गये थे कि देश के 19 प्रांतों में फसल बीमा योजना लागू है, आप राजस्थान में फसल बीमा योजना लागू कर दें। हमने उनको बताया था कि हमारा किसान बड़ी मुश्किल से कहीं से भी व्यवस्था करता है, खेत जोतता है, कहीं से बीज का इन्तजाम करता है, फसल तैयार करता है और प्राकृतिक आपदा के कारण से उसकी फसल चौपट हो जाए तो उस किसान को सातों आंसू रोना पड़ता है। आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया, आपने कार रिपेयरिंग के लिए कम्पनी में भेज दी और पूरा का पूरा भुगतान वहां बीमा कम्पनी कर देती है, कार तैयार होकर आ जाती है। तो किसान ने क्या गुनाह कर दिया कि उस किसान के सारे अरमान चकनाचूर हो जाते हैं, सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। वह किसान जब अपनी लहलहाती फसल को देखता है, वह सपना देखता है कि मेरी फसल तैयार हो जाएगी तो निश्चित रूप से मैं मेरी बेटी की शादी कर दूंगा, या बहन का मायरा भर दूंगा या बेटे को ऊंची स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दूंगा या पत्नी के जेवर गढ़वा दूंगा। लेकिन किसी कारण से फसल चौपट हो जाती है तो उसके घर में कोई खाना भी नहीं बनता।

(श्री मदन राठौड़)

इसी प्रकार से हमारे कई बन्धुओं के पास कार्ड है, किसी के पास सेन्ट्रल कार्ड है, किसी के पास में स्टेट कार्ड है, किसी के पास में बाब कार्ड है, कहीं भी जाएं, किसी भी प्रकार का लोन ले लें। किसी भी होटल में जाएं, खाना खाएं तो केवल कार्ड देने मात्र से उनका भुगतान हो जाता है, जो महीने-डेढ़ महीने बाद में उनके खाते से डेबिट हो जाता है। तो हमारे किसान का क्या गुनाह है? हमने तत्कालीन मुख्य मंत्री, अशोकजी गहलोत से कहा था कि किसान ने क्या अपराध किया है, उस किसान को भी निश्चित रूप से इस प्रकार का सहयोग मिलना चाहिए। जब देश के अन्दर किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू है तो राजस्थान में क्यों नहीं लागू कर देते? उन्होंने कहा कि अभी यदि लागू किया तो निश्चित रूप से. उस समय देश में प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनको यह श्रेय मिल जाएगा। निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं, आपको विचार करना चाहिए कि आपने इस श्रेय के चक्कर में उस किसान को वंचित कर दिया। और हमारी आदरणीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने तत्काल किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी कर दिये और अब यह घोषणा की है कि निकट भविष्य में सारे किसान जो किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे, उनको सबको किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे।

कृषक साथी योजना लागू की है, इस बारे में भी अभी कई हमारे बन्धुओं ने बताया था। माननीय सदस्यों ने बताया कि कृषक कार्य करते हुए किसी को यदि चोट लग जाए तो 25 हजार रुपए और कृषक कार्य करते हुए किसी किसान की मृत्यु हो जाए तो उसके आश्रित को पहले 30 हजार रुपए मिलते थे, अब 50 हजार रुपए मिला करेंगे।

ग्रामीण क्षेत्र में विकास एवं रोजगार और सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए गुरू गोलवलकर जन भागीदारी योजना प्रारम्भ की गयी है। इसमें सामान्य क्षेत्र में 30 प्रतिशत राशि जन सहयोग से प्राप्त होगी और जनजाति क्षेत्र में 20 प्रतिशत राशि जन सहयोग से प्राप्त की जाएगी, शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी जिसके वहां पर परिसम्पत्तियां स्थापित की जा सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, माननीय वसुन्धराजी ने "अपना धाम, अपना काम, अपना नाम" योजना देव स्थानों की परिसम्पत्तियों की रक्षा के लिए बनाई है। मेरे कांग्रेसी बन्धु तो मन्दिर का नाम लेते ही भयग्रस्त हो जाते हैं। वे चिंतित होते हैं कि कहीं साम्प्रदायिकता का आरोप नहीं लग जाए। हमारे पहले के मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत. अब महामहिम उप राष्ट्रपति, उन्होंने देव स्थानों को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना हाथ में ली थी। उन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया था कि देव स्थानों के विकास के लिए और वहां पर जो मेले लगा

(श्री मदन राठौड़)

करते हैं, उन मेलों में हजारों-लाखों श्रद्धालु आया करते हैं, वहां पर विधायक कोष का पैसा भी खर्च किया जा सके। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने वह सब योजना स्थगित कर दी और किसी देव स्थान पर या कोई धार्मिक स्थल पर विधायक कोष से किसी भी प्रकार का धन खर्च करने पर पाबन्दी लगा दी। मैं यह मांग करता हूं कि इस प्रकार से विधायक कोष से खर्च करने की अनुमति मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं में पहले आरक्षण की सुविधा दी गयी थी। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री श्रद्धेय भैरोंसिंहजी शेखावत ने समाज के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए नगरपालिकाओं में और पंचायत समितियों में आरक्षण का प्रावधान रखवाया था। लेकिन पूर्व की कांग्रेस सरकार ने इनका अनुदान कम कर दिया। 3 करोड़ 94 लाख रुपए पहले दिया करते थे उसकी जगह पर नगरपालिकाओं को 48 करोड़ 94 लाख रुपए और पंचायतों को पहले 36 करोड़ 53 लाख रुपए अनुदान मिलता था, इस बार उनको 130 करोड़ 40 लाख का अनुदान देने का निर्णय हमारी सरकार ने आते ही किया है। यह बहुत सराहनीय काम है, एक प्रशंसनीय कार्य किया है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने की महती योजना हाथ में ली थी। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मैट्रो सिटीज को जोड़ने के लिए सड़कें बनाने का निर्णय किया था, 6-लेन रोड बनाने का निर्णय किया था। दिल्ली से मुम्बई, मुम्बई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली, ये 6-लेन बनाने की घोषणा की थी। मुझे संदेह है कि हमारे देश में जो नई कांग्रेस सरकार बनी है, शायद इस योजना को भी रोकने का प्रयास कर रही है। मैं अपने कांग्रेसी बन्धुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि यह विकास का मामला है, इसमें राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए। आप भी यह प्रयास करें कि किसी प्रकार से यह योजना रुके नहीं और निश्चित रूप से उसको पूरा किया जाए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे नेशनल हाईवे नम्बर 14 को वंचित रखा गया है, किशनगढ़ के पास में से होकर भीलवाड़ा, उदयपुर होकर यह गुजरात को जोड़ता है। यह किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, पाली, सुमेरपुर को जोड़ते हुए गुजरात तक जाए, यह 6-लेन न सही 4-लेन का निर्माण निश्चित रूप से करवाया जाना चाहिए, इस तरह की मांग भी मैं आदरणीया वसुन्धराजी से करना चाहूंगा।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहूंगा कि पहले की सरकार के समय में गांव में कई गरीब शायद भूख से मरे हैं, ऐसे कई दृष्टांत चर्चाओं में भी आए हैं। लेकिन हमारी सरकार ने

(श्री मदन राठौड़)

निर्णय किया है कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरने पाए. उसको जिन्दा रखा जाएगा, हर हालत में उसका सहयोग किया जाएगा। हमने सरपंचों को यह अधिकार दिया है, 10-10 किलो के गेहूं के पैकेट तत्काल, बिना भुगतान किए, किसी भी भूखे व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से या और किसी माध्यम से तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए, इस प्रकार का प्रयास उन्होंने किया है।

नि:शक्तजन को रोजगार देने के लिए विश्वास स्वरोजगार योजना का प्रावधान रखा है जिसमें कोई भी बेरोजगार नौजवान 40 हजार रुपए तक के ऋण ले सकता है। इस पर 10 हजार रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार की योजना भी इस बजट में रखी है, यह निश्चित रूप से सराहनीय है।

हमारे देश में हमारे प्रांत में मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक है, यह 672, प्रति एक लाख है। इसको रोकने के लिए 200 उप केन्द्रों पर प्रसव गृह निर्माण कराने और सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। हमारे प्रांत में 74 प्रतिशत महिलाएं घरों में ही प्रसव सम्पन्न करवाती हैं। उसके लिए 10 हजार दाइयों को प्रशिक्षण दिलाने का भी निर्णय लिया गया है, यह भी सराहनीय है।

(16.00 बजे)

अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शिक्षा पर पहले की सरकार 175 करोड़ व्यय करती थी उसको बढ़ाकर इस बार 300.66 करोड़ यानी दुगुना, और इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा पर 31.33 करोड़ की तुलना में चार गुना 123.17 करोड़ का प्रावधान किया है। निश्चित रूप से शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार का प्रयास सराहनीय है।

बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से बहुत घायल हो जाते हैं, उनकी रक्षा के लिए छह ट्रोमा यूनिट और बढ़ाने का निर्णय हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किया है। इसी तर्ज पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा सुमेरपुर भी नेशनल हाईवे नं. 14 पर है, वहां पर 25 वर्षों से अस्पताल की जो स्थिति थी वही स्थिति आज भी है, इस अस्पताल को अपग्रेड किया जाना चाहिए। वहां पर जो आउटडोर लोड बहुत अधिक है उसके लिए मैं चिकित्सा मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करें।

इसी प्रकार से, इनके भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा आज ही मिला है, यह भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन आज हमें पढ़ने को मिला. देखने को मिला। यदि कुछ समय पहले मिलता तो इनके कारनामे हम आपके सामने बहुत ज्यादा रख सकते थे, लेकिन मैं दो उदाहरण आपके सामने इसमें से रखना चाहूंगा।

(श्री मदन राठौड़)

गणना. के आधार पर त्रुटि, जिसके आधार पर करोड़ों का नुकसान हो गया। धौलपुर में यह देखा गया कि एक व्यवसायी से 1997-98 के कर निर्धारण को सितम्बर, 2000 में अन्तिम रूप देते समय...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बोलते हुए 12 मिनट हो गये हैं, अब आप अपना भाषण कनक्लूड कर दें तो उचित रहेगा।

श्री मदन राठौड़ : मैं आपसे निवेदन कर रहा था, 1.1 करोड़ रुपये का कर कम आंका गया। 1.1 करोड़ रुपये की बजाय केवल 15 लाख रुपये गणना में लिख दिये गये। इस प्रकार से बहुत बड़ा नुकसान किया है गणना के आधार पर। इसमें कई और भ्रष्टाचार के कारनामे हैं, यदि इनको पढ़ा जाए और जब हम पढ़ेंगे, सारे सदस्य पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अगर किसी ने गणना में कोई गलती की है तो उसके खिलाफ एक्शन ले लें। यह कोई भ्रष्टाचार थोड़े ही हुआ, यह समझ का फर्क है।

श्री अध्यक्ष : बातें तो बहुत हैं, लेकिन आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री मदन राठौड़ : आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कनक्लूड कर दें आप। आधे मिनट में कनक्लूड कर दीजिए।

श्री मदन राठौड़ : आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्रीजी के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, परिवर्तित बजट 2004-2005 मुख्य मंत्री महोदया द्वारा पेश किया गया। यह हमारा सौभाग्य है कि मुख्य मंत्री महोदया राजघराने से हैं, राज चलाने की व्यवस्थाएं, यह कहा जाता है कि एक अच्छा राजा वही है जिसके द्वारा लगाया गया कर इस प्रकार लगाया जाय कि जिसको अदा करने में आम नागरिक को तकलीफ न हो, बोझ महसूस न हो। लेकिन इसके साथ-साथ उन करों से जो आय प्राप्त हो रही हो उस आय को इस प्रकार से खर्च किया जाए कि समाज के हर वर्ग को उसका लाभ मिले। वर्तमान बजट जो पेश किया गया है, इस बजट की यह विसंगति है कि इस बजट से समाज के हर वर्ग को, हर क्षेत्र को वो लाभ नहीं मिल रहा है जैसा लाभ मिलना चाहिए। मुख्य रूप से...

श्री महावीर प्रसाद जैन : मन से बात करो, दिल से।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : हुकुम, आप मेहरबानी रखें। (व्यवधान) इसमें व्यय करने का जो प्लान पेश किया गया है उस प्लान से मुख्य रूप से अगर राहत मिलेगी तो शहरी वर्ग को, व्यापारिक और औद्योगिक वर्ग को मिलेगी। जबकि हमारे राज्य की अधिकांश जनता ग्रामीण परिवेश में, गांवों में बसती है, उनको राहत के नाम पर यह बजट केवल सांत्वना पहुंचाने की बात करता है।

आज हम अगर सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई के नाम पर वर्तमान समय में राशि का प्रावधान किया गया है कि नये वाटरकोर्स बनाये जाएंगे, नई शहरों का निर्माण किया जाएगा। अध्यक्ष महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नये क्षेत्र, नई सिंचाई परियोजनाएं बनाएं, बहुत अच्छी बात है, नये इलाके सिंचित हों, यह हमारा सबका सौभाग्य है, राज्य के विकास की बात है। लेकिन इसके साथ-साथ जो मौजूदा हमारी सिंचाई की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो खामियां हैं, उन खामियों को सुधारने के नाम पर इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो बहुत दुःख की बात है। इस समय जहां एक और सिंचाई के पानी का अभाव है उसी के साथ-साथ, जिस विधान सभा क्षेत्र का मैं प्रतिनिधि करता हूं उस विधान सभा क्षेत्र के बहुत बड़े भू-भाग में पेयजल का भी एकमात्र स्रोत अगर कोई है तो यह नहर ही है। उस नहर के खालों और माइनरों की स्थिति यह रहती है कि जरा-सी हवा चलने मात्र से वे मिट्टी से भर जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र के अन्दर अगर इस बजट में खालों की कवरिंग का काम लिया गया होता, इसके लिए भी कोई प्रावधान किया गया होता तो निश्चित रूप से किसानों के लिए एक उपयोगी कदम होता, मैं इस बात को पुनः निवेदन करना चाहता हूं, और वह न सिर्फ सिंचाई बल्कि पीने के पानी के लिए भी सहयोगी होता।

इसके साथ-साथ यह बजट आगामी आठ माह में जो काम किये जाएंगे, उनको इंगित करता है। अध्यक्ष महोदया, आज से लगभग साढ़े सात माह पूर्व वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हुई थी, सत्ता में आई थी और सत्ता में इनके काबिज होने से पूर्व, बिल्क यह कहना चाहिए कि मतदान दिवस पर इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के टूटने के कारण एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, बहुत बड़ा इलाका जलमग्न हुआ था। ग्राम घेघड़ा और उसके आसपास की आबादियां और चक जलमग्न हो गये थे। आज साढ़े सात माह बीतने के बावजूद उस इलाके में वर्तमान सरकार उन किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पायी है, जो अपने आप में एक दुःख का विषय है। जो सरकार साढ़े सात माह में एक चक और उसके आसपास की आबादी को अगर सिंचाई सुविधा नहीं दिला पायी, वो आगामी आठ माह में यह जो प्रस्ताव किया गया है 900 करोड़ रुपये के बजट का, उस बजट को कैसे व्यय कर पाएगी, यह मेरी समझ के बाहर है।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

इस बजट के अन्दर प्रावधान किये गये, पर्यटन के क्षेत्र में विकास की बात की गई, नये-नये इलाकों को इससे जोड़ने की बात की गई। सैलानियों के हिसाब से, धार्मिक पर्यटन के हिसाब से बीकानेर जिला पर्यटन के हिसाब से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धार्मिक पर्यटन के हिसाब से बात की जाए तो श्री कोलायतजी, करणीमाता मन्दिर, देशनोक और मुकाम, जो हमारे विश्नोई सम्प्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। और वहां पर अगर सैलानी की बात की जाए तो गजनेर का किला है, बीकानेर फोर्ट है, वहां पर ऊंट महोत्सव देखने के लिए दूर-दूर से न सिर्फ देशी, बल्कि विदेशी पर्यटक भी आते हैं। उसको भी इससे जोड़ा जाए, पर्यटन मानचित्र में जोड़ा जाए, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं।

आज शिक्षा की बात की जाती है, महाविद्यालय तीन स्थानों पर प्रस्तावित किये गये हैं बीकानेर जिला और बीकानेर जिले का ग्रामीण क्षेत्र, विशेषकर लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र का लूणकरणसर कस्बा एक बहुत बड़ा कस्बा है। शहर से दूर होने के साथ-साथ विधान सभा क्षेत्र की विशालता को देखते हुए यहां पर महाविद्यालय की लम्बे समय से मांग की जा रही थी, उसको प्रस्तावित नहीं किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्र नजरअंदाजी है।

आज बात आती है खेती की और खेती के साथ-साथ पशुपालन की। बीकानेर जिला पशुधन की दृष्टि से देश के अन्दर अपना अलग स्थान रखता है। उरमूल डेयरी का संकलित दूध न सिर्फ बीकानेर से जयपुर बल्कि दिल्ली तक आपूरित होता है। आज यहां पर दुग्ध संकलन के नाम पर जो प्रयास किये जा रहे हैं, वे नाकाफी हैं। रोजगार की दृष्टि से भी, क्योंकि वर्तमान सरकार रोजगार के नाम पर ज्यादा चिन्तित है, दुग्ध व्यवसांय को बढ़ाने के लिए कृषकों को रियायती दर के साथ-साथ किसी तरीके की सब्सिडी के साथ उन्नत नस्लों के पशु उपलब्ध कराये जाएं तो एक उचित कदम होगा। बीकानेर में वेटरिनरी कालेज है, कृषि विश्वविद्यालय है, इनसे जोड़ते हुए गौशालाओं को वहां पर पुनर्स्थापित किया जाए जिसमें उन्नत नस्ल के पशु मिल सकें। यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं और वहां की इस कमी की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

आज बात हमारे सामने बार-बार आ रही है शिक्षा के विस्तार की, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर वर्तमान सरकार ने जो प्रस्तावित किया है कि हर ग्राम आबादी और ढाणी में प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराई जाएगी. इस कदम का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इस वक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बालिका शिक्षा के नाम पर चाहे केन्द्र सरकार ने और चाहे राज्य सरकार ने जो कुछ प्रस्तावित किया है, वह प्रस्ताव नाकाफी है।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

ग्रामीण क्षेत्र में आज भी हम अपनी रूढ़िवादी परम्पराओं से जुड़े हुए हैं। बालिकाओं को शिक्षा के नाम पर हम आज भी को-एजुकेशन में भेजना पसंद नहीं करते हैं। इस समय यदि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों को शुरू किया जाए और क्रमोन्नत किया जाए तो यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत सराहनीय कदम होगा। आज स्थिति यह है कि जो हमारे तहसील हैडक्वार्टर हैं, उपखण्ड हैडक्वार्टर्स हैं वहां तक पर बालिका शिक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। मसलन विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर का खाजूवाला कस्बा जो कि अपने आप में एक अच्छी आबादी रखता है और आसपास की चक आबादियां भी वहीं पर पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को भेजती हैं, वहां पर बालिका शिक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है, प्राथमिक स्तर पर भी कोई व्यवस्था नहीं है।

इसी के साथ-साथ आज बात बार-बार आती है बिजली की, हम खेती के अन्दर उन्नत तकनीक के इस्तेमाल की बात तो करते हैं लेकिन विद्युतीकरण की बात पर हम किसान का मुंह देखने लग जाते हैं कि वह हमारे को जब तक राशि नहीं उपलब्ध कराएगा, द्वार तक खींचने के लिए चाहे तार हो, चाहे पोल हो, उसको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर जो कि दूर-दूर तक फैला हुआ है, इस विधान सभा क्षेत्र में एक यह भी कमी रही है कि यहां के जो 33 गांवों के विस्थापित थे उनको आज तक पुनर्स्थापित होने के नाम पर दर-दर भटकना पड़ रहा है। वे दूर-दूर बियावान टीबों के बीच में बैठे हैं। इनके खेतों में स्थिति यह है कि वहां पर उन्होंने किसी तरह से अपनी डिग्गी का निर्माण तो कर लिया है लेकिन...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, 10 मिनट हो गये हैं, अब आप एक मिनट में अपनी बात को कनक्लूड कर दें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की विशालता को देखते हुए और आपकी दिल की विशालता को थोड़ा-सा बढ़ाते हुए मुझे पांच मिनट का समय और दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : आप अपने स्थान पर जाइये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम तकनीक के उत्थान की बात करते हैं, हम स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करते हैं, हम ड्रिप इर्रिगेशन की बात करते हैं। वर्तमान स्थिति में जिस तेज गति से डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खेती के अन्दर आय जिस प्रकार से कम हो रही है, किसान का खेती करना लाभ का सौदा नहीं रहा है। ऐसे में डीजल के द्वारा स्प्रिंकलर सिस्टम से खेती करना उसके लिए

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

असम्भव-सा हो रहा है। अगर वर्तमान सरकार अपने इस बजट के अन्दर प्राथमिकता से ऐसे क्षेत्रों के अन्दर बिजली उपलब्ध कराने का काम करे तो यह किसान वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग का कदम होगा।

मैं इस.. वक्त यही कहना चाहता हूं कि शिक्षा की दृष्टि से जिस प्रकार से महिलाओं के स्वावलम्बन के नाम पर 10 प्रतिशत पद आरक्षित किये जाने का प्रावधान है, उसमें अगर हम उनके इच्छित स्थान पर उनको पोस्टिंग देने की भी इसके साथ बात करें तो वास्तव में उनके साथ न्याय होगा। वर्ना जिस प्रकार से ट्रांसफर्स के नाम पर या दूरगामी स्थानों पर पोस्टिंग के नाम पर प्रताड़ित होना पड़ता है, वह उनके साथ में न्याय नहीं होगा।

आज जो सरकार द्वारा आबियाना माफ किया गया, एक सराहनीय कदम है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष यह है कि यह आबियाना माफी का आदेश जिस समय जारी किया गया, तब तक अधिकांश काश्तकार अपनी आबियाना राशि जमा करा चुके थे। सरकार ने अपनी जिस अच्छी सोच के साथ घोषणा की है उसी के साथ अगर दूसरी घोषणा यह भी हो कि जिन भी किसानों ने अपना आबियाना जमा करा दिया है उनका या तो आबियाना लौटाया जाएगा या उनके खाते में जमा किया जाएगा, ऐसे आदेश पारित करें, निश्चित रूप से आपकी जो अच्छी सोच है, उस सोच को आम आदमी तक पहुंचाने में बहुत बड़ा सहयोग करेगा।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : पूर्व में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्दर ब्याज माफी का जो आदेश जारी किया गया, उस आदेश के जारी होने से पहले विभाग द्वारा इस चीज के लिए प्रचारित और प्रसारित किया गया किसानों को कि आप अपनी राशि जमा करा दें आपको ब्याज की छूट मिल जाएगी। उनके द्वारा राशि जमा करा दी गई, उनके राशि जमा कराने के बाद यह कहा गया कि आपकी जो राशि आपने जमा कराई, आदेशों के पूर्व करा दी इसलिए आपको ब्याज देना होगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस आदेश में यह संशोधन कराया जाए जो कि ग्रामीण क्षेत्र को वास्तव में राहत देने वाला होगा।

श्री अध्यक्ष : बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : पुनः. इस वक्त मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान बजट जो पेश किया गया है, इस वर्तमान बजट के अन्दर अगर कुछ

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

संशोधन किये जाएं और ग्रामीण क्षेत्र को राहत देने के लिए कुछ और आदेशों को इसमें जोड़ें तो निश्चित रूप से यह ग्रामीण क्षेत्र के आम मतदाता के प्रति न्याय होगा, अदरवाइज यह बजट भय, भूख और भ्रष्टाचार को बढ़ाने में सहयोगी है, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन सिंह देवड़ा।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से राजस्थान के 2004-05 के बजट के ऊपर चर्चा चल रही है, काफी माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी राय दी। जो बजट आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन के पटल पर रखा और जिस पर हम सबने चर्चा की, मैं ऐसा समझता हूं कि यह बजट राजस्थान विधान सभा में एक ऐतिहासिक बजट है। जिस प्रकार से मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट को पेश किया, आदरणीय अध्यक्ष महोदय. इस सदन में कई माननीय मुख्य मंत्रीजी, कई वित्त मंत्रीजी ने बजट पेश किया, मुझे भी कई बार बजट चर्चा में भाग लेने का मौका मिला, लेकिन मैं इसको ऐतिहासिक बजट इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान की पहली महिला मुख्य मंत्री और राजस्थान की पहली वित्त मंत्री के रूप में आदरणीय वसुन्धरा राजे ने जो बजट रखा, इस बजट की सभी जगह सराहना की गई और इस बजट में सभी वर्गों को छुआ गया, चाहे किसान हों, चाहे व्यापारी हों, मजदूर हों। अनुसूचित जाति की बात हो, अनुसूचित जनजाति की बात हो, महिला, मूक बधिर, बुजुर्ग, सब चीजों का इसमें समावेश किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तुत करते समय, कई बार...कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, यह आप क्या करते हैं? आप अध्यक्ष के और बोलने वाले वक्ता के बीच से गुजरते हैं?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : इस बजट को केन्द्र का बजट देखकर बनाया गया है, मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि...,

श्री अध्यक्ष : यह कौन बीच में बोल रहा है?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : जो अच्छी चीज है वह तो कांग्रेस करती है, अध्यक्ष महोदय, और जो बुरी चीज है, जो हमारी समझ में नहीं आती, हमको इनकी नकल करनी पड़ती है। यदि इन्होंने अच्छी चीज की होती तो आज यह दशा नहीं होती। ये वहां पर नहीं बैठे होते और हम यहां पर नहीं होते। लेकिन जो अच्छी चीज है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो यहां पर बजट प्रस्तुत किया, मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं मुख्य मंत्रीजी

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

की। उन्होंने जैसे ही मुख्य मंत्री का पद सम्भाला, राजस्थान के विकास का सपना जो उनके मन में था उसको साकार करने की कोशिश की और उसी के अनुरूप शपथ के बाद में सौ दिन का कार्यक्रम चलाया, जिसमें राजस्थान के लिए सड़क, पेयजल, शिक्षा हर क्षेत्र में अलग से योजनाएं बनाई गईं। दूसरा, जब महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ और वोट आन अकाउंट के समय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस धैर्य और जिस साहस का परिचय दिया कि उन्होंने ऐसा एक भी शब्द नहीं कहा कि मेरे पास में पैसे नहीं हैं, मैं राजस्थान का विकास किस प्रकार से कर पाऊंगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो व्यक्तिः कठिनाइयों का सामना करना जानता है वही चाहे तूफान हो उसमें भी पार हो सकता है। मुख्य मंत्रीजी ने उस समय भी और इस समय भी बिना यह कहते हुए काम किया कि राजस्थान का विकास करने में हमें काफी किठनाई होगी।

अध्यक्ष महोदय, चर्चा हुई कि 100 दिन का कार्यक्रम था क्या। मैं 100 दिन की उस योजना के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। विशेष तौर से हमारे जालौर और बाड़मेर के लिए नर्मदा परियोजना के लिए...

श्री अध्यक्ष : यह मोबाइल किसका बजा? किसका बजा? इसको जब्त कर लिया जाए। मोबाइल को जब्त कर लीजिये। वे किसके हैं? सत्ता पक्ष के हैं या प्रतिपक्ष के हैं? माननीय मुख्य सचेतक महोदय, जाकर उनका मोबाइल लाकर मुझे दीजिये।

श्री बंशीलाल खटीक : माफ कर दिया जाए।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विकास और जालौर और बाड़मेर के विकास के लिए जो नर्मदा प्रोजेक्ट था...

श्री अध्यक्ष : अब आप शांत होइये।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : और जिसमें लगभग साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये गुजरात सरकार को देने थे, पिछली सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपये दिये गये, लेकिन पहली बार उस योजना के तहत आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने 230 करोड़ रुपये देकर उस योजना को शुरू किया। मैं जालौर और बाड़मेर के लोगों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि जो काफी लम्बे समय से योजना रखी हुई थी. गुजरात सरकार उसको आगे नहीं बढ़ा रही थी. वह योजना आगे बढ़ी।

अध्यक्ष महोदय. यहां पर यह कहा गया कि बिजली के सम्बन्ध में जो चुनावों में घोषणा की गई थी, उससे आपने 8 घंटे बिजली दी क्या? अध्यक्ष महोदय, मैं यहां

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

कहना चाहूंगा कि दिसम्बर के बाद में लगातार किसानों को 8 घंटे बिजली मिली। महिलाओं और बच्चों के लिए 6 से 10 बजे तक और सुबह 6 से 8 बजे तक बिजली प्राप्त की गई। राजस्थान में अलग से डेढ़ लाख से एक लाख 75 लाख यूनिट बिजली प्रति दिन महंगी खरीदकर काश्तकारों को दी गयी। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहां पर सिंचाई की काफी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण से काश्तकारों को डीजल पर निर्भर रहना पड़ता था। डीजल का एक ड्रम 5 हजार रुपये में आता है, यदि एक काश्तकार 3-4 ड्रम खरीदकर उसको जलाता था तो उसको 20 हजार का तो वैसे ही नुकसान हो जाता था। उसके परिणाम पार्लियामेंट के इलेक्शन में देखने को मिले। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने बिजली की सप्लाई को पूरी तरह व्यवस्थित करने के लिए अलग से सैल बनाया और प्रति दिन उसकी मानिटरिंग होती थी। तो उसके कारण से कई काश्तकारों ने मुझे कहा कि, देवड़ा साहब, इस बार हमको पांच लीटर भी डीजल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, जो फसल का पकने का टाइम था उस समय तक लगातार बिजली मिलती रही और आज भी मिल रही है। तो, अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जो भी काम किये गये, वो बहुत ही सराहनीय काम हैं।

अध्यक्ष महोदय, पहले समय में ट्रांसफार्मर जल जाते थे, ट्रांसफार्मर जलते थे...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय समाप्ति की ओर है, कृपया आप कनक्लूड कर दें।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसी बातें नहीं कहीं जो पूर्व में माननीय सदस्यों ने कही हैं। मैंने अभी शुरू ही किया है और आप मुझे समाप्त करने की कह रहे हैं। जो कल तक यहां चिल्ला रहे थे कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं रखा. मैं वही चीजें आपके सामने रखना चाह रहा हूं।

ट्रांसफार्मर के लिए हमको बार-बार दर-दर घूमना पड़ता था, जे.ईएन. के पास में, ए.ईएन. के पास में जाते थे और जब तक वो हमको ट्रांसफार्मर देते थे तब तक हमारी फसल जल जाती थी। अभी मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की. उसमें 72 घंटे में ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट होता है। अध्यक्ष महोदय. मैं स्वयं आर.एस.ई.बी. के ए.ईएन. साहब से. एक्स. ईएन. साहब से कई बार पूछता हूं कि आपने जले हुए ट्रांसफार्मर की क्या स्थिति है. तो वे कहते हैं कि आज की तारीख में अपने पास में एक भी जला हुआ ट्रांसफार्मर नहीं है। अध्यक्ष महोदय. मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले समय में. पिछली सरकार में. मैं कोई दोष नहीं देना चाहता. लेकिन काश्तकारों को आउट

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

आफ टर्न जो कनेक्शन दिये जाते थे उसके लिए 12 हजार रुपये जमा किये जाते थे। ऐसे कई काश्तकार हैं सांचोर, जालौर, सायला में कि जिनको 12-12 हजार रुपये जमा किये हुए आज तीन साल हो गये लेकिन उनको कनेक्शन नहीं दिये गये। जब भी पूछा जाता था, हम जब भी बिजली के आफिस में जाते थे और पूछते थे कि ये कनेक्शन नहीं देने के क्या कारण हैं, तो यह बताया जाता था कि बी आर नहीं बढ़ रहा। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह मालूम नहीं कि उस समय बी आर नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन अब जो किसानों के साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बैठक की, उसमें यह घोषणा की गई कि जो भी बी आर का सिस्टम पूर्व में है उसको खतम किया जाता है। किसानों के लाखों रुपये सरकार में 3-3 साल से जमा थे, आज उन्हें डिमाण्ड नोटिस निकलने शुरू हो गये हैं। तो निश्चित तौर पर यह घोषणा किसानों के हित में बजट में है, यह बजट किसानों के हित का है और उन्हीं के लिए यह बजट बनाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पिछले पांच साल में अकाल की स्थिति थी और अकाल की स्थिति में काश्तकारों के कुओं में पानी निरन्तर नीचे गिरता जा रहा था, पानी था नहीं। ऐसे में जहां पर पानी था वहां पर काश्तकार यह चाहते थे कि हम वहां पर कुआ बनाकर पानी लाएं और पिछली राज्य सरकार ने ऐसी सुविधा भी दी थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को, क्योंकि जो अच्छा काम किया है उसे मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, कि जिन काश्तकारों के कुओं में पानी नहीं था उनके कनेक्शनों को कुछ समय के लिए रोका गया और कहा गया कि अभी आप डिसकनैक्ट करा सकते हैं। लेकिन वो प्रणाली, जैसे अभी बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं भी अपने आपको उसमें शामिल करता हूं कि जिन काश्तकारों के कुओं में पानी नहीं है पिछले 3-4 साल से और जो पूर्व सरकार द्वारा योजना लागू की गई थी, अब भी क्योंकि स्थिति तो वो की वो है, पानी है नहीं, तो ऐसी सूरत में उसको लागू किया जाए, उन काश्तकारों को रिलीफ दी जाए।

जो कनेक्शन शिफ्टिंग के मामले में बात थी, उसके लिए नियम बना हुआ था कि सवा छह बीघा जमीन आप इसी जगह खरीदें जहां पर पानी उपलब्ध है और वहां आप अपना कनेक्शन शिफ्ट कर लें और वहां से अपना कनेक्शन लेकर अपने खेत को पानी पिला सकते हैं। लेकिन अभी सरकार द्वारा इस बजट में जो सवा छह बीघा जमीन खरीदता था उसका कोई प्रावधान नहीं है, सवा बीघा खरीदकर वह अपना कनेक्शन शिफ्ट कराता है। तो निश्चित तौर पर यह भी किसानों के लिए ही योजना बनाई गई है। इसी प्रकार काफी सालों से 10-15 हजार के बीच में हर साल नये कनेक्शन दिये जाते थे। यह पहली बार है कि कई किसान इन्तजार कर रहे हैं। 10-10 साल हो गये

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

हमारे क्षेत्र में, फाइलें जमा कराई हुई हैं लेकिन उनका नम्बर नहीं आ रहा है। इस साल जो 60 हजार कनेक्शन दिये जा रहे हैं निश्चित तौर पर उन काश्तकारों को उसका लाभ मिलेगा कि जो काफी लम्बे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : 13 मिनट हो गये आपको।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है, आज माननीय मुख्य मंत्रीजी को बोलना है।

श्री अध्यक्ष : आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, काफी माननीय सदस्य आपकी घंटी के बाद भी बोलते रहे, मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं बोलते हुए मेरे चार सुझाव हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं।

राजस्थान का भू-जल स्तर निरन्तर नीचे गिरता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे पड़ौस में गुजरात राज्य है और गुजरात में कच्छ है और वहां मेरा आना-जाना रहता है, वहां पर भू-संरक्षण के कार्य कराने के बाद में मैं कहना चाहूंगा कि एक मीटर से लगाकर चार मीटर तक पानी का स्तर बढ़ा है और जो कुछ पहले नहीं चलते थे वे कुए अब चलने लगे हैं। मैं यहां पर आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान में भू-जल के लिए यदि हम भू-संरक्षण विभाग के द्वारा काम कराएं तो निश्चित तौर पर हमारी जो आज की स्थिति है, आज अखबारों में देखा कि रामगढ़ जो हमारा पीने का एक जलस्रोत है उसमें भी एक दिन का ही पानी बचा है, तो निश्चित तौर पर जल स्तर ऊपर बढ़ेगा।

इसी के साथ में, अध्यक्ष महोदय, वन विभाग के द्वारा हमारे कई पैसे, जैसे डी.आर.डी.ए. में पैसे पड़े हैं, विभाग द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में यदि एनीकट बनाये जाएं तो निश्चित तौर पर वन्य जीवों को भी पीने का पानी मिलेगा और वह जो पानी रुकेगा उससे निश्चित तौर पर वहां के काश्तकारों को भी लाभ होगा।

इसी प्रकार से राजस्थान में अवैध खनन बहुत होता है एक तरफ तो हम राजस्व की बात करते हैं, यदि हम उस अवैध खनन को रोकें तो जो हम बार-बार केन्द्र की ओर देखते हैं, वह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और राजस्थान तो आप में ही इतना सक्षम है कि उसको हम रोककर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। 15 मिनट हो गये हैं आपको बोलते हुए।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : आपने मुझे समय कम दिया है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन में इतना ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, राजस्थान विधान सभा में 12 तारीख को 2004-2005 का बजट राजस्थान की सुदृढ़, राजस्थान की सम्राट, राजस्थान की महारानी माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी, वित्त मंत्री के रूप में...

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री सम्राट थोड़े ही होता है। मुख्य मंत्री कोई सम्राट नहीं होता है जो आप सम्राट कह रहे हो।

श्री राकेश मेघवाल : सम्राट ही है। मुख्य मंत्री सम्राट है, महारानी है, सब कुछ है। राजस्थान की धरा है, वसुन्धरा। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि ऐसा बजट एक महिला के रूप में पहली बार पेश हुआ है। उसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं कि गरीब को गणेश मानकर उन्होंने बजट पेश किया है। हर वर्ग को साथ लेकर, हर वर्ग की मदद के लिए यह बजट पेश किया है। कोई भी ऐसी जाति, कोई भी ऐसा वर्ग बाकी नहीं छोड़ा जो इस बजट में समावेश नहीं हो। चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़क की हो, चाहे अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति की हो, प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक विभाग को छुआ है। आंकड़ों में जाऊंगा तो अभी घंटी बज जाएगी, आप समय भी कम देंगे मुझे, इसलिए मैं सीधा, क्योंकि कई लोग लगातार तीन दिन से आंकड़े सुना रहे थे और वही रिपीटीशन हो रहा था और माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने कह दिया कि आप सीधा परबतसर और नागौर चले जाओ, माननीय अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान) वाया किशनगढ़ जाऊं या नरैना होकर जाऊं, यह मेरी इच्छा के ऊपर है। या मैं हैलीकाप्टर से भी जा सकता हूं, यह भी मेरी इच्छा है।

मैं राजस्थान विधान सभा में पिछली बार 1993 से 1998 तक सदस्य रहा हूं और वहां से सीधा इटली भी गया हूं और इटली भी देखकर आया हूं. इसलिए मैं किधर से जाऊं, आप उसकी चिन्ता मत करो। मैं सीधा नागौर जिले के ऊपर जाता हूं क्योंकि आप मेरे भाषण में टोका-टोकी ज्यादा करोगे इसलिए मैं ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहता।

श्री अध्यक्ष : आप उन झगड़ों में मत जाओ, आप तो अपनी बात कहें। आप अपनी बात कहिये, उन झगड़ों में मत जाइये।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक इसमें भूल हुई है बजट में, यह भूल यह हुई है कि नागौर जिले पर गौर कम किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करता हूं कि या तो नागौर जिले का "ना" हटा दीजिये, उसका नाम गौर जिला रख दीजिये या उस पर गौर कीजिये। "ना" हटा दीजिये गौर कीजिये क्योंकि हमारे जिले का नाम नागौर है। हमेशा ही पिछड़ा हुआ जिला रहता है। पानी की भयंकर किल्लत है। नागौर जिले से राजस्थान में पहली बार 10 में से 9 विधायक जीतकर आये हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि नागौर जिले से नौ रत्न आये हैं। लेकिन नौ रत्नों की चमक इस बजट में फीकी है। नौ रत्नों की चमक बरकरार रहे उसके लिए इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को नागौर जिले में लाया जाए, लिफ्ट कैनाल द्वारा पानी नागौर जिले में लाया जाए, राजस्थान कैनाल का पानी नागौर जिले में लाया जाए, बीसलपुर का पानी नागौर जिले में लाया जाए। चाहे किधर से लाएं, नागौर जिले में पानी ही पानी लाया जाए। चम्बल से पानी नागौर जिले में लाया जाए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : नहीं आए तो आप इस्तीफा दे दोगे?

श्री राकेश मेघवाल : इन्द्र देवता तो, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी पूजा करवाई है, इन्द्र देवता भी जल्दी बरसने वाले हैं।

परिवर्तन यात्रा में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने परबतसर की धरती पर पांव रखा था और उन्होंने कहा था, वीर तेजाजी की जय, बाबा रामदेवजी की जय, राणा बाईजी की जय। उस दिन चार अकाल के बाद में पहली बार पूरे राजस्थान में बारिश हुई। राजस्थान की वीर तेजा भूमि, तपो भूमि, राणा बाईजी की जन्मस्थली पर और बाबा रामदेवजी की पावन धरती पर मुख्य मंत्रीजी ने पैर रखा, बारिश आई।

श्री हेमाराम चौधरी : अब के भी तो कृपा करो ना।

श्री राकेश मेघवाल : अब हो जाएगी कृपा।

श्री अध्यक्ष : बीच में व्यवधान नहीं डालें, बीच में व्यवधान नहीं।

श्री राकेश मेघवाल : आज बजट भाषण के बाद में कृपा हो जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक बांकापट्टी स्कीम है, वह है गच्छीपुरा। पिछले शासन में महामहिम उप राष्ट्रपति भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री थे, उस समय में भी इस सदन का सदस्य था, पांच करोड़ 64 लाख की स्कीम स्वीकृत कराई थी। स्कीम कांग्रेस राज में उसको धीरे-धीरे चलाया गया। अभी 28

(श्री राकेश मेघवाल)

टंकियां बनी हुई हैं लेकिन उनको पानी से नहीं जोड़ा गया। इसलिए मैं आपका भी, सदन का भी और मुख्य मंत्रीजी का भी आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उन टंकियों को पानी से जोड़ा जाए।

बजट पर तो सब लोग बोल लिये इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी एक पुरानी मांग है परबतसर रेल लाइन की, राजा-महाराजाओं के, अंग्रेजों के जमाने में वहां रेल लाइन जाती थी। कांग्रेस के राज में मैंने दिल्ली में बहुत कोशिश की थी, रेल लाइन सैंक्शन भी है, शिफ्टिंग लाइन स्वीकृत है, सब है, वह भूमि भी अवाप्त हो गई लेकिन छोटी-मोटी कई कमियों के कारण से इन्होंने वह श्रेय लेने नहीं दिया कि कांग्रेस के राज में यह काम नहीं होना चाहिए। वह रेल लाइन शिफ्टिंग का काम भी, परबतसर और मकराना का प्राथमिकता से होना चाहिए, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार जब मैं विधायक था तो माननीय मदन दिलावरजी ने समाज कल्याण का एक छात्रावास गच्छीपुरा में खोला था। मैं चुनाव हार गया और कांग्रेस का राज बना तो वे उस छात्रावास को ही ले भागे। कहीं पता ही नहीं चला उस छात्रावास का कि वह कहां गया। तो, भाइयों, आपके तो ये कारनामे हैं। इसलिए मैं दुबारा जीतकर आ गया। अगर आप कारनामे नहीं करते तो शायद... वे ले गये ना। छात्रावास ही ले गये। इसलिए मदन दिलावरजी से मैं निवेदन करूंगा सरकार के माध्यम से कि वहां छात्रावास पुन: खोलें। उप तहसील बनवाई थी, वह भी वापस ले गये। सब आदेश माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने कराये, वे उन्होंने तुरन्त कांग्रेस राज में सब वापस निरस्त कर दिये। तो वहां उप तहसील भी बने।

बहुत सदियों से राजकीय उच्चीकृत अस्पताल जो परबतसर नेशनल हाईवे पर है, जहां से हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली तक लोग जाते हैं, उस हाईवे के अस्पताल में माननीय चिकित्सा मंत्री राजेन्द्रजी राठौड़ ने दो-दो एम्बुलेंस दी थीं, आपातकालीन वार्ड का उदघाटन किया था और उस अस्पताल को शानदार अस्पताल बनाया था। लेकिन कांग्रेस के राज में उस अस्पताल को उच्चीकृत से नीचीकृत कर दिया गया, सामुदायिक केन्द्र कर दिया गया। इसलिए उसको भी वापस राजकीय उच्चीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कराने का आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

बिजली की, पानी की, सड़कों की बात है, माननीय राठौड़ साहब सक्षम मंत्री हैं,

(श्री राकेश मेघवाल)

वह कर ही देंगे. उनसे मेरी बात हो रखी है। चिकित्सा मंत्री भी हैं चिकित्सा विभाग में हैं, मैं तो यह कहता हूं, कांग्रेस के राज ने जो हमारा छीना है, वह तो देना ही देना आप। बाकी आप करो, आपकी मेहरबानी है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। आपको 9 मिनट हो गये और आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री राकेश मेघवाल : ऐसे कैसे धन्यवाद? मेरे 10 मिनट तो होने दो, अभी तो 8 मिनट ही हुए हैं, 4.31 पर शुरू हुआ था।

परबतसर और जायल, दोनों ही अनुसूचित जनजाति के विधायक हैं, वहां कालेज खोलने की सरकार से मांग करता हूं।

राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में परबतसर एक ऐसा क्षेत्र है, जहां विश्वविख्यात पशु मेला भरता है। पूरे भारत में नागौरी बछड़े और नागौरी बैल वहां से जाते हैं। पशुपालन विभाग की ओर से वहां परबतसर में एक तेजाजी का मन्दिर है, उस वीर तेजाजी के मन्दिर को ऐतिहासिक मन्दिर बनाया जाए और वहां मेले में समुचित व्यवस्था की जाए। बाहर से, हरियाणा. पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली -बम्बई से व्यापारी जो आते हैं वहां पर नागौरी बछड़े खरीदने के लिए, उनके रहने के लिए कोई अच्छा-सा सामुदायिक केन्द्र या कोई भवन बनाया जाए जिससे बाहर से आये व्यापारी राजस्थान से बाहर जाकर भूरि-भूरि प्रशंसा करें।

पर्यटन की दृष्टि से नागौर जिला, हमारी माननीय मंत्री उषाजी पूनिया नागौर जिले की हैं फिर भी मैं उनसे निवेदन करता हूं कि परबतसर में बाबा रामदेवजी का मन्दिर जो खुण्ड्यास है, राजस्थान में रामदेवरा के बाद में दूसरा मन्दिर खुण्ड्यास है, नागौर और अजमेर की सीमा पर बसा हुआ है, दो-तीन लाख यात्री मेले में आते हैं और प्रतिदिन सैकड़ों-हजारों लोग आते हैं, उसको पर्यटन से जोड़ा जाए। एक वीर तेजाजी का मन्दिर है परबतसर में, उसको पर्यटन से जोड़ा जाए। राणा बाईजी का मन्दिर है जो राजस्थान में एकमात्र है, उसको पर्यटन से जोड़ा जाए।

श्री अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राकेश मेघवाल : मन्दिरों में जो सड़कें हैं, अध्यक्ष महोदय, मन्दिरों की सड़कें किसी नीति में नहीं आती हैं। सड़क नीति में. माननीय राठौड़ साहब, देवस्थान की सड़कें प्राथमिकता से बनाने की कृपा करावें।

श्री अध्यक्ष : अब कृपया अपना भाषण बन्द करें। समाप्त करें भाषण, आपका समय हो गया दस मिनट से ज्यादा।

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की विपुल सम्भावना के लिए परबतसर, मेड़ता और जायल, इनको प्रसिद्ध स्थलों से जोड़ा जाए। परबतसर पुष्कर की तलहटियों के अन्दर बसा हुआ है और एक ही सीमा है, पूरे विश्व के लोग वहां दर्शन करने आते हैं। इसलिए परबतसर विधान सभा क्षेत्र पर विशेष आपकी कृपा रहे, माननीय मुख्य मंत्रीजी की कृपा रहे और सरकार की, सब मंत्रियों की कृपा रहे, इस भोले मेघवाल पर सब की कृपा रहे। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं इस बजट की पुरजोर शब्दों से...

श्री अध्यक्ष : श्री मुरारीलाल मीणा।

श्री राकेश मेघवाल : राजस्थान की जनता की तरफ से और राजस्थान के मतदाताओं की तरफ से और सभी वर्गों की ओर से मैं आपका और माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह ऐतिहासिक और एक कल्याणकारी बजट है। जय हिन्द, जय भारत। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरारीलाल मीणा।

श्री मुरारीलाल मीणा (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो 12 तारीख को राजस्थान का बजट पेश किया उसके सम्बन्ध में हम पिछले दो-तीन रोज से यहां देख रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। दोनों ही पक्षों के लोग, एस.टी. और एस.सी. की बातें सब करते हैं, हम तो पहली बार जीतकर आये हैं, शायद पहले भी करते रहे होंगे। लेकिन मैं मेरी ओर से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि एस.टी. और एस.सी. की केवल दो मांगें आप मान लो तो हम सब यह मान लेंगे कि एस.टी. और एस.सी. का यह सरकार भला चाहती है। बजट में यह दिया गया है कि पांचवीं पास लड़के के लिए सरकार के द्वारा ऋण सुविधा दिलवाई जाएगी। मैं यह कहता हूं कि पांचवीं पास का आप छोड़ दीजिये, आप तो ग्रेजुएट लडकों के लिए जो हमारे सत्रह हजार का बैंकलाग है उसको पूरा कर दीजिये, हम यह मान लेंगे कि सरकार एस.टी. और एस.सी. के प्रति चिंतनशील है। दूसरा, जोन आफ कंसीडरेशन जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी बिना प्रमोशन के रूक रहे हैं, जोन आफ कंसीडरेशन को यदि आप खतम कर देते हैं, सरकार खत्म कर देती है, इन दो मांगों को मान लें, तो सत्रह हजार तो हमारे जो ग्रेजुएट भाई हैं उनको नौकरी मिल जाएगी और जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हमारे हैं उनका प्रमोशन हो जाएगा।

अभी मैं सुबह देख रहा था कि ट्रांसफर के [illegible] डा झगड़ा हो रहा था। यह कह

(श्री मुरारीलाल मीणा)

रहे थे कि ट्रांसफर में भ्रष्टाचार हो रहा है, ट्रांसफर में यह हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ट्रांसफर के मामले में चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो, कांग्रेस सरकारों ने भी कमी नहीं छोड़ी। उसी का परिणाम है कि मैं खुद सर्विस छोड़ कर, ट्रांसफर से परेशान होकर यहां एम.एल.ए. बनकर आ गया। मेरे दस ट्रांसफर हुए कांग्रेस गवर्नमेंट में और उसी का परिणाम रहा कि मैंने परेशान होकर नौकरी छोड़ दी और एम.एल.ए. बन गया। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि ट्रांसफर की एक नीति बनाई जाए। मैं सारा देखता हूं कि मंत्रियों के भीड़ लगी रहती है, नब्बे प्रतिशत मंत्री महोदयों का और सरकार का समय ट्रांसफर और पोस्टिंग में खराब हो रहा है। तो एक ऐसी नीति बना दी जाए कि पांच साल या इतने दिन तक एक आदमी को एक जगह रहना पड़ेगा। कोई गलत काम करता है उसकी बात अलग है।

अब मैं बजट पर आता हूं। एक बात और मैं देख रहा हूं सदन में कि अधिकतर लोग-बाग बजट से अलग हटकर फिफ्टी परसेंट समय को वैसे ही जाया कर रहे हैं। कोई होली गा रहा है, कोई दीवाली गा रहा है और बजट की बात पर बहुत कम लोग -बाग तर्क-वितर्क कर रहे हैं। मैं सड़क के मामले में निवेदन करूंगा कि बजट में मुख्य मंत्री महोदय ने सौ दिन की कार्य योजना के तहत 986 गांवों को सड़क से जोड़ना बताया जिनकी लम्बाई 3956 किलोमीटर बताई गई है और यह कहा गया है कि हमने सौ दिन के अन्दर यह डामर सड़क बना दी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सौ दिन के अन्दर तो इन सड़कों के टेंडर भी सरकार पूरे नहीं कर सकती। इन सड़कों के जो टेंडर हुए थे वे एक-डेढ़ साल पहले हुए थे, लेकिन उनके पूरा होने का टाइम मार्च करीब आ रहा था, उन सब को जोड़कर बता दिया कि हमने 986 गांवों को सड़क से जोड़ दिया।

दूसरा, आदरणीय राठौड़ साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए आपने बिलकुल एक आबादी के हिसाब से नीति बना रखी है। अभी आपने चार जो स्टेट हाईवे थे उनका बी.ओ.टी. के माध्यम काम दिया है, करीब उसमें हजार-डेढ़ हजार किलोमीटर की हमको बचत हो रही है। इसी प्रकार की एक पालिसी मिसिंग लिंक के लिए भी आप बनाएं। सिस्टम से यदि मिसिंग लिंक बनायी जाए तो कई आपने देखा होगा कि एक तहसील से दूसरी तहसील में जाने के लिए हमको तीस -तीस, चालीस-चालीस किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है उसमें हमको बचत हो सकती है। तो मिसिंग लिंक के लिए भी एक सड़क नीति आप बनाएं।

(श्री मुरारीलाल मीणा)

दूसरा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकतर माननीय सदस्यों को यह पता नहीं होगा, हम देखते हैं कि हमको यही पता नहीं कि यह सड़क पी.डब्ल्यू.डी. की है या यह सड़क मण्डी सिमति की है। पी.डब्ल्यू.डी. वालों से बात करते हैं, कहते हैं कि यह तो मण्डी समिति की है। मण्डी समिति वालों से बात करते हैं तो कहते हैं कि पी.डब्ल्यू.डी. की है। इस वजह से सदस्य महोदय को यह पता नहीं होता कि इसकी मेंटिनेंस कौन करेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बिलकुल फिक्स सड़कों का यह बोर्ड लगा होना चाहिए कि यह सड़क पी.डब्ल्यू.डी. की है या यह सड़क मण्डी समिति की है।

सिंचाई के बारे में आपसे मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य में सतही जल का स्तर 1.16 तथा भू-जल का स्तर 1.72 है। पिछले काफी अरसे से बरसात काफी कम हो रही है इस कारण भूजल स्तर काफी नीचे गिरता चला आ रहा है। हमारे जो भी बरसात होती है उसका भी अधिकतर पानी उत्तर प्रदेश और गुजरात में बहकर चला जाता है। मेरा स्वयं का क्षेत्र बांदीकुई है, वहां से तीन नदियां निकलती हैं और वहां जब बरसात होती है तो उनमें काफी मात्रा में पानी आता है, पर वह बहकर उत्तर प्रदेश की साइड चला जाता है। यदि हर दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर के ऊपर बड़े-बड़े एनीकट बना दिये जाएं और उस पानी को रोका जाए तो हमारे जल का स्तर काफी ऊंचा आ सकता है।

दूसरा, अकाल में हर साल पैसा खर्च होता है, जैसे मेरे को पता है, कि पिछले अकाल के अन्दर हमारी बसवा तहसील के अन्दर ही करीब सात-आठ करोड़ रुपये खर्च हो गये। उस पैसे का तरीके से सदुपयोग यदि किया जाए, अकाल प्रबन्धन की यदि नीतिगत व्यवस्था की जाए तो अकाल से हम काफी बच सकते हैं। अभी दो-ढाई महीने निकल गये, बरसात हो नहीं रही है, लोग काफी परेशान हैं, तो इसके लिए सरकार को अभी से पूरी तैयारी करनी चाहिए। पता नहीं बरसात होगी या नहीं होगी, इस वजह से सारे लोग असमंजस में हैं।

खान के मामले में आपको थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा कि खानों से, जैसा मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट में बताया है, राज्य के अन्दर चार लाख साठ हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से और इक्कीस लाख व्यिक्तयों को परोक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। हम यह नहीं कहते कि वन क्षेत्र नहीं होना चाहिए। वन क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए।लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण या कभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कभी किसी चीज के द्वारा खानें बन्द हो जाती हैं, उस तरह से सारे लोग बेरोजगार हो सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार हमारे गवर्नमेंट रेकार्ड के

(श्री मुरारीलाल मीणा)

अन्दर वन भूमि. चारागाह भूमि. कृषि भूमि. सिवाय चक भूमि दर्ज है, यदि सारे राज्य में सर्वे करवा कर खान भूमि परमानेंट ही सैट कर दी जाए तो यह बार-बार का जो झंझट है सुप्रीम कोर्ट का, यह खत्म हो सकता है। यह झंझट खत्म हो सकता है जो एन.ओ.सी. लेने की समस्या है जिसके लिए लोग चक्कर काटते रहते हैं। अभी एक भाई बता रहे थे कि पांच-पांच, छह-छह महीने में एन.ओ.सी. नहीं मिलती है। मेरे हिसाब से तो एक साथ में ही पूरे राजस्थान का सर्वे करवाकर जमीन को इस तरह से बांट दिया जाए कि यह वन भूमि है, यह वन पहाड़ है। इसमें बिना किसी एन.ओ.सी. के कोई भी आदमी लीज ले सकता है और उसका संचालन कर सकता है। तो काफी सरकार के समय और पैसे की बचत हो सकती है।

दूसरा मैं शिक्षा मंत्री महोदय से इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, बजट में आपने यह कहा कि हम सबको शिक्षित करेंगे। अभी मैंने आपकी एक लिस्ट देखी थी, आपने 1556 प्राइमरी स्कूल राजस्थान में खोले हैं, बड़ा उसमें पक्षपात किया है। किसी विधान सभा क्षेत्र में तो आपने 50-50 खोल दिये, किसी में 60-60 खोल दिये और कहीं एक भी नहीं खोला। यानी 1556 हैं उसमें कहीं एक भी नहीं खोला। करौली में भाई सुरेशजी के एक भी नहीं खोला, हमारे दो खोले। हम यह नहीं कहते, आपके बी.जे.पी. के कार्यकर्ताओं के कहने से ही खोल दो आप लेकिन कम से कम विधान सभा क्षेत्र को तो आप बराबर रखें। ऐसा पक्षपात तो मत करो कि कहीं 50 खोल दी, बी.एस.पी. के एक के एक भी नहीं खोली और मेरे मात्र दो खोली हैं।

श्री तगाराम चौधरी : ऐसा कहीं नहीं हुआ।

श्री मुरारीलाल मीणा : मैं लिस्ट बता रहा हूं, यह लिस्ट है मेरे पास मैं बिना रिकार्ड बात नहीं कर रहा हूं। चलो, खैर जो हुआ, आगे ध्यान रखना. आप दो सौ सीनियर सैकण्डरी खोलेंगे और चार सौ...(व्यवधान) हां, तो हो सकता है। उस हिसाब से यदि आप खोलेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री राकेश मेघवाल : ...(व्यवधान)...जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं खोली।

श्री मुरारीलाल मीणा : दूसरा एक निवेदन और आपसे लास्ट में करूंगा कि सरकार ने अभी बिजली कनेक्शन में कन्सेशन दिया है बीस एच.पी. के ऊपर। यहां पर मेरे हिसाब से 50% विधायक किसान वर्ग से हैं, किसी भी किसान का कनेक्शन बीस एच.पी. का होता ही नहीं, सबके 7.5 और 10 एच.पी. के होते हैं। इससे किसान को कोई फायदा नहीं है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 20-20 के चलते हैं हमारे उधर।

श्री मुरारीलाल मीणा : हमारे बिलकुल नहीं चलते पूरे क्षेत्र में, 10, साढ़े बारह, साढ़े सात। आप सब मिल कर माननीय मुख्य मंत्री महोदया से यह निवेदन करो।

श्री बंशीलाल खटीक : (व्यवधान) हमारे यहां फायदा हुआ (व्यवधान)...सबसे ज्यादा राजस्थान में किसानों को फायदा हुआ है बिजली के मामले में।

श्री मुरारीलाल मीणा : ऐसा कुआ है क्या आपके?

श्री बंशीलाल खटीक : मेरे पास आंकड़े हैं।

श्री मुरारीलाल मीणा : 10 के, 12 के कनेक्शन होते हैं, सारे सदस्य अपन सब मिल कर निवेदन करें कि इसको 10 एच.पी. करें, मेरा मतलब यह है, मेरा मतलब आपका विरोध करने का नहीं है, मेरा मतलब है किसानों को फायदे के लिए अपन सब मिल कर कहें तो 10-10 के हो सकते हैं। दूसरा, यह एक आपने सेल्स टैक्स में बढोतरी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में व्यवधान नहीं डालें। आपके 10 मिनंट समाप्त हो गये हैं, इसलिए एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दीजिये।

श्री मुरारीलाल मीणा : एक आपने जो टैक्स एग्जम्पशन की स्कीम लागू की है कि पांच लाख एक साथ टैक्स जमा कराएगा और एक साल तक बिजनेस को फ्री करे। उसमें मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पांच लाख का टैक्स 50 लाख की बिक्री पर बनता है और अधिकतर जो छोटे लघु उद्योगधारी हैं वो साल में 20-25 लाख की बिक्री करते हैं, उनके टैक्स लाख डेढ़ लाख रुपये बनता है। यदि उनको फायदा पहुंचाना है तो यह पांच लाख की जो सीमा है इसको डेढ-दो लाख पर ले आएं। इससे बड़े उद्योगपतियों को ही फायदा होगा और छोटे उद्योगपतियों को इससे कोई फायदा नहीं होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बस समाप्त करें। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीरप्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय प्रतिपक्ष के नेता बोलें और माननीय सदन की नेता उसका जवाब दें, तब तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय...मुझे तो बात ही पूरी नहीं करने दी आपने।

(श्री अध्यक्ष)

क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय प्रतिपक्ष के नेता और सदन की नेता के भाषण की समाप्ति तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय नेता प्रतिपक्ष और सदन की नेता के भाषण की समाप्ति तक बढ़ाया जाता है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी ने जो बजट पेश किया है 2004-05 का, वास्तव में एक बहुत सराहनीय बजट व ऐतिहासिक बजट पेश किया है। उस बजट के अन्दर ममता की झलक रही है। उन्होंने जो इतना अच्छा बजट पेश किया, उसका मैं तहेदिल से स्वागत करती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे को टोकना मत, मैं 5-7 मिनट से ज्यादा बोलूंगी भी नहीं। क्योंकि मेरी आंखों का आपरेशन किया हुआ है, मैं ज्यादा बोलूंगी भी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नहीं टोकेंगे, आप तो धीरे-धीरे बोलें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : हां, आप मेरे को टोकेंगे तो मैं भूल जाऊंगी मेरी बात।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की मुख्य मंत्री ने जिस भावना से बजट पेश किया है, सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का जिस तरीके से उन्होंने ध्यान रखा है, गृहणियों का बजट का ध्यान रखा है उसके लिए मैं उनका तहेदिल से...

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मंत्रीजी। सिंचाई मंत्रीजी, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप?

मोहम्मद माहिर आजाद : ये संसदीय सचिव आये हैं और दुबारा अब।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा तो सदन के नियमों का ध्यान रखें।

श्री सांवर लाल : सारी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बैठिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, सामने विराजमान सदस्यों ने यह कहा कि महलों में रहने वाली क्या करेगी। महलों में रहने वाली ने जो कार्य किया है वो आज तक किसी भी विधान सभा में नहीं हुआ। ऐसा बजट उन्होंने पेश किया है, हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगी, मन्दिर में, हर जगह कहीं भी मैं जाती हूं तो यह कहते हैं कि क्या बजट पेश किया है। मैंने ऐसा पहली दफा सुना है, मैं भी राजनीति में कम से कम 60 से काम कर रही हूं, मगर मैंने ऐसा बजट कभी नहीं देखा कि इस बजट की क्या भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है। मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि एक महिला मुख्य मंत्री होकर ऐसा बजट दिया है। उसकी मैं जितनी सराहना करूं, उतनी कम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ मेरी दो बातें ही कहना चाहूंगी। शिक्षा के क्षेत्र में दो विश्वविद्यालय– मेडिकल एवं तकनीकी खोलने का प्रावधान है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में की जाए। जोधपुर में राज्य सरकार द्वारा संचालित सबसे बड़ा इन्जीनियरिंग कालेज है और वहां इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी मेरे सुझाव से अवश्य सहमत होंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि सामने विराजमान सदस्य जो सिरोही से आये हुए हैं, उन्होंने बड़ी भारी प्रशंसा की है अपने भाषण के अन्दर, तत्कालीन मुख्य मंत्री के बारे में इन्होंने खूब कुछ कहा। मैं सिर्फ दो बातें ही कहना चाहूंगी आपको कि पांच साल तक राज करके भी ये जहां खुद रहते हैं, वहां की एक भी गली को नहीं सुधार सके, तो ये क्या देश का भला करने वाले थे। मैं इनसे यह पूछना चाहती हूं कि इन्होंने पानी तक की समस्या हल नहीं की और मैंने मेरी मुख्य मंत्री को एक फोन किया उसके अन्दर शहर के अन्दर जगह-जगह हैण्डपम्प लग गये। पानी की समुचित व्यवस्था की, मैं इसके लिए मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।...(व्यवधान)...देखिये, साहब, बीच में कोई नहीं बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है, 2002 के अन्दर किसका राज था? मैं यह सिरोही से आने वाले सदस्य से पूछना चाहती हूं कि 2002 में कौन मुख्य मंत्री था? जो पेंशन होल्डर हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रिटायर हो गये उनको पेंशन मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनसे 50 रुपये साल के लेती थी और यह सरकार आते ही उनका चार सौ रुपये साल कर दिया, इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी और बात कहना चाहती हूं, 2002 के अन्दर जो

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

लाइफ लोंग मैम्बर होते हैं उनसे भैरोंसिंहजी की सरकार ने दो सौ रुपये लिये थे और इस सरकार ने आते ही चार हजार रुपये कर दिये। ये बताइये, क्या भाषण अपना दे रहे थे।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय. माननीय सदस्या बार-बार मुझसे पूछ रही हैं, एक बात मुझे भी बता दें कि मन्दिरों में आपको कहा कि बजट बहुत अच्छा है, भगवान ने कहा या पुजारी ने कहा. यह भी बता दें आप?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सबने कहा है। सबने कहा है। आपने क्या कहा? मैं तो कहती हूं, सब्जी बेचने वाली ने भी कहा है, हर व्यक्ति ने कहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने मेरे से ऐसा नहीं कहा हो। ऐसा कहा कि ऐसा बजट कभी देखा ही नहीं, यह शब्द कहा है। आपको इस बात की पीड़ा इसलिए हो रही है कि मैं आपकी पूर्व सरकार के बखान बांच रही हूं। मेरे अगर आंख का आपरेशन नहीं होता, नजर का चश्मा होता तो मैं आपको क्या मालूम कितने-कितने शब्द बताती कि पिछली सरकार ने क्या किया है। वो सारे आपके बखान करके बताती, आपने क्या किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अमराराम (धोद) :...(व्यवधान)...व्यासजी के बहुत बढ़िया चश्मा लगाएं जिससे ये भाषण दे सकें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि पूर्व सरकार ने कभी...

श्री रामप्रताप कासनिया : आंख दुबारा आपकी लगवा देंगे हम।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : स्कूलों के प्रति कभी अपनी योजना नहीं बनायी कि स्कूलें सुधर सकें। आप जाकर देखिये, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आयी हूं, कोई भी स्कूल अगर यह बता दें कि उसका कोई सुधार हुआ हो। कोई भी सुधार नहीं हुआ है। जो स्कूल जहां की है वहीं की वहीं पड़ी है। शिक्षा के प्रति ये बोर्ड लिखते थे कि सबको पढ़ाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ। ये बोर्ड लगते रहे थे जगह-जगह। कौन पढ़ाएं? कौन बिजली बचाएं? क्या करे?

(17.00 बजे)

कुछ भी नहीं होना था। आपके तो सारे काम कागजों में हुए हैं, हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी कागजों में नहीं करेंगी. करके बताएंगी। वह काम करके बताती हैं। कहने में और करने में बहुत अन्तर होता है, मगर वह जो कहती हैं, वह करके बताती

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

है, यह मैं आपसे कहना चाहती हूं। आपने फालतू की बात करके अपना समय खराब किया। आप सबको मिलकर इस बजट का समर्थन करना चाहिये था। जिस तरीके से रावी-व्यास पानी के बारे में आप सबने मिलकर समर्थन किया है, उसी तरीके से इस बजट का भी समर्थन करना चाहिये था। यही मेरी भावना है, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : इससे पहले कि मैं किसी का नाम पुकारूं, आज सुबह प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न संख्या 125 पर वाद विवाद के दौरान कुछ असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया था और उस पर आसन से व्यवस्था दी गई थी कि मैं उस पूरी कार्यवाही को देखूंगी और देखने के बाद मुझे कोई असंसदीय और अनुचित बात उसमें नजर आएगी तो मैं उसको एक्सपंज करूंगी। मेरी व्यवस्था निम्न प्रकार है :-

डा. एन. एस. गुर्जर द्वारा श्री रामसिंह विश्नोई पर जो नकली दवाओं से सम्बन्धित आरोप, असंसदीय अभिव्यक्ति की गई, उन समस्त अभिव्यिक्तयों को मैं कार्यवाही से एक्सपंज करती हूं। इसी प्रकार श्री रामसिंह विश्नोई द्वारा डा. एन.एस. गुर्जर के लिये जो असंसदीय शब्द "+++" आदि कहे गये, उन सभी शब्दों को भी मैं कार्यवाही से एक्पंज करती हूं।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आप नाम पुकारें उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, अपने असंसदीय शब्दों की सूची बनी हुई है उसमें नशीली दवाई कहीं असंसदीय शब्द में है क्या?

श्री अध्यक्ष : आपने यह कहा है आप नकली दवाई बनाते हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैंने बोला है नशीली दवाई। मैंने नशीली दवाई के लिये बोला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप भी आसन पर बैठते हैं और आप जानते हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : मान लिया मैंने।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपने 5 बजे स्टेटमेन्ट के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष : वह भी दिलवाएंगे, कुछ एक-दो लोगों को बोलने का और मौका दे दें। श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह समर्थन मैं मात्र इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं रूलिंग पार्टी का सदस्य हूं और ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, बिल्क पहली बार ऐसा लग रहा है कि सत्ता पर बैठे किसी व्यक्ति ने एक गरीब की मजबूरी को समझने का प्रयास किया है। उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाने का जो प्रयास हुआ है, वह सचमुच प्रशंसनीय है। जब हमारे परिवार में कोई बहुत बीमार हो जाता है, वह बिस्तर पर पड़ा होता है, सब डाक्टर जवाब दे देते हैं और दुआओं के लिये हाथ उठते हैं, उस समय कोई ऐसा डाक्टर आ जाए जो उस व्यक्ति में जान डाल दे, उसको फिर से चलता-फिरता कर दे, ऐसा इस बजट को देखने के बाद राजस्थान की जनता महसूस करेगी। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बजट को बहुत साधना के बाद बनाया है. कवि निराला ने कहा है:-

"साधना कभी नहीं व्यर्थ जाती।

बढ़ रहा हो पथिक तो पास मंजिल है स्वयं आती।"

इससे निश्चित तौर पर आम आदमी की दशा सुधरेगी। राजस्थान का बजट बनाते समय हर सरकार का यह फर्ज होता है कि वह राजस्थान के किसान के बारे में कुछ सोचे। राजस्थान के किसान की हालत के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा:-

"चाक जिगर को सी लेते हैं, जैसे भी हो जी लेते हैं,

दर्द मिले तो सह लेते हैं, अश्क मिले तो पी लेते हैं।"

ऐसा किसान जो हमारे राजस्थान का किसान है, उसके लिये सबसे पहले अगर किसी ने सोचा तो माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने सोचा। बारानी जमीन का लगान माफ किया। लगान माफ करने से हजारों किसानों को राहत महसूस हुई। किसी उदार से उदार राजा के समय पर भी लगान माफी की बात कभी नहीं की गई। मैं उन भैरोंसिंहजी साहब जो आज हमारे महामहिम हैं, उनको धन्यवाद देते हुए माननीय वसुन्धराजी को फिर धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं किसान मोर्चे में 4-5 साल से काम कर रहा हूं, हमने अशोकजी गहलोत की सरकार के खिलाफ बड़े-बड़े धरने और प्रदर्शन किये। हमने कहा कि अटलजी ने फसल बीमा योजना लागू कर दी है, 19 राज्यों में लागू हो गयी है, आप यहां पर भी लागू करो। लेकिन कई धरने और प्रदर्शन के बाद भी वह योजना लागू नहीं हो पाई। वसुन्धराजी ने आते ही 14 फसलों पर यह जो बीमा योजना लागू की है। यह सचमुच किसानों के लिये बहुत बड़ी राहत है। हमारे गृह मंत्रीजी

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

गुलाबचन्दजी कटारिया कहते हैं कि किसी गांव में जब जाओ और केलू का घर अगर कोई नजर आए तो वह किसान का घर होता है। किसान की यह स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है। अगर एक बच्चा जब पैदा होता है और जब वह शैव काल में होता है उसको अगर हम विटामिन, मिनरल्स पूरा नहीं दें तो वह आगे जाकर जीवन में बहुत दु:ख पाता है। जब प्रदेश शैव काल में था तब हमारे सामने बैठे लोगों का राज था, और आज जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरह से ढांचा बिगड़ा हुआ है उसके लिये हम लोगों से ज्यादा ये लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन वसुन्धराजी के इस बजट से ऐसा लग रहा है कि 55 साल बाद हमको यह राज मिला है, बुढ़ापे में भी यौवन का संचार इस बजट से होने वाला है, ऐसा हमको लग रहा है।

माननीय अध्यक्षजी, मैं पहली बार विधान सभा में चुनकर आया हूं इसलिए बजट पर विशेषज्ञ की तरह टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कौन किसें हरा कर आया है, यह प्रसंग कैसे आ गया? आप क्यों बीच में बोलते हैं बैठकर? कहां की बात कहां ले जाते हैं।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर : क्योंकि पहली बार चुनकर आया हूं इसलिए विशेषज्ञ की तरह इस बजट पर टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। लेकिन पिछले तीन दिनों से मैं यहां पक्ष-विपक्ष की बहस सुन रहा हूं, कई वरिष्ठ लोगों के चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनके भाषण सुने, लेकिन इस बजट में कुछ भी क्रिटिसाइज करने लायक विपक्ष ढूंढ नहीं पाया। वैसे तो हर चीज को देखने के दो रुख होते हैं-कोई कहता है आधा गिलास खाली है, कोई कहता है आधा भरा हुआ है। लेकिन विपक्ष के पास तो इसको खाली कहने की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। इस बजट में बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर कहां कहां सरकार की जरूरत होती है, उस हर चीज का ध्यान रखा गया है। बच्चा जब पैदा हो तो कुपोषण का शिकार नहीं हो, उसके लिये इन्तजाम। मातृ मृत्यु दर अगर बढ़ रही है उसके लिये इन्तजाम। बच्चा जब बड़ा हो जाएं, पढ़ने जाए तो उसके लिये इन्तजाम। बच्चा जब नौकरी की तलाश में हो तो नौकरी के इन्तजाम। जब बीमार हो जाएं तो चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार। व्यापारी के लिये भी इसमें है, सरकारी कर्मचारियों के लिये भी है। यह बजट सब तरह से...(व्यवधान) वृद्धावस्था वालों के लिये तो है ही, लेकिन वह हम लोगों को कम नजर आ रहा है, चपलोत साहब को ज्यादा नजर आ रहा है। भूमि रूपान्तरण के लिये जो अलग-अलग नियम बने हुए थे और किसानों को इससे जो दिक्कत हो रही थी, उसके लिये भी नियम बनाकर मुख्य मंत्रीजी ने किसानों को बहुत राहत दी है। इसके अलावा पम्प सैटों पर और दूसरी चीजों जिप्सम वगैरह पर जो कर कम किये हैं, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा किसानों को मिलने वाला है।

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

आम आदमी कचहरी के चक्कर लगा लगाकर बूढ़ा हो जाता है, मुझे याद है ऐसे कई लोग हैं जिनके दादा ने कोई केस किया था और पोते तक उस केस में अभी तक उलझे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिये जिसमें सरकार भी पार्टी है और उसे सरकार के हित में जारी रखना है या नहीं रखना है, इसके लिये भी एक समिति गठित की गई है। निश्चित तौर पर उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कम्प्यूटर के युग में हम किसी से पीछे नहीं रह जाएं, इसलिए विधायकों को तो कम्प्यूटर दिये ही जा रहे हैं, ई-मित्र द्वारा हरेक को हर चीज की जानकारी हो, चाहे व्यावसायिक हो चाहे सरकारी हो, सब चीजें हर आदमी तक पहुंचे और टेली मेडिसिन से विशेषज्ञ छोटी-छोटी पी.एच.सी. तक पहुंच सकें, इसकी भी इसमें व्यवस्था की गई है।

अभी सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने राणा प्रताप का नाम लिया, मेवाड़ काम्प्लैक्स योजना का नाम लिया। मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं उनको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आई...तब-तब मेवाड़ काम्प्लैक्स योजना पर द्रुत गति से काम चला है। लेकिन पिछली सरकार के दौरान थोड़ा काम कम ही हुआ। मेरी मुख्य मंत्रीजी से गुजारिश है कि इस योजना को जल्दी से जल्दी पूरा करने में सहयोग प्रदान करें। इसी तरह से पर्यटन में उदयपुर में रोप-वे निर्माण के लिये पिछली कई सरकारें रही हैं, हर बार घोषणा होती है लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने रोप-वे को इसमें सम्मिलित करके उदयपुर में ज्यादा से ज्यादा ट्यूरिस्ट आएं, और ट्यूरिज्म का जो बजट भी बढ़ाया गया है इससे निश्चित तौर से प्रदेश में बहुत सारी फारेन एक्सचेंज को लाने का प्रयास होगा। कई सरकारें निकल गयीं, लेकिन छोटी नगरपालिकाओं के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मेरे क्षेत्र में भी एक छोटी नगर-पालिका है।

श्री अध्यक्ष : आपका 2 मिनट का समय बचा है, 2 मिनट में बात कहिये।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर : अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं।

मेरे क्षेत्र में भी एक छोटी नगरपालिका है कानोड़, वहां पर आप के साधन बिलकुल नहीं हैं। कर्मचारियों को डेढ़-डेढ़ साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि इन नगरपालिकाओं को पंचायत बना दिया जाए ताकि कम से कम उनको अनुदान तो पूरा मिले। लेकिन इसमें भी राजस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना करके उन नगरपालिकाओं में भी विकास हो, इसके लिये प्रयास किये गये हैं।

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

कारगिल पैकेज पूर्व सैनिकों को भी मिले इसको ध्यान में रखकर जो हमारे देश के लिये बलिदान हुए, उन वीरों का भी सम्मान हुआ है। एक बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, विपक्ष की ओर से 2-3 बार यह बात उठी कि राजा-महाराजाओं को भगा दिया गया। लेकिन नाथद्वारा से आने वाले जो हमारे सदस्य हैं, सराड़ा से आने वाले सदस्य हैं, उनको भी मालूम है कि स्वतंत्र भारत में अगर सबसे पहले विलय किसी प्रदेश का हुआ है तो मेवाड़ के महाराणा ने दस्तख्त करके राजस्थान में अपने प्रदेश को शामिल किया। तो उनको भगाया नहीं, उनकी भी पीढ़ियां हुई हैं, जो देश के लिये बलिदान हुई हैं। उनकी भी पीढ़ियां हुई हैं 18-18 पुश्तें, एक सलूम्बर के राव साहब की खतम हो गयीं। तो उनका भी सम्मान हो। उनके लिये कुछ अनुचित शब्द हम यहां पर नहीं बोलें तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : बस समाप्त करें, समय हो गया, समय हो गया आपका।

श्री रणधीरसिंह भीण्डर : बस दो मिनट में खतम करूंगा। पीने के पानी की समस्या के बारे में देवास सैकण्ड योजना के बारे में भी इसमें चर्चा है। लेकिन मेरा जो क्षेत्र है बल्लभनगर, वह अति दोहन क्षेत्र में आता है। वहां पर मेरे पड़ौस में लसाड़िया, मावली और गिर्वा तहसील में भी यही हालत है। हमारे हैण्ड पम्प सूख चुके हैं, ट्यूबवैल सूख चुके हैं, पीने के पानी की समस्या के लिये अगर जाखम बांध से पाइप लाइन द्वारा जो सर्वे सरकार ने कराया है, वह योजना भी इसमें शामिल होती तो बहुत अच्छा होता। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक शेर से इस बात को खतम करना चाहता हूं, कि

"हमने इलाज-ए-जख्म-ए-दिल तो ढूंढ लिया

लेकिन गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है।"

सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री रघुवीर सिंह : आपने, रणधीरसिंहजी, राजेन्द्रजी राठौड़ को पछाड़ दिया।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़) : माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान प्रदेश की जनता के लिये राजस्थान सरकार के द्वारा सन् 2004-05 के बजट पर यहां चर्चा हो रही है और इस बजट की चर्चा में शामिल होते हुए सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किये हैं। मैं समझता हूं कोई भी सरकार बजट बनाते वक्त यह देखती है कि मेरा बजट सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो। इसी बात को ध्यान में रखकर

(श्री रामचन्द्र सराधना)

बजट बनता है। वर्तमान सरकार ने भी वैसा ही सोचकर बजट पेश किया है। यहां पर बहुत सारी बातें आयीं। कुछ लोग कहते हैं, मैं विरोध करता हूं, कोई कहता है मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर. मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, यहां आने वाला हर सदस्य अपने विधान सभा क्षेत्र की पैरवी करने के लिये आता है। जैसा बजट बनता हे उस बजट में कमी-खामी क्या रही, क्या संशोधन होना चाहिए. इन बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यह नहीं कि बड़ाई करके चले जाएं, या बुराई करके चले जाएं।

मान्यवर, बजट बनाने में बड़ी कला दिखायी गयी है, बड़ी चतुराई से बजट बनाया गया है। बहुत सारे माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि हम इलाके में गये तो लोगों ने कहा, बहुत अच्छा बजट बना है। हर मीठी दवाई बड़ी नुकसान करती है। अभी तो अच्छा लगता है, अगले वर्ष परमात्मा ने किया और बजट अपन यहां बनते, सुनते देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि बजट कैसा बना है। कला के लिये मैंने ऐसे कहा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी बड़ी समझदार हैं। कला शब्द इसलिये उपयोग किया कि दिल्ली से राजस्थान में पधारीं इसमें भी कला। आपने मंत्रिमण्डल बनाया इसमें भी कला और आपने 3 सीटें खाली छोड़कर भी ऐसी कला दिखाई कि बड़ा काम्पीटीशन रहा है। यह सारी कला की बात है।

मान्यवर, यदि वास्तव में बजट अच्छा है तो यह महसूस कराता सारे देश को भी कि राजस्थान में नान-टैक्स बजट आया है और राजस्थान की जनता खुश हो रही है। बिना टैक्स लगाये बजट आया है, यह भी कला है। बिना पैसे के यदि सरकार चल गयी, बिना पैसे के यिद राजस्थान का भला हो गया तो मैं भी इसकी बढ़ाई करूंगा। मान्यवर. यदि बिना पैसे के सरकार चल जाए और जनता का भला हो जाए तो? परसों के दिन मेडिकल मिनिस्टर महोदय ने एक जवाब दिया था कल्याण चिकित्सालय, सीकर के लिये कि नये पद सृजित किये जाएं, उन्होंने इसका जवाब यह दिया था कि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण हम अब नये पद सृजित नहीं कर सकते। वित्तीय संसाधनों की कमी कहां आ गयीं? आप तो जनता को फील गुड कराने में लग रहे हैं, फिर आप के पास वित्तीय संसाधनों की कमी कहां आ गयी? वित्तीय संसाधन भी तो पूरे होने चाहिए थे। यह बात सही है, पहले वाली सरकार ने कुछ कमियां छोड़ीं। लेकिन जब वहां बैठते थे हम भी ऐसे ही करते थे और ऐसी ही बातें किया करते थे। न तो इधर आने का हमारा दोष रहा. न आप उधर चले गये तो आपने कमाई कर ली। यह तो जनता का आशीर्वाद है इधर से उधर होता रहता है। हम इधर आ गये कोई खास बात नहीं, क्योंकि मुझे भी लगता है आप भी वहां टिक नहीं पाओगे। मान्यवर, यदि ऐसा ही बजट है तो 58 वर्ष से 60 वर्ष करने की क्या जरूरत थी? यह राजस्थान सर्विस रूल्स से

(श्री रामचन्द्र सराधना)

छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत पड़ गयी? 2 वर्ष बाद फिर क्या होगा? आपने 58 से 60 तो किया, 58 से 5 वर्ष बढ़ाकर 63 कर देते तो समझ जाते कि आने वाला दिक्कतों में आएगा। यह आपको ही भोगना पड़ेगा। (व्यवधान) मान्यवर, आप मेहरबानी करिये। (व्यवधान) मैं निवेदन यह करना चाह रहा था, कुछ यह भी बात हुई है हमारी, यह भी परेशानी हुई है कि इस वर्ष का जो बजट बनाया था, 2003-04 का, बजट अलोकेट होता हे मई और जून के महीने में, सितम्बर से चुनाव की अधिसूचना जारी हो गयी. हम उसमें खर्चा नहीं कर पाये। नहीं खर्चा करने की जिम्मेदारी तो हमारी हो गयी, ओलमा हमें मिल गया, लेकिन बचत में पैसा आपको मिल गया। आपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाकर पैसा बचाया। बहुत तरीके से कैसा आपको मिला। हमारा पैसा ड्यू था, हमारी सरकार ने जो मांग की थी केन्द्र सरकार से, वह पैसा आपके पास मिला। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। मान्यवर, आपने प्लान साइज बढ़वाने में बड़ी होशियारी की है। लेकिन यह प्लान साइज को बनाये रखेंगे, तब मालूम पड़ेगा। बहुत सारी हमें भी खुशी हो रही है, आप भी खुश हो रहे हैं। हम कोई इसका विरोध नहीं करना चाह रहे हैं। हम एक निवेदन करना चाहते हैं, हो सके, सरकार के कानों में हमारी बात चली जाए तो उसको थोड़ा-सा गौर करना, क्या बात है। मैं मोटी-मोटी बात पर निवेदन करना चाहता हूं।

आपने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले, बड़ी खुशी रही, अच्छा किया। इसमें एस.सी., एस.टी. और माइनोरिटी की बालिकाओं को रखा जाएगा. पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी, आवास की व्यवस्था की जाएगी, किताबों की व्यवस्था की जाएगी, बहुत अच्छा किया। हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। लेकिन ओ.बी.सी. की लड़कियों ने, बालिकाओं ने क्या पाप कर दिया था? कहां दिक्कत आ रही थी आपको? ओ.बी.सी. की बालिकाओं को इसमें जोड़ देते। यह मंशा जो आपकी थी, सारे समाज में यह मंशा भी जाहिर होती कि वाकई सब लोगों का बराबर कल्याण करना चाहते हैं, सब लोगों का बराबर भला करना चाहते हैं।

दूसरा एक मुद्दा दिया आपने, विद्यालय परिसरों में सामुदायिक अधिगम केन्द्र बनाएंगे। विद्यालय परिसर में सामुदायिक अधिगम केन्द्र बनाने का क्या मायना है। यदि सामुदायिक गतिविधियां छात्रों की चलेंगी तो वैसे स्कूलों में कम लाठियां चलती हैं, और यदि आपने ग्रामीण लोगों की गतिविधियों का संचालन किया सामुदायिक केन्द्रों में, मैं समझता हूं इसका दुरूपयोग होने का अंदेशा ज्यादा है क्योंकि आपने इसका संचालन ग्रामीण लोगों पर छोड़ा है, गांव के लोग इसका संचालन करेंगे। विद्यालय परिसर में सामुदायिक अधिगम केन्द्र चलेंगे, संचालन गांव वाले करेंगे,

(श्री रामचन्द्र सराधना)

मुझे इसमें सन्देह लगता है, कहीं पर कोई शाखाएं तो नहीं लग जाएंगी। इसलिये इस पर गौर करना चाहिए। यदि वाकई छात्रों का भला करना चाहते हैं, यदि सामुदायिक अधिगम केन्द्र बनाना चाहते हैं तो मैं एक निवेदन करूंगा सरकार से कि सामुदायिक अधिगम केन्द्र की जगह छात्रावास बना दिये जाएं हर स्कूल में। विद्यालय में छात्रावास बना दीजिए, बच्चे रहेंगे और कम्युनिटी लाइफ का आराम से डवलपमेंट भी होगा, उन बच्चों का भला भी होगा।

आपने एक बड़ी जोरदार बात की है, आयुर्वेद के साथ इतना बड़ा मजाक किया है। आयुर्वेद के बहुत सारे चिकित्सक बेरोजगार बैठे हैं, बड़ी उम्मीद थी। आपने भी उनकी उम्मीदों को जगाया था, उन्होंने भी बड़ी आशाएं बांधी थीं। आपने 35 औषधालय सारे राजस्थान में खोलने की बात की है। आपने 10 तो यूनानी चिकित्सालय खोलने की बात की है। और तो और. पांच आयुर्वेद औषधालयों को शैया युक्त बनाने की बात की है। इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आयुर्वेद को? बड़ाई तो आप बहुत करते हैं आयुर्वेद की. किया क्या आपने? हमने किया वह हमने भोग लिया। आप भी भोगना चाहते हैं तो इससे भी दुगना कीजिए।

मान्यवर, आपने रोजगार की बात की है। रोजगार बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति चाहता है रोजगार। बेरोजगारी के कारण ही युवा शक्ति हमसे नाराज रही। हमारा दुर्भाग्य था कि हमारे कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में पांच साल तक अकाल पड़ा। हमारे पैसे को, हमारी धनराशि को उस काम में ज्यादा हमने लगाया कि आदमी जिन्दा रहना चाहिए। मवेशी जिन्दा रहने चाहिए। हम रोजगार नहीं लगा सके। युवा शक्ति हमारे खिलाफ रही। आपने उसको भुनाया। हमारी इस कमजोरी को आपने भुनाया और आपने तैयारी की। लेकिन इस बजट में आपने बहुत गौर से पढ़ा होगा, हर माननीय सदस्य ने, एक भी जगह पर आपने यह नहीं कहा कि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आपने रोजगार खोले हैं, रोजगार बताये हैं। वह एक लाख वाली बात तो आप भूल गये. लेकिन अब जो रोजगार दिये हैं, आपने दिये हैं, कहां पर? खदानों में, मछली पकड़ने में, वन विभाग में खड्डे खोदने में। यह श्रम प्रधान रोजगार तो पहले भी था और कांग्रेस ने लाखों आदमियों को अकाल के टाइम पर श्रम प्रधान रोजगार दिया था। मान्यवर. क्या यही उम्मीद थी सरकार से कि यह इस तरह के रोजगार देंगे? आज शिक्षित युवा बेरोजगार लड़का युवक बहुत निराशा में है। उसमें निराशा इस तरह से है कि उसका बखान सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बड़ी गलती हुई। लेकिन पांच वर्ष का मामला हो गया, अब क्या करें? आपको गौर करना चाहिए। आपने जो वादा एक लाख का किया था, उसकी जगह 50 हजार कीजिए लेकिन कोई एक्यूरेट बात कीजिए।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

माननीय, शिक्षा मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं, इन्होंने कहा था कि एक जुलाई तक कोई स्कूल खाली नहीं रहेगी, हम भर देंगे। अब कहते हैं कि वह हाई कोर्ट आ गया। यह तो हमारे भी आ गया था। फिर हमारी मजबूरी आप नहीं समझ पाये थे। यह आपके साथ भी आएगा और हमारे साथ भी आएगा। वैधानिक अड़चनें हैं, लेकिन इसके लिए हमने एक व्यवस्था की थी। व्यवस्था की थी कि गैस्ट फैकल्टी से टीचर लगाने की। आपने उसको खतम करने की कोशिश की है। आप मेहरबानी करके जब तक आपका विधि-विधान पूरा नहीं हो जाए, आर.पी.एस.सी. से सलेक्शन नहीं हो जाए, जब तक आपकी अड़चनें दूर नहीं हो जाएं, मेहरबानी करके इन क्लासों को चलाने की व्यवस्था कोई कीजिए।

श्री अध्यक्ष : आपका समय समाप्त होने जा रहा है, एक मिनट में आप अपनी बात कहिये।

श्री रामचन्द्र : मैं जानता हूं, आप मेरे समय ऐसा ही करेंगे। दो-तीन बातें और कहूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फसल बीमा के लिए...

श्री अध्यक्ष : आपने 5.13 बजे बोलना शुरू किया था। 5.13 बजे आपने बोलना शुरू किया था।

श्री रामचन्द्र : आपकी मेहरबानी चाहता हूं। दो-तीन मिनट में, मैं कोई गलत तो बोल नहीं रहा हूं।

फसल बीमा की बात कर रहे थे। फसल बीमा के लिए बड़ी दुंदुभि बजा रहे हैं, बहुत ढिंढोरा पीट रहे हैं। फसल बीमा तो जब मिलेगा जब फसल बिगड़ जाएगी। फसल गिरेगी ही नहीं और फसल जमीन में उगेगी ही नहीं तो बीमा कहां से आएगा? राजस्थान तो अकाल से पीड़ित है। यहां पर तीन-तीन बार बीज डाल दिये और एक बार भी ऊपर नहीं आया। अंकुर नहीं आया। कौन देगा फसल बीमा का मुआवजा? कौन देगा? इस पर गौर करना चाहिए।

श्री मदन दिलावर : जैसे कांग्रेस का बीज नहीं उगा राजस्थान में।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं देख रहा था कि दो-तीन दिन से माननीय दिलावरजी बोल नहीं रहे थे, कुछ बोले तो सही।

मैं यही निवेदन कर रहा था कि आपने माननीय महामहिम से यह कहलवा दिया था कि राजस्थान में बार-बार पड़ने वाले अकाल व प्राकृतिक आपदाओं से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार विशेष कार्य योजना बनाएगी। आपकी इस विशेष कार्य-योजना

(श्री रामचन्द्र सराधना)

के बारे में आपके बजट में कुछ नहीं है। इस विशेष कार्य योजना में आपको देखना चाहिए कि इस अकाल का कैसे मुकाबला किया जाए. हमेशा के लिए। आप काश्तकारों को देने के लिए कुछ देते हैं, सूखी खेती के लिए, शुष्क खेती के लिए कोई न कोई कार्य योजना बनाकर लेकर आते। कहां पानी है? बरसात के लिए फिर बात कह रहे हैं कि बरसात नहीं हो रही है। हमारा कोई दोष नहीं है। दोष मैं भी नहीं बताता. लेकिन प्रकृति पुरूष से कभी छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं है। आपने देखा होगा कि एक महीने पहले राजस्थान में एक मानसून का दौर बना था, वर्षा भी चालू हुई थी। आप लोगों ने उसको भुनाने की कोशिश की। सारे लोग मन्दिरों में जाकर देवताओं से छेड़छाड़ करने लग गये। प्रकृति पुरूष कभी बख्शता नहीं है किसी को। प्रकृति से कभी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये। कृपया समाप्त करिये।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय. एक किसान क्रेडिट कार्ड की बात करता हूं। आपसे निवेदन यह करता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड जो आपने चालू किया है, वह हमने भी चालू किया था। आप इसके बंटवाने का अभियान चलाएंगे, कैम्प लगवाएंगे। लेकिन माननीय उस किसान क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा मिल रहा है काश्तकार को? कभी देखने की कोशिश की है? कभी मानिटरिंग की? 500. 600, 700 रुपये खर्च करके काश्तकार बैठा है, किसान क्रेडिट कार्ड को लिये बैंक में जाता है तो उसको वापस भेज देते हैं। इस पर मानिटरिंग होनी चाहिए कि आप क्या देना चाहते हैं उनको।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। नहीं, अब आप समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र सराधना : एक बात और करना चाहता हूं। आपने गौशालाओं की बात की कि गायों को...(व्यवधान)...मान्यवर, दो मिनट में, मेहरबानी करें। कृपा कर दें।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट, आपने वैसे ही अधिक समय ले लिया है।

श्री रामचन्द्र सराधना : दो मिनट की कृपा कर दें। आपके पास बहुत काम हैं। दो मिनट की कृपा कर दें।

श्री अध्यक्ष : 5.13 बजे बोलना शुरू किया था।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं निवेदन यह करना चाह रहा था. गाय के लिए आपने कहा कि गौ-वंश बहुत लाभदायक है। अकाल में भी लाभदायक है। यहां तक कि आपने

(श्री रामचन्द्र सराधना)

गौ माता की बात की, लेकिन आपने केवल पचमेड़ा में गौ-शाला को विकास करके सारे राजस्थान की गार्यो का विकास कर दिया। ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप? एक ही तरफ क्यों लेना चाहते हैं? एकपक्षीय बात क्यों करना चाहते हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सारे राजस्थान की गार्यो की बात करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनके समय की बात बोल रहा हूं कि जो राजस्थान में गौ-वंश था, उस गौ रक्षा के लिए इन्होंने क्या किया? उस गौ -संरक्षण के लिए इन्होंने क्या किया? (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं अब परिवहन की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आखिरी बात कह दीजिए।

श्री रामचन्द्र सराधना : ट्रक परिवहन के बारे में आज...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आखिरी सेंटेंस बोलकर समाप्त कर दें आप।

श्री रामचन्द्र सराधना : आखिरी बोल रहा हूं, साहब। ट्रक के मालिक, ट्रक चलाने वाले अपने ड्राइवर, मालिक जो छोटे-मोटे हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष : 13 मिनट हो गये आपको बोलते-बोलते, सबको दस मिनट दिये हैं। सबने दस मिनट में समाप्त कर दिया।

श्री रामचन्द्र सराधना : आपने यह बात चालू रखी स्मार्ट कार्ड, मान्यवर, आपको मालूम है, महामहिम से कहलवाया था कि स्मार्ट कार्ड जारी करेंगे। वह स्मार्ट कार्ड कहां है? गायब हो गया स्मार्ट कार्ड। ऐसी बातों पर गौर नहीं करेंगे और सरकार को हम नहीं बताएंगे तो केवल मात्र बड़ाई करके और बुराई करके चले जाएंगे तो भला हो जाएगा? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने ओवर लोड खतम करने के लिए, आपने यातायात के लोडिंग वाले ट्रकों के लिए, भार-वाहनों के लिए स्मार्ट कार्ड चालू करने की बात की थी और आपका स्मार्ट कार्ड गायब हो गया। आज वह ट्रक ओनर परेशान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा।

श्री रामचन्द्र सराधना : ठीक है। आपने समय दिया उसके लिए, अध्यक्षजी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : 15 मिनट दे दिये आपको।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने वित्त मंत्री के रूप में जो सदन में बजट प्रस्तुत किया, वह बजट अत्यन्त सराहनीय बजट है। मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। गरीब से लेकर अमीर तक सारे लोग इसकी वाहवाही कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं। आज इस बजट के लिए सब लोगों ने कहा है कि इस तरह का जो बजट प्रस्तुत किया है, इन्होंने किस प्रकार से इस बजट को बनाया।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब माननीय मुख्य मंत्री महोदया प्रदेशाध्यक्ष थीं, तब उन्होंने चतुर्भुजजी नाथ जगह का दौरा किया। राजस्थान के गांव-गांव और ढाणियों-ढाणियों में दौरा करने के बाद, कांग्रेस के भाई कहते हैं कि वह अलग-अलग वेशभूषा पहनती थीं। ऐसा है, जब शहर का व्यक्ति जाता है तो वह अपनी बोली समझ नहीं पाता है, वह देखता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गरीबों के बीच मिलकर उन्होंने यह बताया कि गरीबों से बराबर मिलकर और उनके कपड़े भी पहनने में मुझे कोई एतराज नहीं है। कोई यह नहीं समझे कि मैं महारानी हूं। मैं गरीबों की बात को अन्तरआत्मा से जानती हूं और आज ये लोग कहते हैं कि वह अलग ड्रैस पहनकर अलग नाटक करती हैं। यह नाटक नहीं था, यह गरीबों के भले का काम था और इसीलिए आज इस तरह का बजट पेश किया। गरीबों के चूल्हे तक में जाकर, उनके घरों तक में जाकर पहली बार अगर किसी मुख्य मंत्री ने राजस्थान का दौरा किया तो श्रीमती वसन्धराजी ने, मुख्य मंत्रीजी ने किया है। पूरे राजस्थान के अन्दर दौरा किया है। मैं कहता हूं कि आज तक किसी मुख्य मंत्री ने पूरे राजस्थान का इतना दौरा नहीं किया है। तो मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूंगा और जो बजट पेश किया उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगा।

केन्द्र सरकार ने जब बजट प्रस्तुत किया तो राजस्थान की जनता सोचने लगी कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य मंत्री हैं, पता नहीं कितना कर का बोझ हमारे ऊपर डाल देंगी। वह एकदम घबराने लग गये कि, साहब, जैसे केन्द्र सरकार का करों का बोझ हमारे ऊपर आया है, उससे ज्यादा कहीं राजस्थान सरकार डालेगी। लेकिन जब उन्होंने राजस्थान के बजट को टी.बी. के अन्दर देखा तो बाहर निकलकर वाहवाही करने लगे। बधाई देने लगे माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने वास्तव में यह करके दिखा दिया कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य मंत्री ने कितना बढ़िया बजट राजस्थान में प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार से पूर्व के मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने अंत्योदय योजना चलाकर और राजस्थान के गरीबों का उत्थान करने के लिये गरीब को गणेश मानकर उनका भला किया, उसी प्रकार से माननीय

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

मुख्य मंत्री महोदया ने गरीब व्यक्ति के लिये चाहे वह अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, चाहे ओ.बी.सी. का हो, चाहे अन्य किसी जाति का गरीब व्यक्ति हो, अनुसूचित जाति-जनजाति के लिये 75 छात्रावास खोले और 25 अनुदानित छात्रावास खोलकर उनके लिये बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मैं इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं।

पैट्रोल और डीजल पर केन्द्र सरकार ने जो दर बढ़ाई है, उसको राजस्थान सरकार ने कम किया है। गैस पर तीन रुपये कम कर दिये। डीजल की दर कम कर दी। जो टैक्स लगना चाहिये डीजल और पैट्रोल पर, राजस्थान की जनता के लिये उसकी दर कम करवाई और उसके साथ ही बजट में प्रावधान किया है माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने।

आज किसानों के पास बहुत कम भूमि रह गयी है। तकनीकी दृष्टि से कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से काश्तकार के खेत पर जाकर उनको तकनीकी तौर पर खेती सिखाने के लिये, अच्छी नस्ल के पशुओं से अतिरिक्त दूध लेने के लिए, उनकी पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो सके इसके लिये उन्होंने जो व्यवस्था की, मैं उसके लिये भी उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर उन्होंने सोचा। आज तक किसी ने इस बात को नहीं सोचा। आये दिन एक्सीडेंट होते हैं, ब्रेन हैमरेज होते हैं, सारे राजस्थान के लोग यहां एस.एम.एस. में आते हैं। इन्होंने छह राजमार्गों पर ट्रोमा हास्पिटल खोलने का जो बजट में प्रावधान किया है, मैं कहता हूं राजस्थान की जनता उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती है और उनका आभार व्यक्त करती है। आज एस.एम.एस. में एक-एक मिनट के अन्दर 10-10 व्यक्ति एक्सीडेंट वाले आते हैं। सारी रात आते हैं। कोई भी जाकर खड़ा रहकर देख ले। मैं कह रहा हूं, इमरजेंसी के अन्दर पलंग भी नहीं होते, उनको नीचे डालना पड़ता है, ऐसी हालत होती है। तो 6 राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रोमा हास्पिटल खोले हैं, जिससे जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होते हैं उनको जल्दी इलाज मिलेगा और मृत्यु होने से उनको बचाया जा सकेगा। इसके लिये मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा।

"कृषक साथी योजना" कोई किसान या व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या सांप के खाने से या खेती करते समय किसी भी प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती है तो पूर्व में मृत्यु होने पर 30 हजार रुपये दिये जाते थे कृषि उपज मण्डी के माध्यम से। और जिसका अंग-भंग हो जाए उसको 15 हजार रुपये दिये जाते थे। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बजट में 50 हजार रुपये तो मृत्यु होने पर और किसी का अंग-भंग होने पर 25 हजार रुपये का प्रावधान किया है। यह किसानों के लिये बहुत ही हितकारी योजना है।

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

"कृषि फसल बीमा"-फसल बीमा को पहले केन्द्र सरकार ने लागू किया जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी थे। पूरे भारत के अन्दर फसल बीमा को लागू किया। लेकिन यहां राजस्थान में कांग्रेस सरकार होने के नाते फसल बीमा को लागू नहीं किया गया। माननीय वसुन्धराजी ने मुख्य मंत्री बनते ही सबसे पहले फसल बीमा को लागू किया राजस्थान में पहले छह फसलों का बीमा था, वर्तमान में 14 फसलों के लिये बीमा का प्रावधान किया।

"किसान क्रेडिट कार्ड"-किसानों के क्रेडिट कार्ड के लिये भारत सरकार की तरफ से आदेश आये थे। यह माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी की देन है। बनने के बाद भी काफी सारे काश्तकार इसमें रह गये थे जिनके किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बने हुए हैं। उसके लिये लगातार शिविर लगाकर किसानों के लिये क्रेडिट कार्ड बनाएंगे। इससे आसानी से किसानों को ऋण उपलब्ध हो सकेगा। वह अपने इमरजेंसी काम के लिये क्रेडिट कार्ड ले जाकर बैंक से पैसा निकाल सकता है और अपने घरेलू कार्य हेतु उपयोग ले सकता है। जिस प्रकार से घर के अन्दर पैसा रखा है उसी प्रकार से यह वहां बैंक में रखा होता है। किसानों के लिये...

श्री अध्यक्ष : आपका समय दस मिनट का हो गया, एक मिनट में बात समाप्त कीजिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा : विद्युत बोर्ड की ओर से टी.एण्ड डी. लासेज के लिये, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये, ग्रामीण इलाके के फीडर हैं उनकी मरम्मत के लिये योजना चलायी गयी है। किसानों के यहां बार-बार ट्रिपिंग आना, बार-बार ट्रांसफार्मर जल जाना, इन सब की व्यवस्थाओं के लिये मुख्य मंत्री महोदया ने छह हजार ग्रामीण फीडरों की मरम्मत के लिये बजट में प्रावधान किया, मैं कहता हूं किसान इससे अत्यन्त लाभान्वित होगा। वर्तमान में प्रारम्भ में 600 फीडरों की मरम्मत का जो आदेश दिया है, मैं कहता हूं यह बहुत ही सराहनीय कार्य है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री कन्हैयालाल मीणा : इसके साथ ही भाजपा सरकार ने हितैषी किसानों को राहत पहुंचाने के लिये खल, तेल को कर मुक्त करने के साथ मंडी टैक्स, वाटर पम्प सैट, आयल इंजनों, सबमर्सिबल पम्प सैट. उनके कल-पुर्जो, डीजल पम्प सैट, जिप्सम, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाइयों तथा उन्नत बीजों पर टैक्स में छूट प्रदान कर किसानों को अतिरिक्त भार से बचाकर उत्तम कदम उठाया है, मैं इसके लिये भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। अब बिराज जाओ।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मेरी मांग है, एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें। अब क्या बाकी रह गया?

श्री कन्हैयालाल मीणा : एक मिनट। मेरे क्षेत्र में बालिकाओं के पढ़ने के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं है। मेरे यहां कोई भी बालिका ऐसी नहीं है जो जयपुर आकर पढ़ ले या दौसा चले जाए। मेरे यहां बालिका विश्वविद्यालय की मैं मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में हो। साथ ही मैं पर्यटन की दृष्टि से...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : विश्वविद्यालय नहीं महाविद्यालय बोलो।

श्री कन्हैयालाल मीणा : विश्वविद्यालय नहीं, सारी, महाविद्यालय। महाविद्यालय खोला जाए। महाविद्यालय की मैं मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में महाविद्यालय खोला जाए।

एक माननीय सदस्य : मिट्ठू राम-राम बोल रहा है।

श्री कन्हैयालाल मीणा : साथ ही मेरे यहां बांसखोह में नई नाथ ऐसा स्थान है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय चिकित्सा मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

गोगुन्दा के गांव छीपाला में बीमारी से हो रही लगातार मृत्यु

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, आज सुबह माननीय गरासियाजी ने ग्राम छिपाला जिला उदयपुर में हुई तीन मौतों के बारे में जानकारी चाही थी, मैं सदन में अपना वक्तव्य रखना चाह रहा हूं।

छिपाला गांव में तीन मौतें हुई हैं। इनमें एंक श्रीमती धानकी जिसकी उम्र 70 वर्ष थी, बहुत लम्बे समय से बीमार थी। क्रोनिक डिजीज के कारण, बहुत लम्बी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। एक श्रीमती धूलकी पत्नी श्री दाऊ, इनकी उम्र 55 वर्ष थी। इनकी दिनांक 13.7.2004 को मृत्यु हुई है रात को। यह भी लम्बे समय से बीमार थी। 14 तारीख को एक पेमली नाम की बालिका जिसकी उम्र 10 वर्ष थी. उसकी मृत्यु उल्टी -दस्त होने से पाई गयी। अध्यक्ष महोदय. 15 तारीख को जैसे ही सामुदायिक स्वास्थ्य

(डा. दिगम्बर सिंह)

केन्द्र गोगुन्दा में यह सूचना मिली कि छिपाला में इस तरह की कोई बीमारी है, एकाध की मृत्यु हुई है, वहां से मेडिकल की टीम 10 बजे ग्राम छिपाला पहुंच गयी। पूरे गांव के एक-एक व्यक्ति का सर्वे किया और उस सर्वे के हिसाब से उसमें टोटल 87 मरीज पाये गये। उनमें ज्यादातर मरीज फोड़े-फुंसी के और इस तरह के थे। इसमें मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि 5 रोगियों को उल्टी की परेशानी थी, 17 लोगों को हल्के दस्त की परेशानी थी और 24 के करीब ऐसे लोग थे जिन्होंने पेट दर्द की समस्या बताई थी। बाकी फोड़े-फुंसी, सिर दर्द और बदन दर्द आदि की समस्या बताई थी। टीम आज भी गांव में कार्यरत है और ऐसा लगता है कि उस बालिका की जो मृत्यु हुई है वह कोई महामारी की वजह से नहीं, बल्कि कुछ खोने-पीने में गड़बड़ी होने की वजह से, कोई दूषित खाना या पानी की वजह से उसकी मृत्यु हुई होगी। इस पर ऐहतियात के तौर पर गांव के जितने भी कुए हैं, वहां चार कुए हैं जहां से पानी पीते हैं ग्रामवासी, चारों कुओं का शुद्धिकरण करवा दिया गया है। और एक वहां जो हैण्ड पम्प है, जहां उनका पीने का पानी रहता है उसके पानी का सैम्पल लेकर उसको टैस्टिंग के लिए भिजवा दिया गया है।

आज की तारीख में वहां बिलकुल शांति है। कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। वहां के सरपंच की और वार्ड पंच की, सब की रिपोर्ट भी मैं सदन में पेश कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, आप केवल इतना बता दें कि 70 साल और 55 साल की जिन महिलाओं की मृत्यु हुई, क्या मरने से पूर्व उन्हें भी उल्टी या दस्त हुए थे? इतना बता दें आप।

डा. दिगम्बर सिंह : नहीं, उल्टी-दस्त से उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे लम्बे समय से बीमार थीं, लम्बी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई।

श्री अध्यक्ष : उल्टी-दस्त तो नहीं हुए?

डा. दिगम्बर सिंह : ना।

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये। (व्यवधान) पहले आप उन्हें पूछने दें। मूल उनका है, उनका उठाया हुआ है।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि ये जो बातें बतायीं कि 87 लोगों को वहां पर दवा पिलाने का काम किया, यह तो सही है कि वहां पर बीमारी फैली है। बीमारी फैली है और केवल 87 लोग नहीं, 112 लोग बीमारी की स्थिति में वहां हैं।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

दूसरा निवेदन यह था, 12 तारीख को धानकी की मृत्यु जिस तरह से हुई है, क्या 14 तारीख तक जो फेमली की मृत्यु हुई है वह भी उसी तरह से हुई है? यह गुमराह करने वाला जवाब मुझे दिया गया है, ऐसा लगता है। मेरा इसमें सीधा यह निवेदन था, चिकित्सा मंत्रीजी, आप यह भी बताएं कि धूलकी जो 55 वर्ष की है, उनकी ऐसी क्या बीमारी थी कि अकस्मात ही पेट में दर्द होने से उसकी मृत्यु हुई? मेरा सीधा-सा निवेदन है कि महामारी से फैली बीमारी से तकलीफ हुई है। छिपाला ही नहीं, इससे लगे हुए गांव जो दूसरे एरिये के हैं छितरावास, कड़ेच, रीछवाड़ा और पीपरणा के एरिया में भी कुछ बीमारियां फैलने का अंदेशा है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जिस तरह से 55 वर्षीय धूलकी की मृत्यु हुई है, क्या स्वास्थ्य विभाग या सरकार उनको कुछ राहत देने का काम करेगी? पेमली की डैथ हुई है तो उनको राहत देने का काम करेगी क्या?

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्रीजी से इतना ही जानना चाहूंगा, जो अधिकारियों ने रिपोर्ट भेजी है, वे तो इस तरह से नाम लिख सकते हैं, जिन महिलाओं की मृत्यु हुई है, जिस तरह के उनके नाम हैं, लेकिन कम से कम मंत्री महोदय ने जो यहां बयान दिया है वह तो इस तरह से नाम सही से पुकारें। जिस तरह से इन्होंने नाम दिया है, उसको करैक्ट करें। जो अधिकारियों ने भेजा है, सबसे पहले तो अधिकारियों की सबसे बड़ी गलती है कि जिस तरह से पेमली है...

डा. दिगम्बर सिंह : नाम है उसका।

श्री अध्यक्ष : नाम पेमली है तो क्या करेगा अधिकारी?

डा. दिगम्बर सिंह : उसका नाम पेमली है। 10 साल की बच्ची है, पेमली नाम है उसका।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, पेमली देवी भी कह सकते हैं। जिस तरह से नाम पुकारने का है...

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी, यह तो आपकी बात नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री भवानी जोशी : नाम ही इस प्रकार का है तो क्या करें?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से गांव में बोलते हैं वैसे ही, इसमें मैं समझता हूं धूलकी है, उसका धूलकी देवी हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : धूलकी देवी लगा दीजिये। धूलकी है, आगे देवी कर दो। क्या दिक्कत है, धूलकी देवी कर दीजिये आप।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, वहां की भाषा में, गांव की चलन की भाषा में निश्चित रूप से यही नाम बोला जाता है लेकिन कम से कम हम तो यहां बोलें...(व्यवधान) खैर, उसका संशोधन करके रखें।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, जी ओरिजनल नाम है वही लिखना पड़ेगा।

डा. दिगम्बर सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वूर्ण विषय है, माननीय सदस्य इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए नाम इम्पोर्टेन्ट नहीं है, इम्पोर्टेन्ट यह है कि डैथ कैसे हुई है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय बोल रहे हैं। (व्यवधान) प्लीज बिराजिये। पहले आप सुनिये तो सही।

डा. दिगम्बर सिंह : सदन को यह बताना इम्पोटेंट है कि इसकी डैथ कैसे हुई। नाम की इम्पोर्टेन्स नहीं है, नाम कुछ भी हो। मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से मैंने नाम बिलकुल सही-बोला है। बच्ची 10 वर्ष की है, जिसका नाम मैंने बताया, पेमली ही नाम है उसका। माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : गांव में होता है पेमली नाम, इसमें क्या बात हुई? धूलकी होता है नाम।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय सदस्य जो कह रहे थे, श्रीमती धानकी जिसकी मृत्यु हुई है, 70 वर्ष की उनकी उम्र थी। एक हैं श्रीमती धूलकी जो 55 वर्ष की थीं, जो अस्थमा की बहुत पुरानी मरीज थीं, उनका देहान्त 13 तारीख को हुआ। और उस बच्ची का जो 10 वर्ष की थी, 14 तारीख को देहान्त हुआ और जो 70 वर्ष की उम्र की महिला थी श्रीमती धानकी, इनका 11 तारीख को देहान्त हुआ है।

अगर कोई माहमारी होती तो ऐसे नहीं, उसमें क्रमबद्ध तरीके से मौतें होतीं। कोई महामारी नाम की चीज नहीं है। इसमें सरपंच की, वार्ड पंच की वहां की आज की रिपोर्ट लगी हुई है, मैं इसको सदन के पटल पर रखना चाहता हूं, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रशेखर वैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, यह सरपंच और वार्ड पंच तय नहीं कर सकता कि महामारी हुई है या नहीं हुई है। जो तीनों मौतें हुई हैं, गांव की जानकारी के अनुसार तीनो मौतें चाहे वह मरीज ब्रोंकेल अस्थमा का हो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वन एट ए टाइम।

डा. चन्द्रशेखर वैद : उनके पेट दर्द था, उल्टी थी और दस्त हुए हैं गांव की सूचना के अनुसार। और जो बच्ची है, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उसकी जो मौत हुई है उसके अन्दर पेट में दर्द, उटी-दस्त हुए हैं, एक चीज।

दूसरी चीज, माननीय मंत्रीजी ने खुद अभी बोला है कि गांव का सर्वे किया गया तो 87 मरीज पाये गये। उसके अन्दर पेट दर्द के भी मरीज थे, उसमें उल्टी के भी मरीज थे, उसमें दस्त के भी मरीज थे। तो जब 11 तारीख को पहली मौत हुई, 13 तारीख को हुई, तो कौनसी मेडिकल टीम भेजी गयी? और उसका क्या निष्कर्ष निकाला गया कि ये मौतें किस कारण से हो रही हैं? अभी माननीय सदस्य ने यह बताया कि आस-पास के गांवों में भी यह बीमारी फैल रही है तो आपने कनक्लूजन क्या निकाला कि यह महामारी या यह ऐसा क्यों हो रहा है?

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि महामारी नाम की कोई चीज नहीं है, ना आसपास के गांव में। क्योंकि आज भी टीम उस इलाके में है। केवल एक गांव का सरपंच नहीं है, उसकी ग्राम पंचायत की सूचना उसने मेरे पास यहां भेजी है, जो हमने मंगवायी है। आज की तारीख में वहां पर कोई महामारी नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि यह पेट दर्द की वजह से मृत्यु नहीं हुई है। 70 वर्ष की जो महिला थी, इनका भी उल्टी-दस्त और पेट दर्द से कोई लेना-देना नहीं था। 55 वर्ष की जो महिला है यह भी लम्बी बीमारी के कारण मरी है। इनका उल्टी-दस्त और पेट दर्द से कोई लेना-देना नहीं है।

उल्टी-दस्त और पेट दर्द का जो मैंने आपको बताया है, वह भी उनमें ऐसा कोई सीरियस मरीज नहीं था जिसमें डीहाइड्रेशन भी किसी को मिला हो। बहुत मामूली समस्या उनको मिली है। उनका उपचार भी किया गया है। डिसइन्फैक्शन आफ दी वैल्स किया गया है और वहां के पानी का सैम्पल लेकर भी टैस्टिंग के लिए भेजा गया है।

श्री कैलाश त्रिवेदी : मंत्री महोदय, क्या उनका पोस्टमार्टम कराया कि यह उल्टी-दस्त से नहीं मरी जो आप इसका सर्टिफिकेट दे रहे है? पोस्टमार्टम तो कराया नहीं।

श्री अध्यक्ष : डा. सी. पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा कि 15 तारीख को हमने जब टीम भेजी तब उसमें पांच पेशेंट मिले जिनके उल्टी-दस्त थे, उल्टी की शिकायत थी। 17 पेशेंट मिले उनके दस्त की शिकायत थी। 24 पेशेंट मिले उनके पेट दर्द की शिकायत थी। ये 15 तारीख की मेडिकल की जो टीम गयी उसके बाद आपके विभाग के आंकड़े हैं। इसका मतलब यह है कि 15 तारीख को विभाग इस

(डा. सी. पी. जोशी)

नतीजे पर पहुंचा कि वहां पर इस तरह के बीमार लोग हैं। मैं पहले वाली मौत को को-रिलेट नहीं कर रहा हूं लेकिन 15 तारीख को जब विभाग को यह सूचना मिल गयी कि यहां पर उल्टी-दस्त के पेशेंट हैं, पेट दर्द के पेशेंट हैं, तो विभाग वाले इन बीमारों का इलाज करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने से पहले इस नतीजे पर कैसे पहुंच गये कि हमने कुओं में पानी साफ कर दिया, हमने हैण्ड पम्प का पानी साफ कर दिया? क्या विभाग का यह दायित्व नहीं बनता है कि जब आपको 15 तारीख को कान्करीट 87 पेशेंट की कैटेगरिक ली सूचना मिल गयी और मेडिकल प्रोफेशन के नालेज के हिसाब से आप खुद डाक्टर हैं तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बन जाता कि पहले हम काज को ही असर्टेन करते कि किन काज के कारण यह पेट की बीमारी, दस्त की बीमारी है और उसके अनुसार हम वहां व्यवस्था करते?

मेरा निवेदन यह है कि आपने जो व्यवस्था की है उसको दो भागों में बांटो। आपने प्रिवेंटिव मेजर लिये कि आगे काम नहीं हो इसलिए आपने हैण्ड पम्प की, पानी की व्यवस्था कर दी, कुओं में काम कर दिया। यह आपका प्रिवेंटिव मेजर है। लेकिन यह जो बीमारी हुई है, इसको असर्टेन करने का काम भी विभाग का है। उस इलाके में, न केवल छिपाला में, अच्छा है महामारी नहीं फैली, अच्छी खबर है नहीं फैली, हम सब की इच्छा है। लेकिन आगे भी क्योंकि पानी की कमी है और जिस तरह से हालात बन रहे हैं, इसलिए प्रीवेंटिव मेजर लेने के लिए क्या अपने-अपने इलाके में जो सब सेण्टर हैं, वहां पर आप इनको डाइरेक्शन देंगे, वहां की सूचना को कलैक्ट करेंगे और मानिटरिंग करेंगे कि ऐसी घटना का रेकरेंस नहीं हो, इसके बारे में आप आश्वासन दीजिए।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा, यह डिपार्टमेंट का रूटीन का काम है। इसमें कोई चीज नई नहीं बताई। परन्तु जब किसी गांव से सूचना आई तो पहले जाकर हम इस बात का इन्वेस्टीगेशन करें कि कहां से बीमारी आई, किसकी बीमारी आई। सबसे पहला काम, मानवता के नाते भी सर्वे हमने पूरे गांव में करवाया कि किस किस सदस्य को क्या कोई परेशानी गांव में है और उनका यथोचित इलाज करवाया। इसके साथ-साथ वहां जो बीमारी के कारण हो सकते हैं, क्योंकि गांव में कई बार पानी शुद्ध नहीं मिला, कई बार बच्ची जैसे छोटी है उसने कोई गंदा पानी भी पी लिया होगा. यह भी सम्भव हो सकता है, खाने में चावल आज बनाकर रखे हों और कल उस चावल को खा लिया हो, उसके लिए वहां पर गांव गांव में घर घर जाकर स्वास्थ्य शिक्षा की टोली ने समझाया कि गरम खाना खाना चाहिए. ठंडे खाने को नहीं खाना चाहिए, पानी स्वच्छ पीना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं, इस स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर काफी चीज उनको समझाने का भी प्रयास किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वहां स्थिति नियन्त्रण में है ना?

डा. दिगम्बर सिंह : पूरी नियन्त्रण में है। उस समय सबसे पहले उनका ट्रीटमेंट और उसके बाद उनके प्रिवेंटिव मेजर्स, दोनों काम साथ-साथ किये गये हैं। आज की तारीख में पूरी स्थिति नियंत्रण में है। कहीं कोई परेशानी नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, स्थिति नियन्त्रण में है, आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। स्थिति में तो और कोई घटना होगी उसके बाद, हम तो खाली यह पूछ रहे हैं कि क्या विभाग...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, अपना भाषण प्रारम्भ करें।

डा. सी. पी. जोशी : आप डाक्टर साहब, बताएं मुझे। आप सुनिये, आपकी मर्सी पर नहीं आए हैं (व्यवधान) आदमी मर जाए, ऐसी क्या बातें कर रहे हो आप?

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें मर्सी का मामला नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : 15 तारीख को विभाग के आदमी गये। आपके आदमी असर्टेन किया कि बीमारी है। तो यह तो फैक्ट आप दे रहे हो, हम थोड़े ही दे रहे हैं। आपका कर्तव्य बनता है...(व्यवधान) आप बोल रहे हैं न मंत्रीजी, आपको क्यों आवश्यकता पड़ रही है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हर चीज को इस तरह से लाइटली लेंगे? आपके मुख्य मंत्रीजी को मालूम है कि पानी नहीं पहुंच रहा है, पानी की तकलीफ है। गांव के आदिवासी इलाके में पीने के पानी की इंटीरियर इलाके में तकलीफें आती हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब दे रहे हैं ना।

डा. सी. पी. जोशी : तो कम से कम हमें यह तो एश्योर कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेंगे। मैं आपसे यह नहीं कह रहा लेकिन यह तो आप मंत्रीजी कह सकते हैं कि हम इस तरह की सूचना देंगे. उनकी मानिटरिंग करेंगे। यह तो आपका कर्तव्य बनता है। आप जो जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं आपको एक्यूज नहीं कर रहा। (व्यवधान) पर आप कम से कम प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के सम्बन्ध में सदन को तो एश्योर करेंगे कि ऐसी घटना नहीं हो, मैं तो यही चाह रहा हूं आपसे। आई एम नोट ब्लेमिंग यू। यदि आपकी गलती से हुआ है, लेकिन कोई घटना हमारे नोटिस में आ जाए, माननीय मुख्य मंत्रीजी, वहां पर ग्राम सेवक नहीं था, पटवारी नहीं था, दूसरे आदमी नहीं थे, 13 तारीख को 14 तारीख को घटना हो जाए, 15 तारीख को सदन में यह पता लगे कि 87 आदमी बीमार थे, इसका मतलब हमारा पूरा डिपार्टमेंट का जो फंक्शन है वहां के ग्राम सेवक की नालेज में नहीं है, पटवारी की नालेज में नहीं है,

(डा. सी. पी. जोशी)

तहसीलदार की नालेज में नहीं है। 15 तारीख को पता लगे कि 87 आदमी बीमार हैं, तो कहीं न कहीं तो हमारी कमी है। इसको समझने की आवश्यकता है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा लेकिन यह हमारे लिए इंडीकेशन है। ऐसी घटना का रेकरेंस नहीं हो. उस सम्बन्ध में विभाग को कोई स्टेप लेने चाहिए, यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा...

श्री अध्यक्ष : वह कर दिया ना। ध्यान तो पूरा आकर्षित हो गया है, उन्होंने जवाब दे दिया है, स्थिति नियन्त्रण में है। सबका इलाज कर दिया गया। क्या कहेंगे आप?

श्री रघुवीर सिंह मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में मैं मेरी बात कहना चाहूंगा। मंत्रीजी ने पूरा जवाब नहीं दिया, 112 लोग वहां बीमार हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थिति नियन्त्रण में है, कह दिया उन्होंने। इलाज करा दिया, पानी का इन्तजाम कर दिया।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : मंत्रीजी को यह पता नहीं है, वहां सरस्वती हास्पिटल है वहां और मरीज भर्ती हैं। यह महामारी के रूप में फैलेगी। एक बार बरसात हुई और पानी के टैंकर बंद करवा दिये सरकार ने।

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : वह पानी हैण्ड पम्पों में गया है, कुओं में गया है, लोग पीकर और बीमार होंगे। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : टैंकर बंद नहीं हुए, आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं मैं, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम था, मैं कल से इन्तजार कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अशोक बैरवा, स्थान ग्रहण करें।

श्री अशोक (खण्डार) : मेरा नाम था, मैं कल से इन्तजार कर रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पांच मिनट बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : टैंकर चालू हैं, अगर किसी ने गलती से बन्द कर दिए तो चालू हो जाएंगे।

श्री अशोक (खण्डार) : मैं मेरे भाषण की बात कर रहा हूं, इस पर नहीं बोल रहा हूं मैं (व्यवधान)

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है, आसन पैरों पर है। नेता प्रतिपक्ष अपना भाषण प्रारम्भ करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, मैं दस मिनट कम ले लूंगा, पांच-पांच मिनट बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : किसको बोलने दें?

डा. बुलाकीदास कल्ला : दो सदस्य हमारे इम्पार्टेंट रह गये हैं। (व्यवधान) इसमें क्या बात है?

श्री अध्यक्ष : देखिए, यह तय हो गया था कि साढ़े पांच बजे तक वाद-विवाद होगा।

श्री अशोक (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं दूंगा, आंकड़े नहीं पढ़ूंगा, उसमें स्टेटमेंट आ गया है।

श्री अध्यक्ष : उसके बाद स्टेटमेंट होगा, उसके बाद आप बोलेंगे और उसके बाद नेता जवाब देंगे। यह तय हो चुकी थी बात।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, हमारे डिप्टी चीफ व्हिप हैं ये...(व्यवधान) उनकी बारी नहीं आएगी। अध्यक्ष महोदय, उनको पांच पांच मिनट दे दें। घंटे-डेढ़ घंटे मैं बोलूंगा तो...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बीस लोग और बैठे हैं बोलने वाले इधर। (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ न्याय करो।

एक माननीय सदस्य : हमारे मानीटर हैं यह।

श्री अशोक (खण्डार) : कोई भाषण नहीं और कोई आंकड़े नहीं, अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति देवें पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है।

एक माननीय सदस्य : दो मिनट का टाइम दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : देखिए, दो मिनट में कोई अपनी बात समाप्त नहीं करता है।

श्री अशोक (खण्डार) : घड़ी मिला लो. पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष : आप बैठे-बैठे नहीं बोलें। माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के भी बोलने को आतुर हैं, वह भी नहीं बोल रहे हैं। (व्यवधान) प्रतिपक्ष ने समय बीतने के बाद भी एक घंटा और पांच मिनट आज लिये हैं, जबकि समय बीत चुका था। अब आप कितने लोगों को और बुलवाना चाहते हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला : सिर्फ दो आदमी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप हैं ना, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप सबकी बात कह दीजिएगा। अपनी बात कह दीजिएगा, मन भर के बोल लीजिएगा आप घंटा दो घंटा जितना बोल सकते हैं उतना।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं कम बोल लूंगा।

श्री अशोक (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, केवल पांच मिनट। बड़े विशाल हृदय की हैं। चलो दो मिनट बोलने दो, कोई आंकड़ा नहीं, कोई भाषण नहीं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप अध्यक्ष को चैलेंज मत करिए।

श्री अशोक (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, अन्याय हो जाएगा। यह दलित सदस्य के साथ अन्याय हो जाएगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : फिर अपने सदस्यों को भी हम मना नहीं कर सकते। यह आपने कहा, हमने कहा आप इनको बुलवाइए, यहां समय नहीं था उसके बाद भी हमने इनको कहा कि विपक्ष के बिना मजा नहीं आएगा।

श्री अशोक (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, एक दलित सदस्य के साथ अन्याय हो जाएगा, (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक दलित की आवाज...(व्यवधान) मेरी पांच मिनट की...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलित और कुछ नहीं...(व्यवधान) समझा जाता है, सब माननीय सदस्य हैं। आप यह क्या आरोप लगा रहे हैं?

श्री अशोक (खण्डार) : मैं कह रहा हूं, मैं कल से इन्तजार कर रहा हूं। मैंने कल से नाम दिया हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या यहां पर आसन पर बैठने वाला कोई दलित और उसकी बात देख सकता है?

श्री अशोक (खण्डार) : नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। यह कौनसी बात हुई? कल से बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप नियमों का उल्लंघन करते हैं इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप बोलें। आप बहुत नियमों का उल्लंघन करते हैं। आप सदन के नियमों का पालन नहीं करते हैं। कल्ला साहब, बोलिए आप।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर निवेदन इतना करना चाहूंगा, आपने जो तथ्य दिए थे उनमें बी.जे.पी. सत्ता पक्ष के सिर्फ दो घंटे बचे थे। यह रिकार्ड है सदन का।

श्री अध्यक्ष : जिनको आपने सचेतक बनाया वह आपका कहना नहीं मानते।

श्री जुबेर खान : टाइम उनका भी खतम हो गया था। अगर आप चाहें तो...

एक माननीय सदस्य : आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरा काहे का ध्यान, आपके नेता खड़े हुए हैं।

श्री जुबेर खान : हम यह सिद्ध कर सकते हैं मिनट टू मिनट प्रोग्राम के हिसाब से। आपने सुबह जो रूलिंग दी थी उसमें इनके सिर्फ दो घंटे बचे थे, जबकि आपने कहा चार घंटे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है और यह मुख्य मंत्री के पास खड़े खड़े क्या कर रहे हैं?

श्री जुबेर खान : यह रिकार्ड है विधान सभा के सदन की प्रोसीडिंग का। हमें गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कौन गलत कर रहा है पेश?

श्री जुबेर खान : गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं। यह मिनट टू मिनट प्रोग्राम है। (व्यवधान) और मैं तथ्यो के आधार पर कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : सब नोट किया है मैंने। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप, अध्यक्ष महोदय, निर्देश दे दीजिए सचिवालय को कल आपको जानकारी दें। मिनट टू मिनट सारी प्रोसीडिंग लाकर दें। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं आज के बाद इस सदन में कभी लौटकर नहीं आऊंगा, मैं आपको यहां तक कहता हूं। आप सुनने को तैयार नहीं हैं। मिनट टू मिनट की प्रोसीडिंग कल आप अपने चैम्बर में मंगवाइये और देखिए, मैं सही कह रहा हूं या आपको जो सूचना दी गयी है वह सही है। कम से कम भविष्य में तो यह ध्यान रखा जाए कि आपके आसन से गलत तथ्यों को नहीं कहलाया जाए, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं यह।

श्री अध्यक्ष : एक एक मिनट नोट किया गया। इस आसन पर बैठने वाले जो चाहे चेयरमैन बैठे हों, चाहे मैं बैठी हूं, एक एक बोलने वाले माननीय सदस्य को कब प्रारम्भ किया, कब समाप्त किया, सब इस पर नोटेड हैं।

श्री जुबेर खान : गलत है।

श्री अध्यक्ष : गलत कैसे है? आप क्या बात कर रहे हैं? आसन को आप चुनौती दे रहे हैं? आप आसन को चुनौती दे रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन पर आक्षेप लगा रहे हो, यह आसन की गरिमा के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, आसन पर आक्षेप लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप मुख्य सचेतक हैं प्रतिपक्ष के, आसन को भी चुनौती देते हैं आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई चुनौती नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके ही द्वारा मनोनीत आपके मुख्य सचेतक आसन को भी चुनौती देते हैं। आप खड़े होते हैं, जब भी खड़े होते हैं...

श्री जुबेर खान : हम तो तथ्य कह रहे हैं, चुनौती क्या है, तथ्य हैं यह।

श्री अध्यक्ष : एक एक मिनट नोट किया हुआ है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे रिक्वैस्ट करने के बावजूद भी मैंने कहा मैं दस मिनट कम बोलूंगा, दो माननीय सदस्यों को बोलने दें, आप हमारी बात को सुन ही नहीं रही हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऐसा नहीं होगा।

(18.00 बजे)

श्री सांवर लाल : ऐसी कभी व्यवस्था हुई है क्या आज तक? प्रतिपक्ष के नेता महोदय, ऐसी कोई व्यवस्था हुई है क्या? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह सदन आज आधा घंटा और बैठ लेगा। क्या काम हो रहा है? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइंट आफ आर्डर है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : दो माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं, उनको बोलने दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उनका पाइंट आफ आर्डर सुन लें पहले। आप उनका पाइंट आफ आर्डर सुन लो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : प्रतिपक्ष के नेता, अगर यही रवैया रहा तो सी. पी. जोशीजी पकड़ लेंगे कुर्सी यह। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सी. पी. जोशी के दबाव में रहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, चार चार आदमी उधर से बोले हैं, एक आदमी इधर से बोला है, कोई वाद-विवाद का मतलब ही नहीं हुआ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि रोज हम देख रहे हैं, नियमों में यह व्यवस्था है, संसदीय कार्य प्रणाली में भी व्यवस्था है और मैं यहां आसन से जो व्यवस्था हुई है उसी को पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि आसन और विधान सभा के सचिवालय के सम्बन्ध में यहां चर्चा करना अनावश्यक है। पाबन्दी है इस पर कि नहीं बोल सकते, इसलिये असंवैधानिक है। इसके बाद भी बार-बार आसन के ऊपर आरोप लगाये जाते हैं... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आरोप नहीं लगाये, गलत तथ्य हैं यह। बिलकुल हम तो यह तथ्य रख रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप रोज रोज तथ्य रखते हैं क्या? बता रहा हूं, वह सुनिये। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप लोग तथ्य में छेड़खानी न करें। गलत तथ्य है... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसके बाद भी विधान सभा सचिवालय में यह परम्परा रही है, और आपके समय की थी, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। प्रथम खण्ड में जो अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय हैं, विधान सभा के अधिकारी अथवा कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की जा सकती बल्कि अध्यक्ष से उनके वशम में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह पेज नम्बर 262 है। (व्यवधान) पढ़ी है तो फिर ऐसा आचरण क्यों करते हैं? जब पढ़ी हुई है, जब आप यह जानते हैं कि यह अपराध है तो यह अपराध क्यों करते हो? इसी को रोकने के लिये मैं कह रहा हूं। (व्यवधान) 29.3.1973 की बात है...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय महावीरजी, आपने आसन से गलत बात पेश करवायी, उसी के तथ्य पेश कर रहे हैं। (व्यवधान) गलत बात कर रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमने कहलवायी, फिर आप आरोप लगा रहे हैं। फिर आरोप लगा रहे हैं। आसन को बहुत अधिकार प्राप्त हैं। यदि यह सदन को व्यवस्थित चलाने में सहयोग नहीं करते हैं, अपनी बात ठीक ढंग से प्रक्रिया और नियमों में नहीं कहते हैं तो आपको आसन के अधिकारों का पता नहीं है।...विशेषाधिकार का हनन है यह। आप लगातार आसन पर आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई आसन पर आरोप नहीं लगा रहा। यह बिलकुल असत्य बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन से हमने कोई बात कहलवा दी, यह आरोप नहीं है क्या? आसन से हमने कोई बात कहलवा दी, अनियमितता करवायी, यही तो कह रहे हो ना आप? वही कह रहे हैं, हमने करायी। (व्यवधान) अब देख लीजिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, वही कह रहे हैं यह, आप हमारे कहने से अनियमितता कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, माननीय अध्यक्षजी। आप इनको गलत तथ्य दे रहे हैं। यह गलत तथ्य पेश किया है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : कमाल कर रहे हैं। प्रतिपक्ष से बोलने का हक भी छीन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन से हमने तथ्य पेश किये हैं...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : और रिकार्ड के साथ छेड़खानी मत करिये। रिकार्ड के साथ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमने की है?...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : जिसने भी की है। रिकार्ड के साथ छेड़खानी का हक नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप इसकी जांच करवाएं, हमने कोई हस्तक्षेप किया है तो हम सजा भुगतने के लिये तैयार हैं और यिद इन्होंने गलत आरोप लगाया है तो आप इनको सदन की सदस्यता से निलम्बित करिये।

श्री जुबेर खान : रिकार्ड चैक करा लीजिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि यदि हमने जरा-सा भी हस्तक्षेप किया है तो हम सदन से जाने के लिये तैयार हैं। और यदि इन्होंने किया है, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते...(व्यवधान) अपने ऊपर जब आरोप लगता है तो आसन बोल नहीं सकता। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब आसन के ऊपर आक्रमण हो, विधान सभा के अधिकारी, कर्मचारी पर कोई आक्रमण हो रहा हो, कर्मचारी बोल नहीं सकता, आसन बोल नहीं सकता, ऐसे समय में हमें बोलना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन का प्रांगण उनके कब्जे में है, फिर आप किसलिये खड़े हो गये बीच में? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। आपको हम इण्टरप्ट नहीं करना चाहते हैं। अच्छी डिबेट हुई है, आप डिबेट शुरू करवाइये। डिबेट की परम्परा को आगे रखते हुए हमारे बी.डी. कल्लाजी से शुरू कराएं। आप डिबेट शुरू कराएं माननीय कल्ला साहब को।

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप क्या कहना चाहते हैं? प्रतिपक्ष के नेता को बोलने के लिये आमन्त्रित किया...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : हम तो यही कह रहे हैं आपसे, डिबेट शुरू कराएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप भी यह चाहते हैं, नहीं बोलें कल्ला साहब? यह मतलब है? षड्यंत्र समझते हैं सब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तो फिर बोलने दीजिये आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, राज्य का बजट उस वर्ष की आय-व्यय को दर्शाने वाला एक इम्पोर्टेंट डाकूमेंट है जिससे यह पता चलता है कि प्रदेश किस किस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेगा। बजट से राज्य की विकास दर, सकल आय, पर कैपीट, इनकम, इन सबका आभास होता है कि उसका ट्रेंड क्या होगा। लेकिन इस बजट को पढ़ने से ऐसा महसूस हुआ कि न तो इससे विकास दर बढ़ने वाली है, न सकल राज्य की आय बढ़ने वाली है और न ही इससे आम-अबाम, गरीब एवं किसान का कोई भला होने वाला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, आप बिलकुल नहीं बोलेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इट इज वैरी बैड, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर कोई नहीं बोल सकेगा। यह क्या तरीका है?

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में खास तौर से इन्होंने जो करों का समानीकरण किया है, रेशनलाइजेशन, इसमें कहीं 1.11 परसेंट टैक्स था उसको 1 परसेंट कर दिया। कहीं 19.25 परसेंट सेल्स टैक्स था उसको 20 परसेंट कर दिया। कुल मिलाकर यह बताना चाहिये था कि इन करों से आपको नैट कितनी हानि होगी अथवा कितना एक तरीके से स्टेट को नुकसान होगा। कुल मिलाकर रेशनलाइजेशन किया है, कोई टैक्स रिलीफ नहीं दी है। बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि विधान सभा आहुत हो गयी, आहुत होने के कुछ ही दिनों में आपने विद्युत शुल्क 15 पैसे प्रति यूनिट हर व्यक्ति के ऊपर लगा दिया। मुझे याद आता है, जब चुनाव चल रहे थे तो आप लोग कह रहे थे, बिजली के बिल में करंट आ रहा है, हम करंट को कम करेंगे। यह तो बिजली का करंट बढ़ा दिया आपने। इससे आप कह रहे हैं लगभग 190 करोड़, मेरा ऐसा अनुमान है कि कम से कम 220 करोड़ का भार राज्य की जनता के ऊपर आपने बढ़ा दिया।

आपने स्टाम्प ड्यूटी 11 से 8 परसेंट की, लेकिन दूसरी ओर पावर आफ अटार्नी के ऊपर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती थी, मामूली स्टाम्प में हो जाता था, उसके ऊपर 2 परसेंट स्टाम्प ड्यूटी लगा करके आपने कितने गरीबों के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी लगायी है। कुल मिलाकर...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप पढ़े-लिखे हो क्या कल्ला साहब? मैं तो विद्वान समझता था आपको।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं पढ़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, बीच में टोकिये नहीं। बीच में नहीं बोलो। बीच में नहीं बोलेंगे। बीच में नहीं टोकिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर इस बजट ने लोगों को निराश किया है। नयी गवर्नमेंट बनी थी, इनसे उम्मीद थी कि यह गवर्नमेंट कुछ नया काम करेगी, लोगों को रोजगार देंगे। इन्होंने सौ-दिन की कार्य योजना का जिक्र किया, लेकिन मैं सदन में बताना चाहता हूं कि केवल मात्र सड़क, हैण्ड पम्प और एक दो योजनाओं का खुलासा करके आप आगे बढ़ गये। आपकी पूरी की पूरी योजना फ्लाप योजना थी। सौ दिन में आपने कहा 29.000 लोगों को रोजगार देंगे. 290 लोगों को भी रोजगार नहीं दिया आपने। आपने कहा था कि 26.000 साथिनों को रोजगार देंगे. 260 को भी नहीं दिया। और आपने कहा. हम स्थानान्तरण नीति बनाएंगे. वह नीति भी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

आप नहीं बना सके। कुल मिलाकर जो आपने इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये वादे किये थे, चाहे वह इर्रिगेशन का पोटेंशल क्रियेट करना हो, चाहे वह स्कूलें खोलनी हों, सैकण्डरी स्कूल, कोई भी लक्ष्य आप सौ दिन की कार्य योजना में प्राप्त नहीं कर सके। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बीच में क्यों बोलते हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला : पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी हैं, इनको पता नहीं कि सौ दिन की कार्य योजना आपने यहां बनायी थी और जिसका आपने यहां बजट में जिक्र किया है।

मुख्य खास तौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने कहा था, प्रवेश कर, सरचार्ज और टर्न-ओवर टैक्स समाप्त कर दिया। आपने कान इधर से नहीं पकड़कर उधर से पकड़ लिया। सबको मर्ज करके सेल्स टैक्स में बढ़ोतरी कर दी। इससे राज्य की जनता को क्या फायदा हुआ? एक तरफ आपने यह दर्शाने की कोशिश की कि आपने प्रवेश कर समाप्त कर दिया, टर्न ओवर टैक्स समाप्त कर दिया, सरचार्ज खत्म कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर वहां पर आपने सेल्स टैक्स बढ़ा दिया, तो जनता को रिलीफ कहां दी? जनता को राहत दी गयी केन्द्रीय बजट में-ट्रैक्टर के ऊपर एक्साइज माफ, कृषि उपकरणों के ऊपर एक्साइज माफ। यदि आप किसानों के हिमायती होते तो आप समस्त प्रकार के कृषि उपकरणों पर, समस्त प्रकार के फर्टिलाइजर्स, खाद, उर्वरकों इन सबके ऊपर से सेल्स टैक्स माफ कर देते। तब हम कहते, हम खुद प्रशंसा करते कि आपने किसानों के हित का कोई काम किया है।

श्री कालूलाल गुर्जर : आप कभी नहीं करते। (व्यवधान)

(18.10 बजे)

(डा. एन.एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप देखें, अगर आप इस तरह से डिस्टर्ब करना चाहेंगे तो मैं तो डिस्टर्ब हूंगा नहीं, समय बढ़ेगा और दो घंटे से कम नहीं बोलूंगा फिर मैं। जितना आप डिस्टर्ब करेंगे उतना ही ज्यादा बोलूंगा।

श्री सभापति : प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आप शांति से सुनिये।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, जिस ढंग से नेता, प्रतिपक्ष के उदबोधन में व्यवधान डाला जा रहा है...

श्री सभापति : हम बिलकुल नहीं डालने दे रहे हैं, कोई नहीं डाल रहा है।

श्री संयम लोढ़ा : हम सदन की नेता के उदबोधन में अगर व्यवधान डालेंगे तो अच्छा लगेगा? क्यों, अच्छा लगेगा क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराज जाएं, नहीं बोलने देंगे। बैठें. आप बिराज जाएं। प्लीज, go ahead.

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय. मैं यहां से शुरू करता हूं, जैसा हमारे माननीय सदस्यों ने और पूर्व वित्त मंत्रीजी ने बताया कि बजट का जो घाटा है उसमें पिछले साल के घाटे को कैरी फारवर्ड नहीं किया, उनको करना चाहिए। कुल मिलाकर 621 करोड़ रुपये से ऊपर का घाटा होता है, इस घाटे की पूर्ति कहां से करेंगे? कैसे करेंगे? क्या सरकार इस विधान सभा सत्र के बाद में कोई नये टैक्स और लगाएगी? इस अपूरित घाटे का प्रबन्ध कैसे किया जाएगा? मैं समझता हूं कि इसके बारे में वित्त मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी जब इसकी रिप्लाई देंगी तो स्पष्ट करेंगी कि बजट के घाटे की पूर्ति वह कैसे करेंगी।

इसी प्रकार मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि राज्य में 2209 करोड़ रुपये के बकाया कर हैं, इसके बारे में इस बजट में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कि आप इन बकाया करों की वसूली कैसे करेंगी। इसमें सैल्स टैक्स है, रायल्टी है. अन्य प्रकार के कर हैं, इन करों की किस प्रकार से आप बेहतर वसूली करेंगे? कुल मिलाकर इस बजट में राज्य के गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया गया। बल्कि केन्द्रीय सरकार ने जो केन्द्रीय बजट दिया उन्हीं योजनाओं को नया नाम देकर अपने तरीके से बताने की कोशिश की गयी।

सभापति महोदय. मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा, सहरिया आदिवासियों के लिए इन्होंने सौ दिन का रोजगार गारंटी कार्यक्रम बनाया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्टेट फण्ड से यह योजना बनाई गयी है या केन्द्रीय बजट से जो पैसा मिलेगा उसके अनुसार यह योजना बनी है? केन्द्र सरकार ने पूरे देश में एक करोड़ लोगों को न्यूनतम मजदूरी पर सौ दिन के रोजगार की गारन्टी का कार्यक्रम दिया है जो हमारे प्रदेश में भी लागू होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि यह योजनाएं जो हैं ज्यादातर इनकी योजनाएं सभापति महोदय, इस बजट में जो लोगों ने देखा है वह प्राय:-प्राय: केन्द्र परिवर्तित योजनाएं हैं। मैं तो चाहता हूं कि स्पष्ट होना चाहिए कि कौन-कौनसी आपके इस बजट हैड में केन्द्र परिवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत आपने योजनाएं बनायी हैं और कौन-कौनसी राज्य स्पासर्ड योजनाएं हैं. ताकि लोगों को पता लगे कि बजट में किस तरह से आंकड़ों की जगलरी प्रस्तुत की गयी है। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

सभापति महोदय, इसके अलावा कृषि और रोजगार को मेरे हिसाब से सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए। हमारे राजस्थान की इकोनोमी कैटल बेस इकोनोमी है, एग्रीकल्चर प्रधान हमारा प्रदेश है, इसलिए खास तौर से किसानों का मुख्य लक्ष्य रखकर हमारे बजट को हमें बनाना चाहिए था। मत्स्य पालन, पशु पालन और इसी प्रकार से कृषि भी आप जानते हैं कि मानसून के जुए पर आधारित है। यदि खरीफ और रबी की दोनों फसलें भी हो जाती हैं तो भी चार महीने वह बेरोजगार रहता है। उनके लिए कुटीर उद्योग, खादी-ग्रामोद्योग और किसी भी प्रकार के हथकरघा उद्योग, ऐसे ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में प्राइवेट सैक्टर में, पब्लिक सैक्टर में, जाइंट सैक्टर में, कोआपरेटिव सैक्टर में, सब सैक्टर्स में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन और रोजगार का इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना चाहिए, ताकि राजस्थान का किसान बेरोजगार न रहे, राजस्थान के किसान को किसी न किसी रूप में रोजगार मिलता रहे। इसलिए केन्द्र सरकार ने सौ दिन का न्यूनतम रोजगार गारंटी कार्यक्रम दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी मुख्य मंत्रीजी इसको स्पष्ट करें कि आपकी जो सौ-सौ दिन की कई योजनाएं न्यूनतम रोजगार गारन्टी की हैं, वे आप अपने बजट से करेंगी या केन्द्र से जो बजट उपलब्ध होगा उसके अनुसार करेंगी।

सभापति महोदय, इसके अलावा आपने अपनी वार्षिक योजना जो 6492 करोड़ की थी, वह बढ़ाकर 7031.44 करोड़ की बनाई है, जो गत वर्ष की तुलना में 1527 करोड़ अधिक बतायी है। मैं जानना चाहूंगा कि इसके लिए संसाधन आप किस तरह से प्राप्त करेंगे? क्योंकि राजस्थान में यह हुआ है, कई बार योजना का आकार बड़ा बताया जाता है और उसके बाद उसके लिए साधन इकट्ठे नहीं होते हैं और उसके कारण से योजना में फिर कटौती करनी पड़ती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि प्लान की साइज जो बड़ी की गई है, उसमें 550 करोड़ रुपये नान-प्लान को सम्मिलित किया गया है। यह नान प्लान का पैसा जहां तक मेरा अंदाज है, शिक्षा विभाग का पैसा होना चाहिए जो नान प्लान से प्लान में आपने लिया है। आप स्पष्ट करें कि नान प्लान का कौनसा पैसा आपने प्लान में लिया है।

सभापति महोदय, आपने विदेशी निर्मित शराब के दामों में 20 से 35 प्रतिशत तक कमी की है जिसका बजट में कहीं उल्लेख नहीं है। पहले इस सरकार ने एक वैबसाइट जारी की। वह वैबसाइट विथड्रा की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि,

"बरसे वहां-वहां पर समंदर थे जिस जगह,

ऊपर से हुक्म था घटाएं क्या करें।"

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

आप ज्वैलर्स पर बरसीं, विदेशी शराब बनाने वालों पर बरसीं। लेकिन गरीबों के लिए क्या किया? गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। इसी प्रकार मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि खल पर टैक्स माफ था, फिर आपने लगा दिया, फिर अप्रैल में आपने टैक्स माफ करने की घोषणा की। आपकी दुबारा माफ करने की घोषणा करने की जरूरत क्या थी? जिस रूल पर टैक्स था ही नहीं उसका बजट में उल्लेख करें कि इसके ऊपर हमने टैक्स माफ कर दिया। वह तो पहले ही माफ कर चुके हैं।

इसी प्रकार आप कर्जे के बारे में बहुत बातें करते थे कि आपकी सरकार के आते ही कर्जे हो गये, ये हो गये। आपके यहां भी लगभग 5 हजार करोड़ का कर्जा बढ़ गया और यही रफ्तार रही तो मेरे ख्याल से 5 वर्ष पूरे होंगे तब तक करीब 45 से 50 हजार करोड़ का कर्जा स्टेट पर और बढ़ जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी कृपा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमारी कृपा तो है कि नहीं, लेकिन नीतियों के कारण यह हुआ है।

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सरकार से सम्बन्धित पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में यह बात की थी कि हम दस हजार रुपये तक का किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। आज सात महीने से ऊपर का समय हो गया, वे कर्जे माफ क्यों नहीं हुए?

सभापति महोदय, इसी प्रकार हाउस टैक्स माफ करने की घोषणा की गयी है, इस बारे में बजट में कहीं उल्लेख नहीं है। आपने कर्मचारियों के लिए बहुत-सी घोषणाएं की हैं, कि हम कर्मचारियों को बोनस दे देंगे, हम कर्मचारियों को लीव एनकैशमेंट दे देंगे, हम कर्मचारियों को केन्द्र के समान डी.ए. देंगे। उनका क्या हुआ? ये सारी की सारी चीजें बजट में एक तरह से अनुत्तरित हैं।

सभापति महोदय, इसी प्रकार मैं यह बताना चाहता हूं कि सदन को कि डा. स्वामीनाथनजी ने किसी भी व्यक्ति को भोजन का अधिकार, नागरिक अधिकार में सम्मिलित करने की मांग की थी। आज हमारे आदिवासी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे हैं, वे करीब-करीब यह समझो कि माल न्यूट्रीशन पर हैं। उनके लिए आपने कितना बजट रखा है? 2.5 करोड़ रुपया तो क्या यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर नहीं है। बहुत कम है। आदिवासियों की पापुलेशन कितनी है, कितने बच्चे हैं, उसको देखते हुए 2.5 करोड़ रुपये की राशि बहुत कम है। इसलिए सारे बच्चों को इस प्रकार की योजनाओं से कवर करना चाहिए। ताकि उनको भरपेट भोजन मिल सके और वे कुपोषण का शिकार नहीं हो सकें।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

आपने अपने बजट को मुख्य रूप से छह पाइंट्स पर केद्रित किया है– दरिद्रता, कुपोषण और भूख से मुक्ति, अशक्त और महिलाओं को सम्बल, मानव संसाधन का विकास। रोजगार सृजन, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विकास, अच्छा शासन एवं राजकोषीय सुधार, आर्थिक आधारभूत सुविधाओं का विकास। इन छह बिन्दुओं में से ज्यादातर बिन्दुओं का अध्ययन करने पर यह मालूम पड़ता है कि बजट में ज्यादातर योजनाएं पी. चिदम्बरमजी ने केन्द्रीय बजट में रखी थीं. वह की वह रिफ्लैक्ट होकर राज्य के बजट में आई हैं। इस प्रदेश की स्थिति यह है कि आज हमारे प्रदेश में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर है, प्रशासनिक व्यय है, वह 85 प्रतिशत है। कहीं-कहीं इससे ज्यादा भी हो गया है। हमारे पास जो व्यय करने योग्य राशि कुल मिलाकर है उसका 85 प्रतिशत पैसा हम प्रशासनिक व्यय पर खर्च कर रहे हैं। यह प्रशासनिक व्यय धीरे-धीरे इतना बढ़ रहा है, मैं समझता हूं कि सरकार का काम तो यह रह जाएगा कि टैक्स वसूल करे और प्रशासन पर व्यय कर दे। प्रशासनिक व्यय में सारा का सारा पैसा चला जाए तो विकास कहां से होगा? इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर जो 10 प्रतिशत आप्टिमम होना चाहिए, इसके ऊपर पूरे प्रदेश के जन प्रतिनिधियों और हमारी तमाम ब्यूरोक्रेसी को ध्यान देना चाहिए और हमारे जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, उनसे सलाह लेकर प्रशासनिक व्यय कम करना चाहिए। जवाहर रोजगार योजना इस देश में शुरू की गई थी, उसका लक्ष्य यही था। चुने हुए सरपंचों को सीधा पैसा दिया गया ताकि वहां पर प्रशासनिक व्यय न हो और अधिक से अधिक धनराशि विकास के कार्यों पर खर्च हो। मैं समझता हूं कि प्रदेश में भी इस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए ताकि प्रशासनिक व्यय में कमी आए और सीधा पैसा विकास के कार्यों में खर्च हो।

इसके अलावा अच्छा शासन और राजकोषीय सुधार की जो बात की है, इसमें ई-गवर्नेंस का सिस्टम और नागरिक अधिकारों की बात हमारी पूववर्ती कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से की थी। ई-गवर्नेंस के लिए प्राइमरी एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक कम्प्यूटर शिक्षा लाई गई। जिलों को इन्टरनेट से कनैक्ट किया गया और अनेक काम ई-गवर्नेस से सम्बंन्धित हमने राजस्थान में किये थे। निश्चति रूप से समय के साथ-साथ उसमें और अभिवृद्धि होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में आपका पटवारी, आपका थानेदार, गांव से जुड़ा हुआ सहकारिता से सम्बिन्धत व्यक्ति जब तक नहीं सुधरेगा तब तक ई-गवर्नेंस ठीक नहीं होगी। इसलिए इन तीनों को सुधारने की आवश्यकता है। खास तौर से पानी, बिजली और जन सुविधाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका व्यवहार गांव वालों के प्रति अच्छा हो, गरीब के प्रति ठीक हो, संवेदनशील हो और वे लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका तत्काल समाधान करें, तब जाकर राज्य के लोगो को रिलीफ मिलेगी।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि हमारे देश में किसानों की आबादी है 70 प्रतिशत और उनको बैंकों से ऋण मिलता है 11 प्रतिशत। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। आज गांव के लोगों के ग्रुप बनाकर उनको अधिक इन्वाल्व करके जितना पैसा वे जमा कराते हैं उतना किसानों को उधार नहीं मिलता। आज उनको क्रेडिट कार्ड मिल गये-भारी संख्या में हमने भी दिये, आपने भी खूब दिये, लेकिन क्रेडिट नहीं है। उनको क्रेडिट मिलनी चाहिए ताकि किसान उस क्रेडिट को अच्छे और रचनात्मक कार्यों में, उत्पादक कार्यों में लगाकर अपना और अपने परिवार का लालन -पालन कर सके।

मैं इस अवसर पर फसल बीमा योजना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। फसल बीमा योजना 14 चुनी हुई फसलों पर लागू की गयी है, दूसरी फसलों पर लागू क्यों नहीं की गई? जो प्रमुख फसलें आपने ली हैं उसमें और फसलों को जोड़कर इस योजना को एक वृहत् रूप देना चाहिए ताकि किसान अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सके। (व्यवधान) मैं परवरदिगार से, अल्लाह ताला से, भगवान से, गोड से, जितने भी देवता हैं, सबको प्रार्थना करता हूं कि बरसात हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : प्रद्युम्न सिंहजी, क्या बहिष्कार कर रहे हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला : चीफ व्हिप जो होता है वह सदन को चलाने वाला होता है लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस यदि सदन में कोई करता है तो यह चीफ व्हिप करता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उनको इतना नीरस भाषण लगा कि प्रद्युम्न सिंहजी तो छोड़कर चले गये, यह अफसोस है मुझे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई बात नहीं है। आप भी पधार जाएं तो अच्छा रहेगा। आप बराबर कर दो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं अभी पढ़ रहा था कि प्रतिपक्ष का नेता क्या होता है और आज तक इस सदन में देखा है कि प्रतिपक्ष का नेता क्या होता है, उस रूप में हम आपको भी देखना चाहते हैं। आप कठोर आलोचना करें हमारी, हम यह चाहते हैं। पर आपके पास कुछ मसाला चाहिए, आप में कुछ दम चाहिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरे पास तो सब है। मैं बोल रहा हूं और आप बोल रहे हैं उसको पूरा राजस्थान देख रहा है किसी न किसी रूप में। आपकी प्रोसीडिंग्स कभी टौंक में ले जाकर पढ़ाएंगे तो पता लगेगा कि आप क्या बोलते हैं यहां पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : टौंक के लोग तो मुझे जानते हैं अच्छी तरह। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज व्यवधान न करें।

श्री रामप्रताप कासिनया (पीलीबंगा) : सारी फसलों का नाम बता दीजिए कृपा करके।

श्री सभापति : कृपया आप बिराजिए। डिस्टर्ब न करिए प्लीज।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं नाम बता दूंगा फिर क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी उन फसलों को कवर कर लेंगी?

श्री सभापति : आप ध्यान मत दीजिए, आप जारी रखिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एग्रीकल्चर इकोनोमिक्स मेरा विषय रहा है इसलिए इनको ध्यान देना चाहिए, मुझे सब पता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप जारी रखिए बस।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां दूध का उत्पादन खूब होता है लेकिन हम क्या करते हैं...

श्री सभापति : बैठे-बैठे बातचीत नहीं करें प्लीज।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम दूध के निर्यातक प्रदेश बने हुए हैं। जब तक हम फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, राजकोष का कोई फायदा नहीं होगा। हमारे यहां ऊन बहुतायत में होती है, हम उसको पहले प्रैस करके रूस और इंग्लैण्ड भेजा करते थे। उसके बाद हमने वूल टास बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद धागा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी गलीचा भदोही वाले बनाते हैं, कश्मीर बनाता है, पानीपत बनाता है। हमारे जयपुर, टौंक और बाड़मेर वगैरह इन इलाकों में भी गलीचे बनने लगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे योजना बनाने वाले लोगों को हमारे राज्य में जितना भी कच्चा माल है उसको अन्तिम उत्पाद के रूप में परिवर्तित करने का काम करना चाहिए, तब हमारे राज्य की इकोनोमी सुधरेगी और राज्य में एक तरह से विकास होगा।

आज दूध प्रायः सारा का सारा मदर डेयरी भेज देते हैं। यदि हम उसकी चाकलेट, आइसक्रीम बनाएं और मिल्क पाउडर बनाएं तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

जा रहा है। जो कुछ थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया है हमारे वक्त में, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि जितना भी कच्चा माल, चाहे वह हमारे कैटल से प्राप्त हो, चाहे हमारी भेड़ों से प्राप्त हो, चाहे हमारे खनिज पदार्थों से प्राप्त हो, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फाइनल प्रोडक्ट के रूप में होना चाहिए ताकि स्टेट की इकोनोमी में आमूलचूल परिवर्तन आए।

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार के वक्त में बजट आते थे तो उसमें योजना का 60 प्रतिशत पैसा बिजली और पानी और सिंचाई के ऊपर प्राय: प्राय: खर्च होता था। इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के कामों में खर्च होता था। लेकिन इस बजट में आपने गैस आधारित धौलपुर का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए 120 करोड़ रुपए और गिरल के लिए, जो लिग्नाइट बेस्ड है, 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इससे बिजली का जनरेशन नहीं होगा। सभापति महोदय, मैं पिछले वर्षों की चर्चा करके आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पर आठ और दस महीनों में 250 मेगावाट की यूनिट के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अलग-अलग फेज आ रहे थे। पिछले पांच वर्षों में साढ़े सत्रह सौ मेगावाट बिजली का जनरेशन का एक रिकार्ड, इस पूरे आजादी के बाद के वर्षों में हमारी देन है। राज्य में 1750 मेगावाट बिजली का उत्पादन नए राजस्थान में हुआ जिससे किसानों को हमने बिजली दी। आपने कहा कि हम बिजली 14 से 16 घण्टे देंगे। आप ईमानदारी से बता दें, पूरा सदन बैठा हुआ है, 4 घण्टे से ज्यादा बिजली राजस्थान में नहीं मिल रही है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : पूरे 12 घण्टे बिजली मिली है। आपने किसानों को अंधेरे में रखा। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव) : लोक सभा चुनावों ने उसका परिणाम दिया है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : थर्मल बनाया किसने? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बिजली और पानी देने में आपकी सरकार बिलकुल विफल रही है। आज पूरे राज्य में पेयजल का भयंकर संकट है। जिस तरीके से पूरे राज्य में पानी को लेकर महामारी फैल रही है, कई घटनाएं हो रही हैं, उल्टी-दस्त हो रहे हैं, इन सब बातों से यह स्पष्ट झलकता है कि राजस्थान सरकार पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं कर पा रही है।

हमारे यहां हर वर्ष किन्हीं गांवों में, जिलों में अकाल और अभाव की स्थिति रहती

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

है। मई के महीने में हमारे यहां अभावग्रस्त गांवों की घोषणा की गई और मई में ही सहायता कार्य शुरू किये गये, जबकि नेशनल कैलेमिटी फण्ड में पर्याप्त धनराशि थी इसके बावजूद भी सरकार ने सहायता कार्य और राहत कार्य शुरू नहीं किये। मैं कहना चाहूंगा कि नेशनल कैलेमिटी फण्ड में पैसे नहीं हों और आप काम नहीं करें तो बात समझ में आती है, लेकिन आपके पास पर्याप्त राशि होते हुए भी यदि आप काम नहीं करें तो यह इस बात को दर्शाता है कि आपकी संवेदनशीलता उन गांवों के प्रति, उन गरीबों के प्रति नहीं है।

अभी आपने जो सेल्स टैक्स का ब्यौरा इस बजट में दिया है उसमें दवाइयों को भी नहीं छोड़ा। मैक्जिमम रिटेल प्राइस के ऊपर आपने सेल्स टैक्स लगा दिया। दवाइयां इससे महंगी हो गई। अब आपको देखने में तो यह लगता है कि इस बजट में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो भी दवाई खरीदेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा मेक्जिमम रिटेल प्राइस पर और इससे गरीबों के ऊपर भार पड़ेगा।

इसके अलावा हम कई बार उद्योगों के विकास की बात करते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, पिछली सरकार के वक्त "बीडी", जो एक सबसे बड़ी संस्था है उद्योगों के विकास के लिए उसमें राज्य के मुख्य मंत्रीजी, चीफ सैक्रेटरी लेवल के अफसर, प्रिंसिपल सैक्रेटरी फाइनेंस, इंडस्ट्रीज से सम्बन्धित सैक्रेटरीज वगैरह सभी रहते हैं। उसमें 1800 करोड़ रुपये के विनियोजन का निर्णय हुआ। मैं जानना चाहता हूं, उनमें से कितने उद्योग राजस्थान में रहे, कितने छत्तीसगढ़ चले गये, कितने हिमाचल प्रदेश चले गये और उद्योगों के विकास के लिए आपने क्या नीति निर्धारित की? जो उद्योग स्वीकृत हो गये थे दूसरी तरफ पलायन कर रहे हैं। सभापति महोदय, हमारी खानों का क्या हो रहा है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमारे से बेरुखी है जो उधर ही उधर देख रहे हो?

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, ये सदन के नियम हैं, परम्परा है कि आसन को सम्बोधित किया जाए।

डा. किरोड़ी लाल : पर्सनल्टी आकर्षक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, जब से आपकी फिल्में फ्लाप हुई हैं तब से आपको ज्यादा देख रहे हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर : आकर्षण ही ऐसा है कि देखना जरूरी है।

श्री हरिमोहन शर्मा : फिल्में तो फ्लाप हुई ही हैं, आपने और फ्लाप कर दिया।

श्री सभापति : यह समय की बात है, कभी कोई फ्लाप हो जाता है, कभी कोई फ्लाप हो जाता है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, राज्य की आज भी 9197 खानें बन्द हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करीब-करीब 8 से 10 लाख लोग बेरोजगार हैं। मैं जानना चाहता हूं, पिछले एक-सवा महीने से गवर्नमेंट क्या कर रही है? किन-किन केन्द्रीय मंत्रियों से आप मिले? कौनसे अधिकारी आप से मिले, केन्द्र के लोगों से मिले? और क्या-क्या आपने इस बारे में किया? मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 27.1.1994 को पांच हैक्टेयर के जितने भी खनन कार्य हैं वो पर्यावरण सम्बन्धी क्लीयरेंस के लिए जाने जरूरी नहीं थे। उसके बाद 31.8.1994 को एक प्रेस रिलीज निकली उसमें भी क्लीयरेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी। आठ वर्ष बाद 12.12.2002 को एम.ओ.ई.एफ. का एक परिपत्र निकला, उसमें क्षेत्रफल के विस्तार के साथ पहली बार उत्पादन वृद्धि को क्लीयरेंस की आवश्यकता बतायी गयी कि पर्यावरण विभाग का क्लीयरेंस लेना जरूरी है। लेकिन इसकी विज्ञप्ति कब निकली? 31.10.2003 और एप्लाई कब तक? 31.3.2003 अथवा 15 अप्रैल, 2003 तक। तो विभाग अपने परिपत्र के द्वारा जब अक्टूबर में निकलवाता है और पर्यावरण विभाग की एन.ओ.सी. लेने के लिए लास्ट डेट निकल जाती है तो उसके लिए केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को बात करनी चाहिए। मैं चाहता हूं, इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी स्वयं देखें। राज्य के आदिवासी इलाकों में, गरीब इलाकों में जो मजदूर लगे हुए थे, खनिज से सम्बन्धित, वे सब आज बेरोजगार हो रहे हैं। एक तरफ बरसात नहीं है दूसरी तरफ ज्यादातर लोग आदिवासी हैं वे सब बेरोजगार हो रहे हैं। वे बेरोजगार व्यक्ति जंगलों में जाएंगे तो, आप जानते हैं, जंगलों में निश्चित रूप से उससे दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि तत्काल आप लोगों को केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण विभाग, माइनिंग डिपार्टमेंट इन सबसे मिलकर इस गुत्थी को सुलझाना चाहिए। जो भी लीगल स्टैप अथवा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैप आपको लेने हैं, लेने चाहिए ताकि राज्य में खनिज से सम्बन्धित जो एक पाब्लम आ गई है उसे आप दूर कर सकें। क्या राज्य सरकार ने सोचा है कि हमारी रायल्टी का कितना नुकसान हुआ? एक-सवा महीने में करीब-करीब 100 से 150 करोड़ रुपये की रायल्टी का नुकसान हुआ। लेकिन राज्य सरकार हाथ के ऊपर हाथ धरे हुए बैठी है, इसके ऊपर कोई स्टैप नहीं ले रही है।

सभापति महोदय, मैं खास तौर से शिक्षा विभाग का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति...(व्यवधान) मैं जब बोल लूं उसके बाद बोल लेना आप। मैंने कोई गलत बात की नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : गलत कहा इसीलिए कह रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अच्छा, आप सुधार देना। मैं बोल लूं उसके बाद सुधार देना मैं सब जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, एक-एक बात को नाप-तौलकर कह रहा हूं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिये जाते थे। सेंट जेवियर, एम.जी.डी. स्कूल इसी प्रकार से विद्याश्रम स्कूल, राज्य के बड़े-बड़े कितने भी स्कूल हैं, शहरों में जो स्कूल हैं उनमें भर्ती किये जाते थे और उनके आवास की, भोजन की सभी व्यवस्था राज्य सरकार करती थी। इस वर्ष मेरी जानकारी के अनुसार करीब 450 बच्चों को जो प्रवेश मिलना था, उसके ऊपर शिक्षा विभाग ने रोक लगा दी है। मैं जानना चाहता हूं, वो स्पष्ट करें कि इस बार से बच्चे क्यों नहीं भर्ती किये जा रहे हैं। ये ही बच्चे बड़े होकर आई.ए.एस., आई.पी.एस., आर.ए.एस. और आर.पी.एस. बनते थे, जुडीशियल सर्विसेज में जाते थे। राज्य सरकार ने एक तरीके से आकर यह काम किया है, वह उचित नहीं किया। मैं चाहता हूं एस.सी. और एस.टी. के बच्चों को प्रति वर्ष की भांति नए प्रवेश दें। वैसे तो पिछले वर्षों से योजना चल रही है, कई लोग पहले से भर्ती हैं। लेकिन नए भर्ती हर साल 450 बच्चे करने थे, उनको करना चाहिए ताकि एस.सी. और एस.टी. के बच्चे लाभान्वित हों बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इसी तर्ज पर ओ.बी.सी. के बच्चों को भी राज्य में आवास और भोजन की व्यवस्था करके, गरीब विद्यार्थियों को भर्ती करना चाहिए ताकि वो अपनी प्रतिभा आगे से आगे बढ़ा सकें।

मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा, बी.पी.एल. परिवार इस राज्य में हैं जो गरीबी की सीमा रेखा से नीचे हैं, बिलो पावर्टी लाइन हैं, सभापति महोदय, [illegible] लाख संख्या उनकी कम कर दी गई। हमारी सरकार थी उस समय जो बी.पी.एल. कार्डधारक हैं उनकी दवाइयां मुफ्त थीं। अनेक प्रकार की सुविधाएं-हृदय रोग, किडनी रोग, कैंसर रोग, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपये तक की सहायता राशि उनको मुहैया होती थी। ऐसी सूरत में, जबकि पिछले तीन-चार वर्षों से अकाल और अभाव की स्थिति रही और राज्य में लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है, क्रयशक्ति की क्षमता में कमी हुई है, इसके बावजूद 11 लाख कार्डधारक यदि हमारे कम हो जाएंगे तो राज्य की स्थिति क्या होगी, गरीबों की स्थिति क्या होगी? मैं चाहता हूं आप इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें 23 लाख की जगह कम से कम 35 से 40 लाख लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहते हैं, वो सब कवर हों और इन योजनाओं का लाभ राजस्थान के गरीबों को मिले।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपने कहा है कि नि:शक्तों को, महिलाओं को ताकत देंगे आपका यह थ्रस्ट है इस बजट का मैं जानना चाहता हूं, आपने सात

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

महीने में विधवाओं को कितनी पेंशन दी, विकलांगों को कितनी पेंशन दी, वृद्धावस्था पेंशन कितनी दी? बातें करने से और बजट में प्रावधान करने से कुछ नहीं होता, आप बताएं कि सात महीने में आपने कितने लोगों को पेंशन दी? क्योंकि मैंने देखा है, महामहिम राज्यपाल महोदय के यहां 15 हजार लोग इकट्ठे हुए, उन पर लाठीचार्ज हुआ और कुल मिलाकर उन लोगों ने आकर ज्यादा से ज्यादा यह शिकायत की कि विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही है, विकलांगों को पेंशन नहीं मिल रही है, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है। इसलिए इन कामों को जल्दी से जल्दी इस राज्य सरकार को पूरा करना चाहिए।

मैं एक बात का ध्यान आपके माध्यम से चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रीजी का आकर्षित करना चाहूंगा। मैं पिछले दिनों जोधपुर, जैसलमेर, फलौदी, पोकरण के दौरे पर गया था, इस इलाके में बीकानेर का भी कुछ इलाका है। 22 हजार लोग मलेरिया से प्रभावित हैं और वहां डी.डी.टी. ने काम करना बन्द कर दिया है। डी.डी.टी. मच्छरों पर असर नहीं कर रही है इसलिए करीब 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पी.एफ. के केसेज काफी मात्रा में आ रहे हैं इसलिए मलेरिया को रोकने के लिए पर्याप्त इन्तजाम करने चाहिए।

वहां पर मैंने एक और देखा, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कि जैसलमेर जिले में 63 गांवों में पशुओं को करावाला रोग हो गया है। इसमें गाय जो है एक तरीके से इस रोग में उसके आगे के पैर जकड़ जाते हैं और उसके बाद वह 24 घंटे और 48 घंटे में खतम हो जाती है। सभापति महोदय, अकेले लाठी पंचायत के पांच गांवों में 125 गायों की मौत हो चुकी है, और कुछ समाचार पत्रों ने तो लिखा था कि करीब एक लाख से ऊपर गायें मर गई हैं। लेकिन मैं निश्चित कहता हूं आपको कि 63 गांवों में हजारों की संख्या में गायें मरी हैं। तत्काल वहां पर टीम भेजनी चाहिए पशुपालन विभाग की और वहां पर मिनरल मिक्सचर बंटना चाहिए ताकि वहां की गायों को हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में बचा सकें। (व्यवधान)

श्री जालम सिंह (शिव) : आप जो बता रहे हो वह सही बात नहीं है। आपने वहां बयान भी सही नहीं दिये थे। हमारे पशुपालन मंत्रीजी ने कलक्टर को और पशु चिकित्सा अधिकारी को तुरन्त इस काम में लगाया था। आप जो आंकड़े दे रहे हैं बिलकुल गलत हैं, कोई गायें नहीं मरी हैं तुरन्त इलाज हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई गाय नहीं मरी है तो आप सदन की एक टीम बनाकर भेज दें, मैं साथ जाने के लिए तैयार हूं और प्रेस को भी भेज दो, पता लग जाएगा। मैं कह रहा हूं लाठी पंचायत के पांच गांवों में 125 गायें मरी हैं। जो गाय मर गई है यदि उसको दूसरी गाय चाट भी लेती है तो वह गाय भी खतम हो जाती है। यह संक्रामक रोग है। इसलिए मुझे बड़ा अफसोस है कि...(व्यवधान)

श्री जालम सिंह : आप जाकर आये हैं क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, मैं जाकर आया हूं। उस लाठी गांव में मैं स्वयं जाकर आया हूं और गांव वालों से फर्स्ट हैण्ड जानकारी प्राप्त करके आया हूं। ऐसे नहीं बोल रहा हूं।

श्री सभापति : कृपया बोलने दीजिए। बैठे बैठे नहीं बोलें। यस प्लीज।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, तो जो संक्रामक रोग हैं उनको रोकने में सरकार असफल रही है। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि जहां मलेरिया फैल रहा है वहां सरकार डाक्टरों की टीम भेजे। अधिकारी तो गये है, मैंने वहां पर देखा है। कुछ अधिकारी जो जिले के प्रभारी वगैरह हैं, सचिव वगैरह हैं, वे तो वहां जरूर गयं हैं लेकिन मंत्रीगण में कोई इन समस्याओं को देखने के लिए नहीं गया, इसका मुझे अफसोस है। मंत्रियों को वहां जाना चाहिए और जाकर इन कामों को करना चाहिए.

एक बात मैंने और देखी है, सभापति महोदय, इस सरकार के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस का काम भी लोग जन प्रतिनिधि करने लगे। सारी की सारी ट्रक यूनियन जो हमारे शासन के वक्त में खतम हो गई थी, अब ट्रक यूनियन खड़ी हो गई हैं, चौथ वसूल कर रही हैं, कौन रोकेगा? मैं कहता हूं कि इसे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नहीं रोका तो राजस्थान में ला एण्ड आर्डर की प्राइज़ हो जाएगी। जो संगठित अपराध हो रहे हैं, जो इस प्रकार के संगठन बन रहे हैं, इनको रोकने के लिए आगे से आगे काम करना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, बीकानेर में तो इन्होंने ही कर रखा है लूट का कांटा।

श्री सभापति : डिस्टर्ब नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या बोले आप?

श्री सभापति : कैरी आन।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, अभी मैंने टेलीविजन पर एक कार्यक्रम देखा था। जब जुलाई हुई थी तो 'आज तक' में आया था, "अ" से अनार "ब" से बकरी, लेकिन उसमें "त" से तबादला उद्योग कह रहे थे। तबादला उद्योग कितना हुआ? आज सवेरे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरीके से बताया, सहकारिता विभाग में जिनके ऊपर ए.सी.डी. के मुकदमे चले हैं, सभापति महोदय, उन लोगों का तबादला हो जाए, फिर कैंसिल हो जाए, फिर रूक जाए, 4-5 दिन में इस प्रकार की चीजें हो जाएं, यह उचित नहीं है। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी को खुद इन मामलों को देखना चाहिए। स्थानान्तरण नीति बने और नीति के अनुसार काम हो।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपके वक्त में नहीं हुई।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमारे वक्त में कोई गलत हुआ है तो आप...

श्री धर्मपाल चौधरी : आपकी नीति थी पहले पांच साल में?

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैंने पिछली बार भी कहा है, माननीय सदस्य, कि थे मजा करो महाराज, आज थ्हारी पांचों घी में है। थ्हाने पुरस्यो सगले परदेश अब थ्हारे कांई जीमे है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप स्वास्थ्य मंत्री थे। (व्यवधान) पहले आप उनको देखो, कितने कितने तबादले किये थे। नीति की बात अभी करने लगे 6 महीने में ही।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, ये लोग इस तरह से व्यवधान डालते हैं।

श्री सभापति : प्लीज आप अलाउ नहीं करो उनको। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं थोड़े ही कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं तो आप रेस्पोंड मत करिये। माननीय सदस्य, बैठ जाइये। (व्यवधान) आप रेस्पोंड करते हैं तो बोलते हैं, आप रेस्पोंड मत करिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इस बजट में खास तौर से इन्फ्रास्ट्रक्चर को डवलप करने के लिए जो थ्रस्ट इन्होंने रखा था, वह पूरा नहीं होगा। हमारे यहां इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, इसमें आपने बजट रखा है 177 करोड़ रुपये का, लेकिन इसके सी.ए.डी. के वर्क्स के लिए सरकार ने पर्याप्त बजट नहीं रखा है। जब तक खाले नहीं बनेंगे, पानी किसान के खेत में नहीं पहुंचेगा। इसलिए बजट बनाते वक्त हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि नहरें बनें और नहर के साथ साथ में किसान के खेत में

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

ज्यादा से ज्यादा पानी पहुंचे ताकि उस पानी का आदर्शतम उपयोग हो सके। सभापति महोदय, एक वक्त था जब इस इन्दिरा गांधी नहर बार्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत कभी 30 करोड़, कभी 50 करोड़ और कभी 60 करोड़ रुपये मिलते थे। लेकिन मैंने स्वयं इस विधान सभा के माध्यम से सरकार से एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया, उसमें मुझे यह बताया गया कि पिछले 4-5 सालों में बी.ए.डी. से केन्द्रीय सरकार ने पैसा देना बन्द कर दिया। यही कारण रहा कि जो इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का विकसित होना चाहिए था, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का हम डवलपमेंट पर्याप्त मात्रा में नहीं कर सके। पांच साल में तीन सौ करोड़ रुपये हमको मिलते और वे वापस पे नहीं करने पड़ते। ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा न मिलना राजस्थान के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है और मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर अब एफर्टस करने चाहिए ताकि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को हम जल्दी से जल्दी पूरा करके आगे बढ़ सकें।

मैं इस अवसर पर खास तौर से कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में कहना चाहूंगा। एक तरफ हम उद्योगों के विकास की बात करते हैं, राजस्थान का जब तक औद्योगिक विकास नहीं होगा, हम सेल्स टैक्स कहां से प्राप्त करेंगे? हम कहां से इनकम प्राप्त करेंगे? सभापति महोदय, जो लोग कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट्स अपने खर्चे से लगाते हैं उनके लिए 25 पैसे प्रति यूनिट जो टैक्स लगाया गया है उससे उद्योगों का विकास नहीं होगा। उद्योग जो हैं एक तरीके से पीछे चले जाएंगे। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस प्रकार का जो टैक्शन हुआ है, यह ठीक नहीं है।

इसी तरीके से मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारी कथनी और करनी में क्या फर्क है। सभापति महोदय, केन्द्र में लोक सभा में हम दागी मंत्रियों की बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से, इलेक्शन डिपार्टमेंट से हम भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, आप भी जानकारी प्राप्त करें कि किन-किन जन प्रतिनिधियों के खिलाफ कौन-कौन से मुकदमे चल रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे यहां कम से कम 6-7 मंत्रियों के ऊपर कई मुकदमें चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन मंत्रियों के ऊपर जब मुकदमे चल रहे हैं तो वह सदन में मंत्री कैसे बने हुए हैं? इन दोनों में अन्तर करना होगा, नहीं तो यह होगा कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लोक सभा में आपके हाथी के दांत और हैं, यहां के दिखावे के और हैं। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। इसलिए सबसे पहले बी.जे.पी. को यह चाहिए कि वह अपने जितने भी राज्य हैं, जहां उनके मंत्री हैं और जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उनको पहले हटाएं। तब जाकर देश उनकी बात सुनेगा। आप यह कहेंगे, जब

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

तक किसी के ऊपर कोई न्यायालय दण्डादेश पारित नहीं करता है तब तक वह रह सकता है, तो फिर आप केन्द्र में यह सवाल कैसे उठा रहे हैं? इसलिए दागी मंत्रियों को पहले आप अपनी केबिनेट से निकालिए और फिर उससे आगे आप बात कीजिए। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे नहीं हैं, दिल्ली की सरकार में बैठे लोगों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं जानना चाहता हूं, हमारे मंत्रिमण्डल के किन माननीय सदस्यों पर इस प्रकार के मुकदमे या इस प्रकार के केसेज हैं जो अपराधी हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं या उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है? और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपके कितने माननीय सदस्य हैं जिनके ऊपर अपराध, भ्रष्टाचार आदि के...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं विषय खोल दूंगा, किसके ऊपर क्या-क्या मुकदमे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, खुलवाना चाहता हूं, माननीय, मैं खुलवाना चाहता हूं। (व्यवधान) हां, बोलो। प्रतिपक्ष के नेता बोलो, आपको चैलेंज देना चाहता हूं। (व्यवधान) +++, हम चर्चा करना चाहते हैं इस पर। (व्यवधान) हमको पता है, क्या धारा 144 तोड़ना, क्या राजनीति आन्दोलन...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिए। बैठिए प्लीज। स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, हम यह चाहते हैं। (व्यवधान) यह बात खुलासा हो जाए कि दागी कौन हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता महोदय के बोलने के बाद में माननीय मुख्य मंत्रीजी बोलेंगी, वो जवाब देने में सक्षम हैं, इसलिए कृपया शांति रखें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमें उत्तेजित करने का कोई शब्द नहीं कहा जाए। प्रतिपक्ष के नेता हमें उत्तेजित न करें।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, यह पार्वती की ऐसी बारात है जो बीच में बम-बम भोले किये बिना चुप नहीं बैठेगी, बम-बम भोले तो कहेगी।

श्री सभापति : आप बिराजिये। आप बिराजिये। प्लीज. कैरी-आन।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : यह बजट पर डिस्कशन चल रहा है, कोई गुन्डागर्दी पर नहीं चल रहा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय नेता प्रतिपक्ष, ऐसी राय अपनी स्वयं की नेता को दें तो सारा देश इनसे प्रेरणा ले लेगा। पहले राय उनको दें।

श्री सभापति : आप बैठिये। इंटरप्शन नहीं। प्लीज इंटरप्शन नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैंने इसलिए बड़ी गम्भीरतापूर्वक कहा था कि आजकल एफिडेबिट देना पड़ता है, 200 के 200 एम.एल.ए ने अपने एफिडेबिट दिये हुए हैं, सदन की नेता महोदया मंगवा लें। जिनके ऊपर गम्भीर हत्या के और अन्य 17-17 मुकदमे चल रहे हैं उनको इस कैबिनेट में लिया गया है, इसलिए विचार करना चाहिए इसके ऊपर।

सभापति महोदय, अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान का यदि विकास करना है तो हमको 5-7 चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा।

श्री मदन दिलावर : हत्या का मुकदमा किसके ऊपर है?

डा. बुलाकीदास कल्ला : सबसे पहले तो यह कि राजस्थान पर्यटन से सम्बन्धित राज्य है और पर्यटन एक बिना धुएं का उद्योग है। इस पर्यटन उद्योग को हम जितना बढ़ावा देंगे उतना ही राजस्थान विकसित होगा। हमारे राजस्थान में आज जानते हैं कि बर्फ और समुद्र के अलावा सब कुछ है...Except snow and sea we have everthing in our State. इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमको अपने मेवाड़ काम्प्लेक्स, सैण्ट्रल काम्प्लेक्स, डैजर्ट काम्प्लेक्स इन तीनों को ज्यादा से ज्यादा विकसित करना होगा। आपने 22 करोड़ रुपये की योजना पर्यटन की बनाई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पर्यटन के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपये की योजना बननी चाहिए। केरल हमारे से पीछे था, आज हमारे से आगे चला गया। उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, देवभूमि के माध्यम से इतना विख्यात कर दिया कि आज सारे लोग केरल जाने लगे हैं। राजस्थान में भी प्राकृतिक चिकित्सा का, योग का, आयुर्वेद का बहुत बड़ा स्कोप है इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को यहां पर अट्रेक्ट करें। ब्रैड वाले से लेकर, आप यह समझ लीजिये कि एक पर्यटक आता है तो कम से कम 70-80 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में लाभ देता है। तो इस उद्योग को, बिना धुएं वाले उद्योग को, बिना चिमनी के उद्योग को हमको ज्यादा से ज्यादा विकसित करना चाहिए।

इसके अलावा राजस्थान का औद्योगिक विकास करने के लिए लैण्ड सब्सिडी के

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

रूप में देनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाने चाहिए। हमारे यहां हम सब लोगों को मिलकर स्पेशल इकोनोमिक जोन सबसे ज्यादा बनाने चाहिए ताकि राज्य औद्योगिक दृष्टि से विकसित हो सके। जब तक हम औद्योगिक दृष्टि से विकसित नहीं होंगे, राज्य सारा पीछे चला जाएगा। राज्य का इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, आवश्यक रूप से सारे संसाधनों को झोंककर करना होगा तब जाकर औद्योगिक विकास होगा।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि परसों में हमारे प्रदेश अध्यक्षजी नारायण सिंहजी जो दांतारामगढ़ से आते हैं, हमारे माननीय शिवचरणजी माथुर साहब, एक्स सी.एम., माननीय जगन्नाथजी पहाड़िया साहब एक्स.सी.एम. हम सब लोग दिल्ली गये थे। दिल्ली जाकर हमारे को यह जानकारी मिली कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया भी वहां हैं, तो हम चाहते तो यह थे कि हम सब लोग आपस में मिलकर बातचीत करें। जैसा भी हो वो भी मिले, हम लोग भी मिले। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा जो प्रधान मंत्रीजी से प्रतिनिधिमण्डल मिला उसमें राज्य के तीनों केन्द्रीय मंत्री-नटवर सिंहजी, शीशरामजी, नमोनारायणजी मीणा और मैंने जो चार नाम बताये वो, हमारे जितने भी राज्य सभा के एम.पी. हैं, लोक सभा के एम.पी. हैं, एक्स.एम.पीज., बहुत बड़ा यह प्रतिनिधिमण्डल प्रधान मंत्रीजी से मिला। रावी-व्यास के पानी में राजस्थान को जो 8.6 मिलियन एकड़ फीट हिस्सा है उसको पूरा का पूरा प्राप्त करने के लिए 1920 से लेकर अब तक जो जो अलग-अलग समझौते हुए हैं, 1955 का, 1981 का, उनको विस्तार से माननीय शिवचरणजी माथुर साहब ने, हम लोगों ने मिलकर रखा। सभी केन्द्रीय मंत्रियों ने और जन प्रतिनिधि जो वहां मौजूद थे उन्होंने अपने-अपने तरीके से अपने-अपने सुझाव दिये।

(18.55 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, उसका परिणाम यह हुआ कि उसके कारण प्रधान मंत्रीजी ने हमको यह आश्वस्त किया कि राजस्थान के हितों की अनदेखी नहीं होगी और राजस्थान के हक का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा हम हमारी पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधीजी से मिले, शरद पंवारजी से मिले, शिवराजजी पाटील से मिले और केन्द्रीय मंत्रियों से भी अलग-अलग राजस्थान के जो हैं उनसे बराबर मिले और मिलकर पूरी लाबींग की। उसी दिन, परसों रात को, पालिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग थी उसमें भी इस बात को ध्यान में रखते हुए जो फैसले लिये गये

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मैं समझता हूं कि राजस्थान का उसमें पूरा हित रहेगा और राजस्थान के हितों पर कोई कुठाराघात नहीं होने दिया जाएगा।

इस प्रकार मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि टीम स्पिरिट से हम कभी काम करें तो उसकी टीम स्पिरिट बनी रहनी चाहिए और उसके अनुसार हमको मिलकर काम करना चाहिए। हमने जब शरद पंवारजी को यह कहा कि करीब 14 जुलाई हो चुकी है और राजस्थान में अभी तक पूरा मानसून नहीं आया है। तो उन्होंने हमको यह जानकारी दी, माथुर साहब बिराजे हुए हैं, उन्होंने कहा, कि मैंने स्वयं आपकी मुख्य मंत्री महोदया को फोन किया है और फोन करके यह कहा है कि आपके राजस्थान में क्या स्थिति है बरसात की ओर किस तरह की आपकी तैयारी है। क्या करना है, इसके बारे में तो उनको कहा। प्रधान मंत्रीजी को भी बरसात नहीं होने की स्थितियों के बारे में बताया। तो कुल मिलाकर राजस्थान के हितों के लिए पूरी तौर से मैं और मेरा दल चिंतित है और मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जहां राजस्थान की प्रमुख समस्याएं हैं, राजस्थान के हितों का सवाल है, वहां पर कांग्रेस पार्टी कहीं किसी से पीछे नहीं रहेगी। लेकिन केवल मात्र आप आंकड़ेबाजी करें, बजट आपका दिशाहीन है, आपका बजट विकास की गति को बढ़ाने वाला नहीं हो, केवल मात्र एक तरीके से पुरानी बोतल में नई शराब हो तो मैं समझता हूं कि...

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : कल्ला साहब, पूरी राजस्थान की जनता आपकी बात सुन रही है।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता और हम साथ पढ़े हैं, कभी इस प्रकार का उदाहरण नहीं दिया। इंटरप्शन नहीं, विथ परमीशन, आपकी परमीशन।

श्री अध्यक्ष : आप लोग बीच-बीच में व्यवधान नहीं डालें। जो परम्परा सदन की रही है वह यह है कि सदन की नेता और प्रतिपक्ष के नेता जब बोलते हों तो कोई बीच में टोकाटाकी नहीं करें, बीच में कमेंट्स नहीं करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : बस, मैं कम्प्लीट कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, कुल मिलाकर मैं आपके माध्यम से इसको सम-अप कर रहा हूं कि राज्य का बजट जो है उससे गांव, गरीब, आम आदमी, मध्यम वर्ग का कोई भला नहीं होगा। इससे केवल पूंजीपति, लम्बरदार, ठेकेदार और जो जवाहरात के व्यापारी हैं उनको लाभ मिलेगा, गरीब को कोई लाभ इसका नहीं मिलेगा। कुल

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मिलाकर यह जो बजट है यह राजस्थान की विकास की दर को कम करने वाला है, प्रति व्यक्ति आय को कम करने वाला है। राज्य की सकल आय को कम करने वाला साबित होगा और कुल मिलाकर इससे राज्य को कोई विकास की गति नहीं मिलेगी। अन्त में मैं मेरी बात इस कोटेशन से समाप्त करता हूं-

रोशनी अगर मिले अंधेरे को,

आदमी तरसे नहीं सवेरे को।

मजबूर न रहे दुनिया में कोई,

आओ रोशन करें हर सवेरे को।।

श्री अध्यक्ष : सदन की नेता माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं विपक्षी दलों के और सत्ता पक्ष के उन सभी सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहती हूं जिन्होंने इस बजट की चर्चा में भाग लिया और अपने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव हमारे सामने रखे। मैं समझती हूं कि मुझे थोड़ी-सी खुशी इस बात की भी है कि यह पहला अवसर है जब विपक्षी दल ने और कई आपके सदस्यों ने चर्चा के दौरान हमारे इस बजट के प्रस्तावों को सराहा भी है और एक तरह से प्रशंसा भी की है।

(19.00 बजे)

वैसे विपक्ष के माननीय नेता को मैं यह कहना चाहूंगी, आज आपका भाषण सुनने के बाद मुझे यह लगा कि लैफ्ट हैण्डेड काम्प्लीमेंट ही समझो, आपने मुझे दिया है, क्योंकि आपको कोई ऐसी ठोस बात मैं समझती हूं हमारे बजट के अन्दर नहीं मिली है जिसको आप किसी प्रकार से भी क्रिटिसाइज कर सकें। आखिर में अपन आकर टिके वहीं पर कि दिल्ली की सरकार ने क्या-क्या किया है और आपने भी उसको अपने बजट भाषण के अन्दर लाने की कोशिश की है। उसके चारों ओर, उसी के इर्द-गिर्द अपन घूमे हैं। आपके इस काम्प्लीमेंट को पूरी तरह से और सहजता से एक्सैप्ट और स्वीकार करती हूं।

बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् समाचार-पत्र और विभिन्न वर्ग और दूसरे नागरिक जिन्होंने बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की, इस बजट को एक्सैप्ट किया, कहीं-कहीं पटाखे, कहीं-कहीं रंग-गुलाल से इसको सराहा और उससे हम सबको एक किस्म से उत्साहित किया और उत्साह में हमारे वृद्धि हुई, मुझे बहुत खुशी है। मैं समझ

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सकती हूं कि आपकी पार्टी क्यों दोनों चुनाव हारी, क्योंकि ये सब मामले विधान सभा के अन्दर ही होते हैं। आप शायद बाहर के लोगों की मानसिकता से आउट आफ टच हैं, क्योंकि आपने जो यहां किया और जो बाहर के लोगों ने कहा, इसमें इतना जमीन-आसमान का अन्तर है। शायद इसी की वजह से आपको दोनों चुनावों के अन्दर हार का मुंह देखना पड़ा। हमारी चर्चा के दौरान जो बिन्दु उठाये गये हैं, जो शंकाएं प्रकट की गई हैं, उनके सम्बन्ध में एक समुचित उत्तर देने की कोशिश करूंगी। बिन्दुवार और विस्तार से आप लोगों ने अपने मत रखे हैं, उसको सुझाने की कोशिश मैं करूंगी। जैसा मैंने भाषण के अन्दर बताया है, आप लोग सबको, कि जब हमने शासन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली तो हमने यह सोचा कि विकास को गति देना, यह जरूरी है। स्टेट को दिशा देने की बात है, यह ज़रूरी है। और इसलिए कुछ-कुछ शुरूआत में ही प्राथमिकताओं को हम लोग निर्धारित करते हैं, यह बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब कोई गोल होता है तो उस गोल की तरफ हम लोग काम करेंगे तो प्राथमिकता जो भी हमने बनाकर रखी है, ज्यादातर उसको हम पूरा कर सकेंगे। हमारी प्राथमिकताओं को बहुत सारे लोगों ने सराहा भी है।

सभी हमारे माननीय सदस्य जो बैठे हुए हैं, वे सब जानते हैं कि संसाधन बहुत कम हैं, प्लानिंग एक्सपेंडिचर के ऊपर विशेष ध्यान दिया। और ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है। इसी तरीके से पिछले वर्ष की योजना का आकार जो 4258 करोड़ रुपये था, उसको बढ़ाकर 5504 करोड़ 52 लाख रुपये तक हम ले गये। और यह भी खुशी की बात है कि ले तो गये ही, परन्तु जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ, वह एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी 6044 करोड़ हुआ। अब कोई यह कहता है कि यह तो एक्स्ट्रा फेवर था, आपकी सरकार थी इसलिए किसी ने आपके लिए एक्स्ट्रा फेवर किया होगा, यह कथन भी बिलकुल ही असत्य है। मैं यह कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण ही अगर यह सहयोग मिला तो मैं नहीं समझती कि यह बात है। क्योंकि यह सहयोग तो भीषण अकाल से आपकी सरकार गुजर रही थी तो उसमें उस सरकार ने आपको मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गत वर्ष की योजना के आकार के अन्दर बढ़ोतरीं करना हमारे लिए इसलिए सम्भव हुआ क्योंकि हम लोगों ने परिश्रम किया, हम लोगों ने ठोस प्रयास किये। पूर्व सरकार द्वारा केवल 4258 करोड़ की योजना जो बनाई गयी थी, उस योजना को देखकर वहीं आपने संतोष पाया, जबकि हम लोगों ने यह नहीं किया। हमने यह तय किया कि लक्ष्य अगर छोटा होगा तो प्राप्ति भी उसी के अनुरूप होगी। और अगर हम अपना लक्ष्य अच्छा बनाएंगे तो ठीक है, पूरी 100 प्रतिशत हमारी उपलब्धि नहीं होगी, परन्तु हम 90 प्रतिशत उसकी उपलब्धि कर सकेंगे। इसीलिए अंग्रेजी में कहा जाता है-If you aim for the stars, you will at least reach the moon. हमारी कोशिश यह थी कि राजस्थान की जनता को पूरी तरह से

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सैटिस्फाई करने के लिए हम लोग सब मिलकर पूरी तरह से कोशिश करेंगे। मैं मानती हूं कि फैडरल स्ट्रक्चर के अन्दर कोई भी सरकार केन्द्र के अन्दर हो, किसी भी राज्य के हितों की वह अनदेखी करे, यह सम्भव नहीं है। पूर्व शासन के दौरान आपको सहयोग मिला और मैं यह विश्वास रखती हूं कि आने वाले समय के अन्दर मुझको और मेरी सरकार को भी कोई अड़चन नजर नहीं आ रही है। चाहे कोई दूसरी पार्टी सरकार में बैठी हो, पर मुझे तो विश्वास है कि राजस्थान का काम कराने के अन्दर हम पूरी तरह से सक्षम रहेंगे।

पिछले साल टैक्स यानी कर संग्रहण में अच्छी वृद्धि होने के सम्बन्ध में यह कहा गया कि यह तो वृद्धि इसलिए ही हुई क्योंकि अच्छी फसल हुई थी और क्योंकि पूर्व शासन ने जो अच्छे निर्णय लिये थे तो उसका परिणाम ही हम लोगों को मिला है। आप अगर उसका श्रेय लेना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर सही बात तो यह है कि शासन की बागडोर सम्भालने के बाद लगभग जो वृद्धि हुई, वह सात प्रतिशत के करीब कर संग्रहण के अन्दर वृद्धि हुई। जो हम चार महीने इस सरकार में रहे हैं, साल के अन्तिम चार महीनों के अन्दर क्लोज मोनिटरिंग करके उसको 15.80 प्रतिशत तक पहुंचाया। इस वर्ष अप्रैल से जून, 2004 में करों के संग्रहण के अन्दर भी 18.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अब माननीय सदस्यों ने जो बिन्दु उठाये हैं, उनके ऊपर कुछ कहना चाहूंगी और उनका उत्तर भी प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। बजट व्यय पर राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और विपक्ष के नेता महोदय इन दोनों ने मिलकर यह कहा था कि केन्द्रीय बजट की वजह से हमने तो उसको कापी किया है, उसके अनुरूप ही हम चल रहे हैं। मैं आश्चर्य करती हूं क्योंकि मंत्री भी रह चुके और वह भी वित्त मंत्री रह चुके और इन्होंने यह प्रश्न उठाया है। आपने यह प्रश्न उठाया है, मैं तो यह कहूंगी, यह एक किस्म का मजाक है क्योंकि शासन के अन्दर कंटीन्यूटी तो होती ही है। मैं यह मानती हूं कि यह कंटीन्यूटी भारतीय जनता पार्टी को हटाकर आप आये थे या आप हटकर हम आये थे, यह कंटीन्यूटी तो रहेगी ही और इसीलिए कोई भी योजना किसी सरकार विशेष की नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सेंसिटिविटी किसने दर्शायी और सेंसिटिविटी को कहां तक हम ले जाने की कोशिश करें। इसलिए हमने अपने बजट भाषण के अन्दर कई नई योजनाओं का उल्लेख किया. और मैं आपका सबका समय लेना नहीं चाहती उसको दुबारा पेंशन करने में. मैं यह कहूंगी कि मेरा बजट भाषण अगर आप पढ़ लें तो वे आपको मिल जाएंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इसी तरह से आपने कई बिन्दु उठाये। सबसे पहला आपने कमाण्ड एरिया डवलपमेंट के बारे में बतया, मैं उसके बारे में थोड़ा-सा आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि वर्ष 2002-2003, जब आपका समय था, उसके अन्दर जो कमाण्ड एरिया डवलपमेंट था, उसमें 29.69 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के 2003-2004 के समय में 37.53 करोड़ रुपये और अभी 2004-2005 है, उसमें 52.75 करोड़ रुपये का व्यय होने जा रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 78 प्रतिशत बढ़ावा आया है।

इसी तरह से इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के ऊपर आपने बड़ी सलाह दी, बड़े सुझाव दिये, और मैं आपके सामने नतमस्तक हूं क्योंकि आप बहुत दिन तक यहां रहे हुए हैं। ये सुझाव अगर आप अपनी सरकार को ही दे दिये होते तो मैं समझती हूं कि वह कहां से कहां पहुंच सकती थी। फिर भी आपने मेरे लिए बचाकर मुझे यह बताया है, उससे मैं भी कुछ सीखने की कोशिश करूंगी। अभी इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में कम प्रावधान के बारे में बात की है, यह बिलकुल गलत है। पावर के ऊपर आपको बताऊंगी कि 2004-2005 में पावर के अन्दर हम लोग 2169 करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं। 2003-2004 के अन्दर 1767 करोड़ रुपये, सिंचाई पर 2003-2004 में 916 करोड़ रुपये, 2004-2005 में 926 करोड़ रुपये, रोड्स के अन्दर 2003-2004 में 435 करोड़ रुपये, अब 471 करोड़ रुपये और अरबन डवलपमेंट्स में 720 करोड़ रुपये, अब 915 करोड़ रुपये यानी टोटल 4481 करोड़ रुपये आउट आफ 7031 करोड़, जो 64 प्रतिशत आफ प्लान साइज है, उसका हम व्यय करने जा रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह पता नहीं था क्या आपको, कल्ला साहब?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मुझे लगा था कि शायद देखेंगे, पर...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दिल्ली से सीधे आ गये आप।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अच्छा, दूसरी बात माननीय राजाखेड़ा के सदस्य ने यह कही थी कि विद्युत शुल्क विधान सभा सत्र के पूर्व, और आपने भी, कल्ला साहब ने भी यह बात कही कि, यह बिलकुल बढ़ाना गलत था। लोढ़ाजी ने भी यह बात कही थी। मैंने तो पहले भी यह स्थिति स्पष्ट की थी। मैंने यह कहा था कि ये सब कम्पनियां, केन्द्र के अधीन जो कम्पनियां हैं कोयले की, गैस की, पैट्रोल की, इन सब की कीमतों में जब सरकार ने वृद्धि कर दी, तो यह जो आंशिक आपूर्ति है उसको हमको पास-आन करने की जरूरत थी, क्योंकि 250 करोड़ का घाटा इसकी वजह से हमारे राजस्थान के ऊपर पड़ा है। पूरी व्यवस्था हम लोग तभी कर सकते थे जब एक मामूली अंश हमने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)
पन्द्रह पैसे का डोमेस्टिक के अन्दर भी और इण्डस्ट्रीज के अन्दर भी उसको लगा दिया। मेरा तो मानना यह था कि अगर ये दरें नहीं बढ़तीं तो, राज्य के अन्दर बिजली के अन्दर हम लोग तो कर बढ़ाने का तो बिलकुल सोच भी नहीं रहे थे, अगर दिल्ली के अन्दर यह नहीं बढ़ती तो मैं तो समझती हूं कि राजस्थान के अन्दर भी यह नहीं बढ़ती।

इसी तरीके से धौलपुर के अन्दर, हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि 1300 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है और 120 करोड़ रुपये ही आप लोगों ने खर्च करने का सोचा है। कल्ला साहब ने भी यह बात कही। अब आप सब जानते हैं कि धौलपुर में गैस आधारित 330 मेगावाट की क्षमता का एक पावर प्लांट जिसमें कुल पूंजी हम लोग जो लगाने जा रहे हैं, 1155 करोड़ रुपये अनुमानित है, 1300 करोड़ नहीं, उसमें 347 करोड़ रुपये राज्य सरकार से उपलब्ध कराये जाएंगे और 808 करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राप्त होने वाले हैं। इस परियोजना को ढाई वर्ष के अन्दर हमको कम्प्लीट करना है। चालू वर्ष में इस योजना पर 320 करोड़ रुपये का व्यय होना है। राज्य सरकार ने 120 करोड़ रुपये इक्विटी के रूप में देने का सोचा है और 200 करोड़ रुपये वित्तीय संस्थानों से हम लोग ऋण के रूप में लेंगे, सो 320 करोड़ रुपये, 347 करोड़ रुपये हम लोग उसके अन्दर व्यय करने जा रहे हैं।

मैं आपको इसके बारे में बता दूं, आपने यह भी कहा कि आप लोगों ने 1700 मेगावाट बिजली की वहां बढ़ोतरी की है और हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो गिरल और धौलपुर तो आ ही रहा है। 1700 मेगावाट का आपने जो किया उसमें बहुत बड़ा हाथ भैरोंसिंहजी की सरकार का भी था और सेन्ट्रल सैक्टर के भी प्रोग्राम्स का था चाहे नाथपा-झाकड़ी हो, चाहे आर.ए.पी.पी., जो सेन्ट्रल सेक्टर के प्रोग्राम्स हैं। तो यह तो यहां राजस्थान की पूरी जनता जानती है कि उसके माने 400 मेगावाट की इसके अन्दर मदद हुई है। 1700 मेगावाट की जो बात हुई है उसमें सब का हाथ है। मैं कहती हूं कि आपकी सरकार ने भी कुछ बढ़ोतरी की है, उसमें भैरोंसिंहजी साहब का भी हाथ था और सेन्ट्रल सैक्टर का भी इसके अन्दर हाथ था, मैं रिकार्ड के लिए इसको करैक्ट करना चाहूंगी।

आई.जी.एन.पी. पर आपने बहुत ही कष्ट जताया, मुझे भी बहुत कष्ट है क्योंकि बी.ए.डी.पी. तो बन्द हो गया था। परन्तु हमारे वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंहजी जब थे, तब उन्होंने यह क्लीयर कर दिया था कि तीन साल के अन्दर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जो सालों-सालों से चलती चली आ रही है, उसको हम अपने समय के अन्दर पूरी कर देंगे। अब मैं विश्वास करती हूं. क्योंकि हम लोगों का तो इतना अच्छा रैपर्ट है और आप भी वित्त मंत्रीजी से, प्रधान मंत्रीजी से बहुत-सी चीजों के ऊपर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मिलकर आये हो और उनका भी रैपर्ट रखते हो, तो मैं विश्वास करती हूं कि जिस तरीके से जसवन्त सिंहजी इसको तीन साल के अन्दर पूरा करने के लिए पैसे का इन्तजाम करने वाले थे उसी तरीके से आप भी अपना इन्फ्लुएंस जताकर सरकार से इतना पैसा हमको दिलवाएंगे ताकि यह नहर का काम जल्दी से जल्दी निपट जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोलो, कल्लाजी, दिलवाओगे या नहीं?

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपने नहीं दिलवाया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब तो दिलवाओगे या नहीं?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम तो पैरवी कर ही रहे हैं हितों की।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : नहीं, पैरवी कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रही हूं। पैरवी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके नेता बोल रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : विपक्ष के माननीय नेता ने यह कहा है कि राज्य के कच्चे माल का प्रासेसिंग होना चाहिए। I can't agree with you more. यह तो तब भी करा लेना चाहिए था। पर मैं समझती हूं कि बहुत ही बढ़िया सुझाव है। मैंने बजट के कर प्रस्तावों में अनेक प्रस्ताव दिये हैं जो अगर आप पैरा 177 और 178 आफ द बजट पढ़ लेंगे तो उसमें यह कच्चे माल का प्रोसेसिंग क्या होगा, ट्रेड डाइवर्जन को कैसे रोका जाए, वह सब उन पैरेग्राफ्स के अन्दर मैंने उसका उल्लेख किया है।

चुनावों के समय बन्द उद्योग की चिन्ता, बिजली की कमी और बेरोजगारी की चिन्ता हमारे माननीय सदस्य राजाखेड़ा से आने वाले की और सिरोही के माननीय सदस्य की हुई थी। उन्होंने यह कहा कि एक लाख युवाओं को रोजगार देने का कहा है हम लोगों ने, उसका क्या होने वाला है। तो अगर माननीय सदस्य मेरे बजट भाषण के ऊपर थोड़ा-सा या पर्याप्त ध्यान दिये होते, मुझे लगता है दिया नहीं है, अगर दिये होते तो आपने देखा होगा कि इसके ऊपर बहुत ही विस्तार से हमने चर्चा की है। हमने ठोस कार्य योजना और उसके लक्ष्य निर्धारित किये हैं। बन्द उद्योगों को किस तरह से पुनर्जीवित करना है, एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना पैरा 178 के अन्दर हमने बनाकर दी है, उसको जरा आप खोल कर देख लें तो वह आपके ध्यान में आ जाएगा।

हमारे माननीय सदस्य ने, राजाखेड़ा वालों ने यह जरूर कहा है कि विद्युत कम्पनियों के जो कैप्टिव पावर प्लांट है उन पर आपने यह शुल्क लगाया है। मैं उनको यह ध्यान दिलाना चाहती हूं कि विद्युत कम्पिनयों द्वारा जो बिजली दी जा रही है उसके

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ऊपर इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी होती है और कैप्टिव पावर प्लांट्स पर अभी तक विद्युत शुल्क नहीं लगा था. वह अपने आप ही में एक किस्म की विसंगति थी जिसे हम अब दूर कर रहे हैं। जो कम्पनी डिसकाम से बिजली खरीदती है उसके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड देने की जरूरत है। इसीलिए ये अतिरिक्त केन्द्र के अधीन कम्पनियां जो भी हैं, और फिर उनके कायले, डीजल और पैट्रोल के दाम बढ़ाने की वजह से, इसकी वजह से हम लोगों के ऊपर यह भार पूरा करने के लिए यह टैक्स लगाना भी पड़ा।

मैं माननीय सदस्य से और हमारे पक्ष के आदरणीय नेता से यह कहना चाहूंगी, आपने कहा है कि कर्ज बढ़ाकर हमारी कमर तोड़ दी। 34-35 हजार करोड़ का कर्जा बढ़ गया है, मुझे भी चिन्ता है, आपको भी चिन्ता है। यह आपको...

श्री प्रद्युम्न सिंह : I am sorry to intervene, मैंने यह कहा कि जिस...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्षेत्रवाद चल रहा है, आप आपस में ही कर लो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं, एक मिनट। एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : नहीं. आप उनके भाषण के...

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : I am not yielding.

श्री अध्यक्ष : जब वह बोल चुके तब आप कीजियेगा।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : I am not yielding.

श्री प्रद्युम्न सिंह : Will you allow me?

श्री अध्यक्ष : हां, यस। तो बीच में क्यों इन्टरप्ट कर रहे हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : to ask one or two questions only.

श्रीमती वसुन्धरा राजे : न, न, I am not yielding. आपने तो कह दिया। मैं तो खाली इतना ही कहना चाहती हूं कि असेट्स के निर्माण के लिए कर्ज लेना, यह तो जरूरी है। और उचित होता है तो कर्ज तो लिया ही जाता है। और जरूरी तो यह है कि कर्ज किस चीज के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसे कार्य के लिए इस्तेमाल. आवश्यक कार्यों के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं और असेट्स का प्रोडक्शन करते हैं तब तो मैं समझती हूं कि कोई प्राब्लम नहीं है, सामाजिक और आर्थिक रिटर्न

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

उसमें से प्राप्त हो सकेंगे। इसीलिए राज्य के जो असेट्स, कुल ऋण और देनदारियों के अनुपात में जो 1991-92 और 1997-98 तक 96 से 83 प्रतिशत के मध्य में रहे, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम का काम था, इसके बाद के वर्षों में जो लगातार घटकर वर्ष 2002-2003 में इसकी मात्रा 56 प्रतिशत रही है। मैं तो यह कहना चाहती हूं कि यह पैसा जो कर्जे में लिया गया था, उसको कंजम्प्शन में इस्तेमाल किया गया, असेट क्रियेशन में नहीं किया गया इसलिए शायद हम लोगों को यह डिफिकल्टी देखनी पड़ रही है।

इसी सही समय कहना चाहूंगी कि राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी लाना भी आवश्यक है। 2001-02 में, 2002-03 में राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों का क्रमश: 31.23 और 30.7 प्रतिशत था जो वर्ष 2003-04 के नवीनतम माने प्री-एक्चुअल्स में 22.48 प्रतिशत हुआ, इसका मतलब आपके समय से इस समय तक करीब 8 प्रतिशत घटा है। इसी तरीके से 2004-05 के अन्दर 12.68 प्रतिशत तक हम अनुमान करते हैं कि वह हम लाएंगे, तो यह आलमोस्ट 10 प्रतिशत का हो जाएगा। इसमें यह कहना चाहूंगी कि इसके ऊपर हमको इन्सेंटिव का पैसा भी मिलेगा, तो मैं समझती हूं कि राज्य के लिए तो अच्छा ही है। इसी प्रकार राजकोषीय घाटा, जो फिस्कल डेफिसिट है, 2003-04 में 7410 करोड़ रुपये जो था वह वर्ष 2004-05 में 6810 करोड़ रुपये तक आ गया है, इसकी मुझे बड़ी खुशी है।

संयोगवश सी.ए.जी. की अभी-अभी रिपोर्ट आई है, दिनांक 15.7.2004 को राजस्थान विधान सभा में सी.ए.जी. की वर्ष 2002-03 की सिविल रिपोर्ट, यह आ गई है और इसमें पूर्व सरकार के वित्तीय प्रबन्धन के बारे में उसने कई टिप्पणियां की हैं, मैं उसको कोट करना चाहूंगी। सबसे पहले उन्होंने यह कहा कि वित्तीय वर्ष 2002-03 के राजस्व प्राप्तियों के लिए निर्धारित लक्ष्य 14,312 करोड़ के पेटे केवल 13081 करोड़ रुपये की वसूली हुई, 12 सौ करोड़ रुपये की वसूली कम हुई। फिर उनका कहना है कि राज्य का वार्षिक व्यय जो आयोजना, पूंजीगत व्यय, विकासात्मक व्यय के रूप में राज्य की आबंटित प्राथमिकताओं को प्रतिबिम्बित करता है, व्यय के उक्त तीनों घटकों में वर्ष 1998 से 2003 के दौरान जो आपके पांच साल थे उसमें तुलनात्मक कमी रही। आयोजना व्यय 1998-99 में कुल व्यय का 24.5% था जो वर्ष 2002-03 में 10.64% हो गया, आलमोस्ट 50% कम। इसी प्रकार विकासात्मक व्यय वर्ष 1998-99 में 60.35%था जो वर्ष 2002-03 में घट कर 59.64% रह गया। फिर उनका कहना है कि राज्य का राजस्व घाटा जो राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय की अधिकता का द्योतक है, वर्ष 1998-99 में 2996 करोड़ रुपये से बढ़ कर 2002-03 में 3934 करोड़ रुपये हो गया,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पांच साल में थाऊजेंड करोड़ बढ़ा। इसी तरीके से उनका कहना है कि राजकोषीय घाटा जो सरकार की कुल उधारों तथा इसके कुल संसाधन अंतराल का द्योतक है, 1998-99 में 5.151 करोड़ से बढ़ कर 2002-03 में 6114 करोड़ रुपये हो गया. वो ही पांच साल में हजार करोड़ रुपये। फिर राज्य की राजकोषीय देयताएं 18.59% की औसत वृद्धि से वर्ष 1998-99 में 24.170 करोड़ से वर्ष 2002-03 में बढ़ कर 45870 करोड़ रुपये हो गयीं। अगर आप यह देखते तो कहते कि जी.डी.पी. अनुपात के रूप में वर्ष 1998-99 में 33.01% से बढ़ कर वर्ष 2002-03 में 52.5% हो गयी। यह टिप्पणी सी.ए.जी. की है, हमारी नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक धौलपुर यह है और एक धौलपुर वो है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : यह हमारी टिप्पणी नहीं है, सी.ए.जी. की है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये तो सलाम करने में ही रह गये ऊपर।

श्री अध्यक्ष · आपकी नेता बोल रही हैं, आप बीच-बीच में क्यों टोक रहे हो?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : इसी तरीके से वैट के बारे में बजट में कोई उल्लेख नहीं किया है, यह हमारे माननीय सदस्य ने और उनके साथ साथ जुबेर खान साहब ने भी कहा। इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वैट तो कोई भी राज्य तभी लागू कर सकता है जब राष्ट्रीय स्तर पर इस पर सहमति हो जाती है। यह तो आप सभी जानते हैं। हमने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि वैट लागू करने से पहले यह जो सी.एस.टी. है, उसको समाप्त कर दिया जाए और वेट लगाने के बाद जो उसके साथ राजस्व हानि होती है उसको पूर्ण रूप से हमें वापस दिया जाए, उसकी पूर्ति की जाए। यह हमने वित मंत्रीजी और प्रधान मंत्रीजी के भी कान में डाल दिया है।

अब आपने यह कहा है कि राज्यों की सेवा पर जो सर्विस टैक्स की बात है, अब कई सेवाओं के अन्दर वो ट्रांसफर करने के इच्छुक नहीं है। आपने कहा है कि इस बारे में हम लोगों को प्रयास करने की जरूरत होनी चाहिए। तो राज्य सरकार सर्विस टैक्स में जो अपना शेयर है उसको लेने के लिए पूरी तरह से सजग है और हमने वित्त मंत्री महोदय से मिल कर सर्विस टैक्स के बारे में भी बात कर ली है। कुल जो भी कलेक्शन है उसका 50% हिस्सा राज्य सरकार को देने का हमने आग्रह किया है और हमने इस बारे में उनको पत्र भी लिख दिया है।

फिर कई माननीय सदस्यों ने बाह्य सहायता समान शर्तों पर प्राप्त हो, इसके बारे में भी पाइंट उठाया था। आपने भी उठाया, कल्ला साहब ने भी उठाया था। आपने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

भी उठाया, कल्ला साहब ने भी उठाया। मैंने अपने बजट भाषण में इसके बारे में कहा कि वर्ष 2003-04 में सहायता योजना के अन्दर 560.72 करोड़ रुपये हमने प्राप्त किये, जबकि वर्ष 2002-03 में यह राशि सिर्फ 273.77 करोड़ रुपये की थी। चालू वर्ष में हमारा प्रयास तो यह है कि ज्यादा से ज्यादा यह बाह्य राशि की सहायता हमको मिले। और अभी हाल में ही खुशखबरी यह है कि यूरोपियन यूनियन द्वारा एक प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गया है जिसमें सम्पूर्ण राशि ग्रान्ट के रूप में हमको मिलने वाली है।

हां, हमारे मावली वाले माननीय सदस्य ने उदयपुर की पानी की समस्या की बात रखी, जिसके साथ उदयपुर के माननीय सदस्य भी अपनी बात जोड़े होंगे। मैं मानती हूं कि यह बजट भाषण के अन्दर मैंने स्पष्ट कर दिया है कि उदयपुर के पानी की समस्या का समाधान हमको करना ही है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने मानसी वाकल फेज प्रथम योजना शीघ्र खतम करने का लक्ष्य किया है जिससे उदयपुर में 260 लाख लीटर अतिरिक्त पानी मिलेगा। मानसी वाकल बांध टनल की बात जो आपने की थी, उसको बनाकर फतहसागर भरने का सुझाव आपने दिया था, इस योजना की फिजबिलिटी पता करने के लिए 20.70 लाख रुपये का प्रावधान किया है और इसके अन्दर सर्वेक्षण वृद्धि पर है।

अब माननीय सदस्य मावली के और तिजारा के माननीय सदस्य ने, दोनों ने चिन्ता व्यक्त की कि हमारे प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, नये स्कूलों की क्रमोन्नति वगैरह नहीं हो रही है, उसके लिए प्रोविजन भी नहीं किया गया है। तो मैं यह बताना चाहूंगी कि प्लान प्रोविजन में प्राथमिक शिक्षा के लिए तो हमने तीन सौ करोड़ रुपये प्रस्तावित किये हैं, जबकि पिछले वर्ष 175.62 करोड़ रुपये का ही प्रावधान था, यानि हमारा जस्ट डबल हम लोगों ने प्रावधान रखा है। इसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा के लिए 31.93 करोड़ रुपये से बढ़ा कर हमने उसको 123.12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो फोर टाइम्स ज्यादा है। नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने व विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव हमने बजट भाषण के अन्दर उल्लेख किये हैं।

इस तरीके से तिजारा के माननीय सदस्य ने तेल और गैस के दोहन के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने बताया कि ये जो कम्पनी है केयर्न एनर्जी, शायद वो तेल बाहर ले जा रही है, उसके बारे में हमने क्या किया है। मैं बताना चाहूंगी कि ओ.एन.जी.सी. और केयर्न एनर्जी ने 1 लाख 11 हजार 400 बैरल पिट आयल जून, 2004 तक निकाल कर गुजरात की जो रिफायनरीज हैं उसको 13.5 करोड़ रुपये में बेचा था। यह कम्पनी ने बताया है कि 49.72 लाख रुपया बिक्री करके हिसाब में उन्होंने अदा कर दिया है। मैं यह कहना चाहूंगी. रायल्टी के बारे में उन्होंने यह कहा

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कि जो उनका मेमोरेंडम था उसके अन्दर पूर्वेक्षण के अन्दर रायल्टी दिये जाने के नियम स्पष्ट नहीं किये गये थे, पर निदेशक, पैट्रोलियम ने कम्पनी के विरूद्ध 2.70 करोड़ रुपये की रायल्टी की डिमाण्ड कायम कर दी है।

इसी तरीके से सड़कों के बारे में और गौशाला के बारे में भी हमारे माननीय सदस्य तिजारा वालों ने बात की थी। मेरा तो यह कहना है कि देवस्थान की बड़ी सीमित आय है, और वैसे भी ट्रस्ट और प्रबन्धकों के द्वारा परम्परा के अनुरूप ही उपयोग किया जाता है पैसों का। कई मन्दिर ऐसे हैं जो गौशालाओं का संचालन भी कर रहे हैं, जैसे श्रीनाथजी का है, नाथद्वाराजी का है, सांवलियाजी का है, सालासर के बालाजी का है। पर राज्य सरकार यथा आवश्यकता सीधे ही अपने बजट से गरीब और गाय की सेवा करती है।

सड़कों के लिए लैण्ड एक्वीजिशन के लिए पैसा अलग रखने के लिए बात की थी तो उसके लिए 19.11 करोड़ रुपये के प्रावधान किये गये हैं। करौली क्षेत्र के अन्दर टोडाभीम के माननीय सदस्य ने कहा कि पांच सौ से अधिक आबादी के 599 गांव हैं जिनमें 443 गांवो को सड़क से जोड़ा जा चुका है। 39 गांवों की सड़क का काम प्रगति पर है और जो बाकी 117 गांव हैं उसके लिए सड़क प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्दर हमने प्रस्तावित की है।

श्री गोपाल बाहेतीजी, माननीय सदस्य पुष्कर के, उन्होंने कहा कि गांवों में किसान और मजदूरों के बारे में आप कुछ इंतजाम करें, तो मैं यह कहना चाहूंगी कि बजट भाषण के अन्दर रोजगार की योजनाओं का विस्तार से हमने उल्लेख किया है। किसानों की आय में वृद्धि और उनको सहारा देने के लिए किसान जीवन कल्याण कोष और किसान कल्याण कोष की स्थापना की और उसकी घोषणा हमने कर दी है। अजमेर में ए.डी.बी. के काम के बारे में उन्होंने चिन्ता जताई, मैं यह बताना चाहूंगी कि अभी तक 118 करोड़ रुपये 17 कार्यों के कार्यादेश के लिए हमने दिये हैं और सभी कार्य प्रगति के ऊपर हैं। जून, 2004 में 39 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। पिछले 6 महीनों में 18 करोड़ रुपयों का व्यय किया गया है और जून, 2005 तक यह पूरा काम खतम हो जाना चाहिए।

दलित विद्यार्थियों के छात्रावास के लिए माननीय सदस्य, नोखा के, चिन्ता जता रहे थे, मैं यह बताना चाहूंगी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए 75 नये राजकीय छात्रावास और अनुसूचित जाति के 15 और जनजाति के 10 नये अनुदानित छात्रावास खोलने की हमने घोषणा की है और किशनगंज तहसील में सहरियों के लिये एक आवासीय विद्यालय खोलने की भी घोषणा की है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमें ऋण भार पर बहुत चिंता है। गाडगिल मुखर्जी फार्मूले का संशोधन, इसमें मैं कहना चाहूंगी कि गाडगिल मुखर्जी फार्मूले में संशोधन के लिये प्रधान मंत्रीजी, केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी और केन्द्रीय वित्त आयोग के डाक्टर रंगराजनजी ने हमने चर्चा की है और उन सबको हमने पत्र भी लिखे हैं। तो इसको फोलोअप जरूर करेंगे। इसी तरीके से आपने कहा, गैर योजना मद में भर्ती खोलना, विकेन्द्रीकरण-इसमें मैंने यह कहा है कि पंचायतीराज संस्था और स्थानीय निकायों के अनटाइड फण्ड से प्रावधान होता है, सहायता मिलती है। 2004-05 में पंचायतीराज संस्थाओं को 130 करोड़ 40 लाख रुपये और स्थानीय निकायों को 48 करोड़ 94 लाख रुपये का हमने प्रावधान किया है जो पिछले वर्ष से ज्यादा है। आपने फिर यह कहा कि झालावाड़ पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हो और मेवाड़ के ऊपर आपने बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया है। मैं यह कहना चाहूंगी कि 2004-05 में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित जो सभी परियोजनाएं हैं, मेवाड़ क्षेत्र और झालावाड़ में जो आबंटित वित्तीय लक्ष्य हैं वे मैं आपको पढ़कर बता दूंगी। उदयपुर में हमें जो राशि व्यय करनी है वह है 24.64, बांसवाड़ा में 19.05, चित्तौड़गढ़ में 13.21, डूंगरपुर में 13.86, राजसमन्द में 6.65 और बारां में 6.29, झालावाड़ में 9.58, इससे आप खुद तय कर लें कि किसको ज्यादा और किसको कम दिया है।

इसी तरीके से आपने सामाजिक सेवाओं के ऊपर ज्यादा पैसा देने की बात की है। मैं भी पूरी तरह से सहमत हूं। गैर विकास व्ययों की कमी करके एक्सपेंडीचर रिफार्म कमीशन बनाया गया है और वार्षिक योजना 2004-05 में सामाजिक सेवाओं के लिये 2407 करोड़ 62 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष 1625 करोड़ 18 लाख रुपये का अनुमानित व्यय हुआ था। इस प्रकार अभी चालू वर्ष में सामाजिक सेवाओं पर गत वर्ष से 782 करोड़ 44 लाख रुपये का अधिक प्रावधान हमने किया है।

रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री जुबेर खान ने टैक्स के रेट में बदलाव से कितना घाटा होगा, यह पूछा था। मैं बताना चाहूंगी कि सरचार्ज और टर्न-ओवर टैक्स को हमने समाप्त कर दिया है। कुछ वस्तुओं के ऊपर जो सेल्स टैक्स था, उसकी दरों में भी हमने कमी ला दी है। इसके लिये रेशनलाइजेशन, अभी कल्ला साहब भी कह रहे थे सरलीकरण, एमनेस्टी और गोल्डन कार्ड योजना, यह सब व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाएगा यह सोचकर हमने इनको दी है और हम सोचते हैं कि राशि में वैसे भी वृद्धि होगी। यह ज्यादातर इकोनोमिस्ट कहते हैं कि अगर मार्जिन पर चलो तो प्राब्लम होती है. पर अगर आप वोल्यूम पर चलो. पूर्व वित्त मंत्रीजी हमको बताएंगे. एग्री भी करेंगे.

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मुझे विश्वास है कि जितना उसमें छूट देकर वोल्यूम पर चलेंगे तो मैं समझती हूं उसके ऊपर ज्यादा कर दी गई छूट के कारण हमको मिल सकता है। और जो आपको लग रहा है कि गैप बढ़ने वाला है, उस सम्भावित हानि को हम पूरा कर सकते हैं।

स्टाम्प शुल्क को 11 प्रतिशत से घटाकर हमने 8 प्रतिशत किया है। हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग जो अपने पंजीकृत होने वाले दस्तावेजों को ले जाएंगे, उसमें बहुत सारे लोग जो अपने पंजीकृत होने वाले दस्तावेजों को ले जाएंगे, उसमें बहुत बड़ी वृद्धि होगी। और जो लीकेज हो रहा था पावर आफ अटार्नी के द्वारा, आप भी जानते हैं इस चीज को, इसलिए मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगी, इकरारनामे के ऊपर टैक्स करके आपने लूप होल को बन्द कर दिया था। यह खाली पावर आफ अटार्नी वाली एक लूप-होल रह गई थी, उस लून-होल को अब हमने बंद कर दिया है ताकि टैक्स का जो लीकेज होता है उसमें वह लीकेज भी बन्द हो जाएगी। मैं विश्वास करती हूं कि हम आराम से अपने टैक्स को जो हमने आपको बताया है, उसको पूरा कर सकेंगे।

इसी तरह से रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि उद्योगों के लिये जो प्रावधान किया है वह तो तनख्वाह में ही चला जाएगा। यह तो बहुत सारे लोगों ने कहा है। हमारे लीडर आफ अपोजिशन ने भी इस बात को कहा कि पर्यटन के लिये 22 करोड़ रुपये पर्याप्त नहीं हैं। मैं भी पूरी तरह से आपसे सहमत हूं। मैं यही पूछना चाहूंगी, पिछले 5 साल में अपन लोगों ने यह क्यों नहीं किया। आप तो खुद कह रहे थे कि 100 करोड़ तक इसको बढ़ाना चाहिये था, मैं भी मानती हूं। 5-6 करोड़ जो आप लोगों का था, उसको बढ़ाकर मैंने पहले 12 करोड़ किया, फिर उसको ले जाकर मैंने 22 करोड़ किया। और कोशिश करके यह जो दर वृद्धि हुई है उसको हम पहले इस्तेमाल करना चाहेंगे। निजी क्षेत्र को भी उसमें लाना चाहेंगे और सरकार को भी उसके साथ जोड़कर उसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे।

मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि केसरीसिंहपुर से जो माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि नहरी पटवारी व्यवस्था को पुन: चालू किया जाए। मैं उनको बताना चाहूंगी कि सिंचाई विभाग से राजस्व विभाग में पटवारी स्थानान्तरण से जो विसंगतियां उत्पन्न हुई थीं, उसके निराकरण के लिये करीबन 650 पटवारियों को पुन: सिंचाई विभाग में स्थानान्तरण कर दिया गया है। इससे भी कोई ज्यादा भार सिंचाई विभाग के ऊपर और सरकार के ऊपर नहीं होगा और हम समझते हैं कि राजस्व में इससे वृद्धि होगी और रिकार्ड का संधारण भी उचित ढंग से अब होगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इसी तरीके से कृषि जिंसों के बारे में नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं यह कहना चाहूंगी कि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना भारत सरकार की योजना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिये भारत सरकार द्वारा एक एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन गठित किया हुआ है और यह सब राज्यों में विभिन्न जिंसों के सम्बन्ध में उसकी फसल उत्पादकता, फसल उत्पादन लागत, फसल चक्र इन सब चीजों पर ध्यान देकर, सब फैक्टर्स को देखकर फिर दाम तय करता है। इस कमीशन में कई विशेषज्ञ भी हैं जो इस पर अपने-अपने सुझाव भी देते हैं।

मेडिकल कालेज के बारे में लक्ष्मीजी बारूपाल ने चर्चा की कि निजी मेडिकल कालेज में फीस को आप कम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को भी शिक्षा प्राप्त करवा सकें। मैं यह कहना चाहूंगी कि फीस का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा किया जाता है और यह समिति सभी पक्षों को सुनने के बाद यह प्रवेश शुल्क निर्धारित करती है।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एम.आर.पी. के ऊपर बहुत चिंता बताई। उन्होंने यह कहा कि एम.आर.पी. पर टैक्स लगाने का जो आधार अपनाया गया है उससे दवाई बहुत कीमती हो जाएगी। यह सत्य नहीं है। आप सब जानते हैं कि टैक्स लगाने का आधार होलसेल प्राइस है और होलसेल और रीटेल प्राइज के बीच में जो भारी अन्तर है वह एक्चुअली रीटेल का शुद्ध प्राफिट माना जा सकता है। एम.आर.पी. के आधार पर टैक्स लगाने से सिर्फ इस मुनाफे के ऊपर असर होता है और रीटेल का जो प्रोफिट मार्जिन है उसकी एवज में सरकारी राजस्व की बढ़ोतरी होगी। कंज्यूमर का नुकसान होगा, यह तो प्रश्न ही नहीं है। मैं समझती हूं कि फायदा ही होगा, क्योंकि कई रीटेलर्स टैक्स की वजह से एम.आर.पी. को नीचे लाने के लिये बाध्य हो जाएंगे और उससे फायदा आर्डिनरी कंज़्यूमर को ही होगा। आपने उस दिन कहा कि सिप्लोक्स का दाम 6 गुना बढ़ गया है। मैंने कई जगह फोन किया, कई जगह इनक्वायरी करवाई, मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि सिप्लोक्स के दाम में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है।

आपने फिर इसमें यह कहा कि बजट केवल बिल्डर्स और ज्वैलर्स, जो कल्ला साहब ने भी कहा कि सिर्फ बिल्डर्स और ज्वैलर्स का बजट है। मैं यह कहना चाहूंगी कि पूर्व सरकार ने निवेश नीति 2003, राजस्थान इनवैस्टमेंट प्रमोशन स्कीम घोषित की थी, उसका लाभ टाइनी तथा छोटे उद्योगों को नहीं मिल रहा था। हमने लघु और टाइनी उद्योगों के निवेश को लाभ देने के लिये और उसको ध्यान में रखते हुए जो कर्ज की 50

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लाख रुपये की सीमा थी, उसको घटाकर 10 लाख रुपये कर दिया और भूमि और भवन के ऊपर जो 25 लाख की सीमा थी उसको घटाकर हमने 10 लाख कर दिया। तो क्या इससे बिल्डर्स और ज्वैलर्स को फायदा होगा? मैं नहीं समझती हूं। पूर्ववर्ती सरकार की निवेश नीति बड़े उद्योगों के लिये थी जिसमें हमने टाइनी और छोटे उद्योगों को जोड़ दिया है और उनको सम्मिलित करके उनको लाभ देने का प्रयास किया है। इसी प्रकार जो सिक इंडस्ट्रीज थीं उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिये हमने एक पैकेज दिया है। इनमें अधिकतर इकाइयां लघु और टाइनी सेक्टर से सम्बन्ध रखती हैं। क्या इसका लाभ भी ज्वैलर्स को हो रहा है? स्टाम्प शुल्क अगर 11 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया, यह व्यवस्था आम आदमी को राहत पहुंचाएगी तो क्या इससे राहत उनको नहीं मिलेगी? आप लोगों के माइण्ड में अगर दुविधा है, मैंने तो अपने बजट भाषण में फोकस करने की कोशिश की है, किसानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर और आम आदमियों के ऊपर। और इसी को ध्यान में रखते हुए यह लघु और टाइनी उद्योगों के ऊपर और जो सिक इण्डस्ट्रीज हैं उनके ऊपर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है।

इसी तरह से बजट का घाटा 334 करोड़ रुपये बताया गया। माननीय सदस्य तारानगर और विपक्ष के माननीय नेता ने कहा कि बजट में पिछले साल का 282 करोड़ रुपये का घाटा है, इसका उल्लेख नहीं हुआ है। अगर इसको जोड़ दें तो 616 करोड़ रुपये हो जाता है। वह मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है, चालू वर्ष का जो ओपनिंग बैलेंस है वह 343.83 करोड़ का है। जिसमें मुख्य रूप से 2003-04 के पूर्व की अवधि का जो घाटा था वह शामिल है, वह कैरी फारवर्ड हुआ है। इस वर्ष में अनुमानित घाटा हमारा 334 करोड़ 49 लाख रुपये है और कुमुलेटिव घाटे को जोड़ा जाए तो वह 678 करोड़ 22 लाख रुपये का घाटा होने का अनुमान है। मेरा तो विश्वास है कि नान डवलपमेंट एक्सपेंसेज को हम लोग कम करेंगे और बैटर रेवेन्यू कलेक्शन और मानिटरिंग हम लोग करेंगे और इससे हम घाटे को कम कर सकेंगे, जैसे हमने करके दिखाया है। मैं यह समझती हूं कि वैसे भी मेरे. को कोई कठिनाई होने वाली नहीं है क्योंकि राज्य में वर्तमान में 569 करोड़ रुपये का वेज एण्ड मीन्स एडवांस भी हमको स्वीकृत है।

फिर माननीय सदस्य, तारानगर ने यह कहा कि 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष जब कर दी तो रोजगार के अवसर पर इससे रोक लग जाएगी। मैं तो यह कहना चाहती हूं कि आप लोगों ने पिछली बार ट्राई कर लिया था, 60 को 58 तक लाकर अपन ने छोड़ा था और हमने भी यह सोचा था कि उसकी वजह से बहुत सारे रोजगार के एवेन्यूज खुल जाएंगे। पर सब नियुक्तियां लगभग बन्द ही रहीं। वर्तमान में आयोजना मदों में, ब्राह्य

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सहायता, सी.एस.एस. इनके अन्तर्गत जो नियुक्तियां हैं, इनके ऊपर रोक हटा ली गयी है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अन्दर आपको इसका फल देखने को मिलेगा।

सौ दिन के कार्यक्रम के बारे में बहुत उल्लेख आउट आफ द हाउस और इन साइड द हाउस भी हुआ है। मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगी। मैं तो यह समझती हूं कि इसका एक फल हमको तो मिल ही गया है। अच्छा था कि लोगों को उससे खुशी हुई, यह तो इलेक्शन से हमको मालूम पड़ ही गया। मैं और भी आपको कहना चाहूंगी कि इसके बारे में आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारी वैब-साइट पर चले जाएंगे तो वहां पूरी चीज, एक-एक चीज. उसके ऊपर है, सब चीज बजटेड है, सब चीजों का काम जारी है, या हो गया है। मैं समझती हूं कि उसको देखकर आपको भी खुशी होगी।

कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ हमारी माननीय सदस्य बूंदी की, उन्होंने यह कहा कि हमारे क्षेत्र के अन्दर बजट पर्यटन का बढ़ाकर 22 करोड़ प्रस्तावित किया है। हाड़ौती क्षेत्र के पर्यटन विकास की सम्भावनाओं के बारे में, मैं आपको बताना चाहती हूं कि हाड़ौती क्षेत्र को हम लोगों ने ध्यान में लिया है और पर्यटन के विकास के अन्तर्गत वह ध्यान में रखते हुए इसके विकास के लिये हमने हाड़ौती सर्किट की आलरेडी बात कर ली हैं और मैं समझती हूं कि उसका फायदा हमको मिलेगा।

फसल बीमा योजना की समग्र योजना बनाये जाने की आवश्यकता है, यह हमारे सुभाष चन्द्रजी ने कहा था। फसल बीमा के बारे में चिन्ता बतायी हमारे विपक्ष के आदरणीय नेता ने भी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इस बारे में पैरा 75, 76 और 77 में व्यापक रूप से मैंने उल्लेख किया है। आपने यह कहा कि 14 फसलों पर क्यों, आपने सब पर क्यों नहीं लगाया। मैं भी आपसे यह पूछना चाहती हूं कि 6 पर क्यों? हम तो 6 से बढ़ाकर 14 तक ले गये हैं और हम समझते हैं कि अगर यह आगे बढ़ सकता है तो उसको आगे कोशिश करेंगे। उसके बाद माननीय सदस्य, धोद ने यह कहा कि फ्लोराइड की वजह से बहुत बड़ी समस्या है। मैं मानती हूं कि यह समस्या है और उसको ध्यान में रखते हुए हमने स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या के समाधान हेतु चालू वर्ष के अन्दर पूरे प्रावधान किये हैं। हम भी चाहते हैं कि इस समस्या का हम हल करने की कोशिश करें।

फिर हमको यह कहा गया. प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि हमने किसानों के लिये बजट में बहुत कुछ किया ही नहीं है, हमने किसान के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हम यह बताना चाहते हैं कि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा काश्तकारों को शोध पर आधारित जो नवीन तकनीकी ज्ञान है वह खेत पर ही उपलब्ध करवाया जाए, इसकी हमने व्यवस्था की है। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि व्यवसाय व अन्य विषयों पर सर्टिफिकेट कोर्स हमने प्रारम्भ करवाया है, ताकि काश्तकारों को कृषि और जो नवीनीकरण प्रौद्योगीकरण का लाभ है, वह पहुंच सके। इसी तरह से कृषि आय में वृद्धि हो, असमर्थन मूल्य की सुचारू व्यवस्था, सीमित जल संसाधनों के कुशल उपयोग, फव्वारा, बूंद-बूंद पानी, इससे सिंचाई बढ़ाना और उचित कृषि पद्धतियों का विकास करवाना, यह भी हमने उसके अन्दर जोड़ा है। कृषि निर्यात क्षेत्र विकसित किया जाना, आर्गेनिक कृषि को प्रोत्साहन, इसी वर्ष खरीफ में फसल कृषि बीमा योजना को सभी प्रमुख फसलों पर लागू करना, संतरों पर लागू की मौसमी बीमा योजना, किसानों को उपज का उपयुक्त दाम दिलाने हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करना, किसान जीवन कल्याण कोष इसकी स्थापना, यदि किसान के अपने कार्य के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है या अंग-भंग हो जाता है तो उसको अधिक मुआवजा। विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये किसान कल्याण कोष, कृषकों को ऋण वितरण में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लक्ष्य और 1950 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये जाना जिसमें से 1640 करोड़ रुपये अल्पकालीन फसली ऋण, सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने की बात रखी है। लघु और सीमान्त कृषकों को प्राकृतिक आपदा और अन्य कारण से जो ऋण का चुकारा नहीं कर पाये हैं, उनको एकमुश्त समाधान योजना प्रस्तावित की है। पशुपालन नस्ल में सुधार, गौ-वंश की वृद्धि और उनमें नस्ल सुधार, डेयरी क्षेत्र में निजी और सहकारिता क्षेत्र के संग्रहण में वृद्धि का लक्ष्य, तहसील स्तर पर राजस्व रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण के पश्चात तहसीलों के अन्दर, उप तहसीलों के अन्दर कम्प्यूटरीकरण का कार्य हाथ में लिया जाना, कमाण्ड क्षेत्र में अस्थाई पट्टा-धारकों को खातेदारी अधिकार, जमीन की कीमत के भुगतान के पश्चात उपनिवेशन क्षेत्र में बकाया राशि चुकाने पर ब्याज में छूट और मध्यम एवं छोटी पट्टियों के अतिक्रमण का नियमन, यह कुछ है। इससे बहुत और भी है जो हमने किया है। मैं खाली आपके ध्यान में लाना चाहती हूं।

इसी तरह से आपने यह कहा कि करों का हमने केवल रेशनलाइजेशन किया है, इसमें कोई कमी नहीं की है। तो मैं यह बताना चाहूंगी कि स्टाम्प ड्यूटी में 11 से 8, लग्जरी टैक्स 10 से 8, टर्न ओवर टैक्स एबोलिश्ड. 4 जिलों में आबियाना 2 सालों का माफ, जो आप भी कर सकते थे, कपड़े पर एण्ट्री टैक्स खत्म. आइल केक्स के अन्दर सेल्स टैक्स खत्म और ईसबगोल और जीरे के मण्डी टैक्स को 1.6 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत किया है, ये कुछ चीजें हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कल्लाजी, यह आपके लिये है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सेल्स-टैक्स बढ़ा दिया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर ध्यान में आपका भी लाना चाहती हूं और जिसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। सबसे पहले डाग विकास क्षेत्र-चम्बल और उसकी सहायक नदियों के दस्यु प्रभावित 8 जिले-सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारां, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़ की 21 पंचायत समितियां, 357 ग्राम पंचायत ये डांग क्षेत्र के अन्दर आ जाती हैं। डांग क्षेत्र में विकास और रोजगार सृजन करने के उद्देश्यों के लिये जो कार्यक्रम 1995-96 से 2000-01 तक की अवधि तक चलाया गया था, इस कार्यक्रम को हम फिर से प्रारम्भ करने की दृष्टि से योजना तैयार कर रहे हैं और अतिरिक्त साधन प्राप्त करने के लिये हम यह योजना केन्द्र सरकार और योजना आयोग के सामने भी प्रस्तुत करेंगे।

चम्बल, धौलपुर और भरतपुर की जो पेयजल योजना है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि धौलपुर और भरतपुर जिलों के जो निवासी हैं, उनको पेयजल उपलब्ध कराने के लिये चम्बल नदी की एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना उनके लिये हम क्रियान्वित कर रहे हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत 166.5 करोड़ रुपये की लागत से 999 गांवों और 5 कस्बों में पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। इस जलप्रदाय योजना का तीव्र गति से ट्रांस्मिशन सिस्टम का 70 प्रतिशत कार्य इस वर्ष के दौरान ही हम पूरा करने वाले हैं। साथ ही इस योजना के पहले चरण में लाभान्वित होने वाले 212 गांवों की क्षेत्रीय योजनाओं के डिजाइन कर उनका कार्य भी शुरू करवा लिया जाएगा। इसके अलावा जो मुख्य ट्रांस्मिशन से द्वितीय चरण में लाभान्वित होने वाले 787 गांव हैं और 4 शहरों के कार्य भी इसी वर्ष शुरू कर दिया जाएगा। परियोजना के द्वितीय चरण के वित्त-पोषण के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को हम लोग भिजवा रहे हैं। इस वर्ष इस परियोजना पर 11: करोड़ रुपये का व्यय होने का प्रावधान हमने रखा है।

कच्ची बस्तियां, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999 में राज्य भर में जिला कलक्टरों के माध्यम से कच्ची बस्तियों का सर्वे करवाया गया था। जिसमें करीबन 1800 कच्ची बिस्तयां चिन्हित की गयी थीं। वर्ष 1999 के पश्चात् भी नयी कच्ची बस्तियां बस गयी हैं और पुरानी कच्ची-बस्तियों में अभी भी ऐसे परिवार रह रहे हैं जिनका सर्वे नहीं हुआ है तो यह आवश्यकता महसूस की गयी कि दिनांक 1.4.2004 तक कच्ची-बस्तियों में जो रहने वाले हैं उनका फिर से सर्वे करवा दिया जाए ताकि उनके ऊपर एडीक्वेट एक्शन हम ले सकें।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कल मेरे पास पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्य मिले और उन्होंने अपनी कुछ व्यावहारिक समस्याओं के बारे में मुझे अवगत कराया। इन समस्याओं के निराकरण हेतु उन्होंने कई सुझाव मेरे सामने रखे। उन पर मैं यह कहना चाहूंगी हाउस में कि मैं गम्भीरता से विचार करूंगी और इसी सत्र में उनका समाधान हो, ऐसा प्रयास करूंगी।

अब पत्रकारों ने मुझे कहा कि आप हमको भूल रहे हो। हमने कहा कि उनके लिए भी कुछ न कुछ हम लोग इन्तजाम जरूर करें। सूचना और जन-सम्पर्क निदेशालय द्वारा जो एक्रेडिटेड पत्रकार हैं वे राजकीय चिकित्सालय और अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे तो उनको जो उपचार होगा, वह सुविधा नि:शुल्क उनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी द्वारा ऐसे पत्रकारों को जांच इत्यादि की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करवायी जाएगी।

माननीय सदस्य ने मेरे सामने छोटे उद्योग की बात रखी थी। अगरबत्ती के ऊपर कहा था कि दो प्रतिशत की दर से कर लागू है। और यह तो छोटा है, पूजा के अन्दर भी यूज किया जाता है, हर धर्म के अन्दर यूज किया जाता है और वैसे भी (एस.एस.आई.) टाइनी उद्योग माना जाता है। तो ये जो हस्तनिर्मित अगरबत्तियां हैं इनको कर-मुक्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अब कपड़े पर कर। राज्य में एडिशनल एक्साइज ड्यूटी चुका देने पर बिक्री कर से वह कपड़ा मुक्त हो जाता है। इस कपड़ा उद्योग को काम्पीटीटिव बनाने की दृष्टि से हमने कपड़े के ऊपर जो एण्ट्री टैक्स था, वह भी पूरी तरह से खतम कर दिया है। तो इस प्रकार राज्य में कपड़े पर अभी कोई भी टैक्स नहीं है। पर हाल ही में कपड़े को केन्द्रीय बजट में एडिशनल ड्यूटी से मुक्त कर दिया है, और इससे यह भ्रांति बहुत सारे लोगों में उत्पन्न हो गयी कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क समाप्त होने से कपड़े के ऊपर 12 परसेंट बिक्री कर प्रभावी हो जाएगा। तो मैं यह कहना चाहती हूं और यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि यह आपकी बिलकुल गलतफहमी है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में अंकित कपड़े पर अधिकतम कर दर 4 परसेंट हो सकती है। कपड़ा डिक्लेयर्ड कमोडिटी है, उस पर किसी तरीके से 4 परसेंट से ज्यादा टैक्स तो वैसे ही हो नहीं सकता। और यहां मैं आपको सबको कहना चाहती हूं और आज सदन को मैं यह आश्वस्त करूंगी कि हमारा कपड़े पर कोई बिक्री कर लगाने का इरादा नहीं है। कपड़ा उद्योग का जो कच्चा माल है, जैसे विभिन्न प्रकार के धागे, उनकी बिक्री कर की दर को भी मैंने इस बजट में 2.3 परसेंट से घटाकर 2 परसेंट कर दिया है और इस उद्योग का कच्चा माल भी अब सस्ता हो गया है। मुझे तो विश्वास है कि इन सब

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

प्रस्तावों से जो कपड़े का उद्योग है वह बहुत फलेगा-फूलेगा और राजस्थान एक बहुत बड़े कपड़े की मण्डी के रूप में उभर कर सामने आएगा। This means, there will be no tax on finished textile products. मैं यह आपके सामने क्लीयर करना चाहूंगी।

अब अन्त में मैं खाली यह संकल्प दोहराना चाहूंगी कि राज्य को समग्र रूप से एक विकसित राज्य बनाने की हमारी सबकी सोच है कि कोई भी व्यक्ति दरिद्रता व कुपोषण से ग्रसित नहीं हो। अशक्त और महिलाओं को पर्याप्त संरक्षण मिले। मानव संसाधन विकास के समुचित अवसर उपलब्ध हों। सबको रोजी-रोटी कमाने के अवसर मिलें। राज्य की जनता को एक अच्छी व्यवस्था हम लोग प्रदान कर सकें, इस दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक आधारभूत ढांचे को विकसित करना भी आवश्यक है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर हमने एक सोच विकसित किया है और यह बजट का ताना-बाना भी इन्हीं प्राथमिकताओं को ध्यान रखते हुए ही हमने बुनने की कोशिश की है। मुझे बहुत ही खुशी है कि हमारे प्रयास को राज्य की जनता के साथ-साथ सम्माननीय सदन का समर्थन मिला है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों के सदस्यों ने हमें किसी न किसी रूप में, कहे या न कहे, सैड-अनसैड कम्प्लीमेंट्स, मैं समझती हूं कि अवश्य उन्होंने सराहा है। आप सभी का सहयोग जो है वही मेरा सम्बल है।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी बिन्दुओं को हमने नोट किया है। चाहे मैंने सभी बिन्दुओं के ऊपर यहां पर उल्लेख नहीं किया परन्तु मैं आप सबको यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि इस सदन के अन्दर आपने जो भी सुझाव हमको दिये हैं, उनको मैं महत्व दूंगी और भविष्य में उन सब पर पूरी तरह से मैं ध्यान रखूंगी। मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी कि हमारी राह बहुत ही कठिन है परन्तु हमारे हौसले तो बुलन्द हैं और विकट परिस्थितियों से जूझने का हम लोग साहस रखते हैं। I will make absolutely...मैं बात यही कहना चाहूंगी-Please make no mistake. Conditions are very adverse but we have the courage and determination to face this. और मैं अपने उत्तर का समापन, आपने भी शेर के साथ किया तो इसका जवाब देना चाहूंगी, शेर के साथ ही करूंगी। मैं सदन का तवज्जोह चाहती हूं-

इस नदी की धार में ठण्डी हवा आती तो है।

नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है।

एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ, दोस्तों

इस दीये में तेल से भीगी हुई बाती तो है।

धन्यवाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब आपके पास बोलने के लिए क्या है? आप बोलेंगे तो फिर हमको भी बोलना पड़ेगा। (व्यवधान) हमको भी बोलना पड़ेगा।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, एक वाक्य की प्रतिक्रिया। अध्यक्ष महोदय, एक वाक्य की प्रतिक्रिया है, बजट का जवाब नहीं है और बजट के जवाब का भी जवाब नहीं है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : जो कह रहे हैं, उसके बारे में प्रश्न करने की इजाजत देनी चाहिए. क्या दिक्कत है? होता रहा है पहले भी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो एप्रोप्रिएशन बिल और उसमें होता है, इसमें नहीं होता है। यहां उत्तर का कोई प्रत्युत्तर नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कल्लाजी, इसको कहते हैं जवाब। पांच साल में कभी जवाब नहीं दिया आपने। मुख्य मंत्रीजी मौनी बाबा बनकर बैठ जाते थे और हम चिल्लाते रहते थे। इसको कहते हैं जवाब। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : बराबर जवाब देते थे। क्या बात है, बराबर जवाब देते थे।

श्री सांवर लाल : पहली बार मिला जवाब। माननीय सदस्यों को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। पहली बार मिला है सबको जवाब।

श्री कालूलाल गुर्जर : जवाब का कोई जवाब नहीं। लाजवाब जवाब था।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि सदन की नेता कोई और जवाब देना चाहेंगी?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आश्वासन दिया था कि आपको मैं दो-तीन प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको एप्रोप्रिएशन पर पूछने का मौका मिलेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पूछने की जरूरत नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसका मतलब यह हुआ कि हम भविष्य में आसन की बातों पर इत्मीनान नहीं करेंगे और मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक सोमवार दिनांक 19 जुलाई, 2004 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.59 बजे सोमवार, 19.7.2004 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

दूदू पंचायत समिति के अकाल राहत कार्यों का लम्बित भुगतान

130. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2003 में अकाल राहत कार्यों में व्यिक्तगत लाभ योजना के अन्तर्गत निजी कुआं तथा निजी आवास की योजना के तहत पंचायत समिति दूदू में कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये उनमें से कितने कार्यों का सरकार द्वारा भुगतान किया गया?

(2) क्या यह सही है कि निर्धारित सीमा में कार्य पूरा नहीं करने तथा कार्यों का मौके पर सत्यापन नहीं होने के कारण काफी कार्यों का भुगतान रोक दिया गया है? क्या सरकार अकाल राहत कार्यों के निर्धारित समय पर किये गये कार्यों का भुगतान टास्क एवं मस्टरोल के आधार पर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा निरस्त किये गये सभी स्वीकृत आवेदन-फार्मों की मौके पर जाकर जांच कर रिपोर्ट जिलाधीश, जयपुर को दी गई है? यदि हां, तो इन कार्यों का भुगतान कब तक करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) सन् 2003 में पंचायत समिति दूदू में अकाल राहत कार्यों में व्यक्तिगत लाभ योजना के अन्तर्गत निजी कुआं योजना के 674 कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से पात्रता के आधार पर 643 कुओं का भुगतान किया जा चुका है। शेष 31 कार्य खारिज किये जा चुके हैं। इसी प्रकार 3295 निजी आवास कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से 2596 निजी आवास कार्य का भुगतान किया जा चुका है 699 कार्यों में निर्धारित शर्तें पूर्ण नहीं होने से भुगतान नहीं किया जा सका है।

(2) जी हां। यह सही है कि निर्धारित समय सीमा 15 जुलाई, 2003 तक कार्य पूरा नहीं करने एवं निर्धारित मापदण्डानुसार कार्य नहीं करने के कारण उक्त कार्यों का भुगतान रोक दिया गया है। निर्धारित समय सीमा में किये गये कार्यों का भुगतान किया जा चुका है।

(अकाल राहत मंत्री)

(3) जी हां। यह सही है कि तहसीलदार द्वारा निरस्त किये गये सभी स्वीकृत कार्यों का दिनांक 20.5.2004 से 26.5.2004 के मध्य पुन: भौतिक सत्यापन कराया गया था। भुगतान से शेष रहे 699 प्रकरणों में से 503 प्रकरण भुगतान योग्य नहीं पाये गये। शेष 196 कार्य अवधि समापन (15.7.2003) के बाद कराये गये भौतिक सत्यापन में उपलब्ध स्थिति के अनुसार जितना निर्माण हो चुका है उसका यथा स्थिति अनुसार भुगतान किया जा चुका है।

बनास नदी के पेटे की बजरी एवं रेती का ठेका

131. श्री शान्तिलाल चपलोत (मावली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में बनास नदी के पेटे में रेती उठाने का ठेका प्रतिवर्ष कितनी राशि में दिया गया?

(2) क्या रेलमगरा, राजसमन्द तहसील के लोगों के ज्ञापन बनास की बजरी के ठेके पर नहीं देने के सम्बन्ध में सरकार को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बनास नदी के पेटे में गत पांच वर्षों में रेती का ठेका तहसील नाथद्वारा एवं रेलमगरा में दिये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	ठेका राशि (प्रतिवर्ष)
1999-2000	17,54,251/-
2000-2001	22,32,000/-
2001-2002	15.11,000/-
2002-2003	14,62,111/-
2003-2004	14,62,111/-

(2) जी हां। तहसील रेलमगरा के ग्रामवासियों द्वारा बनास नदी से बजरी के ठेके नहीं देने बाबत ज्ञापन प्रस्तुत किये गये जिस पर जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा दिनांक 17.3.2004 को एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा रेलमगरा तहसील में बनास नदी का निरीक्षण कर सुझाव दिया कि इस सम्बन्ध में एक उच्च तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी गठित कर राय प्राप्त की जाय। राय अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अत: वर्तमान में बजरी ठेका देने की कार्यवाही पर रोक लगा रखी है।

खैरथल (अलवर) की निगम बस सेवा

132. श्री जयराम जाटव (खैरथल) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खैरथल जिला अलवर में "ए" श्रेणी की अनाज मण्डी में किसानों तथा व्यापारियों व यात्रियों का काफी दबाव होते हुए भी वहां बस स्टेण्ड नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार बस स्टेण्ड बनाने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि खैरथल से जयपुर, देहली, गंगानगर, रेवाड़ी व अलवर रूट की बसें नहीं चल रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रूट पर बसें चलाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। खैरथल में नगरपालिका द्वारा निर्मित बस स्टेण्ड है।

(2) वर्तमान में खैरथल से/खैरथल होकर निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

खैरथल से रेवाड़ी तथा गंगानगर के लिये बस सेवा का संचालन नहीं किया जा रहा है। फिलहाल संचालन का निगम का कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट-1

खैरथल से/खैरथल होकर निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं का विवरण

1.		**खैरथल**	**जयपुर**	**जयपुर**	**खैरथल**	
		0615	1015	1115	1515	
		0900	1245	1445	1845	
2.		**खैरथल**	**दिल्ली**	**दिल्ली**	**खैरथल**	
		0745	1115	1545	1915	
		1100	1430	—	—	
3.		**खैरथल**	**हस्तिनापुर**	**हस्तिनापुर**	**अलवर**	
		1115	1845	0700	1430 वाया दिल्ली	
4.		**खैरथल**	**अलवर**	**अलवर**	**खैरथल**	
	पहले से 0600	0615	0730	0700	0815	
	मुण्डनवाडा	0800	1000	0720	0840	
	0800	1400	1600	1150	1350	
		1715	1900	1600	1730	मुण्डनवाडा 1815
		1800	2000	1750	1900	पहले 1920

मेवात क्षेत्रीय विकास योजना राशि में वृद्धि

133. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार मेवात क्षेत्र के शैक्षणिक, सांकृतिक एवं अन्य विकास हेतु मेवात विकास योजना के मौजूदा बजट की राशि में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक?

(2) मेवात विकास योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में विगत 5 वर्षों में क्या-क्या विकास कार्य कराए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002-2003 में पंचायत समिति नगर (भरतपुर) की ग्राम पंचायत मूण्डिया में स्वीकृत कार्यों की कार्यकारी संस्था पंचायत समिति नगर को फर्जकारी कर बदला गया और उसके स्थान पर ग्राम पंचायत मूण्डिया किया गया? यदि हां, तो किस स्तर पर और क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) कार्यवार जिलेवार सूची परिशिष्ट-"अ" संलग्न हैं।

(3) जी नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य के कारागारों में कैदियों की मृत्यु

134. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पिछले तीन वर्षों में राज्य के कारागारों में कितने कैदियों की मृत्यु हुई? क्या इनकी जांच करवाई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कैदियों की मृत्यु के लिए कई जेल अधिकारी भी दोषी पाये गये? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पिछले तीन वर्षों में बंदियों द्वारा जेल तोड़ने की कितनी घटनाएं हुई? क्या इनकी जांच करवाई गई? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 1.7.2001 से 30.6.2004 तक की अवधि में राज्य की कारागृहों में 17 कैदियों की मृत्यु हुई है। जिनका पूर्ण विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इसके

(कारागार मंत्री)

अतिरिक्त 144 बंदियों की मृत्यु सामान्य चिकित्सालयों एवं अन्य स्थानों पर हुई है, जिनका पूर्ण विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। बंदियों की मृत्यु की जांच जिला कलक्टर द्वारा करवाई जाती है। कारागृहों में हुई बंदियों की मृत्यु के सम्बन्ध में 10 की अन्तिम व 7 की अन्तिम जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, जो संलग्न है।

(2) कारागृहों में कैदियों की मृत्यु के लिए कोई भी जेल अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है। कैदियों की मृत्यु के लिए ड्यूटी पर लापरवाही के लिए दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) दिनांक 1.7.2001 से 30.6.2004 की अवधि में कारागृहों से 26 फरारी की घटनाएं हुई है, जिनका पूर्ण विवरण परिशिष्ट "स" संलग्न है। फरारी की घटनाओं की जांच करवाई जाती है। जांच की स्थिति का विवरण क्रमश: परिशिष्ट संख्या-1 से संख्या-7 संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पुनर्गठन एवं चुनाव

135. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सहकारी समितियों की संख्या कितनी है? क्या सभी पंचायत/ राजस्व ग्राम स्तर पर सहकारी समितियां बनी हुई हैं?

(2) क्या इन सहकारी समितियों के चुनाव सहकारी समितियों के संविधान में वर्णित समय के अनुसार हो रहे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार सहकारी समितियों के चुनाव करवाकर इनका पुनर्गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य में पंजीकृत सहकारी समितियों की कुल संख्या 22348 है। इनमें से 5244 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। सभी पंचायत स्तर पर अथवा राजस्व गांव स्तर पर समितियां बनी हुई नहीं हैं।

(2) सहकारी समितियों में निर्वाचन हेतु राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 में राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा चुनाव कराये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में उक्त चुनाव प्राधिकारी की नियुक्ति न होने से सहकारी समितियों के चुनाव हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा जिला अलवर में राशन डीलरों के विरुद्ध अनधिकृत छापे

136. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रसद अधिकारी अलवर व भरतपुर द्वारा मिलकर कस्बा खेड़ली में दो डीलरों के यहां छापा मारा गया? यदि हां, तो कब व उसमें क्या-क्या खामियां पाई गईं?

(2) क्या रसद अधिकारी भरतपुर को इस कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देश प्राप्त थे? यदि हां, तो किस अधिकारी के?

(3) क्या दूसरे जिले का अधिकारी अन्य जिले में बिना उच्चाधिकारी के आदेश के छापे की कार्यवाही कर सकता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत?

(4) क्या भरतपुर जिले के रसद अधिकारी को जिला अलवर में अवैध छापे की कार्यवाही किए जाने पर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही किए जाने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि रसद अधिकारी, भरतपुर द्वारा तहसील नदबई के डीलरों के खिलाफ छापे की कार्यवाही की गई? यदि हां, तो छापे की कार्यवाही के क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 04.03.2004 को कस्बा खेड़ली में छापा मारा गया जिसमें मै. हुकमचन्द एण्ड सन्स, खेड़ली फर्म मुकेश सीड्स कारपोरेशन खेड़ली एवं फर्म गर्ग ओटोमोबाइल्स, खेड़ली के यहां पर जांच की गई। जिसमें उक्त प्रकरणों में राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 के क्लाज 10, 20, 24, 30 एवं लाइसेंस की शर्त संख्या 3, 4, 5, 8, 9 एवं 10 का उल्लंघन किया गया तथा केरोसिन (उपभोग पर निर्विधन एवं कीमत नियतन) आदेश 1993 के क्लाज 6,7,7 एवं 9 की अवहेलना की गई है।

(2) जी हां। तत्कालीन खाद्य सचिव ने दूरभाष पर निर्देश दिये थे।

(3) जी नहीं।

(4) जिला रसद अधिकारी, भरतपुर द्वारा अवैध कार्यवाही नहीं की गई। निर्देशानुसार कार्यवाही की गई है।

(5) जी हां। प्रेम सिंह एण्ड वीरेन्द्र कुमार, नदबई के यहां जांच की गयी। छापे में कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पाई गई। मात्र मासिक रिटर्न पेश नहीं करने के कारण

(खाद्य एवं आपूर्ति नागरिक मंत्री)

राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 के क्लाज 20 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है।

झालावाड़ में रेत-बजरी के ठेकेदार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक वसूली

137. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झालावाड़ में रेत (बजरी) का ठेका किस व्यक्ति को कितनी राशि में स्वीकृत किया गया?

(2) उक्त ठेका किस तिथि से प्रभावी है तथा इसकी अवधि कब तक है और राशि वसूल करने के क्या मानदण्ड हैं?

(3) क्या यह सही है कि ठेकेदार द्वारा निर्धारित दरों से दस गुनी राशि वसूल की जा रही है? यदि हां, तो अवैध वसूली की शिकायत किन-किन द्वारा की गई तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अधिक राशि वसूल करने वालों का निलम्बन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ में रेत (बजरी) की रायल्टी एवं परमिट शुल्क वसूली के ठेके निम्न व्यक्तियों को स्वीकृत किये गये हैं :-

क्र. सं.	नाम ठेकेदार	तहसील	वार्षिक ठेका राशि (रुपयों में)	अवधि	ठेका प्रभाव में आने की तिथि
1.	मैसर्स भवानी ग्रुप, रामगंजमण्डी	पिड़ावा व गंगधार	रु.6,92,607/-	दिनांक 30.4.2004 से 31.3.2006 तक	30.4.2004
2.	श्री मोहम्मद अकरम पुत्र श्री हुसैनदीन निवासी झालावाड़	अकलेरा, खानपुर, मनोहरथाना, पचपहाड़ एवं झालरा पाटन	रु.56.74.274/-	दिनांक 26.6.2003 से 31.5.2005 तक	26.6.2003

(2) ठेके के प्रभावी होने की तिथि तथा इसकी अवधि की सूचना प्रश्न संख्या-1 के उत्तर में दे दी गई है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायति नियमावली, 1986 के

(खनिज मंत्री)

नियम 63 के अनुसार परिमट शुल्क व अनुसूची प्रथम के अनुसार रॉयल्टी प्रति टन की दर के अनुसार निर्गमित होने वाली मात्रा पर वसूल की जाती है।

(3) ठेकेदार श्री मोहम्मद अकरम द्वारा निर्धारित दर से अधिक रायल्टी वसूल करने की शिकायत प्राप्त होने पर सहायक खनिज अभियन्ता झालावाड़ द्वारा जांच की गई तथा शिकायत सही पाये जाने पर ठेकेदार को निर्धारित दर से ही रायल्टी वसूल करने हेतु पाबन्द किया गया तथा बजरी निकलने वाले स्थानों पर रायल्टी की निर्धारित दर एवं परमिट शुल्क की राशि के सूचना पट्ट स्थापित करवाये गये। प्राप्त शिकायतों एवं की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। इस शिकायत पर नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी जिसमें ठेका भी खण्डित किया जा सकता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

गोल्डन टोकन योजना समाप्ति की समीक्षा

138. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) व श्री हरीशचन्द्र (नावां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में लागू गोल्डन टोकन योजना से इंसपेक्टर राज व भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है?

(2) राज्य में कितने ट्रकों पर नेशनल परमिट दिये हुये हैं?

(3) "गोल्डन टोकन योजना" के अन्तर्गत वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 में कितने -कितने टोकन जारी किए गये तथा सरकार को कितनी राजस्व आय हुई? उक्त वर्षों में ट्रकों में ओवर लोडिंग की शास्ती से कितनी राशि जमा हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि गोल्डन टोकन योजना के अन्तर्गत मासिक शुल्क लिए जाने व कुल वार्षिक राशि में वृद्धि से वाहन मालिकों को परेशानी हुई है?

(5) अप्रेल, 2004 से "गोल्डन टोकन योजना" बन्द करने के बाद ट्रकों में ओवर लोडिंग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये तथा ट्रकों में ओवर लोडिंग की पेनल्टी राशि माह अप्रेल, मई और जून, 2004 में कितनी जमा हुई?

(6) सरकार निजी बसों पर अवैध रूप से भारी मात्रा में माल ढोने की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है? सरकार को बसों पर माल ढोने से कितनी पैनल्टी राशि जनवरी, 2004 से अब तक प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में गोल्डन टोकन के नाम से कोई योजना शुरू नहीं की गई, परन्तु भार वाहन स्वामियों के लिये विशेष टोकन योजना 1996 में शुरू की गयी थी जिसे दिनांक 01.01.2004 को समाप्त किया जा चुका है। तत्कालीन योजना के तहत राजमार्गों पर भार वाहनों के निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने एवं विभागीय इंसपेक्टरों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से ऐसे विशेष टोकनधारी वाहनों की चैकिंग के अधिकार जिला परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर के अधिकारी को नहीं दिये गये थे। ऐसी परिस्थिति में यह कथन कि गोल्डन टोकन योजना के कारण इंसपेक्टर राज व भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है सही नहीं है।

(2) वर्ष 2003-2004 तक राज्य में ट्रकों को जारी किये गये नेशनल परमिटों की संख्या 38262 है।

(3) वर्ष 2002-2003 में 38.773 वार्षिक टोकन तथा 3,64,533 मासिक टोकन जारी किए गए। जिनसे क्रमश: 5969.94 तथा 11289.89 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है। वर्ष 2003-2004 के दौरान (मार्च 2003 से दिस. 03 तक) 44.543 वार्षिक टोकन तथा 2,59,179 मासिक टोकन जारी किए गए जिनसे क्रमश: 7215.10 व 8298.36 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 में ट्रकों के ओवर लोडिंग के क्रमश: 14,825 तथा 76443 चालान बनाये जाकर प्रशमन राशि क्रमश: 700.23 लाख रुपये प्राप्त हुई है।

(4) जी नहीं। यह सही नहीं है। चूंकि विशेष टोकन योजना समाप्त की जा चुकी है अत: वर्तमान में भार वाहनों से किसी भी प्रकार का वार्षिक अथवा मासिक शुल्क नहीं वसूला जा रहा है।

(5) विशेष टोकन योजना जब राज्य में प्रभावी थी उस समय भी भार वाहनों को क्षमता से अधिक भार परिवहन की छूट नहीं थी। तत्कालीन योजना के तहत ऐसे वाहनों को चैकिंग के अधिकार जिला परिवहन अधिकारी से नीचे के पद के अधिकारी को नहीं थे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 के तहत कोई भी वाहन निर्धारित सकल यान भार से अधिक भार अपने वाहन में परिवहन नहीं कर सकता है। इस धारा का उल्लंघन अधिनियम की धारा 194 के तहत दण्डनीय है। इस धारा के तहत किया गया अपराध अधिनियम की धारा 200 के तहत प्रशमन योग्य है तथा प्रशमन की दर प्रथम 4 टन तक या इसके भाग के लिए 1000/- रुपये तत्पश्चात् प्रति टन या उसके भाग के लिए 500/- रुपये प्रति टन निर्धारित है। विभाग द्वारा नियमित

(यातायात मंत्री)

रूप से ओवर लोडेड भार वाहनों की चैकिंग कर चालान किए जाते हैं। माह अप्रैल, मई, जून 2004 में ट्रकों की ओवर लोडिंग से क्रमश: 554.51, 605.03 तथा 794.64 लाख रुपये की प्रशमन राशि प्राप्त हुई है।

(6) मोहन वाहन अधिनियम 1988 की धारा 66 के तहत मंजिली यात्री वाहन के अनुज्ञापत्र धारी वाहन को कुछ शर्तों के अधीन भार वाहन के रूप में संचालन के लिए अधिकृत किया जा सकता है। शेष श्रेणी के अनुज्ञापत्रधारी यात्री वाहनों में नियमानुसार माल परिवहन नहीं किया जा सकता है ऐसे यात्री वाहनों द्वारा माल परिवहन करना अनुज्ञापत्र की शर्तो के उल्लंघन की श्रेणी में आता है जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192-ए के तहत दण्डनीय है।

विभाग द्वारा समय-समय पर ऐसे वाहनों की चैकिंग कर चालान बनाए जाते हैं। माह जनवरी, 2004 से माह जून, 2004 तक कुल 245 वाहनों के चालान बनाये जाकर कुल 4.10 लाख की जुर्माना राशि विभाग को प्राप्त हुई है।

बाली में राजस्व ग्रामों का सृजन

139. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नवीन ग्राम पंचायत गठन के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली की पंचायत समिति बाली के ग्राम क्रमश: बड़े गांव नाणा, बेड़ा एवं भंदर ग्राम पंचायत मुख्यालय बनने के मानदण्डों को पूर्ण करते हैं? यदि हां, तो इन गांवों एवं इनमें सम्मिलित किए जाने वाले गांव ढाणियों की वर्ष 2001 की आबादी व अन्य मानदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि क्षेत्रीय विधायक द्वारा भी उक्त नवीन प्रस्तावित ग्राम पंचायतों के गठन के लिए सरकार को अनुषंशा की गई है? यदि हां, तो क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्रेषित पत्रों की छाया प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त गांवों को नवीन ग्राम पंचायत के रूप में गठन की स्वीकृति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) नई ग्राम पंचायतों का पुर्नगठन किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

लिया जाता है। जब भी नई ग्राम पंचायतों का नवसृजन किया जाता है तब ही राज्य सरकार द्वारा नये मापदण्ड तय किये जाते है। चूंकि पिरसीमन आयोग द्वारा दिनांक 15.2.2004 को प्रशासनिक इकाइयों की स्थिति यथावत रखे जाने के निर्देश दिये गये है। ऐसी स्थिति में अभी नवीन ग्राम पंचायतों के गठन के मापदण्ड तय नहीं किये गये हैं।

(2) परिसीमन आयोग द्वारा दिनांक 15.2.2004 को प्रशासनिक इकाइयों की स्थिति यथावत रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अभी नवीन ग्राम पंचायतों के गठन के मापदण्ड तय नहीं किये गये हैं।

(3) विकास अधिकारी, पं. स. बाली द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय क्षेत्रीय विधायक के पंचायतों के गठन के सम्बन्ध में अनुशंषा सम्बन्धी पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुए है और न ही अनुशंषा सम्बन्धी पत्र पंचायती राज विभाग को प्राप्त हुआ है।

(4) परिसीमन आयोग द्वारा दिनांक 15.2.2004 को प्रशासनिक ईकाइयों की स्थिति यथावत रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अभी नवीन ग्राम पंचायतों के गठन के मापदण्ड तय नहीं किये गये हैं।

कोटा सम्भाग में मादक पदार्थों के सेवन से अपराध वृद्धि

140. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के जिन जिलों में अफीम की खेती होती है वहां मादक पदार्थों का धंधा फल फूल रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि कोटा सम्भाग में स्मैकची व नशेड़ियों की संख्या तथा इनसे सम्बन्धित अपराध लगातार बढ़ रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन अपराधों को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) गत 2 वर्षों में प्रदेश में मादक पदार्थों व नारकोटिक्स से सम्बन्धित कुल कितने प्रकरण दर्ज हुये तथा कितनों के चालान पेश हुये तथा कितने प्रकरण में अन्तिम प्रतिवेदन लगाये गये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य में जिन जिलों में अफीम की खेती होती है, उसके कारण उन जिलों में मादक पदार्थों का धंधा बढ़ा है।

(2) कोटा सम्भाग में वर्ष 2002 में मादक पदार्थों से सम्बन्धित 223 अभियोग

(गृह मंत्री)

दर्ज हुए एवं वर्ष 2003 में 238 अभियोग दर्ज हुए। इस प्रकार कोटा सम्भाग में वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2003 में मादक पदार्थों के दर्ज अपराधों में आंशिक वृद्धि हुई है। स्मैक एवं मादक पदार्थों की तस्करी एवं बेचान की रोकथाम हेतु पुलिस द्वारा निरन्तर रूप से प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अलावा मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों को नशा मुक्त करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कैम्प आयोजित कर नशा मुक्त किये जाने के प्रयास किये जाते रहे हैं। बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा समय-समय पर नाकाबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग मुखबीर की सूचनाओं के आधार पर इन अपराधों में लिप्त व्यक्तियों की धरपकड़ की जाती है। दूरदर्शन के माध्यम से भी नशा मुक्ति के लिए समय-समय पर प्रचार प्रसारण किया जाता है।

(3) राज्य में वर्ष 2002 में मादक पदार्थों से सम्बन्धित 674 प्रकरण दर्ज हुए। इसी तरह वर्ष 2003 में 707 प्रकरण दर्ज हुए हैं। वर्ष 2002 में दर्ज 674 प्रकरणों में से 653 में चालान एवं 19 प्रकरणों में एफ.आर. में नतीजा दिया। शेष 2 प्रकरण पैंडिंग पुलिस है। वर्ष 2003 में दर्ज 707 प्रकरणों में से 662 में चालान एवं 22 प्रकरणों में एफ. आर. में नतीजा दिया गया। शेष 23 अभियोग पैंडिंग पुलिस रहे हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

जिलेवार दर्ज अभियोग मादक पदार्थ

	वर्ष 2002					वर्ष 2003			
क्र. सं.	जिले	रिपोर्ट	चालान	एफ. आर.	पैंडिंग	रिपोर्ट	चालान	एफ. आर.	पैंडिग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर	36	35	01	—	32	32	—	—
2.	भीलवाड़ा	33	33	—	—	50	45	2	3
3.	नागौर	4	3	01	—	4	45	—	—
4.	टोंक	4	4	—	—	2	02	—	—
5.	जयपुर उत्तर	27	27	—	—	26	25	01	—
6.	जयपुर दक्षिण	17	17	—	—	10	08	01	01
7.	जयपुर ग्रामीण	08	07	—	01	03	02	—	01
8.	झुन्झुनूं	17	17	—	—	21	18	01	02
9.	सीकर	12	11	01	—	15	12	01	02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	दौसा	04	04	—	—	02	02	—	—
11.	बीकानेर	08	08	—	—	02	02	—	—
12.	चुरू	15	15	—	—	10	07	03	—
13.	गंगानगर	29	27	02	—	31	31	—	—
14.	हनुमानगढ़	23	22	01	—	30	30	—	—
15.	भरतपुर	03	02	01	—	06	06	—	—
16.	अलवर	11	08	03	—	08	08	—	—
17.	सवाईमाधोपुर	02	02	—	—	—	—	—	—
18.	धौलपुर	14	14	—	—	04	04	—	—
19.	करौली	02	02	—	—	01	01	—	—
20.	जोधपुर शहर	09	09	—	—	01	01	—	—
21	जोधपुर ग्रामीण	10	10	—	—	16	15	—	01
22.	जालौर	06	08	01	—	12	12	—	—
23.	जैसलमेर	07	07	—	—	03	02	—	01
24.	बाड़मेर	20	19	01	—	22	20	02	—
25.	पाली	10	10	—	—	12	10	—	02
26.	सिरोही	07	06	01	—	04	03	01	—
27.	कोटा शहर	77	76	01	—	91	91	—	—
28.	कोटा ग्रामीण	08	08	—	—	18	18	—	—
29.	बून्दी	14	14	—	—	06	04	02	—
30.	झालावाड़	68	67	01	—	40	36	03	01
31.	बारां	52	52	—	—	82	82	—	—
32.	उदयपुर	18	18	—	—	17	12	—	05
33.	बांसवाड़ा	04	03	01	—	08	08	—	—
34.	चित्तौड़गढ़	50	48	01	01	65	60	01	04
35.	डूंगरपुर	01	01	—	—	—	—	—	—
36.	राजसमन्द	06	06	—	—	21	21	—	—
37.	जीआरपी अजमेर	35	33	02	—	32	28	04	—
38.	जीआरपी जोधपुर	03	03	—	—	—	—	—	—
	कुल योग	674	653	19	02	707	662	22	23

राज्य के मूकबधिर विद्यालयों हेतु स्वीकृत बजट/अनुदान में वृद्धि

141. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सरकारी व अनुदानित नेत्रहीन, मूकबधिर और अन्य विकलांग छात्रों हेतु विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 01 अप्रेल. 1998 से 31 मार्च. 2004 तक सरकार द्वारा उक्त विद्यालयों को कितना अनुदान दिया गया? वषर्वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त विद्यालयों के अनुदान में लगातार कटौती की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों एवं कार्यरत स्टॉफ के लिए चालू व आगामी वित्तीय वर्ष में समुचित बजट या अनुदान उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां. तो कितना और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सरकारी एवं अनुदानित नेत्रहीन, मूकबधिर और अन्य विकलांग छात्रों हेतु संचालित विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं। परिशिष्ट 'क' 'ख' एवं 'ग'

(2) दिनांक 1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च 2004 तक उक्त विभागों द्वारा विद्यालयों को स्वीकृत अनुदान का वर्षवार एवं विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। परिशिष्ट

वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट 'क' 'ख' 'ग'

(3) जी नहीं। बजट प्रावधानानुसार अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

(4) जी हां। सरकार बजट प्रावधानानुसार चालू व आगामी वित्तीय वर्ष में अनुदान उपलब्ध कराने का विचार रखती है।

परिशिष्ट "क"

राज्य प्राथमिक शिक्षा विभाग से नेत्रहीन, मूक-बधिर एवं अन्य विकलांगों हेतु संचालित विद्यालयों में प्रदत्त अनुदान का विद्यालयवार विवरण

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	सरकारी/ अनुदानित	अनुदान का विवरण 1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रज्ञा चक्षु अंध विद्यालय, उदयपुर	सरकारी		14.01लाख	13.01 लाख	11.70 लाख	11.65 लाख	11.80 लाख
2.	मरूधर मूक बधिर विद्यालय, बीकानेर	अनुदानित	380047	331594	377495	474606	484394	320360
3.	श्री जगदम्बा मूक बधिर उ.प्रा.वि., श्रीगंगानगर	अनुदानित	1799944	1603903	1725194	1812959	2983818	2423177
4.	श्री जगदम्बा अंध प्रा.वि., श्रीगंगानगर	अनुदानित	111011	93072	100268	211856	227239	237222
5.	श्री जगदम्बा अंध विशिष्ठ उ.प्रा.वि., श्रीगंगानगर	अनुदानित	432973	457732	439510	435748	559108	528977
6.	गांधी बधिर प्रा.वि., जोधपुर	अनुदानित	182197	241385	507036	613533	457740	498060

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	नेत्रहीन विकास संस्थान उ.प्रा.वि.. जोधपुर	अनुदानित	237460	239476	259541	465890	354960	347220
8.	नेत्रहीन विकास संस्थान प्रा.वि.. जोधपुर	अनुदानित	574928	597630	627810	758715	558810	600030
9.	नेब फिरोज एवं नौसिर मेरवानजी अंध जन पुनर्वास शिक्षा केन्द्र, आबूपर्वत	अनुदानित	417918	383207	486697	500614	516829	398520
10.	बाधित बाल विकास केन्द्र, कोटा	अनुदानित	742924	520060	832127	824827	966472	1143533
11.	मधु मूक बधिर विद्यालय, कोटा	अनुदानित	143772	234011	197750	147114	388080	512023
12.	बधिर विद्यालय, उदयपुर	अनुदानित	-	-	988242	1056144	1138306	1212407
13.	राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, जयपुर	अनुदानित	162905	215241	258961	302551	24604	220008
14.	बधिर विद्यालय, अजमेर	अनुदानित	1261928	1191703	1337212	1422185	1528383	1668907
15.	बधिर विद्यालय छात्रावास, अजमेर	अनुदानित	-	-	90496	77969	133757	120224
16.	तपोवन मनो विकास विद्यालय, श्रीगंगानगर	अनुदानित	-	789374	1045433	863027	971023	1090255

परिशिष्ट "ख"

राज्य में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित व बजट पोषित सरकारी विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	विद्यालय का नाम
1.	अंध विद्यालय (आवासीय), बीकानेर
2.	राजस्थान उच्च माध्यमिक अंध विद्यालय, अजमेर
3.	सेठ आनन्दीलाल पोद्दार मूक-बधिर रा.मा. विद्यालय, जयपुर

दिनांक 1.4.1948 से 31.3.2004 तक उक्त विद्यालयों हेतु वर्षवार आबंटित बजट का विवरण

वित्तीय वर्ष	आबंटित राशि (लाखों में)
1998-99	104.56
1999-2000	109.96
2000-2001	112.81
2001-2002	110.27
2002-2003	110.10
2003-2004	119.74

परशिष्ट-"ग"

नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग से अनुदान प्राप्त स्वयं सेवी संस्थाओं की सूची

क्र. सं.	संस्था का नाम व पता	संस्था की गतिविधियां	1998-99 स्वीकृत	1999-2000 स्वीकृत	2000-01 स्वीकृत	2001-02 स्वीकृत	2002-03 स्वीकृत	2003-04 स्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	निदेशक, प्रयास, गली नं.2 मकान नं. 343, राजापार्क, जयपुर	मानसिक विमंदित हेतु पुनर्वास एवं शिक्षण	48915	119170	97515	100530	50265	भारत सरकार से अनुदान
2.	सोसायटी फार वेलफेयर आफ मेंटली हैण्डीकैप्ट दैनिक भाष्कर के पीछे जे.एल. एन. मार्ग, जयपुर	विमंदित बालकों हेतु आवासीय व्यवस्था	-	-	31500	69581	34790	228094
3.	कस्तुरबा सेवा संस्थान चूंगी चौकी नं. 12 के पास नवलगढ़ रोड,रामावत नगर, सीकर	अस्थि विकलांगों हेतु विद्यालय एवं आवास	150570	1529910	104302	1677396	84105	428182
4.	स्वामी विवेकानन्द मूक बधिर विद्यालय, धूली गुमटी कोलान बांदीकुई, दौसा	मूक बधिरों के लिए विद्यालय एवं छात्रावास	36000	221130	153180	183330	91665	473895

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	बाधित बाल विकास केन्द्र 132 स्टेशन रोड, कोटा	मूक बधिर बालकों हेतु मैस भत्ते की राशि/शिक्षण -प्रशिक्षण	534717	385560	357480	178740	569363	866232
6.	वेलफेयर इंडिया सोसायटी, केशवपुरा चौराहा, बालाकुण्डा रोड़, ट्रांसफार्मर वाली गली, कोटा	मूक बधिर विद्यालय एवं छात्रावास	69000	309720	225000	282353	141176	724804
7.	शिविका वेलफेयर सोसायटी, न्यू दान मण्डी, आकाश सिनेमा के पीछे, 20-बी, कोटा	मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु	-	268190	379900	69300	17325	145479
8.	बाधित बाल विकास समिति, वैशाली नगर, अजमेर	विशेष विद्यालय एवं मूक बधिर छात्रावास, संस्थापन व्यय	28440	29520	29520	29520	अनुदान स्वीकृत नहीं (लेखों के अभाव में)	18720
9.	नेत्रहीन विकास संस्थान, सैक्टर-7, नेहरू नगर जोधपुर	अंधजनों हेतु पुनर्वास केन्द्र एवं छात्रावास	595980	201500	530305	576082	144078	1249806

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	नवज्योति मनोविज्ञान केन्द्र चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, सैक्टर-10, सैन्ट्रल एकेडमी के पीछे, जोधपुर	नि:शक्त जनों के लिए प्रशिक्षण एवं छात्रावास	142470	80910	65610	54360	29205	35055
11.	संजीवनी मेंटील हैल्थ रिहेबिलिटेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट खेतानाडी, मंडोर रोड. जोधपुर	मानसिक विमंदित बालकों हेतु विशेष विद्यालय	52200	53550	30870	70155	35000	78805
12.	बधिर कल्याण समिति, माताजी का थान बस्ती तम्बोलियान मगरपूंजला, जोधपुर	मूक बधिर बालकों के लिये आवासीय व्यवस्था हेतु	60750	91050	123015	116066	58033	314207
13.	सूचेताकृपलानी शिक्षा निकेतन, जोधपुर	अस्थि विकलांगों के लिये छात्रावास	606150	403000	1110097	1378355	615926	3539370
14.	ममता पुनर्वास एवं सामाजिक शोध संस्थान बीझाबायला, श्रीगंगानगर	मानसिक विमंदितों हेतु विशेष विद्यालय	120690	126765	105570	125550	31300	219597

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	सौर चेतना एवं ऊर्जा विज्ञान शोध संस्थान सेक्टर-6, मकान नं.135 पू.स्टे. के पास, हनुमानगढ़ जंक्शन	मानसिक विमंदितों के लिये विशेष आवासीय व्यवस्था हेतु	176760	186210	168930	88782	71294	भारत सरकार से अनुदान
16.	थियोसाफिकल सोसायटी लाज प्रतापनगर चेतक स्रिकल, उदयपुर	विकलांगों के लिये पुनर्वास केन्द्र एवं छात्रावास	186432	65000	187105	142863	71431	129790
17.	विकलांग कल्याण समिति 346/25 ओ.टी.सी. उदयपुर	मूक बधिरों हेतु विद्यालय एवं छात्रावास	228114	114000	338070	256759	128407	313260
18.	मूक बधिर एवं मंदबुद्धि संस्थान कालिका माता रोड. बांसवाड़ा	मूक बधिर विद्यालय एवं मंदबुद्धि विद्यालय	69840	72090	93915	102718	70088	101025
19.	चेतना संवर्धन समिति, तिलक नगर. जयपुर	मानसिक विमंदित बालकों के लिये शिक्षण-प्रशिक्षण	89460	95312	57240	भारत सरकार से	भारत सरकार से	भारत सरकार से

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						अनुदान	अनुदान	अनुदान
20.	नेब फिरोज एवं नोशिर मेरवानजी अंधजन विद्यालय. आबू पर्वत, सिरोही	नेत्रहीन बालकों के लिये शिक्षण प्रशिक्षण एवं आवास	17010	102600	87300	67050	भारत सरकार से अनुदान	भारत सरकार से अनुदान
21.	राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ गणगौरी बाजार, जयपुर	राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ गणगौरी बाजार, जयपुर	-	283528	138392	169808	भारत सरकार से अनुदान	भारत सरकार से अनुदान
22.	सोना मंदबुद्धि विशेष विद्यालय भीलवाड़ा	मंदबुद्धि बालकों के लिये शिक्षण प्रशिक्षण एवं आवास	113940	95675	41399	भारत सरकार से अनुदान	भारत सरकार से अनुदान	भारत सरकार से अनुदान

राजगढ़ तहसील (चूरू) के अग्नि पीड़ितों को सहायता

142. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अग्नि पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 10 वर्षों में तहसील राजगढ़ (चूरू) में कितने अग्नि पीड़ित लोगों द्वारा सहायता हेतु आवेदन किया गया तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को कितनी-कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वंचित लोगों को सहायता राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अग्नि पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित मापदण्डों की प्रति संलग्न है।

(2) गत दस वर्षों में तहसील राजगढ़ (चूरू) में 399 अग्नि पीड़ित व्यक्तियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये थे व सभी 399 व्यक्तियों को सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है। (सूची संलग्न है)

(3) जिला कार्यालय चूरू में सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रकरण शेष नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बढ़ते रेगिस्तान पर रोक

143. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिये क्या-क्या उपाय कहां-कहां किये गये हैं, जिससे किस स्थान पर कितने क्षेत्रफल में बढ़ता हुआ रेगिस्तान रूक गया है?

उत्तर

सरकार द्वारा बढ़ते हुऐ रेगिस्तान को रोकने के लिए मरूस्थल के 12 जिलों में विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं के माध्यम से रेगिस्तान के प्रसार को रोकने हेतु टिब्बा स्थिरीकरण, शेल्टर बैल्ट वृक्षारोपण (नहर एवं सड़क किनारे), ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण, परिभ्रांषित वनों का पुनरोद्धार चारागाह विकास, कृषि वानिकी आदि कार्य कराये गये हैं। इन योजनाओं के माध्यम से अब तक 5,77,159 हैक्टेयर वृक्षारोपण कार्य कराये गये हैं। इन कार्यों की जिलेवार सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न प्रस्तुत है।

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

किस स्थान पर कितने क्षेत्रफल में बढ़ता हुआ रेगिस्तान रूक गया है. इसका कोई वैज्ञानिक अध्ययन विभाग द्वारा नहीं कराया गया है।

परिशिष्ट 'क'

राजस्थान में रेगिस्तानी जिलों में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कराये गये वृक्षारोपण की जिलेवार सूची

क्र. सं.	नाम जिला	वृक्षारोपण कार्य (हैक्टेयर में)	जिले का कुल भौगोलिक वर्ग किमी* क्षेत्रफल	वृक्षारोपण प्रतिशत
1.	जोधपुर	30785	22850	1.35
2.	पाली	39343	12387	3.18
3.	जालोर	26628.5	10640	2.5
4.	बाड़मेर	48788	28387	1.72
5.	जैसलमेर	83167	38401	2.16
6.	सीकर	31764.1	7732	4.11
7.	चूरू	28223.4	16830	1.68
8.	नागौर	35376.7	17718	2.00
9.	झुन्झुनूं	35733.1	5928	6.03
10.	बीकानेर	127219.02	27118	4.69
11.	हनुमानगढ़	28370	12690	2.23
12.	गंगानगर	61761	7944	7.77
	योग	**577158.82**	**208625**	**2.76**

सवाईमाधोपुर जिले के चयनित परिवारों को अनुदान

144. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाईमाधोपुर द्वारा वर्ष 1998 से आज तक किस-किस योजना में किन-किन लोगों को कितना-कितना अनुदान दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बी.पी.एल. परिवारों को इंजन पाइप फव्वारा सैट व नलकूप हेतु पूर्व में जो 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है उसे वर्तमान में बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों?

* 1 वर्ग किलोमीटर= 100 हैक्टर

उत्तर

(1) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) सवाईमाधोपुर द्वारा वर्ष 1998 से आज तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लोगों को दिये गये अनुदान राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है।

(2) स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना की निर्देशिका के अनुसार बी.पी.एल. परिवारों को लघु सिंचाई योजना में 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक प्रकरण

145. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में 1 जनवरी, 2004 से 30 जून, 2004 तक किस-किस श्रेणी के कितने-कितने अपराध दर्ज किये गये? पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले इन अपराधों में कितने प्रतिशत की कमी या बढ़ौतरी हुई? माहवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) माह मई व जून, 2004 में जयपुर शहर व जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कुल कितने अपराध किस-किस श्रेणी के दर्ज किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 1 जनवरी, 2004 से 30 जून, 2004 तक भा.द.सं. के अन्तर्गत कुल 76124 अपराध पंजिबद्ध किये गये जिनमें हत्या के 633, हत्या का प्रयास के 968, डकैती 32, लूट 362, अपहरण/व्यपहरण 1295, बलात्कार 513, बलवा 1528, नकबजनी 3070, चोरी 9569, एवं अन्य भा.द.सं. के अन्तर्गत 58154 अपराध पंजिबद्ध किये गये हैं। 1 जनवरी, 2003 से 30 जून, 2003 तक कुल 73229 अपराध पंजिबद्ध किये गये थे जिनमें हत्या 623, हत्या का प्रयास 1007, डकैती 17, लूट 337, अपहरण/व्यपहरण 1225, बलात्कार 556, बलवा 2234, नकबजनी 3160, चोरी 8261, एवं अन्य भा.द.सं. के अन्तर्गत 55819 अपराध पंजिबद्ध किये गये थे। इस प्रकार 2003 एवं 2004 की उक्त समान अवधि में हत्या में 10, डकैती में 15. लूट में 25, अपहरण/व्यपहण में 70. चोरी में 1318. एवं अन्य भा.द.सं. के अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों में 2335 अपराधों की वृद्धि हुई है तथा हत्या का प्रयास में 39, बलात्कार में 43. बलवा में 706.

(गृह मंत्री)

एवं नकबजनी में 90 अपराधों की कमी हुई है। राज्य में 1 जनवरी, 2004 से 30 जून, 2004 तक एवं 1 जनवरी, 2003 से 30 जून, 2003 तक दर्ज अपराधों की माहवार तुलनात्मक तालिका कमी/वृद्धि के प्रतिशत (सहित) परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) माह मई व जून, 2004 में जयपुर शहर व जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कुल 3557 अपराध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजिबद्ध किये गये जिनमें डकैती शून्य, हत्या के 22, लूट के 11. नकबजनी के 185, वाहन चोरी के 342. अन्य चोरी के 371 बलवा 129, बलात्कार 13, एवं अन्य भारतीय दण्ड संहिता के 2484 प्रकरण हैं। माह मई, 2004 तथा माह जून, 2004 में जयपुर शहर व जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत शीर्षकवार दर्ज अपराधों की तालिका परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

एक जनवरी, 2004 से 30 जून, 2004 तक दर्ज अपराधों का 1 जनवरी, 2003 से 30 जून, 2003 तक दौरान दर्ज अपराधों की माहवार तुलनात्मक

क्र. सं.	शीर्षक		जनवरी	कमी/वृद्धि का प्रतिशत	फरवरी	कमी/वृद्धि का प्रतिशत	मार्च	कमी/वृद्धि का प्रतिशत	अप्रैल	कमी/वृद्धि का प्रतिशत	मई	कमी/वृद्धि का प्रतिशत	जून	कमी/वृद्धि का प्रतिशत	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	हत्या	2004	88	-	88	+18,92%	102	-3%	117	+18.18%	127	+5.83%	111	-18.98%	633
		2003	88	-	74		105		99		120		137		623
2.	हत्या	2004	132	4.33%	132	-23,70%	162	-19.40%	153	+1.92%	193	+12.87%	196	+16.67%	968
	का प्रयास	2003	138	-	173		201		156		171		168		1007
3.	डकैती	2004	3	-	7	+250%	9	+800%	5	+500%	2	-	6	-33.33%	32
		2003	3		2		1		-		2		9		17
4.	लूट	2004	47	-4.08%	51	-5.56%	70	+11.11%	54	-	68	+4.62%	72	+38.46%	362
		2003	49	-	54		63		54		65		52		337
5.	अपहरण/	2004	168	-5.08%	188	+11.24%	191	-13.18%	233	+12.02%	241	+10.05%	274	+18.10%	1295
	व्ययरण	2003	177	-	169		220		208		219		232		1225
6.	बलात्कार	2004	74	-29.52%	71	-16.47%	105	+16.67%	94	+28.77%	88	-7.53%	81	-26.36%	513
		2003	105	-	85		90		73		93		110		556
7.	बलवा	2004	208	-43.32%	228	-19.72%	285	-33.57%	253	-31.81%	253	-32.17%	301	-26.59%	1528
		2003	367	-	284		429		371		373		410		2234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	नकबजनी	2004	617	-	498	-9.29%	414	-15.34%	411	-3.29%	538	-5.28%	592	+15.63%	3070
		2003	617		549		489		425		568		512		3160
9.	चोरी	2004	1772	+13.23%	1569	+18.77%	1438	+10.70%	1443	+15.16%	1553	+10.46%	1794	+27.50%	9569
		2003	1565	-	1321		1299		1253		1406		1407		8251
10.	अन्य	2004	8882	+0.60%	8604	-9.47%	9798	+6.08%	9333	+2.70%	10182	+1.69%	11355	+5.98%	58154
	भादस	2003	8829	-	7860		9236		9087		10013		10794		55819
11.	**कुलयोग**	**2004**	**11991**	**+0.44%**	**11436**	**+8.18%**	**12574**	**+3.63%**	**12096**	**+3.16%**	**13245**	**+1.63%**	**14782**	**+6.88%**	**76124**
		2003	**11938**		**10571**		**12133**		**11726**		**13030**		**13831**		**73229**

परिशिष्ट "ब"

माह मई, 2004 तथा माह जून, 2004 में जयपुर शहर व जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत शी .कवार पंजीबद्ध अपराधों की तालिका :-

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज मुकदमात की संख्या						योग
		जयपुर शहर (उत्तर)		जयपुर शहर (दक्षिण)		जयपुर ग्रामीण		
		मई, 04	जून, 04	मई, 04	जून, 04	मई, 04	जून, 04	
1.	डकैती	-	-	-	-	-	-	-
2.	हत्या	4	4	--	7	4	3	22
3.	लूट	-	1	4	3	2	1	11
4.	नकबजनी	14	27	37	51	31	25	185
5.	वाहन चोरी	27	37	133	128	6	11	342
6.	अन्य चोरी	33	38	100	125	33	42	371
7.	बलवा	32	34	18	26	7	12	129
8.	बलात्कार	2	1	3	3	2	2	13
9.	अन्य ता.हि.	267	277	404	461	519	556	2484
	कुल योग	379	419	699	804	604	652	3557

आहोर के आवासीय बालिका विद्यालय

146. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आहोर के आवासीय बालिका विद्यालयों में कोई संकुल बना हुआ है? यदि हां, तो उक्त में छात्राएं, शिक्षक और शिक्षिकाएं कितनी-कितनी है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बालिका विद्यालयों में स्वीकृत पदों के अनुसार सभी शिक्षिकाएं कार्यरत नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र आहोर में बालिका आवासीय विद्यालय भैंसवाड़ा में संकुल बना हुआ है। इस विद्यालय में 90 छात्रायें अध्ययनरत हैं। इस विद्यालय में 6 द्वितीय श्रेणी अध्यापक/अध्यापिका व एक शारीरिक शिक्षक के अतिरिक्त एक पुस्तकालयाध्यक्ष भी कार्यरत है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) इस विद्यालय में शारीरिक शिक्षक का एक पद एवं द्वितीय श्रेणी अध्यापक के 6 पद स्वीकृत हैं, जो सभी भरे हुए हैं, किन्तु महिला शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण द्वितीय वेतन श्रृंखला के केवल एक पद पर ही महिला शिक्षक कार्यरत है, एवं शिक्षकों के शेष सभी पदों पर पुरुष शिक्षक कार्य कर रहे हैं।

राहत कार्यों पर वर्ष 2003-04 में व्यय

147. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2003-04 में कितने-2 ग्राम सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित किए गए? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आपदा राहत कोष में सरकार के पास कितनी धनराशि उक्त अवधि में उपलब्ध थी?

(3) सरकार द्वारा अभावग्रस्त ग्रामों में राहत कार्य कब से प्रारम्भ किए गये तथा इस पर कितनी राशि व्यय की गई?

(4) पेयजल आपूर्ति हेतु कौन कौन से जिलों में कार्य व्यवस्था की गई?

उत्तर

(1) वर्ष 2003-04 में राज्य में भीलवाड़ा, राजसमन्द व उदयपुर के 649 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। जिलेवार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-I)

(2) उक्त अवधि में सरकार के पास आपदा राहत कोष में उपलब्ध धनराशि का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-II)

(3) सरकार द्वारा अभावग्रस्त गांवों में दिनांक 20.5.2004 से अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये गये हैं तथा इन पर जिलेवार व्यय की गई राशि निम्न प्रकार है :-

नाम जिला	व्यय राशि (लाखों में)	व्यय का दिनांक
भीलवाड़ा	68.19	9.7.2004 तक
राजसमन्द	28.08	30.6.2004 तक
उदयपुर	83.00	30.6.2004 तक
योग :	**179.27 लाख**	

(4) पेयजल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में राज्य के समस्त 32 जिलों में कार्य व्यवस्था की गई।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड को प्राप्त राशि का उपयोग

148. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड के माध्यम से सांभर नम भूमि का संरक्षण एवं विकास योजना की स्वीकृति सरकार को प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो कब? स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में केन्द्र सरकार से किस-किस वर्ष में कितना-कितना बजट स्वीकृत किया गया और राज्य सरकार द्वारा उसमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्राप्त राशि में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई और उससे क्या-क्या कार्य कराए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी नहीं। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड के माध्यम से सांभर नम भूमि का संरक्षण एवं विकास की योजना स्वीकृत नहीं हुई थी। "सांभर नम भूमि संरक्षण" की योजना वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से पत्र दिनांक 21.1.2000 से स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से स्वीकृत "सांभर नम भूमि संरक्षण योजना" हेतु वर्षवार स्वीकृत बजट एवं उपयोग राशि का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न प्रस्तुत है।

(3) प्राप्त राशि का उपयोग सम्पूर्ण तौर पर कार्य मद पर ही किया गया। कराये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

नाम कार्य	मात्रा
कन्टूर बन्ड	2609 हैक्टर
चैक डेम	208 नग
आउटलेट	72 नग
गेवियन स्ट्रक्चर	70 नग
सिल्ट डिटेक्शन डैम	50 नग

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

(4) केन्द्र सरकार से वर्ष 1999-2000 में रुपये 36.26 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। वर्ष 2002-03 में भारत सरकार द्वारा इस स्वीकृति में से ही राशि रुपये 19.84 लाख revalidate की गई थी। वर्ष 2003-04 में राशि रुपये 85.98 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस प्रकार भारत सरकार से शुद्ध तौर पर राशि रुपये 122.84 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी। इस स्वीकृति में से राशि रुपये 94.34 लाख का उपयोग विभाग द्वारा किया गया। शेष राशि रुपये 27.89 लाख अवशेष रही. जिसका मुख्य कारण यह है कि वर्ष 2003-04 के अन्तिम दिवस 31.3.2004 को राशि रुपये 25.98 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस प्रकार जिस राशि की स्वीकृति समय रहते हुऐ भारत सरकार से प्राप्त हुई उसका उपयोग मुख्यतया कर लिया गया। तथा इस राशि के रिवेलिडेशन के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जा चुके हैं। अत: इस कारण कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अन्य राज्यों से क्रय ट्रेक्टरों के पंजीयन से राजस्व हानि

149. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य परिवहन विभाग में ट्रेक्टर की खरीद पर खरीददार द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाने का नियम है? यदि हां, तो उक्त रजिस्ट्रेशन कराने के नियम क्या हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दूसरे राज्य से ट्रेक्टर की खरीद पर उसी स्टेट से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है? यदि हां, तो क्या पंजाब या हरियाणा से जो ट्रेक्टर खरीद की जाती है उसका रजिस्ट्रेशन पंजाब या हरियाणा सरकार द्वारा किया जाता है?

(3) क्या यह भी सही है कि बिना रजिस्ट्रेशन के पंजाब व हरियाणा से खरीदे गए ट्रेक्टरों को राजस्थान में लाकर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत है?

(4) अप्रैल, 2000 से मई 2004 तक पंजाब व हरियाणा राज्य से कितने ट्रेक्टर बिल खरीद पर बीकानेर में लाकर रजिस्ट्रेशन करवाए गए?

(5) उक्त अवैध ट्रेक्टरों का रजिस्ट्रेशन किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब और किन-किन नियमों के अन्तर्गत किया गया? ट्रेक्टर नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मंगलाराम गोदारा)

(6) क्या यह भी सही है कि दूसरे राज्यों से उक्त वर्षों में खरीदे गए ट्रेक्टरों को राजस्थान में लाने से राज्य को राजस्व की जो हानि हुई है? क्या सरकार उस पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

(7) क्या सरकार इसमें लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखंती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

(8) क्या अब सरकार ऐसे अवैंध पंजीयन से हुई राजस्व हानि को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 के तहत प्रत्येक मोटर वाहन का पंजीयन आवश्यक है। ट्रेक्टर भी एक मोटर वाहन है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 47 में वाहन पंजीयन प्रक्रिया निर्धारित की हुई है। इस नियम के अन्तर्गत ट्रेक्टर के पंजीयन हेतु प्रपत्र 20 में पंजीयन अधिकारी के समक्ष वाहन स्वामी द्वारा आवेदन करना होता है। आवेदन पत्र के साथ प्रपत्र 21 में सेल सर्टिफिकेट वैध बीमा प्रमाण पत्र, नियम 4 में वर्णित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज आवेदक के पते के प्रमाण के रूप में प्रपत्र 22 में निर्माता द्वारा जारी वाहन का रोड वर्दीनेस प्रमाण पत्र तथा निर्धारित पंजीयन शुल्क की रसीद संलग्न करनी होती है। यदि ट्रेक्टर अन्य राज्य अथवा अन्य जिले से क्रय किया गया है तो अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होता है। नियमों की प्रति परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत वाहन का पंजीयन उसी पंजीयन अधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान है जिसके क्षेत्राधिकार में वाहन स्वामी का निवास अथवा व्यवसाय स्थल है तथा वाहन जहां सामान्यत: रखा जाता है।

(3) यदि राजस्थान में निवास या कारोबार करने वाले व्यक्ति द्वारा पंजाब व हरियाणा से नया ट्रेक्टर खरीद कर लाया जाता है तो उसका पंजीयन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 39 के तहत एवं केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 47 के तहत आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जो उक्त नियमों में है के प्रस्तुत करने पर पंजीयन कर दिया जाता है।

(4) वर्ष अप्रैल, 2000 से मई 2004 तक पंजाब व हरियाणा से ट्रेक्टर खरीद कर बिल व अन्य कागजातों के आधार पर बीकानेर में 181 ट्रेक्टरों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।

(यातायात मंत्री)

(5) उक्त ट्रेक्टरों का पंजीयन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 39 के तहत किया गया है जो अवैध नहीं है। ट्रेक्टरों की सूची तथा पंजीयन करने वाले अधिकारी का नाम परिशिष्ट "ख" उपलब्ध पर है।

(6) उक्त पंजीयन करने पर किसी भी प्रकार की राजस्व हानि नहीं हुई है। वरन् विभाग को इन वाहनों से एक-बारीय कर के रूप में अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हुई है। अत: कार्यवाही किये जाने की प्रथम दृष्टया आवश्यकता नहीं है।

(7) उक्त पंजीयनों में प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है अत: किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(8) पंजीयन की कार्यवाही मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत है तथा विभाग को इन ट्रेक्टरों के पंजीयन से एक-बारीय कर के रूप में अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। इसलिए राजस्व हानि नहीं हुई है।

परिशिष्ट "क"

The Central Motor Vehicles Rules, 1989

(h) For removing the vehicle after it has been taken possession of by or on behalf of the financier due to any default on the part of the other party under the provisions of an agreement of hire-purchase, lease or hypothecation.

42. Delivery of vehicle subject to registration.-No holder of a trade certificate shall deliver a motor vehicle to a purchaser without registration, whether temporary or permanent.

43. Register of trade certificate.-(1) Every holder of a trade certificate shall maintain a register in Form 19 in duplicate which shall be in bound book, with pages numbered serially.

(2) The particulars referred to in Form 19 except the time of return under column 7, shall be entered in the register before the commencement of each trip by the holder of the trade certificate or his representative and a duplicate copy of Form 19 made prior to the commencement of each trip shall be carried during the trip by the driver of the vehicle and shall be produced on demand by any officer empowered to demand production of documents by or under the Act.

(3) The holder of a trade certificate shall, at the end of a trip, fill in column 7 of Form 19 (both original and duplicate), and the register and the duplicate shall be open for inspection by the registering authority.

44. Suspension or cancellation of trade certificate.-If the registering

authority has reason to believe that the holder of any trade certificate has not complied with the provisions of rules 39 to 43, it may, after giving the holder an opportunity of being heard, suspend or cancel the trade certificate held by him.

45. Appeal.-Any person aggrieved by an order of the registering authority under rule 35 or rule 44 may, within thirty days of the receipt of any such order, appeal to the head of the Motor Vehicles Department established under section 213.

46. Procedure for appeal.-(1) The appeal referred to in rule 45 shall be preferred in duplicate in the form of a memorandum, setting forth the grounds of objections to the order of the registering authority and shall be accompanied by the appropriate fee as specified in rule 81 and a certified copy of the order appealed against.

(2) The appellate authority, after giving an opportunity to the parties to be heard and after such enquiry, if any, as it deems necessary, pass appropriate orders.

Registration

47. Application for registration of motor vehicles.-(1) An application for registration of a motor vehicle shall be made in Form 20 to the registering authority within a period of 1[seven days] from the date of taking delivery of such vehicle, excluding the period of journey and shall be accompanied by-

(a) sale certificate in Form 21;

(b) valid insurance certificate;

2[(c) copy of the proceedings of the State Transport Authority or Transport Commissioner or such other authorities as may be prescribed by the State Government for the purpose of approval of the design in the case of a trailer or a semi trailer:]

(d) original sale certificate from the concerned authorities in Form 21 in the case of ex-army vehicles;

(e) proof of address by way of any one of the documents referred to in rule 4;

(f) temporary registration, if any;

(g) road-worthiness certificate in Form 22 from the manufacturers, 1[Form 22A] from the body builders;

2[(h) custom's clearance certificate in the case of imported vehicles along with the licence and bond, if any;

---

1. Subs. by G.S.R. 933 (E). dated 28th October, 1989 (w.e.f. 28-10-1989).
2. Subs. By G.S.R. 338 (E), dated 26th March, 1993 (w.e.f. 26-3-1993).
1. Added by G.S.R. 338 (E), dated 26th March, 1993 (w.e.f. 26-3-1993).
2. Subs. by G.S.R. 83 (E), dated 5th February, 2003 (w.e.f. 5-2-2003).

Provided that in the case of imported vehicles other than those imported under the Baggage Rules, 1998, the procedure followed by the registering authority shall be same as those procedure followed for registering of vehicles manufactured in India, and;]

(i) appropriate fee as specified in rule 81.

(2) In respect of vehicles temporarily registered, application under sub-rule (1) shall be made before the temporary registration expires.

48. Issue of certificate of registration.-On receipt of an application under rule 47 and after verification of the documents furnished therewith, the registering authority shall, subject to the provisions of section 44, issue to the owner of the motor vehicle a 3[certificate of registration in Form 23 or Form 23A, as may be specified in the Notification issued by the concerned State Government or Union Territory Administration]:

4[Provided that where the certificate of registration pertains to a transport vehicle it shall be handed over to the registered owner only after recording the certificate of fitness in Form 38.]

49. Registration records to be kept by the registering authority.-Every registering authority shall keep in Form 24 a permanent register of motor vehicles registered by it under section 41 and of motor vehicles of other States for which new registration marks are assigned by it under sub-section (2) of section 47 and shall also enter in such record under the respective registration numbers, all changes made with reference to the provisions of sub-section (10) or sub-section (14) of section 41, sub-section (5) of section 49, sub-section (6) of section 50, sub-sections (1), (2), (3) and (5) of section 51, sub-section (4) of section 52, orders of suspension under section 53 and order of cancellation under sections 54 and 55.

5[50. Form and manner of display of registration marks on the motor vehicles.-6[(1) On or after commencement of this rule, the registration mark referred to in sub-section (6) of section 41 shall be displayed both at the front and at the rear of all motor vehicles clearly and legibly in the form of security license plate of the following specifications, namely:-

---

3. Subs. By G.S.R. 400 (E). dated 31st May, 2002 (w.e.f. 31-5-2002).
4. Added by G.S.R. 338 (E), dated 26th March, 1993 (w.e.f. 26-3-1993).
5. Subs by G.S.R. 338 (E), dated 26th March, 1993 (w.e.f. 26.3.1993).
6. Subs by G.S.R. 221 (E), dated 28th March, 2001 (w.e.f. 28-2-2003 *vide* S.O. 400 (E), dated [illegible] 2002)

(i) the plate shall be a solid unit made of 1.0 mm aluminium conforming to DIN 1745/DIN 1783 or ISO 7591. Border edges and corners of the plate.

परिशिष्ट "ख"

व : 4/2000 से 5/2000 तक पंजाब हरियाणा से क्रय किए हुए वाहन की पंजीयन सूची

S.No.	Date of Reg.	Reg. Number	Other State Name Where Purchased		Name of Signature Authority
1	2	3	4		5
1.	30.10.01	RJ07R 5691	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
2.	30.10.01	RJ07R 5692	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
3.	30.10.01	RJ07R 5693	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
4.	30.10.01	RJ07R 5694	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
5.	30.10.01	RJ07R 5695	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
6.	30.10.01	RJ07R 5696	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
7.	30.10.01	RJ07R 5697	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
8.	30.10.01	RJ07R 5698	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
9.	30.10.01	RJ07R 5699	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
10.	30.10.01	RJ07R 5700	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
11.	30.10.01	RJ07R 5701	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
12.	30.10.01	RJ07R 5702	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
13.	30.10.01	RJ07R 5703	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
14.	30.10.01	RJ07R 5704	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
15.	30.10.01	RJ07R 5705	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
16.	30.10.01	RJ07R 5706	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
17.	30.10.01	RJ07R 5707	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
18.	30.10.01	RJ07R 5708	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
19.	30.10.01	RJ07R 5709	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
20.	30.10.01	RJ07R 5710	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi

1	2	3	4		5
21.	30.10.01	RJ07R 5711	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
22.	30.10.01	RJ07R 5712	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
23.	30.10.01	RJ07R 5713	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
24.	30.10.01	RJ07R 5714	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
25.	30.10.01	RJ07R 5715	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
26.	30.10.01	RJ07R 5716	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
27.	30.10.01	RJ07R 5717	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
28.	30.10.01	RJ07R 5718	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
29.	30.10.01	RJ07R 5719	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
30.	30.10.01	RJ07R 5720	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
31.	30.10.01	RJ07R 5721	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
32.	30.10.01	RJ07R 5722	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
33.	30.10.01	RJ07R 5723	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
34.	30.10.01	RJ07R 5724	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
35.	30.10.01	RJ07R 5725	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
36.	30.10.01	RJ07R 5726	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
37.	30.10.01	RJ07R 5727	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
38.	30.10.01	RJ07R 5728	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
39.	30.10.01	RJ07R 5729	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
40.	30.10.01	RJ07R 5730	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
41.	30.10.01	RJ07R 5731	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
42.	30.10.01	RJ07R 5732	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
43.	30.10.01	RJ07R 5733	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
44.	30.10.01	RJ07R 5734	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi

1	2	3	4		5
45.	30.10.01	RJ07R 5735	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
46.	30.10.01	RJ07R 5736	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
47.	30.10.01	RJ07R 5737	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
48.	30.10.01	RJ07R 5738	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
49.	30.10.01	RJ07R 5739	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
50.	10.01.02	RJ07R 5831	Samana	Punjab	Sh. Prakesh Singh Rathore
51.	10.01.02	RJ07R 5833	Nabha	Punjab	Sh. Prakesh Singh Rathore
52.	10.01.02	RJ07R 5835	Jalandhar	Punjab	Sh. Prakesh Singh Rathore
53.	10.01.02	RJ07R 5837	Ludhiyana	Punjab	Sh. Prakesh Singh Rathore
54.	11.01.02	RJ07R 5844	Ludhiyana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
55.	11.01.02	RJ07R 5846	Ludhiyana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
56.	11.01.02	RJ07R 5848	Ludhiyana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
57.	19.01.02	RJ07R 5854	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
58.	16.01.02	RJ07R 5855	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
59.	16.01.02	RJ07R 5857	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
60.	16.01.02	RJ07R 5858	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
61.	16.01.02	RJ07R 5859	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
62.	16.01.02	RJ07R 5860	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
63.	16.01.02	RJ07R 5862	Ludhiyana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
64.	16.01.02	RJ07R 5863	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
65.	16.01.02	RJ07R 5864	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
66.	16.01.02	RJ07R 5865	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
67.	16.01.02	RJ07R 5866	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
68.	16.01.02	RJ07R 5867	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
69.	16.01.02	RJ07R 5868	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
70.	16.01.02	RJ07R 5869	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi

1	2	3	4	5	
71.	16.01.02	RJ07R 5870	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
72.	16.01.02	RJ07R 5871	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
73.	19.01.02	RJ07R 5877	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
74.	19.01.02	RJ07R 5878	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
75.	19.01.02	RJ07R 5879	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
76.	19.01.02	RJ07R 5880	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
77.	19.01.02	RJ07R 5881	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
78.	19.01.02	RJ07R 5882	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
79.	19.01.02	RJ07R 5883	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
80.	19.01.02	RJ07R 5884	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
81.	19.01.02	RJ07R 5885	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
82.	19.01.02	RJ07R 5886	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
83.	19.01.02	RJ07R 5887	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
84.	19.01.02	RJ07R 5888	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
85.	19.01.02	RJ07R 5889	Khanna	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
86.	19.01.02	RJ07R 5890	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
87.	19.01.02	RJ07R 5891	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
88.	19.01.02	RJ07R 5892	Khanna	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
89.	19.01.02	RJ07R 5893	Khanna	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
90.	19.01.02	RJ07R 5894	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
91.	24.04.02	RJ07R 6006	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
92.	24.04.02	RJ07R 6007	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
93.	24.04.02	RJ07R 6008	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
94.	24.04.02	RJ07R 6009	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
95.	24.04.02	RJ07R 6010	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi

1	2	3	4		5
96.	24.04.02	RJ07R 6011	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
97.	24.04.02	RJ07R 6012	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
98.	24.04.02	RJ07R 6013	Sarhind	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
99.	24.04.02	RJ07R 6014	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
100.	24.04.02	RJ07R 6015	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
101.	27.05.02	RJ07R 6052	Jhajar	Hariyana	Sh. Prakesh Singh Rathore
102.	27.05.02	RJ07R 6054	Jalandhar	Punjab	Sh. Prakesh Singh Rathore
103.	19.06.02	RJ07R 6076	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
104.	19.06.02	RJ07R 6077	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
105.	19.06.02	RJ07R 6078	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
106.	19.06.02	RJ07R 6079	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
107.	19.06.02	RJ07R 6080	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
108.	19.06.02	RJ07R 6081	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
109.	19.06.02	RJ07R 6082	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
110.	19.06.02	RJ07R 6083	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
111.	19.06.02	RJ07R 6084	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
112.	19.06.02	RJ07R 6085	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
113.	19.06.02	RJ07R 6086	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
114.	19.06.02	RJ07R 6087	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
115.	19.06.02	RJ07R 6088	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
116.	19.06.02	RJ07R 6089	Sarhind	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
117.	19.06.02	RJ07R 6090	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
118.	19.06.02	RJ07R 6091	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
119.	19.06.02	RJ07R 6092	Rajpura	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi

1	2	3	4		5
120.	31.07.02	RJ07R 6159	Khanna	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
121.	31.07.02	RJ07R 6160	Khanna	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
122.	31.07.02	RJ07R 6162	Khanna	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
123.	31.07.02	RJ07R 6163	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
124.	31.07.02	RJ07R 6164	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
125.	31.07.02	RJ07R 6165	Ludhiyana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
126.	31.07.02	RJ07R 6166	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
127.	31.07.02	RJ07R 6167	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
128.	04.01.03	RJ07R 6467	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
129.	04.01.03	RJ07R 6468	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
130.	15.03.04	RJ07R 6605	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
131.	15.03.04	RJ07R 6606	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
132.	15.03.04	RJ07R 6607	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
133.	15.03.04	RJ07R 6608	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
134.	15.03.04	RJ07R 6626	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
135.	15.03.04	RJ07R 6627	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
136.	15.03.04	RJ07R 6628	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
137.	15.03.04	RJ07R 6629	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
138.	15.03.04	RJ07R 6630	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
139.	15.03.04	RJ07R 6631	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
140.	15.03.04	RJ07R 6632	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
141.	15.03.04	RJ07R 6633	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
142.	15.03.04	RJ07R 6634	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
143.	15.03.04	RJ07R 6635	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
144.	15.03.04	RJ07R 6636	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi

1	2	3	4		5
145.	15.03.04	RJ07R 6637	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
146.	15.03.04	RJ07R 6638	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
147.	15.03.04	RJ07R 6639	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
148.	15.03.04	RJ07R 6640	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
149.	15.03.04	RJ07R 6641	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
150.	15.03.04	RJ07R 6642	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
151.	15.03.04	RJ07R 6643	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
152.	15.03.04	RJ07R 6644	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
153.	15.03.04	RJ07R 6645	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
154.	02.04.03	RJ07R 6670	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
155.	02.04.03	RJ07R 6671	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
156.	02.04.03	RJ07R 6672	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
157.	02.04.03	RJ07R 6673	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
158.	02.04.03	RJ07R 6674	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
159.	02.04.03	RJ07R 6675	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
160.	02.04.03	RJ07R 6676	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
161.	02.04.03	RJ07R 6677	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
162.	02.04.03	RJ07R 6678	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
163.	02.04.03	RJ07R 6679	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
164.	02.04.03	RJ07R 6680	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
165.	02.04.03	RJ07R 6681	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
166.	02.04.03	RJ07R 6682	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
167.	02.04.03	RJ07R 6683	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
168.	02.04.03	RJ07R 6684	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
169.	02.04.03	RJ07R 6685	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi

1	2	3	4		5
170.	02.04.03	RJ07R 6686	Moga	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
171.	02.04.03	RJ07R 6687	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
172.	02.04.03	RJ07R 6688	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
173.	02.04.03	RJ07R 6689	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
174.	02.04.03	RJ07R 6690	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
175.	02.04.03	RJ07R 6691	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
176.	02.04.03	RJ07R 6692	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
177.	02.04.03	RJ07R 6698	Khanna	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
178.	02.04.03	RJ07R 6699	Ludhiyana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
179.	21.04.03	RJ07R 6725	Samana	Punjab	Sh. P. S. Bishnoi
180.	06.05.03	RJ07R 6743	Jhajar	Hariyana	Sh. P. S. Bishnoi
181.	09.03.04	RJ07R 7455	Sirsa	Punjab	Sh. Prakesh Singh Rathore

जालौर जिले के पंचायतीराज अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतें

150. श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जालौर में पंचायत राज अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध गत पांच वर्षों में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राप्त शिकायतों में से जांच कर निस्तारित हो चुके प्रकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष प्रकरणों की शीघ्र जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालौर से प्राप्त एवं विभाग में उपलब्ध विचाराधीन प्रकरणों के अनुसार जिला जालौर में पंचायती राज अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध 29 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(2) इनमें से पांच प्रकरण निस्तारित हो चुके है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। शेष प्रकरणों में जांच कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	नाम व पद जिसके विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत प्राप्त होने की दिनांक
1	2	3
1.	श्री धूव्र सत्य अग्रवाल पूर्व विकास अधिकारी पं.स. जसवन्तपुरा	16.12.2000
2.	श्री धूव्र सत्य अग्रवाल पूर्व विकास अधिकारी पं.स. जसवन्तपुरा	1.8.2001
3.	श्री धूव्र सत्य अग्रवाल पूर्व विकास अधिकारी पं.स. जसवन्तपुरा	10.10.2001
4.	श्री प्रेमाराम आर.ए.एस. पूर्व विकास अधिकारी पं.स. भीनमाल	1.10.2002
5.	श्री विनोद कुमार पाण्डे पूर्व विकास अधिकारी पं.स. देसूरी	22.7.2002
6.	श्री केवल चन्द बृजवाल पूर्व विकास अधिकारी पं.स. रानीवाडा	15.12.2003
7.	श्री केवल चन्द बृजवाल पूर्व विकास अधिकारी पं.स. रानीवाडा	1.1.2004
8.	श्री केवल चन्द बृजवाल पूर्व विकास अधिकारी पं.स. रानीवाडा	23.1.2004
9.	श्री दिलीप गोहिल पूर्व विकास अधिकारी पं.स. जसवंतपुरा	17.1.2004
10.	श्री रामेश्वर प्रसाद भंडारी पूर्व विकास अधिकारी पं.स. भीनमाल	9.7.2004
11.	श्री रमेश कुमार रावल पूर्व कनिष्ट लेखाकार पं.स. सायला	17.1.2004
12.	श्री देवाराम पूर्व कनिष्ट लेखाकार पं.स. आहोर	1.9.2000
13.	श्री सन्तोष कुमार ग्राम सेवक पं.स. (जसवंतपुरा)	26.4.2001
14.	श्री करणाराम ग्राम सेवक पं.स. (जसवंतपुरा)	19.9.2000
15.	श्री सूरसिंह ग्राम सेवक पं.स. (जसवंतपुरा)	19.9.2000
16.	श्री केलाराम ग्राम सेवक पं.स. (जालौर)	
17.	श्री मेहराब खां ग्राम सेवक पं.स. (आहोर)	20.8.2000
18.	श्री नटवर लाल ग्राम सेवक पं.स. (आहोर)	14.8.2003
19.	ग्राम सेवक ग्राम पंचायत प्रतापपुरा (सांचोर)	8.10.2003
20.	ग्राम सेवक ग्राम पंचायत मेगलवा (सायला)	4.10.1999
21.	ग्राम सेवक ग्राम पंचायत डूंगरवा (भीनमाल)	16.4.2001
22.	ग्राम सेवक ग्राम पंचायत डूडसी (जालौर)	12.9.2001

1	2	3
23.	ग्राम सेवक ग्राम पंचायत घानता (सांचोर)	14.6.2001
24.	ग्राम सेवक ग्राम पंचायत कीलवा (सांचोर)	4.7.2001
25.	श्री केवाराम ग्राम सेवक ग्राम पंचायत घाणा (आहोर)	4.7.2001
26.	ग्राम सेवक ग्राम पंचायत चान्दुर पं.स. जसवन्तपुरा	22.5.2001
27.	ग्राम सेवक ग्राम पंचायत बाली पं.स. भीनमाल	8.4.2003
28.	श्री रामवीर सिंह ग्राम पंचायत बासडा	19.2.2002
29.	श्री आशीष कुमार ग्राम सेवक ग्राम पंचायत दयालपुरा पं.स. आंहोर	3.1.2001

परिशिष्ट "ब"

क्र. सं:	नाम व पद जिसके विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत प्राप्त होने की दिनांक
1.	श्री धूव्र सत्य अग्रवाल विकास अधिकारी पं.स. जसवन्तपुरा	16.12.2000
2.	श्री विनोद कुमार पाण्डे पूर्व विकास अधिकारी पं.स. देसूरी	22.7.2002
3.	श्री देवाराम पूर्व कनिष्ट लेखाकार पं.स. आहोर	1.9.2000
4.	ग्राम सेवक ग्राम पंचायत चान्दुर पं.स. जसवंतपुरा	22.5.2001
5.	श्री आशीष कुमार ग्राम सेवक ग्राम पंचायत दयालपुरा पं.स. आहोर	3.1.2001

पुलिस थाना नदबई का क्रमोन्नयन

151. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई में आये दिन हत्या एवं लूटपाट की वारदातें होती रहती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन घटनाओं की रोकथाम के लिए नदबई थाने को अपग्रेड कर अतिरिक्त पुलिस कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र नदबई में हत्या एवं लूटपाट की वारदातें हुयीं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

हत्या			लूट		
वर्ष	2001	8	वर्ष	2001	3
वर्ष	2002	9	वर्ष	2002	1
वर्ष	2003	9	वर्ष	2003	1

(गृह मंत्री)

वर्ष 2001 की अपेक्षा हत्या की घटनाओं में वर्ष-2002 एवं 2003 में एक-एक घटना की वृद्धि हुई। लूट की घटनाओं में वर्ष-2001 की घटनाओं की अपेक्षा 2002 व 2003 में दो-दो घटनाओं की कमी हुई है।

अत: वर्तमान में नदबई थाने को अपग्रेड कर अतिरिक्त पुलिस कार्यालय स्थापित करने का विचार नहीं है।

गंगरार के निजी भवनों में संचालित छात्रावास

152. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में विभाग द्वारा कहां-कहां छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं तथा प्रत्येक की छात्र क्षमता क्या है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में से कौन-कौन से छात्रावास कहां-कहां किस-किस मकान में कब-कब से किराए पर चल रहे हैं तथा प्रत्येक का किराया क्या है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त छात्रावासों में मानदण्ड के अनुसार समुचित सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि हां, तो क्या-क्या और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार निजी मकानों में चल रहे सरकारी छात्रावासों हेतु राजकीय भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में विभाग द्वारा गंगरार, साडास एवं राश्मी में छात्रावास संचालित किये जा रहे है तथा इनमें प्रत्येक की छात्र संख्या व स्थान का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	नाम छात्रावास व स्थान	छात्र क्षमता
1.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, गंगरार	50
2.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, साडास	40
3.	राजकीय विमुक्त एवं घुमन्तु जाति बालक छात्रावास, राश्मी	50

(2) गंगरार का छात्रावास राजकीय भवन में संचालित हैं। साडास का श्री छोटू लाल जैन के मकान में वर्ष 1999 से 1098/- रुपये प्रतिमाह किराये पर एवं श्री रामनारायण शर्मा के मकान में दिनांक 15.6.2002 से 1488/- रुपये प्रतिमाह पर

(समाज कल्याण मंत्री)

संचालित हैं एवं राश्मी का छात्रावास श्री लक्ष्मी लाल गिलुण्डीया के मकान में दिनांक 11.7.1991 से 1000/-रुपये प्रतिमाह किराये पर एवं श्री गौरी शंकर व्यास के मकान में दिनांक 16.9.2000 से 950/- रुपये प्रतिमाह किराये पर।

(3) जी नहीं। क्योंकि किराये के छात्रावास भवन में देय सुविधाओं के मापदण्ड अभी तक तय नहीं किये हुये हैं।

(4) जी हां। बजट की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में छात्रावासों हेतु भवन निर्माण के कार्य करवाये जाते हैं।

सराड़ा के राशन डीलरों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण

153. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर जिले में कितने राशन डीलर ऐसे हैं जिनके खिलाफ अनियमितता के मामले विचाराधीन हैं?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में राशन डीलरों के खिलाफ भेदभाव पूर्ण तरीके से जांच कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो किन-किन डीलरों के विरूद्ध क्या-क्या मामले दर्ज हुए एवं क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में कुल 1205 राशन डीलर हैं। कुल 120 डीलरों के खिलाफ अनियमितता के विभागीय प्रकरण विचाराधीन हैं।

(2) जी नहीं। तहसील सराड़ा क्षेत्र में अप्रेल, 2004 से अब तक कुल 36 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 14 प्रकरण निस्तारण किये गये हैं तथा 22 प्रकरण विचाराधीन हैं।

निस्तारित प्रकरणों की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है तथा विचाराधीन प्रकरणों की सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर

तहसील सराड़ा में उचित मूल्य दुकानदारों के विरुद्ध अप्रेल, 2004 से अब तक विभागीय कार्यवाही पत्रावलियों की सूची

				की गई कार्यवाही	
क्र.सं.	नाम डीलर	सेन्टर	विभागीय प्रकरण संख्या	फेसल दिनांक	प्रतिभूति राशि०
1.	वागालाल	उदयपुरिया	113/04	07/04/2004	100 रु.
2.	पृथ्वीराज जैन	झाड़ोल ए	228/04	26/05/2004	100 रु.
3.	हिम्मत सिंह	झूनीझर	160/04	29/06/2004	100 रु.
4.	अमरचन्द मीणा	पलोदड़ा	198/04	29/06/2004	300 रु.
5.	बालूलाल कलाल	नेवातलाई	199/04	29/06/2004	200 रु.
6.	यशवन्त कुमार	सदकड़ी	204/04	29/06/2004	200 रु.
7.	लेम्पस परसाद	परसाद-ए	205/04	29/06/2004	300 रु.
8.	अमरचन्द मीणा	पलोदड़ा	206/04	29/06/2004	200 रु.
9.	शंकरलाल मीणा	आम्बा महूड़ा	208/04	29/06/2004	200 रु.
10.	पन्नालाल कलाल	डायली	210/04	29/06/2004	300 रु.
11.	दौलतराम मीणा	कुण्डा बी	212/04	29/06/2004	300 रु.
12.	शंकर लाल मीणा	बुटवास	207/04	05/07/2004	200 रु.
13.	कालूलाल डांगी	श्यामपुरा	216/04	05/07/2004	200 रु.
14.	पेमा मीणा	नठारा बी	203/05	05/07/2004	200 रु.

ह./-

जिला कलक्टर

उदयपुर

परिशिष्ट-2

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर

तहसील सराड़ा में उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध विभागीय विचाराधीन प्रकरणों की सूची

क्र. सं.	नाम डीलर	सेन्टर	विभागीय प्रकरण	की गई कार्यवाही		
				FIR	निलम्बित	विचाराधीन
1.	शंकरलाल मीणा	बूटवास	विभागीय		निलम्बित	विचाराधीन
2.	अमरचन्द मीणा	पलोदड़ा	विभागीय			विचाराधीन
3.	धर्मेश जैन	देवपुरा ए	विभागीय			विचाराधीन
4.	भीमराज डांगी	धावड़िया	विभागीय			विचाराधीन
5.	नानालाल पटेल	थाणा	विभागीय			विचाराधीन
6.	धूलीराम डांगी	बाणा खुर्द	विभागीय		निलम्बित	विचाराधीन
7.	लालूराम	खरड़	विभागीय			विचाराधीन
8.	झमकलाल जैन	रठौड़ा	विभागीय			विचाराधीन
9.	मनोहर सिंह	मल्लाड़ा	विभागीय			विचाराधीन
10.	मोड़ीलाल	बड़गांव	विभागीय			विचाराधीन
11.	खूबीलाल	सल्लाड़ा ए	विभागीय		निलम्बित	विचाराधीन
12.	राम सिंह	खाखरिया	विभागीय		निलम्बित	विचाराधीन
13.	जीवतराम पटेल	सल्लाड़ा बी	विभागीय		निलम्बित	विचाराधीन
14.	सवाराम मीणा	गामड़ी	विभागीय		निलम्बित	विचाराधीन
15.	शंकरलाल मीणा	आम्बा महूड़ा	विभागीय		निलम्बित	विचाराधीन
16.	रूपलाल मीणा	गातोड़	विभागीय			विचाराधीन
17.	शंकरलाल मीणा	ईटाली	विभागीय		निलम्बित	विचाराधीन
18.	कालूलाल मीणा	डींगरी	विभागीय			विचाराधीन
19.	कालूलाल मीणा	डींगरी	विभागीय		निलम्बित	विचाराधीन
20.	भीमराज कलाल	ओड़ा	विभागीय		निलम्बित	विचाराधीन
21.	संवा राम मीणा	गामडी	विभागीय		निलम्बित	विचाराधीन
22.	राम सिंह मीणा	खाखडिया	विभागीय		निलम्बित	विचाराधीन

ह./-

जिला कलक्टर

उदयपुर

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उदयपुर जिले में खानों के आबंटन में व्याप्त अनियमितताएं

183. डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1990 एवं 1993 के बीच राजसमन्द व उदयपुर जिलों में कुछ खानों के आबंटन में हुई अनियमितताओं व भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो कब-कब एवं किस-किस के द्वारा? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उन शिकायतों की जांच की गई? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या रहे? जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां वर्ष 1990 से 1993 के बीच राजसमन्द जिले में कुछ खानों के आबंटन में अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हुई है जिनकी प्रति अनेक्चर "अ" पर है :-

शिकायत क्र.सं.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत की दिनांक	विवरण
1.	श्री लालसिंह, पेमा, प्रेमसिंह, रामा इत्यादि स्थान-जयपुर	9.1.1990	शिकायत की प्रति संलग्न।
2.	समस्त ग्राम वासीयन हिम्मतलाल, रामलाल, कुन्दन इत्यादि।	15.5.1990	—एजन—
3.	राजस्थान पत्रिका के दिनांक 5.7.1990 के अंक में प्रकाशित।	5.7.1990	—एजन—
4.	श्री रतनलाल जागेटिया, निवासी-भीलवाड़ा	18.12.1992	—एजन—
5.	भीलवाडा सन्देश समाचार पत्र के दि. 6.11.95 के अंक में प्रकाशित।	6.11.1995	—एजन—

उदयपुर जिले की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(2) जी हां शिकायतों की जांच की गई जिसके जांच परिणाम निम्नानुसार है तथा जांच की प्रितयां अनेक्चर "ब" पर संलग्न है।

शिकायत क्र.सं.	जांच परिणाम
1.	प्रकरण में कोई दोष व अनियमितता नहीं होने से दिनांक 27.7.1994 को प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
2.	शिकायत सही पाई गई। फलस्वरूप श्री पारस लाल सुथार, कनिष्ठ मानचित्रकार को निदेशालय के आदेश दिनांक 5.12.1998 द्वारा राज्य सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है।
3.	आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण शासन के पत्र क्रं.प.6(3)खान/ ग्रुप-1/2000 दिनांक 12.10.2000 द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया।
4.	शासन के पत्र क्रं.प6(5)खान/ग्रुप-1/90 दिनांक 2.3.2001 के द्वारा प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
5.	श्री विजय कुमार त्रिपाठी, कनिष्ठ मानचित्रकार व श्री नन्दलाल पालीवाल, कार्यालय सहायक को सीसीए नियम-17 के अन्तर्गत निदेशालय के पत्र क्र. 397 दिनांक 24.3.2003 व 398 दिनांक 29.3.2003 द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं। जांच चल रही है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अजमेर क्षेत्र में जिंक खनन

184. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर के नजदीक हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और अन्य कम्पनी को जिंक माईनिंग (खनन) के लिये लीज दी गई है? यदि हां, तो किस-किस कम्पनी को विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) लीज धारी कम्पनियां खनन कार्य अब कब से शुरू करेंगी?

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर में कायड़ गांव के निकट हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के पक्ष में एक खनन पट्टा खनिज लेड व जिंक का दिनांक 28.2.1998 से दिया हुआ है। अन्य किसी कम्पनी को खनन हेतु लीज नहीं दी हुई है।

(2) इस क्षेत्र में वर्तमान में पट्टाधारी द्वारा जिंक-लेड खनिजों के भण्डारों की खोज एवं आंकलन का कार्य किया जा चुका है, जो खनन कार्य का ही भाग है तथा इसके पूर्ण होने के पश्चात् क्षेत्र की "फिजीबिलिटी रिपोर्ट" के आधार पर पट्टाधारी खनिज उत्पादन प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अपना निर्णय लेगा।

राज्य में चाइना क्ले की खानें

185. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने भू-भाग पर कितने लोग अवैध खनन कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत वर्ष कितने अवैध खनन कर्ताओं के विरूद्ध मुकदमें दर्ज हुये व कितनों को सजा हुई?

(3) राज्य में चाइना क्ले की कितनी खानें स्वीकृत हैं? उनमें कितनी मात्रा में गत एक वर्ष में खनन कार्य किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में चाइना क्ले प्रोसेस करने के कितने कारखानें चल रहे हैं तथा उनसे प्रति वर्ष कितना-कितना चाइना क्ले प्रोसेस किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जब भी कोई व्यक्ति० बिना अधिकार के खनन कार्य करता है तो वह अवैध खनन की श्रेणी में आता है। अत: यह बताया जाना कि कितने भू-भाग पर व कितने लोग अवैध खनन कर रहे हैं, सम्भव नहीं है। विभाग द्वारा जांच में वर्ष 2002-2003 में व 2003-2004 में निम्न प्रकार अवैध खनन के प्रकरण पाये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	कुल पाये गये अवैध खनन के प्रकरण	एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई की संख्या
2002-03	674	55
2003-04	566	33

(2) गत वर्ष 33 मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन इन प्रकरणों में अभी सजा किसी को नहीं हुई।

(3) राज्य में 66 चायना क्ले की खानें स्वीकृत हैं। इन खानों से गत वर्ष 2,87,000/- टन खनिज का खनन कर उत्पादन किया गया।

(4) प्रदेश में चायना क्ले प्रोसेज करने के 3 कारखानें है। विभाग इस तरह के कोई आंकड़े नहीं रखता है कि कितना चाइना क्ले प्रोसेस किया गया है।

पुलिस थाना रेनवाल (जयपुर) में दर्ज बलात्कार प्रकरण

186. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर ग्रामीण पुलिस थाना रेनवाल में दर्ज प्रकरण एफ.आई.आर. नं. 22/4 अनुसूचित जाति की महिला शारदा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार काण्ड में कुल

(श्री बाबूलाल नागर)

कितने मुलजिम शामिल हैं पुलिस ने अभी तक कितने मुलजिमों को गिरफ्तार किया और शेष अभियुक्तों को कब तक गिरफ्तार कर लिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बलात्कारियों की धमकी तथा जघन्य अमानवीय अपराध के भय से पीड़ित महिला की स्थिति काफी खराब हो गयी और मानसिक शारीरिक स्थिति खराब होने के कारण पीड़ित महिला कलमबद्ध बयान धारा 164 के भी न्यायालय के समक्ष काफी समय तक देने की स्थिति में नहीं थीं? क्या सरकार पीड़िता को चिकित्सा व्यवस्था व सुरक्षा उपलब्ध कराने का विचार रखती है तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के 164 के बयानों के अन्तर्गत अन्य मुलजिमों को विशेष टीम बनाकर तुरन्त गिरफ्तार करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार बलात्कार पीड़ित परिवार को जीवन यापन करने के लिये कम से कम पांच लाख रुपये की सहायता राशि तथा परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पुलिस थाना रेनवाल पर दर्ज प्रकरण एफ.आई.आर. नं. 22/4 में अनुसूचित जाति की महिला शारदा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार काण्ड में निम्न मुलजिमान शामिल है:-

(1) मुरली पुत्र श्री रामदेव जाट, उम्र 46 साल, निवासी बधाल

(2) रिछपाल पुत्र श्री गोविन्द राम जाट, उम्र 22 साल, निवासी बधाल

(3) बनवारी पुत्र श्री रतन लाल जाट, उम्र 26 साल, नि. भोपतपुरा, थाना रींगस

(4) शंकर पुत्र श्री जगदीश जाट, उम्र 20 साल, नि. ठिकरिया, थाना रींगस

(5) औंकार पुत्र श्री भगवानाराम जाट, उम्र 21 साल. नि. बुधसिंह वाली तन कोटडी धायलान, थाना रींगस

(6) सुभाष व चार पांच अन्य।

पुलिस द्वारा क्र.सं. 1 से 5 तक के कुल पांच मुलजिमानों को गिरफ्तार किया गया है, शेष मुलजिमान की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

(गृह मंत्री)

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि बलात्कारियों की धमकी तथा जघन्य अमानवीय अपराध के भय से पीड़ित महिला की स्थिति काफी खराब हो गयी और मानसिक शारीरिक स्थिति खराब होने के कारण पीड़ित महिला कलमबद्ध बयान धारा 164 जाप्ता फौजदारी के भी न्यायालय के समक्ष काफी समय तक देने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे प्रकरणों में पीड़िता को नियमानुसार चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है और सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक होने अथवा सम्बन्धित पक्षकार द्वारा चाहने पर नियमानुसार उपलब्ध होती है।

वस्तुत: पीड़िता द्वारा 164 जा.फौ. के अन्तर्गत दिये गये बयानों में अन्य मुलजिमों के नाम व पते नहीं बताये जाने के कारण उन्हें गिरफ्तार करने हेतु विशेष टीम बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(3) विद्यमान आदेशों के अन्तर्गत बलात्कार पीड़िता को अधिकतम 1,00,000/- रुपये की आर्थिक सहायता के रूप में जिला कलक्टर को स्वविवेक आधार पर स्वीकृत करने हेतु अधिकृत हैं। प्रकरण में पीड़िता को जिला कलक्टर द्वारा रु. 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र) आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा चुकी है। नियमों में सरकारी नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है।

जयपुर शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम

187. श्री बृज किशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जयपुर शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने हेतु यातायात व्यवस्था में सुधार का विचार रखती है? यदि हां; तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जयपुर शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने हेतु यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस जयपुर शहर द्वारा कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की जा रही है। कार्य योजना का विवरण क्रमश: परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के निजी चिकित्सालयों/चिकित्सकों के विरूद्ध लम्बित प्रकरण

188. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर नगर निगम सीमा में संचालित निजी चिकित्सालयों के मालिकों अथवा चिकित्सकों के विरूद्ध गत 6 वर्षों में किन-किन धाराओं में विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कितने मुकदमें दर्ज किये गये उनमें कितने चिकित्सक पकड़े गये और कितनों के अदालत में चालान पेश किये गये तथा कितनों में चालान पेश करना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मुकदमों में से कितनों में फैसले हुये और कितनों में सजा हुई तथा कितनों में बरी किये गये तथा कितनों के विरूद्ध अदालत में मुकदमें चल रहे है? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जयपुर नगर निगम सीमा में संचालित निजी चिकित्सालयों के मालिकों अथवा चिकित्सकों के विरूद्ध वर्ष 1998 से दिसम्बर 2003 तक कुल 41 प्रकरण विभिन्न पुलिस स्टेशनों में अन्तर्गत धारा 304, 354, 509, 420, 511, 304ए, 419 भादस व 15(2) भा.चि. परिषद् अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीबद्ध किए गये जिन में कुल 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पंजीबद्ध प्रकरणों में से 25 प्रकरणों में 33 अभियुक्तों का चालान अदालत में पेश किया गया। एक प्रकरण पैंडिंग पुलिस है।

(2) उक्त चालान किए गये प्रकरणों में से अदालत द्वारा 2 प्रकरणों में फैसला किया गया है। उक्त दोनों प्रकरणों में 3 अभियुक्तों को बरी किया गया है। सजा किसी भी अभियुक्त को किसी भी प्रकरण में नहीं हुई है। अदालत में 23 अभियोगों में कुल 30 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं।

दर्ज प्रकरणों की संख्या	एफ आर.	पैंडिंग	चालान	गिरफ्तार अभियुक्त की संख्या	सजा		बरी		पेन्डिंग कोर्ट	
					अभियोग	मुल्जिम	अभियोग	मुल्जिम	अभियोग	मुल्जिम
41	15	1	25	33	—	—	2	3	23	30

हिण्डौन थाना व सुरौठ थाना में लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज प्रकरण

189. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि थाना हिण्डौन एवं थाना सुरौठ में लोक सभा चुनावों में अनुसूचित जाति के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई, उनमें से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि थाना हिण्डौन एवं थाना सुरौठ में लोकसभा चुनावों में अनुसूचित जाति के लोगों को वोट नहीं डालने दिया। अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति द्वारा इस सम्बन्ध में उक्त थानों पर कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई।

(2) इस सम्बन्ध में थाना हिण्डौन एवं थाना सुरौठ में कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी गई है। अत: जिला पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में न ही किसी को गिरफ्तार किया गया है और न जिला पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का विचार रखती है।

जहाजपुर (भीलवाड़ा) थाना प्रभारी के विरूद्ध दर्ज शिकायत

190. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 28 फरवरी, 2004 को सरपंच ग्राम पंचायत बेई, भीलवाड़ा के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन जहाजपुर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में भाग लेने वाले वार्ड मेम्बरों को पुलिस वाहन में बिठाकर सभा स्थल के अन्दर तक ले जाने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो यह शिकायत कब प्राप्त हुई एवं शिकायत पर अब तक क्या जांच/कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शिकायत की मजमें आम में जांच करवाकर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हां। दिनांक 16.4.2004 को पुलिस अधीक्षक जिला भीलवाड़ा को शिकायत प्राप्त होने पर इसकी जांच करवाई गई। जांच से सरपंच के विरूद्ध मतदान के लिए कांग्रेस के वार्ड मेम्बरों को पुलिस वाहन से लाने का आरोप सत्य नहीं पाया गया।

(2) जांच के उपरान्त शिकायत असत्य पाये जाने के कारण थानाधिकारी श्री खेमराज पुलिस निरीक्षक के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है।

बूंदी जिले में जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र प्रकरण

191. श्री रामनारायण मीणा (नैनवा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 1997 से मार्च 2002 तक जिला बून्दी में आर्म्स लाइसेन्स हेतु किन -किन व्यक्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुये?

(2) उक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्रों में से कितने व्यंक्तियों को आर्म्स लाइसेन्स जारी कर दिये गये? सूची आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक तथा लाइसेन्स जारी करने की तिथि सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) लाइसेन्स जारी करने के लिये क्या मानदण्ड है तथा क्या उन्हें लाइसेन्स जारी करने में अपनाया गया? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त शेष रहे लम्बित आवेदन पत्रों पर लाइसेन्स जारी क्यों नहीं किये गये? कारणों सहित लम्बित आवेदन पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि बून्दी जिले में बून्दी जिले के बाहर के व्यक्तियों को भी आर्म्स लाइसेन्स जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्रों में से ऐसे कितने व्यक्तियों को लाइसेन्स जारी किये गये जिनके पास पूर्व से ही आर्म्स लाइसेन्स है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 1997 से मार्च 2002 तक जिला बूंदी में आर्म्स लाइसेन्स हेतु 1729 व्यक्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में 802 व्यिक्तयों को आर्म्स लाइसेन्स जारी कर दिये गये। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक तथा लाईसेन्स जारी करने की तिथि सहित सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(3) राज्य में हथियारों के लाइसेन्स प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को आर्म्स एक्ट 1959 एवं आर्म्स रूल्स, 1962 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करने पर पुलिस अधीक्षक से आवेदन के चरित्र सत्यापन, आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी, जहां आवश्यक हो राज्य विशेष शाखा की जांच रिपोर्ट व आवश्यकतानुसार अन्य प्राप्त जांच रिपोर्टो औचित्य की पृष्टि व सन्तुष्टि उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाइसेन्स जारी किया जाता है।

सीमान्त एवं संवेदनशील जिलों में राज्य विशेष शाखा (इन्टे.) की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात ही लाइसेन्स जारी किये जाते हैं। उक्त मापदण्डो को इन्हें लाइसेन्स जारी किये जाने से पूर्व अपनाया गया है।

(4) लम्बित आवेदन पत्रों में वांछित औपचारिकताएं/जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण लाइसेन्स जारी नहीं किये गये। कारण सहित सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(5) जी हां। बूंदी जिले में, बूंदी जिले के बाहर से 18 व्यक्तियों को आर्म्स लाइसेन्स उनके बूंदी में राज्य सेवा में पदस्थापित होने के कारण जारी किये गये। सूची परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(6) पूर्व से ही प्राप्त आर्म्स लाइसेन्सधारियों को पुन: लाइसेन्स जारी नहीं किये गये हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

उदयपुर जिले की पुलिस चौकियों पर स्वीकृत मोटर साइकिलें

192. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की पुलिस चौकियों पर मोटर साइकिलें दी गई थी? यदि हां, तो कहां-कहां पर? क्या वर्तमान में उक्त मोटर साइकिलें उन्हीं चौकियों पर उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

यह सही है कि उदयपुर जिले की पुलिस चौकियों पर मोटर साइकिलें आबंटित की गई थी। मोटर साइकिल जिन-जिन चौकियों को आबंटित की गई है, उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। वर्तमान में उक्त मोटर साइकिलें उन्हीं चौकियों पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट (अ)

पुलिस चौकियों के लिये आबंटित मोटर साइकिलों की सूचना-जिला उदयपुर

क्र. सं.	मोटर साइकिल संख्या	मय	पुलिस चौकी का नाम
1.	आरजे 27-12एम-6007	बुलट	देवारी (थाना प्रतापनगर)
2.	आरजे 27-12एम-6009	—"—	फतहपुरा (थाना अम्बामाता)
3.	आरजे 27-12एम-6013	—"—	किशनपोल (थाना सुरजपोल)
4.	आरजे 27-18एम-8022	सुजुकी टी. वी.एस.	गिंगला (थाना सलुम्बर)
5.	आरजे 27-18एम-6040	—"—	टिडी (थाना गोवर्धन बिलास)
6.	आरजे 27-12एम-6028	—"—	छाणी (थाना खैरवाड़ा)
7.	आरजे 27-12एम-6029	—"—	ईसवाल (थाना गोगुन्दा)
8.	आरजे 27-12एम-6033	—"—	कल्याणपुर (थाना रिखबदेव)
9.	आरजे 27-12एम-6035	—"—	भबराना (थाना झल्लारा)
10.	आरजे 27-12एम-6043	—"—	बड़गांव (थाना नाई)
11.	आरजे 27-12एम-6044	—"—	सुखेर (थाना अम्बामाता)
12.	आरजे 27-12एम-6046	—"—	पलोदड़ा (थाना जावर-माईन्स)
13.	आरजे 27-12एम-6049	—"—	परसाद (थाना रिखबदेव)
14.	आरजे 27-12एम-6056	—"—	गांवडा पाल (थाना सलुम्बर)

पुलिस थाना सदर (बीकानेर) में दर्ज प्रकरण

193. श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

बीकानेर के थाना सदर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 99/2003 अन्तर्गत धारा 302 आई.पी.सी. के तहत दर्ज मुकदमें में कितने मुल्जिम गिरफ्तार हुए तथा प्रकरण की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

दिनांक 31.3.2003 को 5 पी.एम. पर श्री बनवारी लाल पुत्र श्री बस्तीराम जाति विश्नोई निवासी जैगला थाना नोखा के पर्चा बयान पर अभियोग संख्या 99/03, धारा 302; 147, 148, 149, 323 भादस. में थाना सदर बीकानेर में दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया गया दौराने अनुसंधान अभियुक्त (1) श्रवणराम, (2) मदनलाल को गिरफ्तार किया जाकर अपराध में प्रयोग किये गये हथियार लाठी, बांस-बरामद की गई और जे/सी करवाया गया। शेष अभियुक्त (1) हनुमानराम (2) बनवारी लाल (3) हेतराम (4) मांगीलाल (5) गोपीराम के विरूद्ध उक्त जुर्म करना पाया गया। जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये गये जो फरार है। गिरफ्तार मुल्जिम श्रवण व मदनलाल की गिरफ्तारी को 90 दिन होने से दोनों के विरूद्ध चार्जशीट दिनांक 24.7.2003 को न्यायालय में पेश की गई।

वर्तमान में अभियोग का अनुसंधान सी.आई.डी. (सी.बी.) में अति. पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से कराया जा रहा है। अनुसंधान जारी है।

टोडाभीम में वन कर्मियों द्वारा अनियमितताएं

194. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के गुढाचन्द्र रेंज पर वन कर्मियों द्वारा जंगलात के अन्दर ठेकेदारों द्वारा अवैध खनन करवाया जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि निजी मकान एवं कूप निर्माण के लिये किसान एवं मजदूरों द्वारा ले जा रहे पत्थरों की वन कर्मियों द्वारा मनमानी राशि वसूल की जाती है?

(3) क्या सरकार ऐसे दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। (परिपत्र संलग्न)

(2) जी नहीं। निजी मकान एवं कूप निर्माण हेतु राज्यादेश संख्या 701(9)वन/96 जयपुर, फरवरी, 2000 के द्वारा अधिकार और रियायतों के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये हुऐ हैं। इन निर्देशों की अवहेलना होने पर विभाग द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रचलित नियमों के अनुसार विभागीय कार्यवाही की जाकर जुर्माना वसूल किया जाता है अथवा कोर्ट चालान किया जाता है।

(3) वर्तमान में कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी इस प्रकार का दोषी नहीं पाया गया है। दोषी पाये, जाने पर उनके विरूद्ध राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत निश्चित रूप से कार्यवाही की जावेगी।

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक:-प.1(9)वन/96

जयपुर, दिनांक

परिपत्र

अधिकार एवं रियायत धारकों द्वारा घरेलू उपयोग हेतु चेजा पत्थर वन क्षेत्र से लाने का प्रकरण राज्य सरकार में लम्बे समय से विचाराधीन था। इस विषय में सम्बन्धित नियम, अधिनियमों का अध्ययन करने के पश्चात् निम्न दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते है:-

(1) केवल अधिकार धारक (जिनके अधिकार सम्बन्धित वन क्षेत्र के लिये अनुज्ञेय/ स्वीकार किये गये है) ही वन क्षेत्र से चेजा पत्थर एकत्रित कर सकेगे।

(2) ग्रामीण केवल घरेलू उपयोग के लिये ही पत्थर ले जा सकेंगे। किसी भी प्रकार के व्यवसायिक उपयोग हेतु पत्थर ले जाने पर रोक होगी।

(3) पत्थर ले जाने सम्बन्धित अधिकारों, रियायतों एवं विशेष अधिकार के तहत अधिकार के तहत अधिकार धारक को वन भूमि में पेड़ काटने या भूमि खुदाई की अनुमति नहीं होगी।

(4) पत्थर केवल हाथों से (मेनुअली) इकट्ठे किये जा सकेंगे। मशीनों द्वारा पत्थर इकट्ठे किये जाने की अनुमति नहीं होगी।

(5) उक्त प्रकार से एकत्रित पत्थरों का परिवहन केवल स्थानीय वाहनों यथा बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि द्वारा ही किया जा सकेगा। ट्रक, ट्रेक्टर द्वारा पत्थरों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी।

(6) इस सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी, नाकेदार/वनपाल अधिकार धारक के नाम नियमानुसार एक अनुमति पत्र जारी करेगा जिसमें हटाये जाने वाले पत्थरों की मात्रा, स्थान का नाम जहां से पत्थर हटाया जायेगा व जहां उक्त पत्थर उपयोग में लाया जायेगा का उल्लेख होगा। अनुमति पत्र नि:शुल्क जारी किया जायेगा।

पत्थरों के रात्रि परिवहन (सूर्यास्त से सूर्योदय तक) की अनुमति नहीं होगी।

तारानगर में अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत चयनित व्यक्ति

195. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत तहसील

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

तारानगर एवं राजगढ़ में कितने व्यक्ति पात्र हैं व इनमें से कितने व्यक्तियों का चयन किया हुआ है तथा गत माह में कितने व्यक्तियों को गेहूं का वितरण किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चयन प्रक्रिया में बरती गई उदासीनता के कारण कई असहाय व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित रह गये हैं? यदि हां, तो इस उदासीनता के लिए कौन उत्तरदायी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में तारानगर तहसील में 298 व्यिक्त एवं राजगढ़ तहसील की 17 ग्राम पंचायतों में 78 व्यक्ति चयनित हैं। इस प्रकार कुल 376 व्यक्तियों का चयन किया हुआ है। माह मई, 2004 में विधान सभा क्षेत्र तारानगर में अन्नपूर्णा योजना के सभी चयनित व्यक्तियों हेतु उचित मूल्य दुकानों को गेहूं उपलब्ध करवाया जा चुका है।

(2) जी नहीं। भारत सरकार के निर्देशानुसार पात्र व्यक्तियों का चयन किया गया है। चयन प्रक्रिया में कोई उदासीनता नहीं बरती गई है।

सलूम्बर में उचित मूल्य की दुकानें

196. श्री अर्जुनलाल मीणा (सलूम्बर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में उचित मूल्य की नई दुकान खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उचित मूल्य की दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो सलूम्बर तहसील में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उचित मूल्य की दुकानें खोली जावेंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने की नई नीति का निर्धारण विभाग के विचाराधीन है। नीति निर्धारण होने पर उचित मूल्य की दुकानें खोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जावेगी।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) ग्राम बोरी पंचायत कल्याणा, तहसील सलूम्बर में उचित मूल्य दुकान खोलने का प्रस्ताव उपखण्ड स्तर पर दिनांक 15.6.2004 को प्राप्त हुआ है।

(3) हां। सलूम्बर तहसील की सभी पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं। ग्राम पंचायत गटेड़ की दुकान ग्राम सुथारिया में तथा ग्राम पंचायत आमलवा की दुकान ग्राम झिंझरणी व जोधपुर में कार्यरत हैं। दोनों पंचायतें नई सृजित हुई हैं, दुकानें पूर्व से ही कार्यरत हैं।

गंगरार की उचित मूल्य की दुकानों में व्याप्त अनियमितताएं

197. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार के ग्राम सुआनियां में स्थित उचित मूल्य की दुकानें किस-किस व्यक्तिः के नाम हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त लाइसेन्सधारियों के परिवार के अन्य लोगों के नाम भी अन्य स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें हैं? यदि हां, तो कहां-कहां, किस -किस के नाम? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम सुआनियां की उचित मूल्य की दुकान गोदाम में अवैध गेहूं एवं कैरोसीन पकड़ा गया था? यदि हां, तो कितना-कितना व कब-कब? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने उक्त डीलर के विरूद्ध कोई कार्यवाही की? यदि हां, तो क्या एवं कब व नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अब उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं. तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में ग्राम सुआनिया स्थित उचित मूल्य की दुकान वर्तमान में अस्थाई दुकानदार श्री घनश्याम सिंह सेंटर बौगावाडी के नाम है। पूर्व में उक्त दुकान श्री महेश कुमार मैनारिया के नाम थी। श्री मैनरिया की उचित मूल्य की दुकान सुवानिया से सेंटर सारण तथा सेंटर डेट की अस्थाई व्यवस्था भी सम्बद्ध थी।

(2) जी नहीं। ग्राम सुआनिया में उक्त लाईसेंसधारी श्री घनश्याम सिंह सेंटर बौगावाडी के परिवार के अन्य लोगों के नाम पर कहीं भी उचित मूल्य की दुकान नहीं है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) जी हां। यह सही है कि ग्राम सुआनिया की उचित मूल्य की दुकान गोदामों में सरकारी गेहूं व केरोसीन अवैध भण्डारण के रूप में पकड़ा गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

1. ग्राम सुआनिया में 5940.03 क्विंटल अकाल राहत का गेहूं तथा 70 लीटर केरोसीन दिनांक 8.7.2003 से 17.7.2003 के मध्य जांच कार्यवाही के दौरान अनाधिकृत गोदाम से बरामद किया गया।
2. ग्राम पुठौली से 383.22 क्विंटल अकाल राहत का गेहूं तथा 1720 लीटर केरोसीन दिनांक 16.7.2003 को जांच कार्यवाही के दौरान अनाधिकृत गोदाम से बरामद किया गया।
3. ग्राम आछोडा से 401.73 क्विंटल अकाल राहत का गेहूं तथा 2205 लीटर केरोसीन दिनांक 17.7.2003 को जांच कार्यवाही के दौरान अनाधिकृत गोदाम से बरामद किया गया था।

(4) हां। तीनों उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र जिला कलक्टर द्वारा 90 दिवस के लिये निलम्बित किये जाकर निरस्त किये जा चुके हैं। श्री महेश कुमार मैनारिया से सम्बन्धित सारण एवं डेट सेंटरों की अस्थाई व्यवस्था भी समाप्त की जा चुकी है। तीनों के विरूद्ध सम्बन्धित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। तीनों के विरूद्ध गबन की गयी राशि की वसूली हेतु जिला कलक्टर न्यायालय में पी.डी.आर. एक्ट के तहत प्रकरण दायर किये गये हैं।

बयाना की उचित मूल्य की दुकानें

198. श्री अतर सिंह भडाना (बयाना) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना में किन-किन स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी उचित मूल्य की दुकानें राशन सामग्री का समय पर वितरण कर रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि पिछले पांच सालों में उक्त क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों में अनियमितताओं की जानकारी सरकार के ध्यान में आई है? यदि हां, तो क्या-क्या और सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना में निम्न 30 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानें हैं:-

1. कलसाड़ा	2. कैर	3. खानखेड़ा	4. बागरैन	5. जसपुरा
6. मोरोली	7. खरैरी	8. गाजीपुर	9. समोगर	10. धाधरैन
11. महारावर	12. खुंटखेड़ा	13. कमूरामलूका	14. कारवारी	15.शेरगढ़
16. थाना डुंग	17. शाहपुरा	18. जसौरा	19. तरसूमा	20. तुरतीपुरा
21. कोट	22. गुढ़ीवाजना	23. कनावर	24. बिडयारी	25. सीदपुर
26. ब्रह्मवाद	27. नागौली	28. पुरावईखेड़ा	29. सिंघाड़ा	30. हरनगर।

(2) जी हां। सभी उचित मूल्य की दुकानें निर्धारित समय पर आबंटित राशन सामग्री का उपभोक्ताओं को वितरण कर रही हैं।

(3) जी हां। पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल 98 उचित मूल्य की दुकानों की नियमित जांच के दौरान वितरण में अनियमिततायें पाये जाने पर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की गई। 15 उचित मूल्य की दुकानों के प्राधिकार पत्र निलम्बित किये जाकर 10 उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये। 5 मामले विभागीय कार्यवाही में विचाराधीन चल रहे हैं।

निवाई एवं फुलेरा की उचित मूल्य की दुकानें

199. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई एवं फुलेरा में उचित मूल्य की दुकानें कहां-कहां व किस-किस व्यक्तिः को आबंटित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 वर्षों में उक्त दुकानों में किस-किस राशन डीलर के विरूद्ध भ्रष्टाचार या अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुयी अथवा निरीक्षण के दौरान अनियमितताऐं पाई गयी? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शिकायतों के आधार पर किस-किस डीलर के विरूद्ध किस-किस प्रकार की जांच की गई तथा उसमें कौन-कौन से डीलर दोषी पाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) दोषी डीलरों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई एवं अब क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में शहरी क्षेत्र में 15 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 69 कुल 84 व्यक्तियों व विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में 92 व्यक्तियों को उचित मूल्य दुकानें आबंटित हैं। सूची परिशिष्ट (क) पर संलग्न है।

(2) गत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र निवाई के 62 एवं फुलेरा के 46 डीलरों के विरूद्ध जांच की गई, जो कि नियंत्रित वस्तुयें-चीनी, केरोसीन, तेल, गेहूं के वितरण में अनियमिततायें, दुरूपयोग एवं कालाबाजारी एवं रिटर्न समय पर प्रस्तुत नहीं करना, कूपनों का हिसाब नहीं देना व 20 मजदूरों को निर्धारित मात्रा से 2-2 किग्रा. गेहूं कम देना सम्बन्धित अनियमितताओं के प्रकरण हैं। सूची परिशिष्ट (ख) पर संलग्न है।

(3) विवरण परिशिष्ट (ख) में दर्शाया गया है।

(4) विधान सभा क्षेत्र निवाई के 62 डीलर दोषी पाये जाने पर 2 डीलरों का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया, 8 डीलरों का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया, 4 डीलरों के विरूद्ध 3/7 के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी, 48 डीलरों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के वर्तमान में 18 राशन डीलरों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है, 1 प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी जिसमें बाद तफतीस एफ.आर. लग चुकी है तथा 27 डीलरों में से जो डीलर विभागीय कार्यवाही के तहत दोषी पाये गये, उनकी धरोहर राशि में से कुछ राशि जब्त राज्य की गयी।

सूची परिशिष्ट (ख) पर संलग्न है।

(सूची व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

राज्य बीमा निगम माडल चिकित्सालय, जयपुर में पदस्थापित नेत्र चिकित्सक का बकाया वेतन भुगतान प्रकरण

200. श्री मदन मोहन सिंघल (कामां) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्र दिनांक 6 अगस्त, 2003 द्वारा वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) का पदस्थापन कर्मचारी राज्य बीमा निगम माडल चिकित्सालय, जयपुर में दिनांक 31 अगस्त, 2003 को सेवा निवृत्त होने वाले चिकित्सक के रिक्त पद के विरूद्ध किया गया था? यदि हां, तो उक्त चिकित्सक द्वारा किस तिथि को कार्यभार सम्भाला गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभागीय प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण उक्त चिकित्सक का पदस्थापन कर्मचारी राज्य बीमा निगम माडल चिकित्सालय, जयपुर में किया गया?

(श्री मदन मोहन सिंघल)

(3) उक्त चिकित्सक को दिनांक 1 सितम्बर, 2003 से 24 सितम्बर, 2003 तक के वेतन का भुगतान बीमा निगम माडल चिकित्सालय द्वारा इनके कार्यभार सम्भालने के बाद भी क्यों नहीं किया गया?

(4) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सक के 24 दिन के वेतन के भुगतान हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम माडल चिकित्सालय दिनांक 17 मार्च, 2004 एवं 31 मार्च, 2004 को आदेश जारी कर वरिष्ठ विशेषज्ञ "नेत्र" के रिक्त पद के विरूद्ध आहरित के आदेश जारी किए गए हैं? यदि हां, तो क्या उक्त चिकित्सक को आदेशों की पालना बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त चिकित्सक को दिनांक 1 सितम्बर, 2003 से 24 सितम्बर, 2003 तक 24 दिन के वेतन का भुगतान (विभागीय प्रशासनिक प्रक्रिया) के हुए विलम्ब के कारण पद स्थापन दिनांक 24 सितम्बर, 2003 को करने के कारण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि चिकि. एवं स्वा. विभाग के आदेश क्रमांक-7(7) चिस्वा/2/03/पार्ट दि. 6.8.2003 द्वारा डा. सन्तोष गुप्ता, व. विशेषज्ञ (नेत्र) का पदस्थापन दि. 31.8.2003 को रिक्त होने वाले पद (नेत्र) के विरूद्ध किया गया था। एवं डा. गुप्ता ने दि. 23.8.2003 को श्रम एवं नियोजन विभाग में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की थी।

(2) उक्त चिकित्सक ने प्रशासनिक विभाग श्रम एवं नियोजन में दि. 23.8.2003 को कार्यग्रहण किया उसके उपरान्त उक्त विभाग के आदेश क्र.प.19/12/श्रनि-200/03 दि. 24.9.2003 द्वारा उन्हें कराबी निगम माडल चिकि., जयपुर में पदस्थापित किया गया।

(3) क.रा.बी. निगम माडल चिकित्सालय ने अभी तक वेतन भुगतान नहीं किया है। चिकित्सा अधीक्षक, कराबी-निगम माडल चिकि., जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक-1625 दिनांक 9.7.2004 द्वारा अवगत कराया है कि डा. संतोष गुप्ता, व. वि (नेत्र) के वेतन भुगतान हेतु कराबी निगम मुख्यालय नई दिल्ली से निर्देश/आदेश चाहे गऐ है।

(4) हां, कराबी निगम माडल चिकित्सालय, जयपुर द्वारा दि. 17.3.2004 एवं 31.3.2004 द्वारा डा. संतोष गुप्ता के वेतन भुगतान के आदेश जारी किए गए है।

हां। उक्त चिकित्सक को अभी तक उक्त अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वेतन भुगतान हेतु क.रा.बी. निगम माडल चिकित्सालय, जयपुर द्वारा कराबी निगम मुख्यालय नई दिल्ली से निर्देश/आदेश चाहे गये है।

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

(5) राज्य सरकार द्वारा डा. गुप्ता का दि. 1.9.2003 से 24.9.2003 तक (24 दिन) का वेतन भुगतान करने हेतु आदेश जारी किये जा चुके हैं एवं शीघ्र वेतन भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(अनुपूरक सामग्री विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर द्वारा स्वीकृत ऋण की वसूली

201. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला ग्रामीण विकास परिषद् जयपुर/जिला परिषद् जयपुर स्थित कार्यालय की अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम शाखा (एन.एस.एफ.डी.सी.) द्वारा गत 10 वर्षों के दौरान टेन्ट हाउस एवं कुटी उद्योग हेतु किस-किस को कितनी-कितनी राशि का ऋण दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ऋण धारियों ने ऋण का नियमित पुनर्भुगतान किया है? यदि हां, तो किस-किस द्वारा कितनी-कितनी राशि का कब-कब? अब किस-किस की कितनी-कितनी राशि बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ऋण पुनर्भुगतान के दोषी ऋण धारियों एवं उनके जमानतियों से सरकार इस राशि की वसूली करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. जयपुर कार्यालय द्वारा एन.एस.एफ.डी.सी. योजना के तहत वर्ष 1994-95 से 2003-04 तक टेण्ट हाउस व कुटीर उद्योग में फुटवियर, हैण्डीक्राफ्ट, मार्बल तथा स्टील फेब्रीकेशन हेतु कुल 31 लाभार्थियों को दिये गये ऋण की सूची लाभार्थीवार परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) लाभार्थीवार पुनर्भुगतान किये गये ऋण व शेष राशि की सूचना परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। ऋण वसूली हेतु ऋणियों को नोटिस, उनके गारण्टरों को नोटिस तथा ऋणियों के गारण्टरों के कार्यालाध्यक्ष को भी नोटिस दे दिये गये हैं। ऋण वसूली की कार्यवाही जारी है।

(सूची व सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर का अनुसूचित जाति छात्रावास भवन

202. श्री जयराम जाटव (खैरथल) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर में अनुसूचित जाति का छात्रावास किराये के भवन में चल रहा है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावास भवन की स्थिति जर्जर है तथा छात्रों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि छात्रावास भवन की स्थिति ऐसी हो गई है जिससे वर्षा के समय कभी भी दुर्घटना हो सकती है? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त छात्रावास को सरकारी भवन में चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले में अनुसूचित जाति के किराये के भवनों में संचालित छात्रावासों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। केवल अलवर शहर में स्थित अनुसूचित जाति बालक छात्रावास (प्रथम) पुराने भवन में संचालित हो रहा है। भवन जर्जर नहीं है, परन्तु भवन स्वीकृत छात्र संख्या 90 के विरूद्ध आवास हेतु पर्याप्त नहीं है जिसके लिये दूसरा भवन तलाश किया जा रहा है।

(3) सरकारी भवन की तलाश की जा रही है।

परिशिष्ट-1

अलवर जिले में किराये के भवनों में चल रहे अनुसूचित जाति के छात्रावासों की सूची

क्र.सं.	नाम छात्रावास	भवन का किराया	भवन कब से किराये पर है
1	2	3	4
1.	राजकीय अनुसुचित जाति बालक छात्रावास, अलवर (प्रथम)	2160/-प्रतिमाह	अगस्त, 1987
2.	राजकीय स्वच्छकार बालक छात्रावास, अलवर (तृतीय)	6000/-प्रतिमाह	1.12.2002
3.	राजकीय अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, अलवर	6000/-प्रतिमाह	7.8.1993
4.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, अलवर (चतुर्थ)	6500/-प्रतिमाह	27.9.2001

1	2	3	4
5.	राजकीय अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, बानसूर	2817/-प्रतिमाह	7.5.1994
6.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, राजगढ़ (द्वितीय)	2653/-प्रतिमाह	1.6.1982
7.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, थानागाजी	1474/-प्रतिमाह	1991
8.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, राजगढ़ (तृतीय)	2010/-प्रितमाह	25.8.1996

फुलेरा की विधवा महिलाओं को पुत्री के विवाह हेतु अनुदान

203. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार की विधवा महिलाओं को अपनी दो पुत्रियों के विवाह तक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में गत 5 वर्षों में किस-किस की अभिशंसा पर किस-किस विधवा महिला या संरक्षिका से आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त आवेदन पत्रों में किस-किसको कितनी राशि का अनुदान स्वीकृत किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सभी आवेदकों को अनुदान स्वीकृत कर दिया गया? यदि नहीं, तो किन -किन के आवेदन पत्र किस कारण से निरस्त किये गये या लम्बित हैं? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। एक हजार रुपये मासिक से अधिक आय नहीं रखने वाले तथा परिवार में कोई व्यस्क कमाने वाला नहीं होने वाले आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की विधवा महिलाओं को अपनी दो पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान कराया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के गत 5 वर्षों में प्राप्त आवेदनों तथा इन आवेदनों के अभिशंसाकर्ता का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) प्राप्त आवेदनों पर स्वीकृत की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। सभी आवेदकों को अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया। प्राप्त आवेदनों में से निरस्त किये गये तथा लम्बित आवेदनों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. वर्ष 2002-03 में श्रीमती गीता देवी कुमावत पत्नि स्वर्गीय श्री भामा राम कुमावत किशनगढ़ रेनवाल का आवेदन परिवार में दो वयस्क पुत्र (श्री बाबू लाल उम्र 25-26 वर्ष विवाहित तथा बजरंग लाल उम्र 19-20 वर्ष) होने के कारण आवेदन निरस्त किया गया। तथा

2. वर्ष 2004-05 में प्राप्त तीन आवेदन

1. श्रीमती घन्नी देवी/स्व. श्री आशाराम रैगर, रैगरों का मोहल्ला, मु.पो. किशनपुरा वाया बधाल, जिला-जयपुर।
2. श्रीमती काली देवी/स्व. श्री लालराम मीणा मु.पो. ढाणी बोराज, वाया जोबनेर, जयपुर।
3. श्रीमती कमला देवी/स्व. श्री चुन्नी लाल अहीर बील वाली ढाणी, ग्रा. सांवत का बास, पो. बासड़ी खुर्द, वाया रैनवाल, जयपुर।

की जांच एवं स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट "अ"

जयपुर जिले में फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की विधवा की पुत्रियों के विवाह हेतु गत पांच वर्षों में प्राप्त आवेदन तथा आवेदनों की अभिशंसाकर्ता के नामों का विवरण

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	विधवा का नाम/ पति मय पूर्ण पता	विवाह योग्य पुत्रियों का नाम	अभिशंसाकर्ता का विवरण
1	2	3	4
	वर्ष 1999-2000 में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।		
	वर्ष 2000-2001		
1.	श्रीमती मूली देवी/ पत्नि स्व. श्री लालाराम पारीक, क्लिनिक के पास, जोबनेर	कु. रुक्मा	श्री पन्ना लाल प्रधान पंचायत समिति सांभर

1	2	3	4
		वर्ष 2001-2002	
1.	श्रीमती माली देवी/ पत्नि स्व. श्री मोहन लाल रैगर, मु.पो. रोजड़ी, तह. सांभर (जयपुर)	कु. ममता कु. मंजू	श्री बाबू लाल नागर, विधायक, दूदू
		वर्ष 2002-2003	
1.	श्रीमती जैबुनिसा/ पत्नि स्व. श्री अब्दुल रशीद, मीरबानों का मोहल्ला, सांभर लेक (जयपुर)	शायदा निशा	अध्यक्ष नगर पालिका मण्डल सांभरलेक
2.	श्रीमती मूली देवी/ पत्नि स्व. श्री मेवाराम जाट, निवासी त्योदा, तह. सांभर (सांभर)	कु. कमला	श्री रणवीर सिंह शेखावत, प्रधान पंचायत समिति सांभर
3.	श्रीमती बिदामी देवी/ स्व. श्री बंशीधर रैगर, मु.पो. सिनोदिया, तह. फुलेरा (जयपुर)	कु. सुनीता	श्री रणवीर सिंह शेखावत, प्रधान पंचायत समिति सांभर
4.	श्रीमती गीता देवी कुमावत/ पत्नि स्व. श्री भोमा राम कुमावत कालोनी, वार्ड नं. 4, तेजाजी के मन्दिर के पास, किशनगढ़ रेनवाल	कु. तारामणी कुमावत	श्री नानूराम ककरोलिया, विधायक, फुलेरा
		वर्ष 2003-2004	
1.	श्रीमती शान्ती देवी/ पत्नि स्व. श्री ताराचन्द बलाई, मु. पालवास, पो. आकोदा, वाया फुलेरा (जयपुर)	कु. ममता	श्री बाबू लाल नागर, विधायक, दूदू एवं प्रधान पंचायत समिति दूदू
2.	श्रीमती धापू देवी/ पत्नि स्व. श्री रामदयाल रैगर न्यू पोस्ट आफिस के पीछे, 118, वार्ड नं.3, सांभरलेक	कु. ममता	श्री रणवीर सिंह शेखावत, प्रधान पंचायत समिति सांभर
3.	श्रीमती बिदामी देवी/ पत्नि स्व. श्री लालाराम रैगर, मु.पो.काजीपुरा, तह. सांभरलेक (जयपुर)	कु. सन्तरा	श्री रणवीर सिंह शेखावत, प्रधान पंचायत समिति सांभर

1	2	3	4
4.	श्रीमती कमला देवी/ पत्नि स्व. श्री गोपाल लाल, नसियों का मोहल्ला, मु.पो. बोराज, जोबनेर (जयपुर)	कु. मीनाक्षी कु. रजनी	श्री बाबू लाल नागर, विधायक, दूदू
5.	श्रीमती चन्दरी देवी/ पत्नि स्व. श्री तुलसीराम अहीर, निवासी, राबड़ों का बास (रामनगर) मन्डा भीम, तह. सांभरलेक (जयपुर)	कु. कमला कु. ललिता	श्री रणवीर सिंह शेखावत, प्रधान पंचायत समिति सांभर

परिशिष्ट "ब"

जयपुर जिले में फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की विधवा की पुत्रियों के विवाह हेतु प्राप्त आवेदन तथा वर्षवार स्वीकृत अनुदान राशि का विवरण

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	विधवा का नाम/ पति मय पूर्ण पता	विवाह योग्य पुत्रियों का नाम	राशि
1	2	3	4
	वर्ष 1999-2000 में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।		
	वर्ष 2000-2001		
1.	श्रीमती मूली देवी/स्व. श्री लालाराम पारीक, क्लिनिक के पास. जोबनेर	कु. रुक्मा	5000
	वर्ष 2001-2002		
1.	श्रीमती माली देवी/स्व. श्री मोहन लाल रैगर मु.पो. रोजड़ी, तह. सांभर (जयपुर)	कु. ममता कु. मंजू	10000
	वर्ष 2002-2003		
1.	श्रीमती जैबुनिया/स्व. श्री अब्दुल रशीद, मीरबानों का मोहल्ला. सांभरलेक (जयपुर)	शायदा निशा	5000
2.	श्रीमती मूली देवी/स्व. श्री मेवाराम, जाट, निवासी त्योदा. तह. सांभर (सांभर)	कु. कमला	5000
3.	श्रीमती बिदामी देवी/स्व. श्री बंशीधर रैगर मु.पो. सिनोदिया, तह. फुलेरा (जयपुर)	कु. सुनीता	5000

1	2	3	4
	वर्ष 2003-2004		
1.	श्रीमती शान्ती देवी/स्व. श्री ताराचन्द बलाई मु. पालवास, पो. आकोदा, वाया फुलेरा (जयपुर)	कु. ममता	5000
2.	श्रीमती धापू देवी/स्व. श्री रामदयाल रैगर न्यू पोसट ऑफीसर के पीछे, 118, वार्ड नं. 3, सांभरलेक	कु. ममता	10000
3.	श्रीमती बिदामी देवी/स्व. श्री लालाराम रैगर मु.पो. काजीपुरा, तह. सांभरलेक (जयपुर)	कु. सन्तरा	5000
4.	श्रीमती कमला देवी/स्व. श्री गोपाल लाल, नसियों का मोहल्ला, मु. पो. बोराज, जोबनेर (जयपुर)	कु. मीनाक्षी कु. रजनी	10000
5.	श्रीमती चन्दरी देवी/स्व. श्री तुलसीराम अहीर निवासी राबड़ों का बास (रामनगर) मन्डा भीम, तह. सांभरलेक (जयपुर)	कु. कमला कु. ललिता	20000

कठूमर पंचायत समिति (अलवर) की निजी आय

204. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति कठूमर (अलवर) की किस-किस ग्राम पंचायत में कितनी-कितनी आय किस-किस मद से होती है? ग्राम पंचायत वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कठूमर में पशु मेला व हटवाड़ा से निजी आय होती है यदि हां, तो कितनी-कितनी? गत तीन वर्षों की आय का विवरण पृथक्-पृथक् सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निजी आय से प्रत्येक ग्राम पंचायत को पांच हजार रुपये खर्च करने का अधिकार होता है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत द्वारा गत तीन वर्षों में किस-किस कार्य हेतु यह राशि व्यय की गई?

(4) ग्राम पंचायत कठूमर तसई, खेड़ामेंडा, नाटोज सौंखरी, मनुराहेड़ा, समौची, खोखर, टिटपुरी बड़ौदाकान आदि ग्राम पंचायतों में निजी आय कितनी प्राप्त हुई तथा उक्त ग्रामों में कितनी राशि प्रति वर्ष खर्च की गई? क्या यह सही है कि अधिकार से अधिक राशि व्यय हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार अधिक व्यय राशि सरपंच से वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक किस-किस सरपंच से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति कठूमर में कुल 41 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें वर्ष 2003-04 में प्राप्त आय का विवरण संलग्नक 1 से 41 में दर्शाया गया है।

(2) हां। यह सही है कि पंचायत समिति कठूमर में प्रतिवर्ष एक बार पशु मेला खेडली में लगाया जाता है, हटवाडा नहीं। हटवाडा ग्राम पंचायत कठूमर द्वारा लगाया जाता है। जिनसे सम्बन्धित को निजी आय होती है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	हटवाड़ा/मेला स्थान	आय 2001-02	आय 2002-03	आय 2003-04
1.	पशुमेला खेडली द्वारा पस. कठूमर	77662	65932	28620
2.	हटवाडा ग्रा. कठूमर आयोजित ग्राम प. कठूमर	60000	231750	95000

(3) निजी आय से प्रत्येक ग्राम पंचायत को 5 हजार रुपये व्यय करने का अधिकार राज. पंचायती राज नियम 1961 के तहत था किन्तु वर्तमान में पंचायती राज नियम 1996 के अनुरूप पंचायती राज विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक 1370 दिनांक 26.6.2003 द्वारा ग्राम पंचायत को 2 लाख रु. तक प्रत्येक मामले में खर्च करने का अधिकार दिया गया है। ग्राम पंचायतों द्वारा गत तीन वर्ष में किये गये कार्यवार विवरण संलग्न है (संलग्नक 1 से 41 तक)

(4) प्रश्न से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में हुई निजी आय तथा किये गये व्यय का वर्षवार विवरण संलग्नक 18,37-19,28,36,26,33,23,40,5 संलग्नक है। जी हां ग्राम पंचायतों के अधिकार से अधिक राशि व्यय करने की जांच करवायी जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भूडला (जयपुर) ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कार्य

205. श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति बस्सी जिला जयपुर की ग्राम पंचायत भूडला को वर्ष 2000 से अब तक कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये?

(2) स्वीकृत कार्यों में कौन-कौन से कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं? कौन-कौन से कार्य अभी तक अपूर्ण हैं? किन-किन कार्यों की पूर्ण राशि आहरित किये जाने के बावजूद अभी तक पूर्ण नहीं करवाये गये हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि शमशान की पुलिया का निर्माण तथा प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 21 जून, 2003 के तहत ग्राम रोजवाड़ी के खसरा नम्बर 85/1 के आम रास्ते को सी.सी. रोड़ एवं नाली निर्माण का मैटेरियल अन्यत्र डलवा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? इनका अब कब तक निर्माण करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) पंचायत समिति बस्सी, जयपुर की ग्राम पंचायत भूड़ला में वर्ष 2000 से अब तक 29 कार्य स्वीकृत हुये हैं। स्वीकृत कार्यों एवं राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

(2) स्वीकृत कार्यों में से 19 कार्य पूर्ण हो गये हैं, 9 कार्य अपूर्ण है तथा एक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर अंकित है। किसी भी अपूर्ण कार्य की पूर्ण राशि अभी तक आहरित नहीं की गई है।

(3) शमशान की पुलिया निर्माणाधीन है। प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 21.6.2003 के तहत ग्राम रोजवाडी के खसरा नं. 85/1 के आम रास्ते पर सी.सी. रोड व नाली निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। अत: मेटेरियल अन्यत्र नहीं डलवाया गया है। अपूर्ण पुलिया का कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जावेगा।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा प्रश्न संख्या 464 द्वारा चाहे गये कार्यों की सूची

व ्: 2000-2001

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	योजना योजना	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	बाउण्ड्री मरम्मत कार्य	JGSY	20,000	19750	पूर्ण
2.	छत व पट्टी मरम्मत कार्य रा. प्रा. वि. भूड़ला	JGSY	5,000	5058	पूर्ण
3.	कमरा मरम्मत गेट निर्माण रा. प्रा. वि. लालावास	JGSY	15000	15135	पूर्ण
	वर्ष 2001-2002				
4.	कमरा निर्माण संस्कृत शाला रोजवाडी	E.A.S 70%	75000	74997	पूर्ण
5.	मरम्मत कार्य प्रा. संस्कृत शाला पृथ्वीपुरा	JGSY	15000	13900	पूर्ण
6.	अपूर्ण पंचायत भवन निर्माण	JGSY+E.A.S.	115000	89926	अपूर्ण
	व ्: 2002-2003				
7.	तलाई खुदाई पृथ्वीपुरा	SGRY 50%	50,000	43200	पूर्ण
8.	ग्रवेल सड़क बासखोह लवाण रोड़ से सूरजमल की ढ़ाणी	SGRY 50%	20,000	12000	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
9.	ग्रवेल सड़क बॉसखोह से बैरवा की ढ़ाणी	SGRY 50%	50,000	25500	पूर्ण
10.	ग्रवेल सड़क स्टेडियम से रामसर तक	SGRY 50%	50,000	25500	पूर्ण
11.	खुर्रा निर्माण कोली मौहल्ला पृथ्वीपुरा	ई.एफ.सी. एस.एफ.सी.	35,000	32500	पूर्ण
12.	सभा भवन मरम्मत रोजवाड़ी	-do-	20,000	13050	पूर्ण
13.	क्षतिग्रस्त खुर्रा व पुलिया निर्माण	-do-	50,000	43200	पूर्ण
14.	सी.सी. सड़क निर्माण पृथ्वीपुरा	SGRY 50%	10,000	95,000	पूर्ण
15.	सी.सी. सड़क स्कूल से भोमियाजी मन्दिर तक	SGRY 50%	120000	120000	पूर्ण
16.	सी.सी. सड़क रोड़ से आमवाली ढ़ाणी रजवास	SGRY 50%	80000	80200	पूर्ण
17.	पुलिया निर्माण शमशान घाट रोजवाड़ी	SGRY 50%	100,000	80,000	अपूर्ण
18.	सी.सी. सड़क निर्माण हैण्डपम्प से छाजू नेता के मकान तक	M. P. लेड	50,000	15,000	अपूर्ण
19.	बावड़ी मरम्मत कार्य बावड़ी का वास	M.L.A. लेड.	50,000	50,000	पूर्ण
20.	सी.सी. सड़क निर्माण लवाण रोड से मालियों की ढ़ाणी भूड़ला	ई.एफ.सी. एस.एफ.सी.	100,000	99500	पूर्ण
21.	सी.सी. सड़क निर्माण माद्योगढ़ रोड से रोजवाड़ी मन्दिर तक	-do-	60,000	50300	पूर्ण
22.	चबूतरा निर्माण फतवारी भूड़ला	-do-	30,000	30,000	पूर्ण
23.	नाला निर्माण रजवास, बैरवा	-do-	100,000	80,000	अपूर्ण
24.	सभा भवन निर्माण हायर सैकेण्ड्री स्कूल रोजवाड़ी	एस.एफ.सी. प्रथम	200,000	5,000	अपूर्ण
25.	अपूर्ण सी.सी. सड़क रोजवाड़ी	-do-	50,000	30,000	अपूर्ण
26.	चारदीवारी निर्माण प्रा.शा. लालावाला	-do-	50,000	30,000	अपूर्ण
27.	स्टेडियम रोजवाड़ी में सभा भवन	-do-	200,000	30,000	अपूर्ण
28.	पुलिया निर्माण, बैरवा की ढ़ाणी, भूड़ला	-do-	80,000	40,000	अपूर्ण
29.	नकारा हैण्डपम्प के पास नया हैण्डपम्प रोजवाड़ी	-do-	40,000	नील	प्रारम्भ नहीं

रामपुरा (सिरोही) ग्राम पंचायत की आबादी भूमि

206. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत रामपुरा, तहसील सिरोही का गठन कब हुआ?

(2) उक्त पंचायत के गठन के समय किस-किस खसरा नं. में कितनी-कितनी आबादी भूमि दर्ज थी?

(3) पंचायत के गठन के पश्चात् अब तक आबादी विस्तार के लिये कितनी-कितनी भूमि कब-कब किस-किस खसरा नं. में आबंटित की गई? आदेशों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत रामपुरा का गठन दिसम्बर, 1960 में हुआ।

(2) ग्राम पंचायत रामपुरा के गठन के सम्बन्ध में जहां जहां खसरा नं. आबादी भूमि दर्ज थी, का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	जमाबन्दी के अनुसार (कुल भूमि)
1.	रामपुरा	30.6 बीघा
2.	पिपलकी	7.7 बीघा
3.	पालडी	14.9 बीघा
4.	वेरापुरा	16.15 बीघा

(3) पंचायत के गठन के पश्चात् अब तक आबादी विस्तार के लिये जहां जहां खसरा नं. में जमीन आबंटित की गई है, का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	जमाबन्दी के अनुसार (कुल भूमि)
1.	रामपुरा	188.17 बीघा
2.	पिपलकी	25.12 बीघा
3.	पालडी	44.19 बीघा

जमाबन्दी की प्रति एवं आदेश की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार

207. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामसिंह विश्नोई)

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारी दिये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

जी हां। सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिये जाने बाबत की गई कार्यवाही के सन्दर्भ में जारी आदेश दिनांक 19.6.2003 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

राजस्थान सरकार

पंचायती राज विभाग

क्रमांक एफ 4(66)पं.राज/पीसी/2002/565 **जयपुर दिनांक 19.6.2003**

आज्ञा

संविधान के 73वें संशोधन की मूल भावना के अनुरूप 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से जुडी गति-विधियों के पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये जाने बाबत गठित मंत्री मण्डलीय उप समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय के अनुसार निम्न कार्यवाही सम्पादित करने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

क्र.सं.	अपेक्षित कार्यवाही जो सम्पादित की जानी है	उत्तरदायी विभाग
1	2	3
1.	डीआरडीए का जिला परिषद में विलय किया जाता है। इस हेतु निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जावे:- 1. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) का पंजीकरण समाप्त कर दिया जावे और डी.आर.डी.ए की सभी परिसम्पत्तियां/देनदारियां जिला परिषद को स्थानान्तरित कर दी जावें। 2. जिला परिषद में एक ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ स्थापित किया जावे जो ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का कार्य देखेगा। 3. डीआरडीए में पदस्थापित कर्मचारियों/अधिकारियों को जिला परिषद के अधीन पदस्थापित कर दिया जावे और उनको वर्तमान में दिये जा रहे वेतन भत्तों (emoluments) को संरक्षित (protect) किया जावे।	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

1	2	3
	4. डीआरडीए की गर्वनिंग कौंसिल द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्य विलय के उपरान्त जिला परिषद द्वारा निष्पादित किए जावें तथा डीआरडीए की कार्यकारी समिति द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य विलय उपरान्त जिला परिषद की सम्बन्धित स्थाई समिति द्वारा निष्पादित किये जावे।	
2.	राज्य स्तर पर स्थापित 2 विभाग यथा-पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग का विलय कर दिया जावे विलय उपरान्त इस विभाग का नियन्त्रण एक शासन सचिव को दे दिया जावें। जिसके अधीन कम से कम दो निदेशक पदस्थापित किये जावें जिनमें से एक निदेशक, पंचायती राज विभाग एवं एक निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग कहलायेंगे। आवश्यकतानुसार और निदेशक भी पदस्थापित किये जा सकेंगे।	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भरने के प्रतिवेदन अधिकारी (Reporting officer) के अधिकारी क्रमश: प्रमुख जिला परिषद एवं प्रधान, पंचायत समिति को दिये जावें। विकास अधिकारी के सन्दर्भ में प्रतिवेदन अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं स्वीकार करने वाला अधिकारी निदेशक, पंचायती राज विभाग होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रकरण में प्रतिवेदक अधिकारी निदेशक, पंचायती राज एवं स्वीकार करने वाला अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग होंगे।	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराजविभाग/ कार्मिक विभाग
4.	पंचायती राज संस्थाओं की निजी आय के उपयोग के अधिकार इन संस्थाओं को दे दिये जावें। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्वयं के स्तर पर सृजित आय को उनके स्तर पर उपयोग करने की पूर्णरूपेण अधिकार दिये जाते हैं। राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के स्तर	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

1	2	3
	से हस्तान्तरित राशि पर यह छूट लागू नहीं होगी।	
5.	पंचायती राज संस्थाओं में कुशल और अनुभवी प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान विकास सेवा और राजस्थान ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा का गठन किया जावे।	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6.	प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण रूपेण पंचायती राज संस्थाओं के अधीन। खण्ड शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति व जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा जिला परिषद के अधीन। निदेशक, ग्रामीण शिक्षा जिला परिषद के माध्यम से कार्यवाही करेंगे। हस्तान्तरित अध्यापकों के स्थानान्तरण एवं 17 सी.सी.ए. के तहत कार्यवाही करने के अधिकार पंचायत समिति/जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति में निहित होंगे। शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही जिला परिषद की स्थाई समिति के माध्यम से होंगे।	शिक्षा विभाग
7.	कृषि/कृषि विस्तार के वे सभी कार्यकलाप जो कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं, मय कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारियों के पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किए जाएं। एक सहायक निदेशक कृषि मय स्टाफ जिला परिषद के अधीन दिया जावे।	कृषि विभाग
8.	भू-संरक्षण/जल विभाजक क्षेत्र (Watershed) कार्यक्रम के समस्त कार्यकलाप जो भू-संरक्षण विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे हैं जिला परिषदों को हस्तान्तरित कर दिये जाएं। भू-संरक्षण एवं जल ग्रहण विकास विभाग को कृषि विभाग से अलग कर पंचायती राज विभाग के अधीन कर दिया जावे।	कृषि विभाग
9.	हाट बाजार के निर्माण व रख-रखाव का कार्यकलाप कृषि विपणन बोर्ड से ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाए। साथ ही निर्मित हाट बाजारों का स्वामित्व व बजट भी बोर्ड द्वारा हस्तान्तरित किया जाए।	कृषि विभाग
10.	कृषि मेलों के आयोजन का कार्यकलाप मय बजट सम्बन्धित पंचायती राज संस्था को हस्तान्तरित किया जाए।	कृषि विभाग

1	2	3
11.	पटवारी ग्राम पंचायत की वित्त एवं कराधान समिति की कार्यवाही में मुख्य सहयोगी होंगे।	कृषि विभाग
12.	1. पूर्व में 80 हेक्टेयर क्षमता तक के ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित तालाबों के अतिरिक्त 800 हेक्टेयर तक क्षमता के तालाबों को पंचायत समिति को मय प्रोरेटा बजट हस्तान्तरित कर दिया जावे। जिला परिषद के अधीन एक सहायक अभियन्ता, उप खण्ड एवं पंचायत समिति के अधीन एक कनिष्ठ अभियन्ता मय सहायक स्टाफ के दिये जायेंगे। 2. सिंचाई कर वसूलने और उसका उपयोग करने के अधिकार भी पंचायती राज संस्थाओं को दिये जाएंगे। साथ ही ग्राम पंचायत/पंचायत समिति द्वारा इन तालाबों के रख-रखाव/मरम्मत हेतु, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत उन्हें प्राप्त राशि का प्राथमिकता देते हुए व्यर्थ किया जावेगा।	सिंचाई विभाग
13.	'डी' श्रेणी के मत्स्य तालाब ग्राम पंचायतों के 'सी' श्रेणी के मत्स्य तालाब पंचायत समितियों के एवं 'बी' श्रेणी के मत्स्य तालाब जिला परिषद के अधीन कर दिये जावें। इनके नीलामी व आय का उपयोग सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जावेगा।	पशुपालन विभाग
14.	मत्स्य पालक विभाग अभिकरण/जिला मत्स्य अधिकारी जिला परिषद के अधीन कर दिये जावें। जिन जिलों में 'अ' श्रेणी के भी तालाब है वहां स्टाफ का बंटवारा किया जावेगा।	पशुपालन विभाग
15.	1. हैण्डपम्पों की सम्पूर्ण मरम्मत एवं संधारण मय बजट (विभाग द्वारा किये जा रहे व्यय के बराबर) तथा नकारा हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्डपम्पों के निर्माण का कार्य मय बजट पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दिया जावे। 2. पम्प एवं टैंक तथा पाइप योजनाओं का संधारण मय बजट पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दिया जावे। 3. इस प्रयोजन हेतु जिला परिषद में एक एक सहायक अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

1	2	3
	मय स्टाफ व पंचायत समिति में एक-एक कनिष्ठ अभियन्ता मय स्टाफ पदस्थापित किया जावेगा।	
16.	आंगनबाड़ी कार्यकताओं का चयन, आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जावेगा और आंगनबाड़ी केन्द्रों में वितरण के लिए पोषाहार के भण्डारण का कार्य भी ग्राम पंचायतों को दिया जायेगा। आंगनबाड़ी कार्यक्रम के पर्यवेक्षण के लिए महिला पर्यवेक्षक (Lady Supervisor) तथा बाल विकास पिरयोजना अधिकारियों को पंचायत समिति के अधीन किया जाए। बाल विकास परियोजना अधिकारियों का नियंत्रण क्षेत्रीय उप निदेशक की बजाय जिला परिषद के पास रहेगा।	महिला एवं बाल विकास विभाग
17.	मिहला विकास अभिकरण का जिला परिषद में विलय किया जाता है। अभिकरण के अधीन कार्यरत समस्त कार्मिक मय प्रचेता व साथिन अब बाल विकास परियोजना अधिकारी के अधीन कार्य करेंगी।	महिला एवं बाल विकास विभाग
18.	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संचालित सभी गतिविधियां जिला परिषद को हस्तान्तरित कर दी जावे एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी को जिला परिषद के अधीन कर दिया जावे।	समाज कल्याण विभाग
19.	प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत लाभार्थी का चयन एवं प्रशिक्षण कार्य जिला परिषद को दे दिया जावे।	उद्योग विभाग
20.	लघु उद्योग के प्रस्ताव पंचायत समिति की सम्बन्धित स्थाई समिति की बैठक में चर्चा हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे।	उद्योग विभाग
21.	1. ग्रामीण, विद्युतिकरण के लिये गांवों के विद्युतीकरण के जिलेवार लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा आबंटित किये जायेंगे और उसके अनुरूप नये गांवों का चयन जिला परिषद द्वारा किया जावेगा। 2. वर्तमान में बिजली के बिलों की राशि का संग्रहण वितरण कम्पनियों के लिए निजी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।	ऊर्जा विभाग

1	2	3
	जो ग्राम पंचायत इस कार्य को हाथ में लेने की इच्छुक हों उन्हें इसे प्राथमिकता पर दिया जावेगा। जो राशि (कमीशन) निजी व्यक्ति को देय हो वह राशि पंचायत को देय होगी।	
22.	1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानों के खाद्य एवं आबंटन एवं अनुज्ञापत्र जारी करने, राशन की दुकानों की समयावधि बढ़ाने एवं अनुज्ञापत्र निरस्त करने का अधिकार पंचायत समिति को होगा। इस हेतु खाद्य विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक पंचायत समिति के अधीन हस्तान्तरित किए जाऐंगे। 2. उचित मूल्य की दुकानें स्थानीय ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षण में कार्य करेंगी। उनके द्वारा सामग्री प्राप्ति/वितरण/अन्य सम्बन्धित जानकारी का पूर्ण लेखा जोखा ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करना होगा।	नागरिक आपूर्ति विभाग
23.	1. ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तान्तरित योजनाओं के उपखण्ड स्तर पर और उससे नीचे के स्थानों पर निर्मित होने वाले समस्त नये राजकीय भवनों का निर्माण कार्य एवं मौजूदा राजकीय भवनों की मरम्मत/संधारण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की बजाय पंचायत समितियों द्वारा किया जावेगा। इन कार्यों के साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रोरेटा आधार पर बजट एवं स्टाफ का हस्तान्तरण पंचायत समिति को किया जाएगा। 2. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सम्पादित कराये जाने वाले सभी कार्यों का पंचायती राज संस्थाओं को निरीक्षण का अधिकार व सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार दिया जाए। 3. जिन विभागीय कार्यालयों का पूरा स्टाफ/नियंत्रण पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किया जाएगा उन कार्यालयों के भवनों का स्वामित्व और उनके रख-रखाव का बजट भी सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित होगा। 4. ग्रामीण सड़कें/पुलियां आदि के रख-रखाव का कार्य भी हस्तान्तरित किया जावें।	सार्वजनिक निर्माण विभाग

1	2	3
24.	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के निरीक्षण व पर्यवेक्षण का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाता है। अभ्यार्थियों के चयन का कार्य पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से करवाया जावेगा।	तकनीकी शिक्षा विभाग
25.	1. सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी से जुड़े समस्त कार्यकलापों का वन विभाग से पंचायत समिति को हस्तान्तरित कर दिया जाये।	वन विभाग
26.	2.वन और गैर-वन क्षेत्रों पर पैदा होने वाली समस्त लघु वन उपज एवं ईधन और चारा से जुड़े समस्त कार्यकलापों से होने वाली आय पर पंचायती राज संस्थाओं का अधिकार होगा। परन्तु तेन्दुपत्ता से होने वाली आय में से प्रशासनिक व्यय कम कर शेष राशि पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा हस्तान्तरित की जावेगी। इन कार्यकलापों के निष्पादन में पंचायत समितियों द्वारा वन अधिनियम और नियमों तथा वन विभाग के दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे। 3. इन कार्यकलापों हेतु वन विभाग का एक-एक रेंजर मय उपयुक्त संख्या में फोरेस्टर और फोरेस्टर गार्डस के प्रत्येक पंचायत सिमति के अधीन हस्तान्तरित कर दिया जावे। एक-एक सहायक वन संरक्षक प्रत्येक जिला परिषद के अधीन पदस्थापित किया जाए।	वन विभाग
27.	ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित होने वाले गांधी पुस्तकालयों का दायित्व ग्राम पंचायतों का होगा।	शिक्षा विभाग
28.	लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पंचायत समितियों को लोक कलाकारों को चिन्हित करने व प्रशिक्षण देने तथा विभिन्न मेलों आदि में प्रचार-प्रसार गतिविधियों में जोड़ने का दायित्व।	पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग
29.	ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन राष्ट्रीय पर्वो यथा-15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर व 1 मई को नहीं किया	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

	2	3
	जावे बल्कि इनके आयोजन हेतु 15 दिवस की अवधि निर्धारित की जावे जिसमें पंचायत समिति स्थानीय सुविधा के अनुसार इन ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्चित कर सके एवं इनमें सम्बन्ध अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकें क्योंकि एक ही दिन में सभी ग्राम सभाओं का आयोजन होने से सम्बन्धित अधिकारी समस्त ग्राम सभाओं में उपस्थित नहीं हो सकते। इस परिप्रेक्ष्य में अलग-अलग तिथियां होने पर अधिकारियों के भाग लेने की बाध्यता रहेगी व ग्राम सभाओं का आयोजन व्यवस्थित रूप से हो सकेगा।	विभाग।

उक्त निर्णय की पालना में अपेक्षित प्रशासनिक निर्देश तुरन्त प्रसारित किये जावें। क्र.सं. 5 से 26 तक के प्रकरणों में विषय/कार्यकलाप, स्टाफ, बजट आदि के हस्तान्तरण बाबत सामान्य शर्तें अनुसूची 'ए' में वर्णित शर्तों के अनुसार सुनिश्चित किया जावे।

विभिन्न विभागों के शासन सचिव विस्तृत प्रशासनिक आदेशों के प्रारूप को अधोहस्ताक्षरकर्ता से दिनांक 26.6.2003 तक अनुमोदित करवा कर जारी करावें।

ह0/-

आर. के. नायर

मुख्य सचिव

प्रश्न संख्या 208

(स्थगित)

नवलगढ़ के बी.पी.एल. परिवार को पारिवारिक सहायता

209. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वर्ष 2002 से 2004 तक पारिवारिक सहायता जो बी.पी.एल. परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर दी जाती है, वह कितने व्यक्तियों को दी जानी थी एवं वर्तमान में किन-किन व्यक्तियों को कब स्वीकृत की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त राशि के आबंटन में विलम्ब होता है? यदि हां, तो क्यों?

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

(3) क्या सरकार गरीब व निर्धन परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु हो जाती है के परिवारों के भरण पोषण हेतु कोई पारिवारिक पेंशन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सहायता पीड़ित परिवारों के 62 व्यक्तियों को दी जानी थी जिन्हें उपलब्ध करवा दी गई है, सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। गरीब व निर्धन परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उन परिवारों के भरण पोषण हेतु पारिवारिक पेंशन देने सम्बन्धी कोई भी योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है किन्तु आवेदन करने पर पात्रता की निर्धारित शर्ते पूरी करने वाली विधवा महिलाओं को रू. 200/-प्रतिमाह विधवा पेंशन दी जाती है।

कार्यालय पंचायत समिति नवलगढ़, झुंझुनूं

पारिवारिक सहायता की सूची

क्र.सं.	नाम लाभार्थी मय पिता/ पति का नाम	जाति	ग्राम	राशि	भुगतान वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	संतोष/मंगलाराम	कुम्हारू	टौंक छिलरी	10000	2002
2.	शांति देवी/रिछपाल	राणा	नाहरसिंघानी	10000	2002
3.	मुली देवी/फुलाराम	बलाई	टोडपुरा	10000	2002
4.	शारदा देवी/तेजाराम	सैनी	कानाका की ढाणी	10000	2002
5.	भगवानी देवी/मोटाराम	नायक	नाहरिसंघानी	10000	2002
6.	विमला देवी/कैलाशचन्द्र	बलाई	नाहरिसंघानी	10000	2002
7.	सजना देवी/सांवरमल	सैनी	मानाणी वाली ढाणी चिराना	10000	2002
8.	पारा देवी/हनुताराम	चमार	चौराड़ी	10000	2002
9.	संतरा/नानड़राम	जाट	कोलसिया	10000	2002
10.	पतासी/लिखमाराम	जाट	मीलो का बास	10000	2002
11.	बाबड़ देवी/गिंडाराम	गुर्जर	देवीपुरा चिराना	10000	2002
12.	दुर्गी देवी/मंगलाराम	बलाई	चारा का बास	10000	2003

1	2	3	4	5	6
13.	विमला देवी/जमनाराम	मीणा	नवलड़ी	10000	2003
14.	हरचंद/सांवरमल	बलाई	डाबड़ी बलौदा	10000	2003
15.	मन्नी देवी/श्रीराम	मौडसरा	भोजनगर	10000	2003
16.	मंगेजाराम/शंभुदयाल	चमार	सौंथली	10000	2003
17.	बनारसी देवी/गोकुलराम	बलाई	चारा का बास	10000	2003
18.	जानकी देवी/कानाराम	मीणा	टोडपुरा	10000	2003
19.	फुली देवी/नारंगलाल	जाट	दुदाना का बास	10000	2003
20.	सुगनी देवी/साधुराम	मेहतर	चिराना	10000	2003
21.	खुशनुमा/चांद मोहम्मद	काजी	डुंडलोद	10000	2003
22.	भगवानी देवी/नागरमल	नायक	डुंडलोद	10000	2003
23.	सुवटी/शिशपाल	बलाई	कैरू	10000	2003
24.	मीरा देवी/ओमप्रकाश	बलाई	बड़वासी	10000	2003
25.	सावित्री/ताराचंद	बलाई	भानपुरा	10000	2003
26.	बुगली देवी/श्रीराम/फुलचंद	जाट	बाय	10000	2003
27.	संतोष देवी/मदनलाल	गुर्जर	भैरूवास	10000	2003
28.	कमला देवी/मुलचंद	जाट	डुमरा	10000	2003
29.	भंवरी देवी/बलवीर/प्रहलाद	मीणा	बुगाला	10000	2003
30.	सुमित्रा देवी/मुलचंद	हरिजन	सोटवारा	10000	2003
31.	गोठी देवी/नन्दाराम	गुर्जर	गोठड़ा	10000	2003
32.	किताब देवी/बीरबल	नायक	बड़वासी	10000	2003
33.	सुलोचना/छोटु	जाट	डुमरा	10000	2003
34.	विमला देवी/श्रवण कुमार	बलाई	भगेरा	10000	2003
35.	कु. मेहरून्न एवं अंजु पुत्री बुले खां	मुस्लिम	बुगाला	10000	2003
36.	संतोष देवी/बनवारीलाल	चमार	देलसर कला	10000	2004

1	2	3	4	5	6
37.	सुमित्रा देवी/सुभाष	जाट	जेजूसर	10000	2004
38.	संतोष देवी/राजपाल	शर्मा	राणासर	10000	2004
39.	भागीरथी देवी/छोटेलाल	सैनी	बड़वासी	10000	2004
40.	गोंटा देवी/सुण्डाराम	सैनी	ढा. नवलगढ़	10000	2004
41.	सुमन देवी/राजेन्द्र	चमार	ढिगाल	10000	2004
42.	सुमित्रा देवी/ जवाहरलाल	बलाई	बाय	10000	2004
43.	आसमीन/मांगु उर्फ फारूख	मुस्लिम	जाखल	10000	2004
44.	चुकी देवी/सावंतराम	जाट	माण्डासी	10000	2004
45.	सोनी देवी/बनवारीलाल	सैनी	झाझड़	10000	2004
46.	मुन्नी देवी/प्रहलाद	मीणा	डुंडलोद	10000	2004
47.	भागवती/लक्ष्मणराम	स्वामी	नवलड़ी	10000	2004
48.	गीता/प्रहलाद	कुमावत	परसरामपुरा	10000	2004
49.	ताराचंद/नागरमल	बलाई	देवगांव नुआ	10000	2004
50.	संतोष देवी/सुआराम	बलाई	टोडपुरा	10000	2004
51.	कुंदनकंवर/प्रहलाद सिंह	राजपुत	झाझड़	10000	2004
52.	श्रवणी देवी/बनवारी लाल	बलाई	घोड़ीवारा कला	10000	2004
53.	संतोष देवी/सुरेन्द्र सिंह	जाट	सोटवारा	10000	2004
54.	प्रभाती देवी/बनवारी लाल	सैनी	झाझड़	10000	2004
55.	गुलाबी देवी/धुड़ाराम	यादव	खेटा की ढाणी बसावा	10000	2004
56.	चुकी देवी/आशाराम	बलाई	नवलड़ी	10000	2004
57.	मोहनी/झण्डुराम	बलाई	बिरोल	10000	2004
58.	रहमतबानो/मो.ईस्माईल	मुस्लिम	टोडपुरा	10000	2004
59.	सीता कंवर/उगम सिंह	राव	बड़वासी	10000	2004
60.	धानी देवी/भागीरथ मल	बलाई	बिलवा परसरामपुरा	10000	2004
61.	रेशमी देवी/महावीर नाथ	योगी	टोडपुरा	10000	2004
62.	संतोष देवी/रामेश्वर	बलाई	पबाना	10000	2004

रायपुर (पाली) पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति प्रकरण

210. श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति का अधिकार किसे है? नियम व आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति रायपुर (पाली) में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर श्री राजेन्द्र राखेचा की नियुक्ति की गई? यदि हां, तो किसके आदेश से और किस अधिकारी द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राखेचा ने राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है? यदि हां, तो श्री राखेचा को सेवा से पृथक् करने के आदेश व स्थगन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त रिट में प्रभारी अधिकारी कौन हैं तथा इसमें किसे पक्षकार बनाया गया और उनके द्वारा क्या जवाब दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1996 के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति का अधिकार विभागाध्यक्ष को है, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'A')

(2) जी हां। श्री रार्जेन्द्र कुमार राखेचा को पंचायत समिति रायपुर द्वारा दिनांक 27.7.1995 को जलग्रहण विकास दल में सिविल इंजीनियर के रूप में रखा गया था। यह नियुक्ति नियमित कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर नहीं की गई बल्कि श्री राखेचा को जलग्रहण विकास दल में सिविल इंजीनियर के रूप मैं संविदा पर रखा गया था। किन्तु पंचायत समिति रायपुर ने दिनांक 1.8.1995 को श्री राखेचा को कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर 1400-2600 वेतन श्रृंखला में रखने के आदेश जारी किये। उक्त आदेश विकास अधिकारी एवं सचिव परियोजना क्रियान्वयन संस्थान द्वारा जारी किये गये हैं। जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 1 एवं 2)

(3) जी नहीं। श्री राखेचा को पंचायत समिति, रायपुर के आदेश दिनांक 27.6.1998 द्वारा पद से हटाया गया उक्त आदेश के विरूद्ध श्री राखेचा ने राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका 2124/96 दायर कर रखी है, जो ड्यूकोर्स में विचाराधीन है। इसी दरम्यान पं.स. रायपुर ने सिविल इंजीनियर को जलग्रहण विकास दल में संविदा पर रखने हेतु पुन: विज्ञापन जारी किया। श्री राखेचा ने इस पद के लिए

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

पुन: आवेदन किया। उसे नियुक्ति देने से पूर्व पंचायत समिति द्वारा यह शर्त रखी गई कि वह पहले उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका को वापस लेवे किन्तु श्री राखेचा इस शर्त के विरूद्ध याचिका के विचाराधीन रहते हुए मा. उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर मा. न्यायालय ने दिनांक 11.4.1997 को प्रकरण निर्णित करते हुए यह आदेश दिये कि इस तरह की शर्त रखना संवैधानिक अधिकारी के विरूद्ध है। तथा उसे निर्धारित शर्तो का अनुबन्ध प्रस्तुत करने पर नियुक्ति देने के आदेश दिये जिसकी पालना में श्री राखेचा को पंचायत समिति रायपुर के आदेश दिनांक 15.4.1997 द्वारा संविदा पर रखा गया। श्री राखेचा वर्तमान में जलग्रहण विकास दल में कार्यरत हैं। श्री राखेचा को सेवा से पृथक् किये जाने के आदेश एवं मा. न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 3,5,6 एवं 7)

(4) श्री राखेचा द्वारा दायर रिट में राज्य पक्ष की ओर से तत्कालीन ए.पी.ओ. (बायोगैस) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली श्री देवकरण यादव को प्रभारी अधिकारी बनाया गया जिनकी ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। श्री राखेचा द्वारा भारत सरकार जरिये सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली, राज्य सरकार जरिये विशिष्ट शासन सचिव, आयोजना संगठन, विकास अधिकारी एवं सचिव परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी पंचायत समिति रायपुर. अध्यक्ष परियोजना क्रियान्वयन ऐजेन्सी कलक्ट्रेट पाली एवं परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पाली को रेस्पोडेन्ट बनाया गया है। दिये गये जवाब की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 4)

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायती राज विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं की भर्ती

211. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायती राज विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2004 को जारी 170 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पदों पर भर्ती हेतु कार्मिक विभाग के दिशा निर्देश दिनांक 25 अगस्त, 1998 के भाग 2 (ग) का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2004 को जारी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पदों पर कृषि अभियन्ताओं को लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। कार्मिक विभाग के दिशा-निर्देश दिनांक 25.8.1998 के भाग 2(ग) विभागीय नियुक्तियों पर लागू नहीं होता। विभागीय नियुक्तियां कार्मिक विभाग के उक्त दिशा-निर्देश के भाग 1 के अनुसार की जा रही है, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सीधी भर्ती विभागीय नियमों के अन्तर्गत ही की जा सकेगी।

(2) जी नहीं।

नागौर जिले की अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत निर्मित्त अपूर्ण सड़कें

212. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान कुल कितनी राशि की कितने किलो मीटर ग्रेवल सड़कों के निर्माण की स्वीकृति जारी गई? विवरण विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों में कितनी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया? कितनी अधूरी रही? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अधूरी सड़कों को निकट भविष्य में पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर के अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 2002-03 के दौरान 1444.74 लाख रुपये की राशि के 1220.50 कि.मी. ग्रेवल सड़क के कार्य स्वीकृत किये गये। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(2) उक्त स्वीकृत ग्रेवल सड़कों के कार्यों में से 61 सड़क कार्य पूर्ण हुए तथा 320 सड़कों के कार्य अपूर्ण रहे ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(3) अभाव की स्थिति समाप्त होने के उपरान्त अधूरी रही सड़कों का भविष्य में जिले में अभाव की घोषणा होने के उपरान्त प्रभावित क्षेत्रों में अपूर्ण रही सड़कों के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जा सकेगा।

(विवरण व ब्यौरा विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

आसीन्द (भीलवाड़ा) में अकाल राहत कार्यों में नियोजित श्रमिक

213. श्री हंगामी लाल मेवाड़ा (आसीन्द) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हंगामी लाल मेवाड़ा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की तहसील आसीन्द (भीलवाड़ा) में अकाल राहत कार्यों में मजदूरों को लगाने में भेदभाव किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा गठित कमेटी सरपंच ग्राम पंचायत ग्रुप सचिव पटवारी हल्का एवं पंचायत समिति सदस्य द्वारा दी गई श्रमिक सूचियों के अनुरूप श्रमिकों का नियोजन भी नहीं किया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि बी.पी.एल. चयनित अनुसूचित जाति. जनजाति के लोगों को रोटेशन के अनुरूप अकाल राहत कार्यों में नियोजित नहीं किया गया है? यदि हां, तो अब तक सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की तहसील आसीन्द भीलवाड़ा में अकाल राहत कार्यों पर श्रमिक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं किया गया।

(2) जी नहीं। गिठत कमेटी के सदस्यों द्वारा की गई श्रमिक सूचियों के अनुरूप श्रमिकों को नियोजित किया जाता है।

(3) जी नहीं। तहसील आसीन्द क्षेत्र में चल रहे राहत कार्यों पर बी.पी.एल. चयनित, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को रोटेशन के अनुसार ही नियोजित किया गया है। लोगों की रोटेशन के अनुसार नियोजित किया गया है इसलिए कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

निगम कर्मियों का बकाया रात्रि विश्राम भत्ता

214. श्री अमराराम (धोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की राज्य से बाहर जाने वाली बसों के ड्राइवरों व कन्डेक्टरों को कितना रात्रि विश्राम भत्ता दिया जाता है?

(2) क्या यह सही है कि राज्य से बाहर या आगार से बाहर जाने वाली बसों के ड्राइवरों व कण्डेक्टरों के रात्रि विश्राम भत्तों का भुगतान किया जाना शेष है? यदि हां, तो कब से? अब सरकार इनका भुगतान कब तक कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की राज्य से बाहर जाने वाली बसों में चालक/परिचालकों को निम्नानुसार रात्रि विश्राम भत्ता दिया जाता है:-

(यातायात मंत्री)

क्र. सं.	स्थान	चालक/परिचालक को प्रत्येक रात्रि विश्राम पर दिये जाना वाला भत्ता
1.	देहली एवं राज्यों की राजधानियां	15/-रु.
2.	राजस्थान के बाहर के अन्य स्थान (क्र.सं. 1 के स्थानों को छोड़कर)	12/-रु.

(2) जी हां। चालक व परिचालकों के रात्रि विश्राम भत्ते का जून, 1998 से भुगतान बकाया चल रहा है। किन्तु कर्मचारियों की सेवानिवृति पर उनके बकाया रात्रि विश्राम भत्ते का भुगतान निगम द्वारा किया जा रहा है। निगम वर्ष 1997-98 से लगातार घाटे की स्थिति में चल रहा है अत: निगम की आर्थिक स्थिति में सुधार आने एवं उक्त भुगतान हेतु राशि की व्यवस्था होने की स्थिति में निगम द्वारा बकाया रात्रि विश्राम भते का भुगतान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जयपुर-बीकानेर डीलक्स/वातानुकूलित बस सेवा

215. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सम्भागीय मुख्यालय होने के बावजूद बीकानेर से जयपुर के लिए वर्तमान में निगम की एक भी डीलक्स अथवा वातानुकूलित बस सेवा संचालित नहीं है?

(2) क्या सरकार निकट भविष्य में बीकानेर जयपुर मार्ग पर डीलक्स अथवा वातानुकूलित बस चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) निगम द्वारा पूर्व में इस मार्ग पर डीलक्स बस सेवा का संचालन प्रारम्भ किया था। इस बस को 12 माह की अवधि में औसतन रु. 9.33 आय प्रति कि.मी. एवं 63 प्रतिशत यात्रीभार ही प्राप्त हुआ जिसे देखते हुए विवश होकर इसका संचालन बन्द कर दिया गया।

तत्पश्चात् इस मार्ग पर माह सितम्बर, 2003 में पुन:संचालन प्रारम्भ किया गया लेकिन फिर भी पर्याप्त यात्रीभार न मिलने के कारण इसका संचालन बन्द कर दिया गया।

अब पुन: इस मार्ग पर डीलक्स बस का दिनांक 15.7.2004 से वाहन संचालन प्रारम्भ किया जा रहा है।

नदबई (भरतपुर) में निगम बस स्टैण्ड

216. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई के कस्बा नदबई में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का बस स्टेण्ड नहीं होने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है? यदि हां. तो क्या सरकार नदबई में बस स्टेण्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व इसके लिये क्या योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। वर्तमान में परिवहन निगम की नदबई कस्बे में भूमि क्रय करके उस पर बस स्टेण्ड भवनादि का निर्माण कराने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। क्योंकि वर्तमान में निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है।

नागौर जिला मुख्यालय का निगम बस स्टैण्ड

217. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय, नागौर के बस स्टैण्ड की जगह पर बना बस स्टैण्ड पुराना और अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है? यदि हां, तो क्या यात्रियों की मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं होने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बस स्टैण्ड पर महिलाओं के लिये शौचालय की उचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उचित व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला मुख्यालय नागौर का निगम का वर्तमान बस स्टैण्ड वर्ष 1992 में बना था। जो जीर्ण-शीर्ष अवस्था में नहीं है। बस स्टैण्ड पर यात्रियों हेतु मूलभूत सुविधाओं में मूत्रालय/शौचालय सही हालत में नहीं है। शीघ्र ही नया निर्माण करवाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

नागौर का निजी बसों का स्टैण्ड भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है। वहां यात्रियों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(2) जी हां। नागौर में निगम के बस स्टेण्ड पर पुरुष/महिला शौचालय/मूत्रालय के लिए समुचित व्यवस्था हेतु राशि रु. 5.00 लाख स्वीकृत किए गए हैं। निविदाएं आमन्त्रित कर शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

(यातायात मंत्री)

निजी बसों के स्टैण्ड की परिसीमा में सुलभ काम्पलेक्स बना हुआ है। जिसमें महिलाओं के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

बागुण्डी-बालोतरा-बाड़मेर मार्ग पर निगम बस सेवा

218. श्री तगाराम चौधरी (बाडमेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बाड़मेर से बागुण्डी बालोतरा मार्ग पर पूरे दिन में केवल एक ही बस चलती है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि बस के अभाव में यात्रियों को अन्य साधनों से यात्रा करनी पड़ती है?

(3) क्या सरकार ग्रामीण जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बाड़मेर, बागुण्डी, बालोतरा तक राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग पर कम से कम दो घण्टे के अन्तराल से सामान्य बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर निगम की बाड़मेर से बागुण्डी बालोतरा मार्ग पर 24 अप एवं 24 डाउन सेवायें संचालित है। जिनमें से निम्नलिखित बस सेवायें बागुण्डी पर यात्रियों को उतारती/चढ़ाती है:-

1.	बाड़मेर से हरिद्वार	9.00 बजे
2.	बाड़मेर से जोधपुर	14.00 बजे
3.	बाड़मेर से जोधपुर	16.30 बजे
4.	बाड़मेर से जोधपुर	23.30 बजे

(2) जी नहीं।

(3) उक्त राष्ट्रीय उच्च मार्ग बाड़मेर बागुण्डी बालोतरा पर 24 अप एवं 24 डाउन सेवाएं निगम द्वारा संचालित की जा रही है। इनमें प्रश्न के खण्ड। के उत्तर में वर्णित सेवाओं में यात्रीभार कम उपलब्ध हो रहा है। अत: और सामान्य बसें चलाने का विचार नहीं है।

बस्सी के स्वीकृत कार्य

219. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं पंचायत समिति चाकसू के विभिन्न ग्राम व ढाणियों में ग्रामीण विकास अभिकरण पंचायत समितियों द्वारा कौन-कौनसी योजनाओं में कितनी-कितनी राशि का कार्य गत पांच वर्षों के दौरान करवाया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में से कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को सरकार कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) पिछले पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बस्सी में पंचायत समिति बस्सी एवं पंचायत समिति चाकसू के विभिन्न गांवों व ढाणियों में ग्रामीण विकास अभिकरण पंचायत समितियों द्वारा क्रमश: 585 व 191 कुल 776 कार्य कराये गये। इन कार्यों का योजनावार विवरण व व्यय राशि की ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट-'क' पर अवलोकनीय है।

(2) उक्त कार्यों में पंचायत समिति बस्सी में 12 एवं पंचायत समिति चाकसू में 9 कुल 21 कार्य अपूर्ण है। अपूर्ण कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण करवा लिया जायेगा। अपूर्ण कार्यों का विवरण परिशिष्ट "क" के अन्तिम में कालम में अवलोकनीय है।

(सूची व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

फतेहपुर के चयनित परिवारों को सहायता

220. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला सीकर की तहसील फतेहपुर में कितने परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? ऐसे परिवारों के लिये सरकार की क्या-क्या योजनायें हैं? इन योजनाओं के तहत क्षेत्र में इन परिवारों को क्या-क्या लाभ दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पंचायत समिति, फतेहपुर में वर्ष 1997 की चयनित सूची के अनुसार कुल 3734 परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे थे।

ऐसे परिवारों को लाभान्वित करने हेतु निम्नांकित प्रमुख योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:-

1. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

2. इन्दिरा आवास योजना
3. इन्दिरा आवास योजना क्रमोन्नत
4. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
5. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास क्रमोन्नत योजना
6. स्वर्णजयंती ग्राम रोजगार योजना
7. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना
8. प्रसूति सहायता
9. बालिका समृद्धि
10. उन्नत औजार (कृषि)

इन योजनाओं के तहत इस क्षेत्र के इन परिवारों को निम्नांकित लाभ प्रदान किये गये हैं:-

- आय सृजनात्मक गतिविधि हेतु ऋण एवं अनुदान।
- 180 वर्गफुट हेतु पक्का आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता।
- अर्द्ध निर्मित आवास से पूर्ण पक्का आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता।
- बी.पी.एल. परिवार के मुखिया की मृत्यु की अवस्था आर्थिक सहायता।
- बी.पी.एल. परिवार की महिला को प्रथम दो प्रसव तक आर्थिक सहायता।
- बी.पी.एल. परिवार में प्रथम दो बालिकाओं के जन्म पर आर्थिक सहायता।
- बी.पी.एल. परिवार द्वारा उन्नत कृषि औजार क्रय करने पर आर्थिक सहायता।

उपर्युक्त के अतिरिक्त "मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना" एवं मेडिकल रिलीफ कार्ड योजनान्तर्गत चिकित्सा हेतु सहायता भी प्राप्त होती है। "अन्त्योदय अन्न योजना" अन्तर्गत बीपीएल परिवारों में भी अत्यन्त गरीब परिवारों का चयन कर अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 126 का विवरण व सूची)

परिशिष्ट-1

निगम द्वारा संचालित डीलक्स/सेमी डीलक्स बस सेवाओं का विवरण

क्र. सं.	आगार	मार्ग का नाम	दैनिक संचालित एकल परिचक्र
1	2	3	4
1.	डीलक्स	जयपुर-दिल्ली	20 एसी वोल्वो
		जयपुर-दिल्ली	28 सुपर डीलक्स
		जयपुर-हरिद्वार	2 " "
		जयपुर-शिमला	2 " "
		दिल्ली-उदयपुर	1 " "
		डूंगरपुर-दिल्ली	1 " "
		दिल्ली-जोधपुर	2 " "
		जयपुर-अलीगढ़	4 सेमी डीलक्स
		जयपुर-मथुरा	2 " "
		जयपुर-ग्वालियर	2 " "
		जयपुर-आगरा	26 " "
		जयपुर-कोटा	6 " "
		जयपुर-पाटन	2 " "
		जयपुर-बारां	2 " "
		जयपुर-उदयपुर वाया ब्यावर-भीम	4 " "
		जयपुर-उदयपुर वाया आमेर-चित्तौड़	4 " "
		जयपुर-उदयपुर वाया भीलवाड़ा-चित्तौड़	1 " "
		जयपुर-डूंगरपुर	5 " "
		जयपुर-चित्तौड़	2 " "
		जयपुर-माउन्टआबू	2 " "
		जयपुर-विरात्रामाता	2 " "
		जयपुर-अजमेर	2 " "
		जयपुर-पुष्कर	2 " "
		जयपुर-बांसवाडा	2 " "द्रुतगामी किराया

1	2	3	4
		जयपुर-जैसलमेर	2 " रियायती
		जयपुर-विरात्रामाता	2 " रियायती
		जयपुर-गडरा रोड	2 " "
		जयपुर-जोधपुर	2 " "
		जयपुर-पिलानी	2 " " द्रुतगामी किराया
		जयपुर-रोड़	2 " "
		जयपुर-बीदासर	2 " "
		जयपुर-लाडनू	2 " "
2.	आबूरोड	आबूरोड-उदयपुर	3 सेमी डीलक्स
		माउन्टआबू-उदयपुर	1 " "
		आबूरोड-माउन्टआबू	1 " "
3.	जोधपुर	जोधपुर-अहमदाबाद	2 " "
		जोधपुर-बांसवाडा	2 " "
		जोधपुर-उदयपुर	2 " "
		जोधपुर-प्रतापगढ़	2 " "
		जोधपुर-भीलवाडा	2 " "
		जोधपुर-गंगानगर	2 " "
		जोधपुर-अजमेर	2 " "
		जोधपुर-जयपुर	2 " "

परिशिष्ट-2

क्र.सं.	शौचालय व्यवस्था वाले बस स्टेण्डों के नाम
1.	भरतपुर
2.	झुन्झुनूं
3.	सीकर
4.	बूंदी
5.	झालावाड़
6.	आबूरोड
7.	सिरोही
8.	भीलवाडा
9.	नागौर
10.	बीकानेर
11.	दूदू
12.	किशनगढ़
13.	नसीराबाद
14.	बिलाड़ा
15.	महुआ
16.	जैतारण
17.	रायपुर
18.	आबू पर्वत
19.	बांदनवाड़ा
20.	दौसा
21.	निवाई
22.	टोंक
23.	बर
24.	साण्डेराव

क्र.सं.	शौचालय व्यवस्था वाले बस स्टेण्डों के नाम
25.	मनोहरपुर
26.	धौलपुर
27.	ब्यावर
28.	अलवर
29.	चित्तौड़गढ़
30.	चूरू
31.	सीबीएस, जयपुर
32.	गंगानगर
33.	फलौदी
34.	सीबीएस, अजमेर
35.	फालना
36.	पाली
37.	घाटगेट
38.	उदयपुर
39.	शिवगंज
40.	सिरोही रोड
41.	खेतडी
42.	बारां
43.	चाकसू
44.	डूंगरपुर
45.	स. शहर
46.	अनूपगढ़
47.	बांसवाड़ा

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

देसूरी विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में वरिष्ठ चिकित्सक एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के पदों का सृजन

[श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी)]

मेरी विधान सभा क्षेत्र देसूरी देवी-देवताओं के मन्दिरों की स्थली के साथ-साथ राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रणकपुर, परशुराम महादेव, गुहलला महावीर, आशापुरा, सोनाणा खेतलाजी, कुम्भलगढ़ वन्य सेन्चुरी जैसे स्थल आए हुए हैं, जहां पर हजारों की तादाद में विदेशी पर्यटक एवं लाखों की तादाद में स्वदेशी पर्यटक प्रति वर्ष आते हैं। तथा मेरे क्षेत्र में दानदाताओं की भी कमी नहीं है। जो हंसमुखदान देने में पीछे नहीं रहते है, परन्तु क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा नाम मात्र की है, ऐसे में विदेशी एवं स्वदेशी पर्यटकों के साथ-साथ क्षेत्र की जनता को भी चिकित्सा सुविधा हेतु इधर-उधर भटकना पड़ता है। जिससे पर्यटन पर भी बुरा असर पड़ता है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय रेफरल चिकित्सालय रानी में स्त्री रोग विशेषज्ञ का पंद सृजित करावें, इसी प्रकार नाडोल एवं देसूरी में भी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद सृजित करावें, जबकि मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी पद वरिष्ठ चिकित्सक एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ सृजित नहीं है।

अत: माननीय मंत्री महोदयजी से निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र में वरिष्ठ चिकित्सक एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद सृजित करवावें।

इनके साथ सादड़ी में 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड करावें एवं घाणेराव में मातृ शिशु कल्यांण केन्द्र खोलने की स्वीकृति इसी बजट में कराने का श्रम करावें। साथ ही बिजोवा, काणा, सोनाईमांझी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान करावें।

माही की दायीं मुख्य नहर से सम्बन्धित कमाण्ड भूमि पानी पीने से वंचित रहने बाबत

[श्री नवनीत नीनामा (बांसवाड़ा)]

महोदय,

उपरोक्त विषय में नियम 295 के तहत लोक महत्व के प्रश्न को विधान सभा में प्रस्तुत करता हूं।

1. जब 1965 के दरम्यान माही डेम का निर्माण हुआ व नहरों की खर्च हुई है। मगर दक्षिणी राजस्थान जिला बांसवाड़ा की भूमि भौगोलिक दृष्टि से ऊंची नीची व घटिया है। जहां पर नहर का पानी बनाई गई नहरों के एक तरफ ही बहाव होता है। अतः नहर के ऊपरी हिस्से की जमीन पूरे के पूरे गांव व पटवार मण्डल पानी सप्लाई होने से आदिवासी किसानों की जमीन वंचित रह गई है।
2. माही डेम की दाई मुख्य नहर विधान सभा क्षेत्र घाटोल से गुजरती है। मगर जो नहर निकलती है उसी क्षेत्र में किसानों की जमीन व खेत पानी सप्लाई होने से आज दिन तक वंचित है।
3. माही डैम की दूसरी नहर भूगडा कैनाल निकाली गई है। उस नहर से भी पानी जिनसे वंचित भूमि व पूरी की पूरी ग्राम पंचायतें व पटवार मण्डल वंचित रह गये हैं। यह क्षेत्र तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में स्थिति है।
4. जो पटवार मण्डल व ग्राम पंचायतों की कृषि भूमि माही डेम के दाई मुख्य कैनाल व भूगडा कैनाल दोनों के बीच में पानी सप्लाई होने से किसानों की जमीन सूखी पड़ी है। वे पटवार मण्डल निम्नलिखित है। जिनकी दुबारा सर्वे कराई जाकर पास में बहता हुआ नहरों का पानी किसानों के खेत में पहुंचाया जावें।

उपरोक्त विवरण तहसील घाटोल दक्षिणी राजस्थान जिला बांसवाडा के माही डेम की दाई मुख्य कैनाल से सम्बन्धित कमान्ड एरिया घोषित है के बावजूद कृषि भूमि को नहरों के अभाव में पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। कारण की जब माही डेम बना विभागीय अधिकारियों द्वारा सैटलमेन्ट भूमि की सर्वे अनुसार नहरों का बेन्ड छोटा बनाया गया जिससे जो सेटलमेन्ट के बाद कब्जा काश्त की भूमि सर्वे में जोडी नहीं गई है व पानी जब सप्लाई होने लगा तो कब्जा काश्त की भूमि भी पियत में शामिल होने लगी जिससे पानी पहुंच नहीं रहा है।

कालाडेरा निवासी मृतका के पोस्टमार्टम में हुई परेशानी

[श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)]

महोदय,

निवेदन है कि कालाडेरा चौमूं निवासी मृतका माया देवी की मृत्यु दिनांक 11.7.2004 को हुई मृतका के पीहर वालों की सूचना पर पुलिस ने मृतका के शव को कालाडेरा से चौमूं के अस्पतालों में लाया गया और वहां पर तीन चिकित्सकों का बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम की व्यवस्था की गई चिकित्सकों के बोर्ड ने पोस्टमार्टम न कर यह कहते हुए शव को एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर रैफर कर दिया कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मौत कैसे हुई। इसमें स्पेशियल ओपिनियन की आवश्यकता है तत्पश्चात शव एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर लाया गया और एस.एम.एस. के अस्पताल अधीक्षक ने उक्त शव को पोस्टमार्टम करने के लिए यह कहते हुए मना कर दिया कि सैटेलाइट अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से आये शवों का पोस्टमार्टम एस.एम.एस. में नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात् शव को एस.एम.एस. की मोर्चरी में रखने के लिए मना कर दिया। पिरजन और पुलिस उस शव को एस.एम.एस. की मोर्चरी के बाहर लेकर बैठे रहे। शव को मोर्चरी में नहीं रखने दिया गया। इसके बाद चौमूं के तीन चिकित्सकों का वही पैनल जिसने पूर्व में पोस्टमार्टम में असमर्थता जाहिर की थी चौमूं से जयपुर आया और सूर्यास्त के पश्चात भी एस.एम.एस. की मोर्चरी के बाहर खुले में उस शव का पोस्टमार्टम कर दिया जो अपने आप में जघन्य है। खुले में पोस्टमार्टम कर जो मानवता का व प्राकृतिक सिद्धान्तों का उपहास किया है। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ प्रश्न उभर कर आए है :-

(1) शव को पोस्टमार्टम के लिए जयपुर में क्यों रैफर किया गया।

(2) बिना एस.एम.एस. के अधीक्षक की अनुमति एस.एम.एस. की मोर्चरी के बाहर पोस्टमार्टम करना।

(3) खुले में सार्वजनिक रूप से पोस्टमार्टम करना।

(4) सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम करना।

(5) बिना अनुमति के चौमूं मुख्यालय छोड़ना और वहां से जयपुर एस.एम.एस. में आकर पोस्टमार्टम करना।

(6) पूर्व में चिकित्सकों के बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम करने की असमर्थता जाहिर करने के पश्चात् जयपुर में किस आधार पर और किसके दबाव से पोस्टमार्टम किया।

मेरा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से चिकित्सा मंत्री से आग्रह है कि क्या सरकार दोषी चिकित्सकों तथा इस प्रकरण में जो भी अन्य लोग दोषी है उनको उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी। या यह ढर्रा ऐसे ही चलता रहेगा।

लूणकरणसर व छतरगढ़ में रोडवेज बस स्टैण्ड हेतु भूमि की उपलब्धता

[श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)]

मान्यवर,

विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर का कस्बा लूणकरणसर जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है तथा तहसील एवं उपखण्ड मुख्यालय है मैं रोडवेज बस स्टैण्ड की माकूल व्यवस्था नहीं है तथा सड़क किनारे महज एक बूथ में चल रहा है जबकि कस्बे की विशालता, यात्रियों के आवागमन तथा राजमार्ग पर स्थित होने के कारण बस स्टैण्ड की उचित व्यवस्था की मांग लम्बे समय से चली आ रही है। बसों के खडे होने, यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं यथा शौचालय, बैठने का छायादार स्थान, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था महज इसलिए नहीं है कि रोडवेज विभाग द्वारा अपना बस स्टैण्ड स्थापित नहीं किया गया है। इसी प्रकार कस्बा छतरगढ़ जो कि तहसील मुख्यालय भी है यहां पर रोडवेज बस स्टेण्ड की व्यवस्था नहीं है तथा यात्रियों को भारी असुविधा होती है।

इस हेतु मेरा राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन है कि लूणकरणसर एवं छतरगढ़ में दोनों ही कस्बों में मुख्य सड़क पर भूमि उपलब्ध है। अत: प्राथमिकता से बस स्टेण्ड हेतु भूमि शीघ्र आबंटित करवाने का कष्ट करें जिससे आमजन को सुविधा हो सके।

निम्बाहेड़ा के राजकीय महाविद्यालय का स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नयन

[श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेडा)]

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय निम्बाहेडा में वर्ष 1977 में तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत के मुख्य मंत्रीत्व काल में राजकीय महाविद्यालय खोला गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश 27 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी यह महाविद्यालय क्रमोन्नत होकर स्नातकोत्तर नहीं बन सका। जिस कारण निम्बाहेडा एवं आस-पास क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है। यहां तक कि छात्रा वर्ग को तो स्नातक के पश्चात् ही अध्ययन छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है।

इस महाविद्यालय में जिले की पांच तहसीलों निम्बाहेडा, छोटीसादड़ी, बड़ीसादड़ी, डुंगला व भदेसर के छात्र-छात्रा पड़ने आते हैं। यह समूचा क्षेत्र जिले का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तथा यहां जनजाति व अनुसूचित जाति वर्ग की बहुतायत है। महाविद्यालय की वर्तमान में छात्र-छात्राओं की संख्या 850 के लगभग है जिसमें 80% ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी हैं वहीं छात्राओं की संख्या 60% के लगभग है। महाविद्यालय में कुछ छात्र संख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं की संख्या सर्वाधिक है।

इस महाविद्यालय का दुर्भाग्य रहा है कि वर्ष 1977 में जब महाविद्यालय कला संकाय के साथ खोला गया था उस समय पांच विषय हिन्दी, राजनीति, विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र व अर्थशास्त्र खोले गये थे, आज 27 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी पांचों विषय आज़ तक कायम है, नये विषय नहीं खोले गये।

मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि इस महाविद्यालय का सम्पूर्ण भवन निर्माण जन सहयोग व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रदत्त सहयोग से ही हुआ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यह महाविद्यालय अब तक क्रमोन्नत नहीं हो सका। इसके पीछे मात्र राजनैतिक द्वेषता रही है। कारण कि वर्ष 1977 के बाद राज्य में अनेक स्थानों पर खुले महाविद्यालय स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत हो चुके हैं।

अतः मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेडा को इसी वर्ष से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान करावें।

सीकर-लुहारू सड़क चिड़ावा शहर के स्थान पर सूरजगढ़ रोड से निकालने बाबत

[श्री श्रवण कुमार (पिलानी)]

मान्यवर,

निवेदन है कि सीकर से लूहारू बी.ओ.टी. योजना से जो रोड बनाई जा रही है वह 8 माह से कार्य चल रहा है। सड़क की दोनों तरफ की साइड खुदवाई हुई है परन्तु कार्य अच्छा है। इस कार्य को चालू रखाया जाये और बी.ओ.टी. के लिए पहले भी मैं निवेदन कर चुका हूं कि ओजटू से बाईपास सड़क बनी हुई है जो सूरजगढ़ रोड में मिलने हेतु एक प्रार्थी ने स्थगन आदेश ले रखा है उसको भी मैंने निरस्त करवा दिया था परन्तु बार -बार इस प्रक्रिया को बदलने हेतु मैंने बार-बार निवेदन कर दिया है कि चिडावा शहर के अन्दर से बी.ओ.टी. सड़क नहीं बनाई जावे क्योंकि चिडावा एक कन्जेस्टेड शहर है। गाड़ियों के आने जाने का रास्ता नहीं है। बडी गाड़ियों के निकलने का रास्ता ही नहीं है। अब भी 1 घंटों तक शहर की रोडें जाम रहती हैं और जब बी.टी.ओ. तैयार हो जायेगी और समस्त बडे गुड्स ट्रक आने जाने शुरू होंगे तो चिड़ावा शहर की दशा खराब होगी और जनता के आने जाने की जो व्यवस्था है वो दुर्लभ होगी। कृपया सार्वजनिक मंत्री इस बात को स्वयं देखें और इस बी.ओ.टी. का संचालन ओजटू बाई पास से सूरजगढ़ रोड से संचालन करवाया जाये जिससे कथनी और करनी में विश्वास रखने वाली सरकार की मंशा पूरी हो सके और जनता का हित हो सकें।

सलूम्बर में अकाल राहत कार्य

[श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)]

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र सलुम्बर में दो तहसील पड़ती है प्रथम-सलुम्बर व द्वितीय-गिवां उदयपुर। दोनों तहसील में कुल 51 ग्राम पंचायते है वर्तमान में 9 ग्राम पंचायतों में ही अकाल राहत का कार्य चल रहा है लेकिन आज दिनांक 16.7.2004 तक क्षेत्र में वर्षा नहीं होने से पूरे क्षेत्र की जनता बेरोजगार है तथा क्षेत्र में पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। लोगों के साथ-साथ पशुधन को भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अत: मेरा निवेदन है कि 9 ग्राम पंचायतों में अकाल राहत का कार्य चल रहा है वहां सरकार ने कार्य बढ़ाया गया है।

मैं मा. मुख्यमंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं साथ ही मांग करता हूं कि जहां पर अकाल राहत का कार्य नहीं चल रहा है वहां पर अकाल राहत का कार्य चालू करवाया जाय तथा पीने के पानी के टैंकर चालू करवाये जाये।

धौलपुर में उपलब्ध होते हुए भी गेहूं का वितरण नहीं

[श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर)]

महोदय,

धौलपुर जिले में राज्य सरकार के निर्धन व्यक्तियों के जीवनयापन हेतु जारी राशन वितरण व्यवस्था जिला रसद अधिकारी के तानाशाह रवैया के कारण पिछले दो माह से ठप्प पड़ी है। इससे गरीब लोग एक-एक अनाज के दाने को तरस रहे हैं। धौलपुर जिले में माह जून, 2004 का गेहूं वितरित नहीं किया गया है। इसी तरह जुलाई माह का राशन आज दिनांक 14 जुलाई 2004 तक उठाया ही नहीं गया है। यहां के जिले के कोटे का लगभग 26 हजार क्विंटल गेहूं एफ.सी.आई. के गोदामों में पड़ा हुआ है। गेहूं उपलब्ध होते हुए भी रसद अधिकारी उसका वितरण नहीं करवा रहे हैं। जबकि राशन वितरण के लिए जिले में थोक हैंडलिंग एजेंट पहले से ही कार्यरत है। इसका विवरण रसद अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आदेश संख्या रसद/एफ.पी.एस./धो.है./04/219 दिनांक 1 अप्रैल, 2004 के द्वारा समस्त प्रक्रिया पूरी है।

अत: धौलपुर जिले में निर्धन व्यक्तियों के जीवनयापन हेतु राशन वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से एवं गरीब व्यक्तियों को समय-समय पर गेहूं मिलता रहे जैसे लोक महत्व के विषय पर मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

भरतपुर की नगर व पहाड़ी तहसील के गांवों में पेयजल की अव्यवस्था

[मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)]

महोदय,

मेरे निर्वाचन क्षेत्र नगर की पहाड़ी एवं नगर तहसील के ग्राम बनेनीचन्दा, बनेनी धौकला, फ्रान्सका, नीमकी, सोमकी, फतेहपुर गंगोरा, छपरा, भादाका, हुसैका, सिहावली, छज्जूखेड़ा, नीमखेड़ा, न्यामतपुर, ध्नमतपुरा, लाड़मका, अकबरपुर, फौजदार अमरसिंह का बास, खखावली, चन्दूपुरा मालिकी, दुदावला, नांगल, गुलपाड़ा बस स्टैण्ड, सहित अधिकांशतया शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल या तो उपलब्ध ही नहीं है और यदि है भी तो दूषित है-बनेगी में तो कई वर्षों से टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है-बरखेडा फौजदार, फ्रान्सका व नीमकी की तथा बनेनी की योजना विचाराधीन है-सीकरी किशनपुरा योजना धीमी गति से चल रही है-गुलपाड़ा में उच्च जलाशय का निर्माण कराया जाना चाहिए। नांगल, छज्जूखेड़ा, सिहावली महरायपुर व बनेनी के लिए नई पेयजल योजना बनाई जानी चाहिए।

नीमखेड़ा, न्यामतपुर व धनमतपुरा हुसैका व भादाका सहित अनेकों गांव में टंकी बनी हुई है लेकिन आज तक एक बून्द पानी नहीं छोड़ा गया अनेकों गांवों में पाइप लाईन या तो क्षतिग्रस्त हो चुकी है या नाकाफी है इन्हें बदला जाना चाहिए। भरतपुर में घटिया पाइप आपूर्ति से लगभग 16 ट्यूब वैल व हैण्ड पम्प लग गये जो बेकार है। सप्लायर्स के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है इससे जनता में भारी रोष व्याप्त है।

अत: मैं माननीय जलदाय मंत्री व सदन का ध्यान आकर्षित कर नगर विधान सभा क्षेत्र के उपरोक्त गांवों में शीघ्र स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल सुलभ कराये जाने की मांग करता हूं।

जालौर राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद

[श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)]

महोदय,

जालौर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय चिकित्सालय के हाल बहुत खराब है। चिकित्सकों के पद सर्जित है व चिकित्सक नहीं है। गांवों से लोग अपने अस्वस्थ परिजनों को लेकर बडी आशा से जिला मुख्यालय पर आते हैं, किन्तु चिकित्सकों के कमरे खाली देखकर निराश होकर या तो गुजरात चले जाते है या फिर जोधपुर।

हालत यह है कि वरिष्ठ विशेषज्ञों में छह स्वीकृत पदों मे से 5 पद रिक्त है। वहीं कनिष्ठ विशेषज्ञों, के 9 में से 4 पद रिक्त है। अन्य चिकित्सा अधिकारी के 19 में से 6 पद खाली पड़े हैं वहीं अराजपत्रित चिकित्सा कर्मियों एवं सहयोगी कर्मचारियों के 106 में से 19 पद रिक्त है।

उपरोक्त परिस्थितियों में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा की कल्पना करना ही बेकार है। दान दाताओं के अपार जन सहयोग एवं सरकारी कोष से खडे किए गए विशाल भवन एवं जुटाए गए अत्याधुनिक साजो सामान तथा महंगे उपकरण धरे रह जाते है तथा योग्य चिकित्सों के अभाव में एकदम अर्थहीन होकर रह जाते है।

मैं सदन के माध्यम से मा. चिकित्सा मंत्रीजी एवं सम्पूर्ण सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उपरोक्त स्थिति को चिन्ता करते हुए इसके सुधार की दिशा में शीघ्र ठोस कदम उठायें ताकि एक पिछड़े जिले की जनता को राहत मिल सकें।

बस्सी की कतिपय सड़कों का पुन: डामरीकरण

[श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)]

महोदय,

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के जरिये आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी जिला जयपुर में ग्रामीण एरिया कि सड़क शत-प्रतिशत क्षतिग्रस्त हो रही है। आना-जाना अवरूद्ध हो रहा है। बड़े-बड़े गड्ढे दोनों किनारे टूट गये। मात्र 3 कि.मी. ही मार्ग रह गया है। जो सड़के खराब है वें निम्न प्रकार है :-

(1) आगरा रोड से नई का नाथ वाया बांसखो तक सड़क।

(2) नई नावा रोड से लवाण वाया राजपुरा भूखला।

(3) लवाण से तूंगा।

(4) तूंगा से कोटखावदा।

(5) कोटखावदा से चाकसू।

(6) चाकसू से गरूडवासी।

(7) बांसखो रोड से ठगावास तक।

(8) आगरा रोड से रेल्वे फाटक-ईसरावाला वाया मानसर खेडी।

(9) लालगढ़ से तूंगा वाया गढ़ दूवली गुमानपुरा।

(10) पाटन से लालपुरा।

(11) आगरा रोड से भेटरी वाया हंसमहल कानेरी।

उपरोक्त सड़को का पुन: डामरीकरण करने की कृपा करें।

जयपुर सिटी बस रूट नं. 21 के मार्ग-परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति

[प्रो. बीरू सिंह राठौड़ (बनीपार्क)]

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरा आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्रीजी से मिनि बस रूट संख्या 21 के मार्ग के सम्बन्ध में निवेदन है कि रूट संख्या 21 की मिनि बस पशु हटवाड़ा से पांचावाला तक चलाई जा रही है। यह रूट मेरे विधान सभा क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग कवर करता है और मुख्यत: सोडाला, वैशाली नगर एव पृथ्वीराज नगर के वाशिन्दों को इससे आवागमन में सुविधा मिल रही है लेकिन मेरा अनुरोध यह है कि वैशाली नगर क्षेत्र में पिछले सात-आठ माह से इस बस का मार्ग क्वीन्स रोड से वैशाली मार्ग होते हुए आम्रपाली सर्किल किया हुआ था जिसे अब तीन-चार दिनों से आम्रपाली मार्ग होते हुए आम्रपाली सर्किल पर दिया गया है, इस कारण झारखण्ड महादेव मन्दिर जाने वाले दर्शनार्थियों एवं नेमीसागर कालोनी, हनुमान नगर, गोम्स डिफेन्स कालोनी, वीर विहार कालोनी एवं प्रताप नगर आदि के निवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इन कालोनियों के निवासियों को एक मात्र इसी 21 नम्बर बस रूट का आसरा उपलब्ध था जो अब छीन लिया गया है। हालांकि यह बात सही है कि सात-आठ माह पूर्व से पहले यह मिनि बसें आम्रपाली मार्ग होते हुए ही चल रही थीं और आदरणीया मुख्य मंत्री महोदयाजी का निवास आम्रपाली मार्ग पर होने के कारण इस रूट की बस का मार्ग वैशाली मार्ग होते हुए परिवर्तित किया गया था, किन्तु वह एक बिलकुल सही निर्णय था जिसे बदला नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वैशाली मार्ग पर स्थित कालोनियों को निवासियों को इसका ही एकमात्र सहारा आवागमन के लिए उपलब्ध है और कई मर्तबा कालोनी के निवासीगण इस हेतु निवेदन भी कर चुके हैं।

अत: मेरा आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्रीजी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस मामले में व्यक्तिगत ध्यान देकर झारखण्ड महादेव मन्दिर आने-जाने वाले दर्शनर्थियों एवं नेमीसागर कालोनी, हनुमान नगर, गोम्स डिफेन्स कालोनी आदि के निवासियों को आवागमन की सुविधा प्रदान की जाने की जरूरत है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्रीजी त्वरित कार्यवाही कर समुचित आदेश जारी करने का कष्ट करेंगे।

सदस्य सूची

शुक्रवार, 16 जुलाई, 2004

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-बयाना की उचित मूल्य की दुकानें	298
श्री अध्यक्ष	
व्यवस्था	
-प्रतिवेदन एवं लेखे सदन पटल पर रखे जाने में विलम्ब के कारण बताये जाने चाहिए	59
स्थगन प्रस्ताव	
-आसीन्द एवं रायपुर तहसील में वर्तमान में चल रहे अकाल राहत कार्यों में भेदभाव बरते जाने के सम्बन्ध में	30
-बून्दी जिले की जखाना से रायथल सड़क की भूमि का मुआवजा	30
श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-अजमेर क्षेत्र में जिंक खनन	285
श्री अमराराम (धोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-निगम कर्मियों का बकाया रात्रि विश्राम भत्ता	327
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-परिवहन निगम के घाटे में संचालित आगार	18

नाम	पृष्ठ संख्या
शासकीय वक्तव्य	
-गोगुन्दा के गांव छीपाला में बीमारी से हो रही लगातार मृत्यु	180
सूचना	
-किराया नियंत्रण कानून से पूरे राजस्थान के किरायेदार दुकानदारों में असन्तोष	70
श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-गंगरार की उचित मूल्य की दुकानों में व्याप्त अनियमितताएं	297
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-गंगरार के निजी भवनों में संचालित छात्रावास	280
श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खादी एवं ग्रामोद्योग	
-सलूम्बर में उचित मूल्य की दुकानें	296
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-सलूम्बर में अकाल राहत कार्य	342
श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	147
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-जालौर जिले के पंचायतीराज अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतें	277

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-गोल्डन टोकन योजना समिति की समीक्षा	241
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-निम्बाहेड़ा के राजकीय महाविद्यालय का स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नयन	340
डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-उदयपुर जिले में खानों के आबंटन में व्याप्त अनियमितताएं	284
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-अरावली क्षेत्र में खनन एवं क्रेशर जोन	6
व्यवस्था का प्रश्न	
-प्रतिवेदन एवं लेखे सदन पटल पर रखे जाने में विलम्ब	48
श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-बस्सी के स्वीकृत कार्य	330
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	175
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-बस्सी में कराये गये विकास कार्य	23

नाम	पृष्ठ संख्या
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बस्सी के कतिपय सड़कों का पुन: डामरीकरण	346
श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-बस्सी में कराये गये विकास कार्य	23
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा (नदबई)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-नदबई में निगम बस स्टैण्ड	329
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-पुलिस थाना नदबई का क्रमोन्नयन	279
श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-अरावली क्षेत्र में खनन एवं क्रेशर जोन	15
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-बाड़मेर में पुलिस थानों का सृजन	25
श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-पुलिस थाना सदर (बीकानेर) में दर्ज प्रकरण	293

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-तारानगर में अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत चयनित व्यक्ति	295
शासकीय वक्तव्य	
-गोगुन्दा के गांव छीपाला में बीमारी से हो रही लगातार मृत्यु	181
श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-झालावाड़ में रेत-बजरी के ठेकेदार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक वसूली	240
श्री जयराम जाटव (खैरथल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-अलवर का अनुसूचित जाति छात्रावास भवन	303
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-खैरथल (अलवर) की निगम बस सेवा	236
डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	102
श्री जुबेर खान (रामगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-अरावली क्षेत्र में खनन एव क्रेशर जोन	1

म	पृष्ठ संख्या

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर

आय-व्ययक

-आय-व्ययक पर सामान्य द-विवाद 77

तारांकित प्रश्नोत्तर

सहकारिता

-कवि माघ बाल मन्दिर श्रीमाल के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें 27

नियम 295 के तहत विशे . उल्लेख

-जालौर राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद 345

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर

तारांकित प्रश्नोत्तर

यातायात एवं परिवहन

-बागुण्डी-बालोतरा-बाड़मेर मार्ग पर लि बस सेवा 330

तारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-बाड़मेर में पुलिस थानों का सृजन 25

डा. दिगम्बर सिंह (कुम्हेर, मंत्री

शासकीय वक्तव्य

-गोगुन्दा के गांव छीपाला में हो रही लगातार मृत्यु 178

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर

तारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल एवं सहायता

-राजगढ़ तहसील (चूरू) के अग्नि पीड़ितों को सहायता 256

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा

आय-व्ययक

-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद 108

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री नवनीत नीनामा (घाटोल)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-माही की दायीं मुख्य नहर से सम्बन्धित कमाण्ड भूमि पानी पीने से वंचित रहने बाबत	337
श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-फुलेरा की विधवा महिलाओं को पुत्री के विवाह हेतु अनुदान	304
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड को प्राप्त राशि का उपयोग	264
श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर द्वारा स्वीकृत ऋण की वसूली	302
श्री निर्भय लाल (रूपवास)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-हिण्डौन थाना व सुरौठ थाना में लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज प्रकरण	290
श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-बाली में राजस्व ग्रामों का सृजन	243
श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-नवलगढ़ के बी.पी.एल. परिवार को पारिवारिक सहायता	320

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-टोडाभीम में वन कर्मियों द्वारा अनियमितताएं	294
श्री बनवारी लाल (धौलपुर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-धौलपुर में उपलब्ध होते हुए भी गेहूं का वितरण नहीं	343
श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-बढ़ते रेगिस्तान पर रोक	256
श्री बाबूलाल नागर (दूदू)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-पुलिस थाना रेनवाल (जयपुर) में दर्ज बलात्कार प्रकरण	286
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-दूदू पंचायत समिति के अकाल राहत कार्यों का लम्बित भुगतान	234
प्रो. वीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-जयपुर सिटी बस रूट नं. 21 के मार्ग परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति	347
डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर), नेता, प्रतिपक्ष	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-पंचायतराज विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं की भर्ती	325

नाम	पृष्ठ संख्या

आय-व्ययक

-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद 192

तारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल एवं सहायता

-राहत कार्यों पर वर्ष 2003-04 में व्यय 263

व्यवस्था का प्रश्न

-प्रतिवेदन एवं लेखे सदन पटल पर रखे जाने में विलम्ब 56

समिति प्रतिवेदन : जन लेखा

-जन लेखा समिति 2004-05 (क्र.सं. 1 से 75) 61

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-जयपुर शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम 288

श्री भंवरू खान (फतेहपुर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-फतेहपुर के चयनित परिवारों को सहायता 331

श्री भरत सिंह (दीगोद)

तारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-कोटा सम्भाग में मादक पदार्थों के सेवन से अपराध वृद्धि 244

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़)

तारांकित प्रश्नोत्तर

यातायात एवं परिवहन

-अन्य राज्यों से क्रय ट्रेक्टरों के पंजीयन से राजस्व हानि 265

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री मदन दिलावर (अटरू), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-कवि माघ बाल मन्दिर, भीनमाल के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें	28
विधेयक का पुर:स्थापन	
-राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004	69
श्री मदन मोहन सिंघल (कामां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
श्रम एवं नियोजन	
-राज्य बीमा निगम माडल चिकित्सालय, जयपुर में पदस्थापित नेत्र चिकित्सक का बकाया वेतन भुगतान प्रकरण	300
श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-राज्य में चाइना क्ले की खानें	286
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	137
श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक	
व्यवस्था का प्रश्न	
-प्रतिवेदन एवं लेखे सदन पटल पर रखे जाने में विलम्ब	54
सदन की कार्यवाही	
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	160
श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)	
शासकीय वक्तव्य	
-गोगुन्दा के गांव छीपाला में बीमारी से हो रही लगातार मृत्यु	179

नाम	पृष्ठ संख्या
स्थगन प्रस्ताव	
-गोगुन्दा के गांव छीपाला में बीमारी से हो रही लगातार मृत्यु	33
श्री मुरारीलाल मीणा (बांदीकुई)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	156
श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कारागार	
-राज्य के कारागारों में कैदियों की मृत्यु	237
श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-मेवात क्षेत्रीय विकास योजना राशि में वृद्धि	237
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-भरतपुर की नगर व पहाड़ी तहसील के गांवों में पेयजल की अव्यवस्था	344
श्री यूनूस खान (डीडवाना), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोतर	
यातायात एवं परिवहन	
-परिवहन निगम के घाटे में संचालित आगार	18
श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-उदयपुर जिले की पुलिस चौकियों पर स्वीकृत मोटर साइकिलें	292
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	132

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-सराड़ा के राशन डीलरों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण	281
शासकीय वक्तव्य	
-गोगुन्दा के गांव छीपाला में बीमारी से हो रही लगातार मृत्यु	185
श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	165
श्री रणधीर सिंह गुढा (गुढा)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	88
श्री रमेश खींची (कठूमर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-कठूमर पंचायत समिति (अलवर) की निजी आय	308
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-भरतपुर जिला रसद अधिकारी द्वारा जिला अलवर में राशन डीलरों के विरूद्ध अनधिकृत छापे	239
श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	152
श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान स्टेट रोड़ डवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड के प्रथम व द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन व लेखे वर्ष 2000-01 एवं 2001-02	61

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	168
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक प्रकरण	258
श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-बून्दी जिले में जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र प्रकरण	291
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	96
श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-भूड़ला (जयपुर) ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कार्य	309
श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पुनर्गठन एवं चुनाव	238
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-पंचायतराज संस्थाओं को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार	312

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-अरावली क्षेत्र में खनन एवं क्रेशर जोन	9
श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-नागौर जिले की अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत निर्मित अपूर्ण सड़कें	326
यातायात एवं परिवहन	
-नागौर जिले मुख्यालय का निगम बस स्टैण्ड	329
श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-देसूरी के चिकित्सालयों में वरिष्ठ चिकित्सक एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के पदों का सृजन	336
श्रीमती लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-अरावली क्षेत्र में खनन एवं क्रेशर जोन	1
श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन), मुख्य मंत्री	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	213
श्री विष्णु मोदी (मसूदा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-अरावली क्षेत्र में खनन एवं क्रेशन जोन	7
व्यवस्था का प्रश्न	
-प्रतिवेदन एवं लेखे सदन पटल पर रखे जाने में विलम्ब	47

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-जयपुर-बीकानेर डीलक्स/वातानुकूलित बस सेवा	328
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	142
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-लूणकरणसर व छतरगढ़ में रोड़वेज बस स्टैण्ड हेतु भूमि की उपलब्धता	339
श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-आहोर के आवासीय बालिका विद्यालय	262
सहकारिता	
-कवि माघ बाल मन्दिर, भीनमाल के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें	28
श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-बनास नदी के पेटे की बजरी एवं रेती का ठेका	235
श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-जहाजपुर (भीलवाड़ा) के थाना प्रभारी के विरूद्ध दर्ज शिकायत	290
श्री श्रवण कुमार (पिलानी)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-सीकर-लुहारू सड़क चिड़ावा शहर के स्थान पर सूरजगढ़ रोड से निकालने बाबत	341

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-रामपुरा (सिरोही) ग्राम पंचायत की आबादी भूमि	312
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-अरावली क्षेत्र में खनन एवं क्रेशर जोन	15
डा. सी. डी. देवल (रायपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-रायपुर (पाली) पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति प्रकरण	324
डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)	
व्यवस्था का प्रश्न	
-प्रतिवेदन एवं लेखे सदन पटल पर रखे जाने में विलम्ब	19
शासकीय वक्तव्य	
-गोगुन्दा के गांव छीपाला में बीमारी से हो रही लगातार मृत्यु	182
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-कालाडेरा निवासी मृतका के पोस्टमार्टम में हुई परेशानी	338
श्री सुरेश मीणा (करौली)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	129
श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	161

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री हंगामी लाल मेवाड़ा (आसीन्द)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-आसीन्द (भीलवाड़ा) में अकाल राहत कार्यों में नियोजित श्रमिक	326
श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-जयपुर के निजी चिकित्सालयों/चिकित्सकों के विरुद्ध लम्बित प्रकरण	289
श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	84
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-गोल्डन टोकन योजना समाप्ति की समीक्षा	241
श्री हीरालाल (निवाई)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-निवाई एवं फुलेरा की उचित मूल्य की दुकानें	299
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-राज्य के मूकबधिर विद्यालयों हेतु स्वीकृत बजट/अनुदान में वृद्धि	247
श्री हीरालाल (बामनवास)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-सवाई माधोपुर जिले के चयनित परिवारों को अनुदान	257

क्र म	पृष्ठ संख्या
श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)	
आय-व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	119
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-कवि माघ बाल मन्दिर, भीनमाल के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें	29